



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम  
की  
निष्पादन लेखापरीक्षा



संघ सरकार (सिविल)  
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय  
2018 की प्रतिवेदन सं. 15  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम  
की  
निष्पादन लेखापरीक्षा

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय  
2018 की प्रतिवेदन सं. 15  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



## विषय सूची

	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	vii-xi
<b>अध्याय -I</b>	<b>कार्यक्रम विहंगावलोकन और लेखापरीक्षा दृष्टिकोण</b>	<b>1-8</b>
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	कार्यक्रम उद्देश्य	2
1.3	कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यनीति	2
1.4	संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य	4
1.5	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	5
1.6	अभिस्वीकृति	8
<b>अध्याय -II</b>	<b>योजना और वितरण तंत्र</b>	<b>9-24</b>
2.1	प्रस्तावना	9
2.2	योजना	9
2.3	राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता परिषद	13
2.4	वितरण तंत्र	13
2.5	लेखापरीक्षा सारांश	23
<b>अध्याय -III</b>	<b>निधि प्रबंधन</b>	<b>25-48</b>
3.1	प्रस्तावना	25
3.2	वित्तीय निष्पादन	26
3.3	केन्द्रीभूत योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग	36
3.4	जल गुणवत्ता निधियों का कम उपयोग	41
3.5	जलमणि के अंतर्गत अव्ययित पड़ी हुई निधियां	41
3.6	अन्य वित्तीय अनियमितताएं	42
3.7	अव्ययित शेष/निधियों का अवरोधन	46

	विवरण	पृष्ठ
3.8	लेखापरीक्षा सारांश	48
<b>अध्याय -IV</b>	<b>कार्यक्रम कार्यान्वयन</b>	<b>49-104</b>
4.1	प्रस्तावना	49
4.2	कवरेज	49
4.3	गुणवत्ता	77
4.4	स्थायित्व	88
4.5	परिचालन और अनुरक्षण	92
4.6	स्लिप-बैक बस्तियों का बना रहना	96
4.7	सहायक गतिविधियां	97
4.8	जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी	99
4.9	लेखापरीक्षा सारांश	103
<b>अध्याय -V</b>	<b>मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन</b>	<b>105-118</b>
5.1	प्रस्तावना	105
5.2	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली	106
5.3	आईएमआईएस डाटाबेस का विश्लेषण	107
5.4	मूल्यांकन अध्ययन	111
5.5	राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर	112
5.6	शिकायत निवारण प्रणाली	114
5.7	जिला स्तर पर क्षेत्रीय निरीक्षणों के लिए विशेषज्ञ दल का गठन न किया जाना	115
5.8	एसडब्ल्यूएसएम द्वारा कार्यक्रम की अपेक्षित समीक्षा करने में विफलता	115
5.9	सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समिति का गठन न किया जाना	116
5.10	सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव	116
5.11	मॉनीटरिंग तथा जांच यूनिट की स्थापना न करना	117
5.12	लेखापरीक्षा सारांश	117

	विवरण	पृष्ठ
अध्याय-VI	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	119-122
	अनुबंध	123-189
	पारिभाषिक शब्दावली और संकेताक्षर	191-192





## प्रस्तावना

भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) को संशोधित करके तथा पूर्व के उप-मिशन/योजनाओं को समाहित करके अप्रैल 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की शुरुआत की। पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करके, परिवारों को नल कनेक्शन में वृद्धि और पेयजल आपूर्ति के मानदंडों को बढ़ाकर 2013 में एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों को अद्यतित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, भोजन पकाने और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्थायित्व आधार पर स्वच्छ और पर्याप्त जल प्रदान करना है।

एनआरडीडब्ल्यूपी की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गयी थी कि किस सीमा तक कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012 से 2017 तक की अवधि कवर हुई थी और इसमें कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे योजना बनाना, वितरण तंत्र, निधि प्रबंधन, आंशिक रूप से कवर और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के कवरेज समेत कार्यान्वयन, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी का परीक्षण किया गया है।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की गई है।



## कार्यकारी सारांश

### मुख्य तथ्य

कार्यक्रम के बारे में	<ul style="list-style-type: none"> <li>• त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) में बदलाव करके और पूर्व के उप-मिशन/योजनाओं को समाहित करके अप्रैल 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, भोजन पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए स्वच्छ एवं स्थायित्व आधार पर पर्याप्त जल प्रदान करना था।</li> </ul>
प्रदेय	<p><b>2017 तक</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सभी ग्रामीण बस्तियों, सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों की स्वच्छ पेयजल तक पहुंच होना।</li> <li>• 50 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पाइप द्वारा पीने योग्य जल (55 एलपीसीडी<sup>1</sup>) प्रदान करना।</li> <li>• 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान करना।</li> </ul>
कार्यक्रम निधियां [2012-17]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कार्यक्रम के लिए ₹89,956 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹43,691 करोड़ और राज्य अंश ₹46,265 करोड़) प्रदान किए गए।</li> <li>• किया गया व्यय ₹81,168 करोड़ था।</li> </ul>
2017 तक के लिए निर्धारित प्रदेय के प्रति उपलब्धि	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ₹81,168 करोड़ व्यय करने के बावजूद 2012-17 के दौरान 40 एलपीसीडी पर केवल 8 प्रतिशत और 55 एलपीसीडी के आधार पर 5.5 प्रतिशत तक ग्रामीण बस्तियों के कवरेज में वृद्धि हुई।</li> <li>• केवल 44 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों और 85 प्रतिशत सरकारी विद्यालय एवं आंगनवाड़ियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान किया गया।</li> <li>• केवल 18 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पाइप द्वारा पीने योग्य जल (55 एलपीसीडी) प्रदान किया गया।</li> <li>• केवल 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए।</li> </ul>

<sup>1</sup> लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

<p><b>मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष</b></p>	<p><b>योजना और निधि प्रबंधन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं में बॉटम-अप दृष्टिकोण की कमी थी।</li> <li>₹89,956 करोड़ की उपलब्ध निधियों में से ₹8,788 करोड़ (10 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़े हुए थे।</li> <li>अपात्र उद्देश्यों के लिए ₹359 करोड़ की योजना निधियों को विपथित किया गया।</li> <li>राज्य जल और स्वच्छता मिशन और निष्पादन अभिकरणों के पास ₹304 करोड़ अवरुद्ध थे।</li> </ul> <p><b>कार्यक्रम कार्यान्वयन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यों के खराब निष्पादन और कमजोर अनुबंध प्रबंधन के परिणामस्वरूप कार्य अपूर्ण, परित्यक्त या गैर-कार्यात्मक रहने के साथ-साथ उपकरणों पर अनुत्पादक व्यय हुए जिस पर वित्तीय विवक्षा ₹2,212.44 करोड़ रही।</li> </ul> <p><b>मॉनीटरिंग</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न राज्यों में एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्ट किए गए डाटा के प्रमाणीकरण और सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था जिसके कारणवश डाटा में विसंगतियां विद्यमान थीं।</li> <li>कार्यक्रम की समग्र मॉनीटरिंग और निरीक्षण रूपरेखा में प्रभाविकता की कमी थी तथा अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी थी।</li> </ul>
--	--

## प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी/कार्यक्रम) की शुरुआत प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, भोजन पकाने और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्थायी आधार पर स्वच्छ एवं पर्याप्त जल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। 12<sup>वीं</sup> योजना का उद्देश्य दिसम्बर 2017 तक सभी ग्रामीण बस्तियों, विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना था। इसमें यह भी परिकल्पित किया गया था कि कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को निवासस्थान परिसर में या उनके निवासस्थानों से 100 मीटर तक की दूरी पर पाइप द्वारा 55 एलपीसीडी

जल आपूर्ति प्रदान किया जाएगा। एनआरडीडब्ल्यूपी को राज्यों में इसके छः घटकों और अन्य केंद्रित योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। 12<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, कार्यक्रम के लिए कुल ₹89,956 करोड़ (₹43,691 करोड़ का केंद्रीय अंश तथा ₹46,265 करोड़ का राज्य अंश) प्रदान किया गया जिसमें से इस अवधि के दौरान ₹81,168 करोड़ का व्यय किया गया।

योजना में 2017 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों अर्थात् (i) सभी ग्रामीण बस्तियों, सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, (ii) 50 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पाइप द्वारा पीने योग्य जल आपूर्ति करना (55 एलपीसीडी) और (iii) 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान करने को प्राप्त करने में विफल हुई। दिसम्बर 2017 तक, केवल 44 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों और 85 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जा सका, केवल 18 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पाइप द्वारा जल आपूर्ति के माध्यम से पीने योग्य जल प्रदान किया जा सका और 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए। 2012-17 की अवधि के दौरान, ₹81,168 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् ग्रामीण बस्तियों के समग्र कवरेज में 40 एलपीसीडी पर आठ प्रतिशत और 55 एलपीसीडी पर 5.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उचित योजना और निधि प्रबंधन के अभाव एवं वितरण की कमी के कारण कार्यों के अप्रभावी निष्पादन को चिन्हित किया गया जिसके कारण अनुचित विलंब और व्यय हुए जोकि अपेक्षित परिणाम या लाभ प्रदान करने में निष्फल रहे। योजना प्रबंधन और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा आपत्तियों की कुल वित्तीय विवक्षा ₹2,875 करोड़ निकाली गई जोकि लेखापरीक्षा में कवर ₹19,151 करोड़ के व्यय का उल्लेखनीय 15 प्रतिशत था।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य संख्या 6 जोकि सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और निरंतर प्रबंधन सुनिश्चित करने से संबंधित है को प्राप्त करने में भारत सरकार की प्रतिबद्धता में एनआरडीडब्ल्यूपी एक महत्वपूर्ण तत्व था। मंत्रालय ने सूचित किया (सितम्बर 2017) कि यद्यपि उसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय परिवारों को पेयजल प्रदान करने का था, उन्हें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2030 (मौजूदा लागत पर) तक लगभग ₹23,000 करोड़ प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी और परिव्ययों के

मौजूदा स्तर को देखते हुए एसडीजी को केवल एनआरडीडब्ल्यूपी के प्रयासों से पूरा नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि एसडीजी की प्राप्ति हेतु एनआरडीडब्ल्यूपी केवल एक अपेक्षित प्रयास नहीं हो सकता है, फिर भी यह उस ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा और निष्फल व्यय समेत इसके कार्यान्वयन में कमियाँ और अभाव आगे बाधा डालेंगे तथा लक्ष्य की प्राप्ति को कठिन बनाएंगे।

### (ए) योजना और वितरण तंत्र

केन्द्र और राज्यों में स्थापित योजना और वितरण रूपरेखा, कार्यक्रम दिशानिर्देशों से विपथित हुई थी। 21 राज्यों में जल सुरक्षा योजनाएं तैयार नहीं हुई थीं तथा वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी और संवीक्षा में कमियां जैसे हितधारक और सामुदायिक भागीदारी की कमी, योजनाओं में जल के न्यूनतम सेवा स्तर का समावेश न होना और कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के लिए राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति के अनुमोदन की अनुपस्थिति पाई गई। समन्वय करने और अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित सर्वोच्च स्तरीय राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता परिषद काफी हद तक निष्क्रिय रहा। कार्यक्रम की योजना बनाने और निष्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण अभिकरण जैसे राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य तकनीकी अभिकरण, स्रोत ढूँढने वाली समिति तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्र या तो स्थापित नहीं किए गए थे या फिर सौंपे गए कार्य नहीं कर रहे थे। इन बाध्यताओं ने योजना बनाने और वितरण दोनों में कार्यक्रम के लक्ष्य और प्रयोजन की प्राप्ति को प्रभावित किया।

### (बी) निधि प्रबंधन

एनआरडीडब्ल्यूपी को एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है जिसकी लागत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है। मंत्रालय की यह अपेक्षा कि 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित विकास में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए घटे हुए केन्द्रीय आवंटन की प्रतिपूर्ति राज्य अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता में वृद्धि के द्वारा करेंगे, असत्य साबित हुई। इस प्रकार, 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के लिए निधियों की समग्र उपलब्धता घट गई। हालांकि, निधियों के घटे हुए आवंटन भी अप्रयुक्त रहे। नोडल/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय अंश के निर्गम में 15 माह के विलंब हुए। व्यय के अस्वीकार्य मदों के प्रति

भी निधियों का विपथन हुआ और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनों तथा कार्य निष्पादन अभिकरणों के पास ₹662.61 करोड़ की निधियां अवरूद्ध पड़ी हुई थीं।

### (सी) कार्यक्रम कार्यान्वयन

यह कार्यक्रम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा जिन्हें 2017 के अंत तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है। इसका कारण आंशिक रूप से कार्यान्वयन में कमियां जैसे अपूर्ण, परित्यक्त तथा गैर-क्रियात्मक कार्य, उपकरणों पर निष्फल व्यय, गैर-कार्यात्मक सतत् संरचनाएं और अनुबंध प्रबंधन में कमी के कारण ₹2,212.44 करोड़ की कुल वित्तीय विवक्षाएं उजागर हुईं।

इसके अतिरिक्त, केवल पांच प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को समुदाय जल शुद्धिकरण संयंत्र प्रदान किए गए तथा नीति आयोग द्वारा प्रदत्त निधियों में से ऐसे संयंत्रों को स्थापित करने की प्रगति धीमी थी। स्थायित्व योजनाओं को या तो तैयार/कार्यान्वित नहीं किया गया या फिर वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया। पृष्ठ जल आधारित योजनाओं पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया था तथा पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं समेत बड़ी संख्या में योजनाएं (98 प्रतिशत) भू-जल संसाधनों पर आधारित थीं। अधिकतर राज्यों में परिचालन और अनुरक्षण योजनाएं या तो तैयार नहीं हुई थीं या फिर उसमें कमियां थीं जिसके कारण योजनाएं कार्यात्मक नहीं रहीं। इसके परिणामस्वरूप, स्लिप-बैक बस्तियों के मामले मौजूद थे।

अंततः, राज्य/जिला/उप-प्रभागीय स्तर पर प्रयोगशालाओं की अपेक्षित संख्या में कमी के कारण जल स्रोतों और आपूर्ति की निर्धारित गुणवत्ता जांचों में कमी हुई और ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से समझौता किया गया।

### (डी) मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

अपर्याप्त प्रमाणीकरण और सत्यापन नियंत्रण के कारण कार्यक्रम एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमआईएस) में डाटा में संगतता और सटीकता की कमी थी। कार्यक्रम के मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, निरीक्षण, निगरानी विशेषज्ञ समितियां या तो स्थापित नहीं की गई थीं या फिर योजनाबद्ध रूप में कार्य नहीं कर रही थीं। लाभार्थी स्तर की संतुष्टि का पता लगाने के लिए कार्यक्रम की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं हुई थी। अतः, समग्र मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण रूपरेखा में प्रभाविकता की कमी थी और इस प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी भी अपर्याप्त थी।





**मुख्य प्रतिवेदन**




## अध्याय-I कार्यक्रम विहंगावलोकन और लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

### 1.1 प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद से भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए हैं। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने पहले के त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में संशोधन लाकर तथा उपमिशनों, विविध योजनाओं को एक साथ लाकर एवं स्वजलधारा सिद्धांतों को मुख्यधारा में लाकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी/कार्यक्रम) शुरू किया।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 12<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना तक ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने पर किए गए निवेश **ग्राफ-1.1** में दिए गए हैं:

**ग्राफ-1.1: योजना अवधि के दौरान किया गया निवेश**



स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख

## 1.2 कार्यक्रम उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्थायित्व आधार पर स्वच्छ तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के विचार से एनआरडीडब्ल्यूपी बनाया गया था। कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित थे:

ए.	सभी परिवारों को एक यथोचित दूरी पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल तक पहुँच एवं उसे उपयोग हेतु उपलब्ध कराना संभव बनाना;
बी.	समुदायों को उनके पीने के पानी के स्रोतों पर निगरानी रखने हेतु सक्षम बनाना;
सी.	यह सुनिश्चित करना कि समुदाय आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए योजना बनाते समय पेयजल आपूर्ति के संबंध में पीने के पानी का पीने योग्य होना, विश्वसनीयता, उसकी निरंतर उपलब्धता, जल प्राप्त करना, सुविधा-जनक होना, समानता एवं उपभोक्ताओं की पसंद - ये सभी मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे;
डी.	पेयजल की सुविधा, विशेष रूप से पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना जहां प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति प्राप्त कर ली गई हो;
ई.	यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाडियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो;
एफ.	पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय समुदायों को उनके गांवों में स्वयं के पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का प्रबन्धन करने हेतु सहायता देना एवं इस हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना; तथा
जी.	सूचना में पारदर्शिता लाने और सजग निर्णय लेने हेतु पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना।

## 1.3 कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यनीति

11<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) में, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज का आधार बस्तियों से परिवारों में परिवर्तित कर दिया गया ताकि समुदाय के सभी परिवारों में पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। 12<sup>वीं</sup> योजना में पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर बल दिया गया था। घरेलू जल और स्वच्छता पर योजना आयोग के कार्यकारी समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवा स्तर को

40 एलपीसीडी<sup>1</sup> से 55<sup>2</sup> एलपीसीडी तक बढ़ाने तथा पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर केंद्रित करने की आवश्यकता की अनुशंसा की थी।

कार्यनीति योजना<sup>3</sup> (2011-2022) में देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 2022 तक बिना किसी सामाजिक या आर्थिक भेदभाव के उनके घर के परिसरों में या उनके घर से 50 मीटर तक के क्षैतिज या सीधी दूरी पर 70 एलपीसीडी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। यह अभिज्ञात था कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य अपनी स्वयं की कार्यनीतियां अपनाएंगे तथा चरणबद्ध समयसीमा बनाएंगे। कार्यनीति योजना में नियत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित समयसीमा निर्धारित की गई है:

#### वर्ष 2017 तक

- कम से कम 55 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो;
- कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में एक घरेलू कनेक्शन के साथ पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो, 20 प्रतिशत से कम परिवार सार्वजनिक नलों का उपयोग करें और 45 प्रतिशत से भी कम हैण्ड पंपों का अथवा स्वच्छ और पर्याप्त जल वाले निजी स्रोतों को उपयोग करें;
- प्रतिदिन जल की गुणवत्ता और जलापूर्ति के घंटों के हिसाब से सभी सेवाएँ तयशुदा मानदण्डों के अनुसार पूरी की जाएँ;
- यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत के सभी परिवारों, स्कूलों और आंगनवाडियों तक पानी पहुँचे और वे पीने के स्वच्छ पानी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करें;
- पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के लिए सक्षम सहायता प्रदान की जाए एवं अनुकूल वातावरण बनाया जाए ताकि वे कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का प्रबंधन कर सकें।

<sup>1</sup> लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

<sup>2</sup> पेय-3 एलपीसीडी खाना बनाने-5 एलपीसीडी, स्नान करने-15 एलपीसीडी, बर्तन तथा घर धोने-10 एलपीसीडी, प्रसाधन/शौचालय-10 एलपीसीडी, कपड़े धोने तथा अन्य उपयोग-12 एलपीसीडी

<sup>3</sup> कार्यनीति योजना (2011-22), पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ग्रामीण पेयजल "ग्रामीण भारत में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना"

### वर्ष 2022 तक

- यह सुनिश्चित करना कि कम से कम 90 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए;
- कम से कम 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में एक घरेलू कनेक्शन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो, 10 प्रतिशत से भी कम लोग सार्वजनिक नलों का और 10 प्रतिशत से भी कम लोग हैंड पम्पों अथवा जल के अन्य स्वच्छ स्रोतों एवं पर्याप्त मात्रा में निजी जल स्रोतों का उपयोग करें;
- सभी पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को कुशल सहायता एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना जिससे कि वे शतप्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का प्रबंधन कर सकें।

### 1.4 संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का मुद्दा अपने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) तथा बाद में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया गया था।

एमडीजी के अंतर्गत, राष्ट्रों को वैसे परिवार के स्तर को, जिनकी पहुँच स्वच्छ पेयजल स्रोतों तक नहीं थी, का 1990 के स्तर से 2015 तक आधा करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया था। एमडीजी के अंतर्गत उपलब्धियों पर बनाई गई भारत देश की रिपोर्ट<sup>4</sup> ने दर्शाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह लक्ष्य 2012 के दौरान प्राप्त कर लिए गए थे।

वर्ष 2030 के लिए एसडीजी एजेंडा जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है। एसडीजी के अंतर्गत सभी के लिए स्वच्छ तथा सस्ता पेय जल उपलब्ध कराने का सार्वभौमिक तथा न्यायोचित पहुँच का लक्ष्य 2030 तक पूर्ण किया जाना है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने अपनी कार्यनीति योजना (2011-2022) में 2017 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने तथा 2022 तक 90 प्रतिशत परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी।

राष्ट्रीय लक्ष्यों के सुसंगत एसडीजी के लक्ष्यों के साथ एकीकरण के मुद्दे पर मंत्रालय ने सूचित किया (सितम्बर 2017) कि उसका व्यापक लक्ष्य “हर घर जल” अर्थात

<sup>4</sup> सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी (2015)

ग्रामीण भारत में हर परिवार को जल कनेक्शन प्रदान करके परिपूर्णता प्राप्त करना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे 2030 तक वार्षिक रूप से ₹23,000 करोड़ (वर्तमान लागत पर) की आवश्यकता होगी तथा वर्तमान वित्तीय परिव्यय के तहत केवल एनआरडीडब्ल्यूपी के प्रयासों से एसडीजी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

## 1.5 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

### 1.5.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के उद्देश्य से की गई थी कि:

- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक नियोजन तथा सांस्थानिक तंत्रविधि विद्यमान थी;
- कार्यक्रम हेतु निधि प्रबंधन मितव्ययी तथा प्रभावी था;
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावशाली तथा कुशल था;
- कार्यक्रम की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु पर्याप्त तथा प्रभावशाली तंत्रविधि विद्यमान थी।

### 1.5.2 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा निष्पादन लेखापरीक्षा कवरेज

निष्पादन लेखापरीक्षा 16 मार्च 2017 को मंत्रालय के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ आरंभ की गई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य तथा मानदण्ड पर चर्चा की गई। प्रत्येक राज्य में संबंधित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में शामिल नोडल विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया। तत्पश्चात, कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखों की जांच मंत्रालय तथा राज्यों में अप्रैल 2017 तथा अगस्त 2017 के बीच की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में, 27 राज्यों<sup>5</sup> में 2012-13 से 2016-17 तक की पांच वर्षों की अवधि के कार्यक्रम के कार्यान्वयन को कवर किया गया था। कार्यक्रम में ग्राम सभा/ग्राम/बस्तियों तथा उसके प्रतिनिधियों की भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके एक लेखापरीक्षा सर्वेक्षण भी किया

<sup>5</sup> दो राज्यों अर्थात् हरियाणा और पश्चिम बंगाल को पिछले वर्ष के राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में एनआरडीडब्ल्यूपी की लेखापरीक्षा कवरेज होने के कारण चयन में शामिल नहीं किया गया है।

गया था। लेखापरीक्षा समापन के पश्चात 16 फरवरी 2018 को मंत्रालय के साथ निर्गम सम्मेलन किया गया था जिसमें ड्राफ्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा की गई थी। राज्य स्तर पर भी निर्गम सम्मेलन किए गए थे। इस प्रतिवेदन में मंत्रालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भेजे गए उत्तरों को शामिल किया गया है।

### 1.5.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड का स्रोत

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देश; कार्यनीति योजना, अधिसूचनाएं, आदेश तथा परिपत्र;
- भूतपूर्व योजना आयोग (नीति आयोग) तथा केन्द्र और राज्यों में अन्य मॉनीटरिंग एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययन; तथा
- एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार के आदेश;

### 1.5.4 लेखापरीक्षा नमूना चयन

प्रत्येक राज्य को भौगोलिक रूप से सन्निहित क्षेत्रों में विभाजित किया गया तथा समस्त राज्य का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से नमूने लिए गये थे। नमूना चयन की प्रक्रिया तथा तंत्रविधि का विस्तृत विवरण अनुबंध-1.1(ए) में दिया गया है।

ग्राम सभा/ग्राम स्तर पर सांस्थानिक व्यवस्थाओं तथा योजना में उनकी भागीदारी और कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा जागरूकता की समीक्षा करने के लिए एक लेखापरीक्षा सर्वेक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों पर कार्यक्रम का प्रभाव महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे पेयजल की उपलब्धता, पहुंच, नियमितता और विश्वसनीयता के संदर्भ में अध्ययन किया गया था। सर्वेक्षित बस्तियों तथा लाभार्थियों के प्रोफाइल के ब्यौरे अनुबंध 1.1(बी) तथा (सी) में दिए गए हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कवर किए गए नमूने चार्ट-1.1 में दर्शाए गए हैं :



### चार्ट-1.1: नमूना आकार



चयनित जिलों, मंडलों, ब्लॉकों, ग्राम पंचायतों, बस्तियाँ तथा लाभार्थियों के ब्यौरे **अनुबंध-1.2** में दिए गए हैं। चयनित जिलों के नाम **अनुबंध-1.3** में दिए गए हैं।

#### 1.5.5 पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कार्यक्रम की समीक्षा पहले भी की गई थी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2008 के प्रतिवेदन सं. 12 (त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम) में शामिल की गई थी। प्रतिवेदन में शामिल महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां वार्षिक कार्य योजना में त्रुटि, प्रस्तावों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण, स्लिप-बैंक बस्तियाँ<sup>6</sup> योजनाओं का कार्यात्मक न होना, जल गुणवत्ता तथा परीक्षण हेतु अवसंरचना न होना तथा जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग पर अपर्याप्त ध्यान देने की कमियों से संबंधित थी।

लोक लेखा समिति (15<sup>वीं</sup> लोक सभा) ने उपर्युक्त 2008 के प्रतिवेदन सं. 12 पर अपने 35<sup>वें</sup> प्रतिवेदन (2011-12) में अपनी अनुशंसाएं की थी। समिति ने, आगे अपने 69<sup>वें</sup> प्रतिवेदन (2012-13) में मंत्रालय द्वारा भेजी गई कार्रवाई टिप्पणियों की समीक्षा की।

2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी की वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि सीएजी के पूर्व प्रतिवेदन में इंगित की गई कमियां निरन्तर बनी हुई हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा के अनुसार कमियों, तदनुसारी अनुशंसा तथा स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध 1.4** में दिए गए हैं।

<sup>6</sup> जल स्रोतों के संदूषित होने या स्रोतों के सूखने के कारण पूर्ण रूप से कवर की श्रेणी से आंशिक रूप से कवर की गई श्रेणी में परिवर्तित हुई बस्तियां

## 1.6 अभिस्वीकृति

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन विभागों और उनके कर्मचारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर दिए गए सहयोग तथा सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

## अध्याय-II योजना और वितरण तंत्र

### 2.1 प्रस्तावना

किसी भी कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित योजना और सुव्यवस्थित वितरण तंत्र आवश्यक है। कार्यक्रम दिशानिर्देश प्रभावी योजना निर्माण तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तरों पर प्रासंगिक अभिकरणों की भागीदारी परिकल्पित करते हैं।

### 2.2 योजना

#### 2.2.1 राज्य विशिष्ट क्षेत्र नीति रूपरेखा को तैयार न किया जाना

भारत भौगोलिक रूप से विविधता सम्पन्न देश है जहां पेयजल के विविध स्रोत हैं अतः प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विशिष्ट क्षेत्र नीति रूपरेखा को तैयार करना आवश्यक है। तदनुसार, कार्यक्रम दिशानिर्देशों ने प्रत्येक राज्य द्वारा 'राष्ट्रीय नीति रूपरेखा' पर आधारित राज्य विशिष्ट क्षेत्र नीति रूपरेखा की तैयारी को अनिवार्य बताया है। तत्पश्चात्, राज्य नीति रूपरेखा के आधार पर प्रत्येक राज्य 12<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना के लिए जल आपूर्ति योजनाओं हेतु राज्य स्तरीय योजना तैयार करेगा।

हालांकि, 17 राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय<sup>1</sup>, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड<sup>2</sup> ने राज्य विशिष्ट क्षेत्र नीति रूपरेखा तैयार नहीं की थी। राजस्थान में, यद्यपि रूपरेखा को तैयार बताया गया था, इसे लेखापरीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया था। तमिलनाडु में, इस पहलू पर लेखापरीक्षा को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

#### 2.2.2 जल सुरक्षा योजना को तैयार न किया जाना

जल सुरक्षा योजना में, वित्तीय और मानव संसाधन की सीमाओं के भीतर जल स्रोतों के उपयोग के अनुकूलन की आवश्यकता है ताकि मूल आवश्यकताओं को पूरा किया

<sup>1</sup> विभाग ने बताया (अक्टूबर 2017) कि मेघालय राज्य जल नीति की तैयारी शुरू हो चुकी है।

<sup>2</sup> उत्तराखंड राज्य ने अपनी ग्रामीण जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य की नीति के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशानिर्देश 2013 को अपनाया है।

जा सके और निवेश सहित जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित निर्णय भी ले सके। जल सुरक्षा योजना को ग्रामीण, जिला और राज्य स्तरों पर शुरू किया जाना है।

ग्रामीण जल सुरक्षा योजना (वीडब्ल्यूएसपी) में जनसांख्यिकीय, भौतिक विशेषताएं, जल स्रोत और गांव के अन्य विवरण, उपलब्ध पेयजल अवसंरचना और जल स्रोत, ग्रामीण स्तरों पर उपलब्ध विभिन्न निधियों तथा ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम से निधियों की आवश्यकता के क्रमवेशन द्वारा निधिकरण शामिल थे। वीडब्ल्यूएसपी के आधार पर जिला जल सुरक्षा योजना (डीडब्ल्यूएसपी) को तैयार किया जाना है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत, एक पंचवर्षीय व्यापक जल सुरक्षा कार्रवाई योजना को तैयार किया जाना था।

तथापि, 21 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र<sup>3</sup>, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब<sup>4</sup>, राजस्थान<sup>5</sup>, उत्तर प्रदेश<sup>6</sup> और उत्तराखंड में तीनों स्तरों में से किसी में भी जल सुरक्षा योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं।

गुजरात, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा में ग्रामीण और जिला स्तर पर जल सुरक्षा योजनाएं तैयार नहीं हुई थीं जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जल सुरक्षा योजनाएं ग्रामीण और राज्य स्तर पर तैयार नहीं हुई थी।

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दो राज्यों के, 11 चयनित जिलों में से आठ में डीडब्ल्यूएसपी तैयार नहीं हुआ था। शेष तीन<sup>7</sup> जिलों में यद्यपि योजना को तैयार बताया गया था, लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रदान नहीं किया गया। सिक्किम में, राज्य स्तर पर जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी।

तमिलनाडु में, यद्यपि 11<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य स्तरीय योजना तैयार की गई थी, 12<sup>वीं</sup> पंचवर्षीय योजना के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। त्रिपुरा में, केवल 2016-17 से 2021-22 की अवधि हेतु 2017 में योजना तैयार की गई थी।

<sup>3</sup> डीडब्ल्यूएसपी से संबंधित जिला सांगली को छोड़कर।

<sup>4</sup> डीडब्ल्यूएसपी को कार्य कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया था।

<sup>5</sup> विभाग ने बताया कि डीडब्ल्यूएसपी तैयार किया गया था। हालांकि, सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

<sup>6</sup> वीडब्ल्यूएसपी के संबंध में 52 (54 में से) जीपी की नमूना जांच की गई थी।

<sup>7</sup> नालगोंडा (तेलंगाना) और रायपुर और कवर्धा (छत्तीसगढ़)

### राजस्थान

5,455 गांवों के लिए वीडब्ल्यूएसपी की तैयारी के कार्य को कार्य आदेश जारी करने के तीन माह के भीतर पूरा करने के लिए ₹10.51 करोड़ की लागत पर अगस्त 2010 में प्रदान किया गया था। निर्माण कार्य हेतु भुगतान को पांच लक्ष्यों अर्थात् (i) जांच रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण (पांच प्रतिशत) (ii) डीपीआर सहित वीडब्ल्यूएसपी का प्रस्तुतीकरण (75 प्रतिशत), (iii) जीआईएस आवेदन के साथ अंतिम रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण (10 प्रतिशत), (iv) एसटीए का अनुमोदन (पांच प्रतिशत) तथा (v) एसएलएसएससी द्वारा निकासी (पांच प्रतिशत) से जुड़ा हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्मों द्वारा 4,917 डीपीआर प्रस्तुत किए गए थे जिसमें से 4,003 का सत्यापन हुआ था और जनवरी 2015 तक फर्मों को ₹3.73 करोड़ का भुगतान किया गया था। हालांकि, स्तर III, IV और V को निष्पादित नहीं किया गया था। वीडब्ल्यूएसपी और एसटीए तथा एसएलएसएससी के अनुमोदन पर अंतिम रिपोर्टों की अनुपस्थिति में ₹3.73 करोड़ का संपूर्ण व्यय व्यर्थ गया था।

इस प्रकार, अधिकतर राज्य अपेक्षित स्तरों पर जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी सुनिश्चित करने में विफल रहे जोकि वास्तविक आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के किसी प्रकार के आकलन के बिना योजनाओं का निर्माण किए जाने का सूचक था।

### 2.2.3 वार्षिक कार्य योजना (एएपी)

कार्यक्रम दिशानिर्देश<sup>8</sup> राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने एएपी को सहभागी तरीके से तैयार करें जिसमें वर्ष के दौरान प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में गतिविधियों का विवरण और ऐसे प्रस्तावों की वित्तीय लागत शामिल हो। एएपी में, उन परिवारों को जहां पेयजल तक पहुंच जनसंख्या के केवल 25 प्रतिशत तक सीमित थी और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी। आगामी वर्ष के एएपी को ऑनलाइन आईएमआईएस के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में जनवरी तक

<sup>8</sup> पैरा 14

मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करना था। इसके पश्चात् इन योजनाओं पर राज्यों को निधियां आवंटित करने के उद्देश्य हेतु मंत्रालय से फरवरी/मार्च में चर्चा की जाती है।

एएपी की तैयारी एवं संवीक्षा की प्रक्रिया में पाई गई विसंगतियों की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

### 2.2.3.1 मंत्रालय द्वारा एएपी को संसाधित करने में कमियां

लेखापरीक्षा ने नौ राज्यों (गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश) के 31 एएपी को विभिन्न वित्तीय वर्षों (2012-13 से 2016-17) के प्रसंस्करण करने से संबंधित अभिलेखों की जांच की और निम्नलिखित को पाया:

- विशिष्ट वित्त वर्ष के लिए जारी निर्देश जैसे अधिक गुणवत्ता प्रभावित परिवारों के कवरेज, व्यक्तिगत नल कनेक्शन बढ़ाना, पेयजल स्रोतों की जांच, प्रयोगशालाओं में अवसंरचना सुविधाओं का सुदृढीकरण, डब्ल्यूएसएसओ, डीडब्ल्यूएसएम, बीआरसी में पेशेवरों की भर्ती, सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करना आदि के अनुपालन को आगामी वर्ष एएपी को संसाधित करने में मंत्रालय द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी।
- विशिष्ट वित्त वर्ष के लिए प्रक्षेपित लक्ष्यों को उस वर्ष के लिए उपलब्धि को दर्शाते हुए आगामी वर्ष में राज्यों द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। हालांकि, परिवर्तनों के कारणों का पता मंत्रालय द्वारा नहीं लगाया गया था। एएपी को स्वीकृत करते समय 55 एलपीसीडी पेयजल के प्रावधान के लिए कार्यक्रम लक्ष्य का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था तथा राज्यों को 40 एलपीसीडी के कम लक्ष्य को निर्धारित करने की अनुमति दी जा रही थी। इसके अतिरिक्त, एएपी का प्रारूप मंत्रालय को यह सुनिश्चित नहीं करने देता था कि राज्यों द्वारा प्रस्तावित योजनाएं सामरिक लक्ष्यों के अनुसार हों।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2017) कि सीमित श्रमशक्ति होने के कारण एएपी को बारीकी से मॉनीटर करना संभव नहीं था।

### 2.2.3.2 एएपी की तैयारी में कमियां

10 राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय एएपी को तैयार किए बिना राज्य स्तरों

पर वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) तैयार की गई थीं। 23 राज्यों में लेखापरीक्षा ने एएपी में कमियां जैसे कि एएपी का विलंबित प्रस्तुतीकरण/अनुमोदन, एएपी की तैयारी में स्थानीय हितधारक और समुदाय भागीदारी की कमी, एसएलएसएससी से अनुमोदन की अनुपस्थिति और योजनाओं/प्लान में जल के न्यूनतम सेवा स्तर (55 एलपीसीडी) का समावेश न किया जाना, पाई थीं जिसका विवरण **अनुबंध-2.1** में दिया गया है।

### 2.3 राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता परिषद

राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता परिषद (एनडीडब्ल्यूएससी)<sup>9</sup> का सृजन जुलाई 2010 में किया गया था ताकि पेयजल और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच तथा केन्द्र और राज्य के बीच अधिक समन्वय और समानता लाया जा सके। कार्यनीति योजना (2011-22) के अनुसार, मंत्रालय को राष्ट्रीय जल मिशन (जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत) के माध्यम से एनडीडब्ल्यूएससी अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ सम्मिलित दृष्टिकोण अपनाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-17 की अवधि के दौरान एनडीडब्ल्यूएससी निष्क्रिय था। जिसके परिणामस्वरूप, कार्यक्रम के योजना एवं कार्यान्वयन में अन्य हितधारकों के साथ समन्वित और सम्मिलित दृष्टिकोण नहीं था।


मंत्रालय ने स्वीकार किया (सितम्बर 2017) कि पहले की दो बैठकों (2012 से पूर्व) के पश्चात् कोई बैठक नहीं हुई थी और बताया कि वैकल्पिक माध्यम से समन्वय तथा अभिसरण प्राप्त किया जा रहा था। हालांकि, तथ्य यही है कि मंत्रालय को समन्वय एवं अभिसरण की आवश्यकता वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्च स्तरीय फोरम के लाभों से वंचित रखा गया।

### 2.4 वितरण तंत्र

कार्यक्रम दिशानिर्देशों में, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों में फैले हुए एक संस्थागत ढांचे और विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपे गए निकायों के सृजन की परिकल्पना की थी। इस रूपरेखा का विवरण **चार्ट-2.1** में दिया गया है:

<sup>9</sup> विभिन्न विभागों, पांच राज्य सचिवालयों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ संगठनों/सिविल सोसायटी संगठन/शैक्षिक एवं वैज्ञानिक संस्थान/जिला पंचायत/सर्वोच्च उद्योग संस्था से लिए गए दस सदस्य शामिल हैं।

चार्ट-2.1: केन्द्र तथा राज्य स्तर पर वितरण तंत्र



राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा



### 2.4.1 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले विभाग/अभिकरण के संरक्षण के अन्तर्गत राज्य स्तर पर पंजीकृत सोसायटी के रूप में एक “राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)” को स्थापित किया जाना चाहिए। एसडब्ल्यूएसएम के सदस्यों के रूप में पीएचईडी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, कृषि, सूचना एवं जनसंपर्क के मुख्य सचिवों के साथ मुख्य सचिव/ अपर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। मिशन को राज्य में सर्वोच्च स्तरीय संस्थान होना था जिसे राज्य में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना की योजना, समन्वय, प्रबंधन और मॉनीटरिंग से संबंधित मुख्य कार्य सौंपे गए थे। मिशन को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गोवा, कर्नाटक और मिजोरम में दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य रूप में एसडब्ल्यूएसएम तैयार नहीं किए गए थे और इसके कार्य अन्य विभागों/अभिकरणों द्वारा निष्पादित किए जा रहे थे। सभी विभागों से प्रतिनिधित्व के साथ इनके बेहतर अभिसरण और समन्वय सुनिश्चित करके मिशन को स्थापित करने का उद्देश्य विफल हुआ था। नौ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश<sup>10</sup>, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा में एसडब्ल्यूएसएम गैर-कार्यात्मक रहे क्योंकि कोई बैठक नहीं हुई थी।

नौ अन्य राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में एसडब्ल्यूएसएम की कभी-कभी बैठक हुई अर्थात् 2012-17 के दौरान एक से छः<sup>11</sup> बार। झारखंड<sup>12</sup>, नागालैण्ड और तेलंगाना में लेखापरीक्षा को मिशन की बैठक से संबंधित अभिलेख प्रदान नहीं किए गए।

इस प्रकार, न केवल कई राज्यों में कार्यक्रम दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ बल्कि ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं था कि कार्यक्रम को सर्वोच्च स्तर पर नीति दिशानिर्देश,

<sup>10</sup> एसडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता प्रधान सचिव पीआर एवं आरडी विभाग द्वारा की गई थी।

<sup>11</sup> अरुणाचल प्रदेश (6), असम (5), छत्तीसगढ़ (5), जम्मू एवं कश्मीर (1), केरल (1), मणिपुर (4), पंजाब (3), सिक्किम (1) और उत्तर प्रदेश (3)

<sup>12</sup> झारखंड में, एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) कार्य कर रही थी जबकि झारखंड राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (जेएसडब्ल्यूएसएम) विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए कार्य कर रहा था।

समन्वय मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए समर्थन प्राप्त हुआ था जोकि इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

#### 2.4.2 राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति

राज्यों को सचिव पीएचईडी/ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) को गठित किया जाना था। एसएलएसएससी को कार्यक्रम अंतर्गत लक्षित किए जाने वाली बस्तियों पर वार्षिक कार्रवाई योजना (एएपी) और मंत्रालय की सलाह से शुरू की जाने वाली योजनाओं को अनुमोदित करना था। इस समिति को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी थी जहां नई योजनाओं की संस्वीकृति के अलावा पूर्व स्वीकृत योजनाओं की प्रगति, समापन और प्रवर्तन में लाने की भी समीक्षा की जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि प्रत्येक राज्य के लिए अपेक्षित 10 बैठकों के प्रति 20 राज्यों में 2012-17 के दौरान 30 और 80 प्रतिशत के बीच की कमियां थीं जैसा **अनुबंध-2.2** में दिया गया है। **बिहार** एवं **हिमाचल प्रदेश** में, 2015-17 के दौरान बैठकों की संख्या में कमी 50 प्रतिशत<sup>13</sup> तक थी।

**गोवा** में, समिति कार्य नहीं कर रही थी और एसएलएसएससी के स्थान पर लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा निर्णय लिए जा रहे थे। **मेघालय**, **मिजोरम** और **नागालैण्ड** में, समिति का कार्य केवल परियोजनाओं की संस्वीकृति तक सीमित था। **ओडिशा** में, समिति ने निर्माण कार्यों के नाम को बताए बिना केवल संख्याओं में निर्माण कार्य स्वीकृत किए थे। इसलिए, एसएलएसएससी द्वारा प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य का मूल्यांकन आगामी बैठकों में संभव नहीं था। **राजस्थान** में, समिति ने ₹5,867.65 करोड़ की लागत की 7,276 योजनाओं को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की थी जिसने एसएलएसएससी के निर्माण के उद्देश्य को विफल किया क्योंकि स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व एसएलएसएससी द्वारा योजनाओं की व्यवहार्यता और अन्य पहलुओं की संवीक्षा करना अपेक्षित था।

इस प्रकार, सौंपे गए कार्य का निष्पादन न होने और बैठकों की संख्या में कमी ने सर्वोच्च स्तरीय नीति दिशानिर्देश, समीक्षा और समन्वय प्रदान करने के लिए एसएलएसएससी की स्थापना के उद्देश्य को कमजोर किया।

<sup>13</sup> दोनों राज्यों में 2015-17 के दौरान प्रत्येक वर्ष में एक बैठक।

### 2.4.3 राज्य तकनीकी अभिकरण

एसडब्ल्यूएसएम से अपेक्षित था कि वह राज्य तकनीकी अभिकरण (एसटीए) के रूप में नियुक्त करने के लिए मंत्रालय की सलाह से प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों की पहचान करें। स्रोत की स्थिरता पर बल देकर और मुख्य तथा जटिल जल आपूर्ति योजनाओं के मूल्यांकन में सहायता करके एसटीए को ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन और डिजाइन में विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करनी थी। फील्ड स्तर पर योजना के नियोजन और कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एसडब्ल्यूएसएम/एसएलएसएससी/विभाग को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए भी एसटीए जिम्मेदार था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश<sup>14</sup>, गुजरात<sup>15</sup>, जम्मू एवं कश्मीर<sup>16</sup>, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब और तेलंगाना<sup>17</sup> ने एसटीए की पहचान नहीं की थी। छः राज्यों असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान की बजाय समिति/निकाय/स्वयं कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों या अन्य कार्यरत अभिकरण स्वयं एसटीए के रूप में कार्य कर रहे थे। अन्य राज्य के विशिष्ट निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

**अरुणाचल प्रदेश:** उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), निरजुली को जून 2014 में एसटीए के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, किसी भी योजना<sup>18</sup> को पूर्व मूल्यांकन के लिए न तो एसटीए को प्रेषित किया गया था और न ही 2012-17 के दौरान एसटीए द्वारा पूर्ण हुई योजनाओं के बाद के मूल्यांकन किए गए थे।

**छत्तीसगढ़:** परियोजनाओं की योजना बनाने और डिजाइन करने में सहायता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गतिविधियों के लिए कार्य योजना की तैयारी, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग, फीडबैक, आदि जैसे कार्य एसटीए द्वारा निष्पादित नहीं किए गए थे।

<sup>14</sup> मार्च 2012 में एसटीए गठित किया गया था, जबकि राज्य के विभाजन के बाद (जून 2014), अभिकरण गैर-कार्यात्मक बनी रही।

<sup>15</sup> राज्य में केवल आंतरिक तकनीकी समितियां हैं।

<sup>16</sup> डीपीआर की तैयारी, संवीक्षा एवं पुनरीक्षण मुख्य अभियंताओं, पीएचईडी द्वारा की गई थी।

<sup>17</sup> एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत योजनाबद्ध कार्यों के विभिन्न मदों की संवीक्षा तथा मंजूरी दोनों एसएलएसएससी द्वारा की गई थी।

<sup>18</sup> 2014-17 की अवधि के लिए 828 योजनाएं।

**हिमाचल प्रदेश:** अक्टूबर 2015 में एसटीए की पहचान एक वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। तथापि, एक वर्ष से अधिक समय के लिए विस्तारण की स्थिति विभाग के अभिलेखों में नहीं पाई गई।

**झारखंड:** यद्यपि नवम्बर 2011 में एसटीए चिन्हित किया गया था, परन्तु उनकी सेवाएं नवम्बर 2014 के पश्चात् ली गई थी। नवम्बर 2014 तक, एसटीए द्वारा पुनरीक्षण के बिना एसएलएसएससी बैठकों में डीपीआर प्रस्तुत किए गए।

**केरल:** किसी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान को शामिल करने की बजाय, राज्य सरकार ने एसटीए के रूप में कार्य करने के लिए प्रबंध निदेशक, केरल जल प्राधिकरण (जुलाई 2010) की अध्यक्षता में अभिकरण गठित किया था। हालांकि, यह अभिकरण भी कार्य नहीं कर रहा था।

**मिजोरम:** एसटीए का गठन नवम्बर 2009 में संयुक्त सचिव, पीएचईडी के पास प्रभारी अधिकारी के रूप में और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान<sup>19</sup> सहित छः अन्य सदस्यों के साथ किया गया था जो परियोजनाओं की संवीक्षा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को कार्यरत करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि, तकनीकी विशेषज्ञों को कार्यरत नहीं किया गया था और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तकनीकी मानदंडों पर बिना विचार किए संवीक्षा की गई थी।

**ओडिशा:** ग्रामीण पाइप द्वारा जल आपूर्ति कार्यों के डीपीआर/अनुमानों को संवीक्षा हेतु एसटीए के पास नहीं भेजा गया था।

**सिक्किम:** प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को चिन्हित किए जाने की बजाय, जल सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य आभियांत्रिकी विभाग को एसटीए के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो<sup>20</sup> आरडब्ल्यूएसएस कार्यों से संबंधित बड़ी आरडब्ल्यूएसएस परियोजनाओं को छोड़कर, डीपीआर और अनुमानों का पुनरीक्षण एसटीए द्वारा नहीं किया गया।

<sup>19</sup> अखिल भारतीय स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता

<sup>20</sup> नेमफींग एवं येनगेंग

**उत्तराखंड:** एसएलएसएससी ने दिसम्बर 2016 में एसटीए<sup>21</sup> की सेवाओं को इस आधार पर बंद कर दिया था कि पहले से ही राज्य में दो फिल्टर स्तर अर्थात् विभागीय संस्वीकृति समिति और सशक्त संस्वीकृति समिति मौजूद थे।

इस प्रकार, एसटीए को चिन्हित करने और नामित करने और निर्धारित कार्यों के लिए उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने में विफलता से ऐसी योजनाओं की शुरुआत का जोखिम बढ़ गया जोकि तकनीकी रूप से अच्छा या व्यवहार्य नहीं था।

#### 2.4.4 स्रोत खोजी संस्थान

स्रोत खोजी संस्थान (एसएफसी) से अपेक्षित था कि वह पीने योग्य पेयजल की उपलब्धता की पर्याप्तता के अनुसार मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं की व्यवहार्यता एवं कार्य की हमेशा समीक्षा करे। एसएलएसएससी में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत योजनाओं में एसएफसी की पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 19 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम<sup>22</sup>, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एसएफसी का गठन नहीं हुआ था। गुजरात में एसएफसी ने भू-जल योजनाओं का आंकलन नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं से संबंधित जल स्रोतों में मुख्य रूप से जल की अपर्याप्त मात्रा के कारण, 2,052 भू-जल आधारित योजनाएं कार्य नहीं कर रही थीं (जुलाई 2017)।

एसएफसी की अनुपस्थिति में, नोडल अभिकरणों ने जल आपूर्ति योजनाओं को अनुमोदित और समीक्षा करते समय पर्याप्त पीने योग्य जल की उपलब्धता से संबंधित अपेक्षित आश्वासन प्राप्त नहीं किया था।

#### 2.4.5 जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन

सभी राज्यों को एसडब्ल्यूएसएम के अंतर्गत जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) को स्थापित किया जाना था तथा जल और स्वच्छता के लिए मौजूदा संचार और क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू<sup>23</sup>) का विलय इस संगठन के साथ

<sup>21</sup> आईआईटी रुड़की

<sup>22</sup> मई 2017 में एसएफसी गठित की गई थी।

<sup>23</sup> आईईसी और एचआरडी गतिविधियों को करने के लिए इकाई

होना था जिसे प्रतिष्ठित सिविल सोसायटी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और वीडब्ल्यूएससी के प्रतिनिधियों के साथ सोसायटी<sup>24</sup> के रूप में राज्य स्तर पर ग्रामीण जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन बनना था। संगठन मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की जल सुरक्षा योजना, मानव संसाधन विकास और आईईसी गतिविधियों की तैयारी, प्रभाव आंकलन और मूल्यांकन अध्ययन, अनुसंधान और विकास गतिविधियों तथा मॉनीटरिंग हेतु आधुनिक आईटी उपकरणों में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चार राज्यों अर्थात् **आन्ध्र प्रदेश, केरल, मिजोरम** और **सिक्किम** ने डब्ल्यूएसएसओ को स्थापित नहीं किया था तथा सीसीडीयू कार्यक्रम के लिए कार्य कर रहे थे। **13 राज्यों** के डब्ल्यूएसएसओ के कार्य में विभिन्न कमियां थीं जैसे स्टाफ की कमी, मूल्यांकन अध्ययनों का गैर-संचालन तथा जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी में शामिल न होना जैसाकि **अनुबंध-2.3** में तालिकाबद्ध किया गया है।

#### 2.4.6 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) को जिला स्तर पर गठित किया जाना था और जिला पंचायत/परिषद के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करना था। मिशन की अध्यक्षता जिला पंचायत/परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जानी थी और इसमें चयनित प्रतिनिधि, जिला परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा जिला स्तरीय सरकार पदाधिकारी शामिल होंगे। मिशन को कम से कम त्रैमासिक रूप से बैठक करनी थी तथा जो परियोजनाओं के निर्माण, प्रबंधन और इसकी प्रगति को मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि **बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान** एवं **तमिलनाडु** के किसी भी चयनित जिले में डीडब्ल्यूएसएम का गठन नहीं हुआ था। दो राज्यों अर्थात् **कर्नाटक** और **महाराष्ट्र** के, 20 चयनित जिलों में से पांच<sup>25</sup> में डीडब्ल्यूएसएम का गठन नहीं हुआ था। **नागालैण्ड** में, विभाग ने डीडब्ल्यूएसएम के निर्माण तथा चयनित जिलों में उनके द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे।

<sup>24</sup> सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत

<sup>25</sup> **कर्नाटक** के बीदर और यादगिर(2), **महाराष्ट्र** के बीड, बुलधाना और रायगढ़

लेखापरीक्षा ने डीडब्ल्यूएसएम के कार्यपद्धति में कमियां जैसे बैठकें आयोजित न करना, बैठकों की संख्या में कमी, गैर-कार्यात्मक डीडब्ल्यूएसएम, जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा मिशन की अध्यक्षता न किया जाना, जन प्रतिनिधि (एमपी/एमएलए/पीआरआई) को शामिल न किया जाना, स्टॉफ की कमी तथा 19 राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका को सीमित किया गया जैसा **अनुबंध-2.4** में दिया गया है।

#### 2.4.7 ब्लॉक संसाधन केन्द्र

ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक स्तर पर नोडल बिंदु के रूप में परिकल्पित किया गया था ताकि जागरूकता सृजन, अभिप्रेरण, लामबंदी, ग्राम समुदायों के प्रशिक्षण तथा रखरखाव, जीपी और जीपीएससी<sup>26</sup>/वीडब्ल्यूएससी का निरंतर समर्थन किया जा सके। बीआरसी को ब्लॉक पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत होना था और डीडब्ल्यूएस की विस्तारित वितरण शाखा के रूप में कार्य करना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 17 राज्यों **बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु<sup>27</sup>, तेलंगाना और उत्तराखंड** में चयनित ब्लॉकों में बीआरसी स्थापित नहीं किए गए थे। पांच राज्यों **आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश** के चयनित ब्लॉकों में 52 प्रतिशत तक बीआरसी के निर्माण में कमी थी। बीआरसी के कार्यप्रणाली पर अन्य राज्य विशिष्ट टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:

**आन्ध्र प्रदेश :** दो जिलों (गुंटूर और पश्चिम गोदावरी) में यद्यपि बीआरसी गठित किए गए थे परंतु वह कार्य नहीं कर रहे थे।

**अरुणाचल प्रदेश:** पीएचईडी के 44 उप-प्रभागीय कार्यालयों को जनवरी 2012 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में 99 ब्लॉकों के लिए बीआरसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह बीआरसी कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी के नियंत्रण में था न कि ब्लॉक पंचायत के। यह दिखाने के लिए कोई प्रमाण नहीं था कि स्वच्छ

<sup>26</sup> ग्राम पंचायत स्वच्छता समिति

<sup>27</sup> राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन पर अवसरचना को साथ ही साथ बीआरसी के रूप में कार्य करने के लिए चयन किया गया था।

जल और किटों का उपयोग करते हुए पेयजल की जांच आदि के मुद्दे पर साइट दौड़ों तथा किसी जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण गतिविधियों को बीआरसी ने संचालित किया था।

**असम:** बीआरसी के कार्य केवल स्वच्छता तक सीमित थे।

**छत्तीसगढ़:** 16 चयनित ब्लॉकों में से आठ<sup>28</sup> में बीआरसी को गठित बताया गया था परंतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। शेष ब्लॉकों द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

**झारखंड:** बीआरसी ने अप्रैल 2013 से कार्य करना शुरू किया और छः चयनित जिलों के ब्लॉकों में मार्च-नवम्बर 2016 तक कार्य किया। हालांकि, चयनित जिलों में दिशानिर्देशों के अनुसार उनके कार्य का निष्पादन करने में बीआरसी असफल रहा।

**ओडिशा:** 24 चयनित ब्लॉकों में, 61 कर्मियों की आवश्यकता के प्रति 39 कर्मियों के साथ बीआरसी कार्य कर रहा था। स्टाफ की कमी के कारण ग्राम समुदायों, जीपी और वीडब्ल्यूएससी के लिए जागरूकता, अभिप्रेरण, प्रशिक्षण एवं लामबंदी का आयोजन नहीं किया गया था।

**उत्तर प्रदेश:** केवल ब्लॉक समन्वयक<sup>29</sup> को बीआरसी में तैनात किया गया था। राज्य में किसी भी बीआरसी में क्लस्टर समन्वयक की तैनाती नहीं की गयी।

यह तथ्य कि सभी राज्यों में बीआरसी या तो अनुपस्थित थे या फिर अपर्याप्त रूप से कार्य कर रहे थे, दर्शाता है कि हितधारक भागीदारी और सहायता सुनिश्चित किए बिना कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही थी और कार्यान्वित किया जा रहा था।

#### 2.4.8 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

ग्रामवासियों की सक्रिय साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी) को स्थापित किया जाना था। समिति को योजना बनाने, गांव में पेयजल तथा स्वच्छता गतिविधियों को डिजाइन करने एवं कार्यान्वित

<sup>28</sup> अभनपुर, धरसीवान, कवर्धा, बोडला, डोन्गरगढ़, खेरागढ़, सुरजपुर और रामानुजनगर

<sup>29</sup> बीआरसी के 24 पदाधिकारियों में से एक



करने और जल एवं स्वच्छता मुद्दों की समीक्षा करने के लिए ग्राम पंचायत को डाटा और सूचना प्रदान करने जैसे कार्यों के लिए दायित्व, समिति को सौंपे जाने थे।

बिहार, केरल, राजस्थान तथा तमिलनाडु<sup>30</sup> में वीडब्ल्यूएससी का गठन नहीं हुआ था। 10 राज्यों (असम, गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा और उत्तराखंड) के चयनित जीपी में, वीडब्ल्यूएससी के गठन में कमी 29 और 96 प्रतिशत के बीच थी।

लेखापरीक्षा ने योजना बनाने और प्रबंधन में वीडब्ल्यूएससी को शामिल न किए जाना, स्वच्छता क्षेत्र की भूमिका को सीमित करना, गांव के गरीब लोगों और एससी, एसटी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित न किए जाने जैसी 12 राज्यों में वीडब्ल्यूएससी के कार्य में कमियां पायी थीं जैसाकि अनुबंध-2.5 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, वीडब्ल्यूएससी की स्थापना न होना कार्यक्रम की योजना बनाने, डिजाइन करने और कार्यान्वयन में नीचे से लेकर ऊपर तक की पहुंच में कमी दर्शाता है।

## 2.5 लेखापरीक्षा सारांश

अधिकांश राज्यों में हितधारक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अभिप्रेत संस्थागत तंत्रों और संरचनाओं को स्थापित नहीं किया गया था और जहां स्थापित किया गया था वहां नियमित आधार पर कार्य करने में विफल रहा। केन्द्र स्तर पर, समन्वय तथा अभिसरण प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत सर्वोच्च स्तरीय समिति अर्थात् एनडीडब्ल्यू एण्ड एस परिषद अधिकतर कार्य नहीं कर रहे थे। राज्य स्तर पर कार्यक्रम दिशानिर्देशों में परिकल्पित रूप से अधिकतर राज्यों में तीन स्तरों अर्थात् ग्राम, जिला और राज्य में से किसी पर भी जल सुरक्षा योजनाएं तैयार नहीं की गई थी जोकि योजनाओं की योजना बनाने में नीचे से लेकर ऊपर तक की पहुंच और समुदाय भागीदारी की अनुपस्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के वितरण हेतु संरचनात्मक सहायता कमजोर थी क्योंकि नीति मार्गदर्शन, अभिसरण और समन्वय के लिए सर्वोच्च स्तरीय निकाय अर्थात् एसडब्ल्यूएसएम, 12 राज्यों में या तो कार्यात्मक नहीं था या फिर सीमाओं के साथ कार्य कर रहा था। एसएलएसएससी जिसे अनुमोदन और मॉनीटरिंग प्रगति तथा योजनाओं के समापन का कार्य सौंपा गया था, उसने निर्धारित अंतरालों पर बैठकें नहीं की थीं। योजनाओं के

<sup>30</sup> तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं जल निकास (टीडब्ल्यूएडी) मंडल

लिए तकनीकी सहायता सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि राज्य तकनीकी एजेंसी और स्रोत ढूंढने वाली समितियां क्रमशः सात राज्यों और 19 राज्यों में चिन्हित/गठित नहीं की गई थीं। जिला स्तर पर, यद्यपि 19 राज्यों में डीडब्ल्यूएसएम गठित थी परंतु उनके कार्य में कई कमियां थीं जोकि उनकी उपयोगिता और प्रभाविकता को कम करती थीं। ब्लॉक स्तरीय वितरण निकाय अर्थात् ब्लॉक संसाधन केन्द्र 17 राज्यों के चयनित ब्लॉकों में गठित नहीं किए गए थे। राज्यों में विभिन्न जीपी में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन नहीं किया गया था तथा उनके कार्य में कमियां पाई गई थीं।

परिणामस्वरूप, कार्यक्रम में योजना बनाने और वितरण दोनों में बाध्यताओं का सामना करना पड़ा जिसने अंततः कार्यक्रम के लक्ष्यों और प्रयोजन की प्राप्ति को प्रभावित किया।

## अध्याय-III निधि प्रबंधन

### 3.1 प्रस्तावना

एनआरडीडब्ल्यूपी का कार्यान्वयन एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य लागत की हिस्सेदारी करते हुए हुआ था। योजनागत बजट आवंटन के अंदर, निधियों को विश्व बैंक परियोजनाओं, जल गुणवत्ता उप-मिशन, पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं एवं मरुभूमि विकास कार्यक्रम राज्यों के जैसी विशिष्ट श्रेणियों हेतु चिन्हित किया गया था। मंत्रालय, आर एण्ड डी एवं समर्थन गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी निधियां रखता है। शेष निधियों को बाद में ग्रामीण आबादी आधारित प्राथमिकता मानदंड के आधार पर छः एनआरडीडब्ल्यूपी संघटकों<sup>1</sup> के अंतर्गत राज्यों को आवंटित कर दिया जाता है। जिन प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आवंटन चिन्हित किये गये थे, उन्हें चार्ट-3.1 में दिया गया है:

#### चार्ट-3.1: बजट आवंटन का वितरण



स्रोत: कार्यक्रम दिशानिर्देश

<sup>1</sup> कवरेज, स्थायित्व, जल गुणवत्ता, परिचालन व अनुरक्षण, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी, समर्थन (कार्यक्रम दिशानिर्देश के पैरा 9.2 एवं 9.3)

### 3.2 वित्तीय निष्पादन

कार्यक्रम दिशानिर्देशों में प्रत्येक संघटक हेतु केन्द्र एवं राज्य अंश का निर्धारण करते हुए संघटक-वार वित्तपोषण का स्वरूप निर्धारित किया गया है। 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की राज्यों के लिए निधियों के न्यागमन को बढ़ाने की संस्तुति और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को सुनिश्चित करने पर मुख्य मंत्रियों के उप-समूह की संस्तुतियों के आधार पर, मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी कर कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के वित्तपोषण स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। मूल और संशोधित वित्तपोषण स्वरूप तालिका- 3.1 में दी गयी है:

**तालिका 3.1: केन्द्र-राज्य वित्तपोषण भागीदारी का स्वरूप**

संघटक	मूल स्वरूप		संशोधित स्वरूप	
	अन्य राज्य	पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य	अन्य राज्य	पूर्वोत्तर /हिमालयी राज्य
कवरेज, जल गुणवत्ता, परिचालन एवं अनुरक्षण	50:50	90:10	50:50	90:10
स्थायित्व, समर्थन, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस)	100:0	100:0	60:40	90:10
मरुभूमि विकास कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा	100:0	100:0	60:40	90:10
चिन्हित जल गुणवत्ता	50:50	90:10	50:50	90:10

स्रोत: कार्यक्रम दिशानिर्देश

#### 3.2.1 केन्द्र द्वारा एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए निधि आवंटन

2012-17 के दौरान, मंत्रालय को दिया गया कुल बजट आवंटन ₹40,111 करोड़ था। इसके प्रति, मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान ₹39,779 करोड़ का व्यय किया जिसमें से राज्यों को किया गया निर्गम ₹39,501 करोड़ था। वर्ष-वार ब्यौरे तालिका 3.2 में दिए गये हैं:

## तालिका- 3.2: केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों का आवंटन: 2012-17

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय#	मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी निधियां*
2012-13	10,500	10,500	10,490	10,473
2013-14	11,000	9,700	9,697	9,640
2014-15	11,000	9,250	9, 243	9,191
2015-16	2,611	4,373	4,370	4,265
2016-17	5,000	6,000	5,979	5,932
<b>कुल</b>	<b>40,111</b>	<b>39,823</b>	<b>39,779</b>	<b>39,501</b>

स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख

# राज्यों को निर्गम+ मंत्रालय स्तर पर व्यय

मंत्रालय को अपेक्षा थी कि 2015-16 तथा 2016-17 के वर्षों में बजटीय आवंटन में गिरावट की क्षतिपूर्ति 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियों के संवर्धित न्यायगमन से की जाएगी और कार्यक्रम के संघटकों के राज्यों के हिस्से में वृद्धि 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों को, उनकी संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू तथा बाह्य दोनों प्रकार के ऋण देने वाली एजेंसियों से वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने की सलाह दी गई थी।

### 3.2.2 राज्यों को केन्द्रीय अंश में कटौती/कमी

राज्यों को निधियों के अंतरण में वित्तीय अनुशासन<sup>2</sup> को सुधारने के उपायों के भाग के रूप में, पिछले वर्ष में निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक अथ शेष को वर्ष के दौरान प्रथम किस्त के निर्गम में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, निधियों का केन्द्रीय अंश भी राज्य सरकारों से प्रस्तावों की देर से प्राप्ति, राज्य के अंश का कम निर्गम और परिचालन तथा अनुरक्षण पर अतिरिक्त व्यय जैसे कारणों के प्रति कटौती योग्य थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने उपर्युक्त कारणों से 13 राज्यों में कटौती की और ₹829.39 करोड़ की कुल धनराशि केन्द्रीय अंश में से कम कर दिया। राजस्थान

<sup>2</sup> वित्त मंत्रालय का दिनांक 13 मई 2012 का का.जा.

(₹398.53 करोड़) में यह कटौती अधिकतम थी और इसका प्रसार असम, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ₹50 करोड़ और ₹80 करोड़ के बीच था तथा आन्ध्र प्रदेश में ₹25 करोड़ और ₹50 करोड़ के बीच था। मणिपुर, ओडिशा, पंजाब तथा तेलंगाना में यह कटौती ₹10 करोड़ या इससे कम थी।

### 3.2.3 राज्य अंश का निर्गम कम/नहीं होना

12 राज्यों में, ₹1,178.76 करोड़ का समान राज्य अंश का 2012-17 के दौरान या तो निर्गम नहीं हुआ था या कम निर्गम हुआ था। आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखण्ड में ₹100 करोड़ से भी अधिक राशि के राज्य अंश का कम निर्गम हुआ था या निर्गम नहीं हुआ। जिसमें महाराष्ट्र के मामले में यह धनराशि सर्वाधिक यानी ₹547.93 करोड़ थी। असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा तेलंगाना में निर्गम के कम/नहीं होने की राशि ₹40 करोड़ और ₹100 करोड़ के बीच थी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड और सिक्किम में निर्गम के कम/नहीं होने की राशि ₹10 करोड़ से कम थी।

लेखापरीक्षा के विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि कुछ खास घटनाओं से संबंधित केन्द्र-राज्य के मध्य भागीदारी के स्वरूप में परिवर्तन के बाद, राज्यों ने इन संघटकों के अंतर्गत 2015-17 के दौरान केन्द्रीय अंश के प्रति अपने बराबर के अंश का निर्गम नहीं किया था। ब्यौरे अनुबंध 3.1 में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि राज्यों को परिवर्तित वित्तपोषण स्वरूप (जनवरी 2016) के बारे में देर से सूचित करने के कारण, कुछ राज्य वित्त वर्ष 2015-16 में इसके लिए प्रावधान नहीं कर पाये थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि अनेक राज्यों ने अगले वित्त वर्ष में भी केन्द्रीय अंश के प्रति अपने अंश का निर्गम नहीं किया था।

### 3.2.4 केन्द्रीय और राज्य निधियों का निर्गम तथा उपयोग

2012-17 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन हेतु निधियों के केन्द्रीय और राज्य अंश के निर्गम और उपयोग का विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

## तालिका- 3.3 केन्द्रीय और राज्य निधियों का निर्गम और उपयोग: 2012-17

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	राज्य को जारी निधि	ब्याज/वसूलियां	उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	
						राशि	उपलब्ध निधि की प्रतिशतता
<b>केन्द्रीय निर्गम और व्यय</b>							
2012-13	3705	10473	207	14385	10081	4303	29.92
2013-14	4304	9640	105	14049	10937	3112	22.15
2014-15	3054	9191	57	12302	9788	2515	20.44
2015-16	2511	4265	86	6862	5325	1537	22.40
2016-17	1537	5932	30	7499	5393	2105	28.08
<b>कुल</b>		<b>39501</b>	<b>485</b>	<b>43691<sup>#</sup></b>	<b>41524</b>		
<b>केन्द्रीय निर्गम और व्यय</b>							
2012-13	--	9151	--	9151	7325	1826	19.95
2013-14	--	9528	--	9528	8275	1253	13.15
2014-15	--	10188	--	10188	9090	1098	10.78
2015-16	--	7966	--	7966	6795	1171	14.70
2016-17	--	9432	--	9432	8159	1273	13.50
<b>कुल</b>	--	<b>46265</b>	--	<b>46265</b>	<b>39644</b>		
<b>कुल केन्द्रीय एवं राज्य निर्गम और व्यय</b>							
2012-13	3705	19624	207	23536	17406	6130	26.05
2013-14	4304	19168	105	23577	19212	4365	18.51
2014-15	3054	19379	57	22490	18878	3612	16.06
2015-16	2511	12231	86	14828	12120	2708	18.26
2016-17	1537	15364	30	16931	13552	3379	19.96
<b>कुल</b>		<b>85766</b>	<b>485</b>	<b>89956</b>	<b>81168</b>	<b>8788</b>	<b>9.77</b>

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

**नोट:#** उपलब्ध राशि 2012-13 के अथ शेष और 2012-17 के दौरान कुल निर्गम एवं प्राप्त ब्याज के योग के बराबर है।

केन्द्रीय निधियों में 2012-13 से 2015-16 के दौरान आईएमआईएस डाटा में अंत और अथ शेषों के बीच अंतर थे।

आईएमआईएस डाटा में राज्य अंश के अंतर्गत अव्ययित शेष की उपलब्धता नहीं दर्शायी गयी थी।

इस प्रकार प्रत्येक वर्ष उपलब्ध निधियों में बचते हुई थीं यद्यपि बचत की प्रतिशतता 2012-13 के 26.05 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 19.96 प्रतिशत हो गयी थी। केन्द्रीय अंश से ₹2,105 करोड़ सहित कुल ₹8,788 करोड़ की समग्र निधियां मार्च 2017 के अंत तक अप्रयुक्त रहीं।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम हेतु निधियों की समग्र उपलब्धता 2013-14 में ₹23,577 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹16,931 करोड़ हो गयी और इस आशा पर

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

पानी फिर गया कि राज्य इस कम केन्द्रीय आवंटन की पर्याप्त क्षतिपूर्ति कर देंगे। 2014-15 के बाद से घटे हुए आवंटन का पूरी तरह से उपयोग करने में राज्य सरकारों की अक्षमता के साथ निधियों की उपलब्धता में आयी कमी ने 2014-15 से लेकर शुरू की गयी योजनाओं की संख्या और पूरी की गयी योजनाओं की संख्या दोनों ही रूपों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावित किया था जिस पर पैरा 4.2.4 में चर्चा की गयी है। 2012-17 के दौरान निधियों के केन्द्रीय और राज्य अंश के निर्गमों, उपयोग तथा बकाया शेषों की राज्य-वार स्थिति **अनुबंध 3.2** में दी गयी है।

मंत्रालय ने अनुदानों<sup>3</sup> की मांग पर ग्रामीण विकास पर संसद की स्थायी समिति को दिए गये उत्तर में बताया कि दूसरी किस्तों को जारी करने के लिए प्रस्तावों की विलंबित प्रस्तुति, उपयोग प्रमाण-पत्रों की विलंबित प्रस्तुति एवं योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में लिये गये अतिरिक्त समय ही अव्ययित शेषों के प्रमुख कारण थे। मंत्रालय ने यह भी बताया (अगस्त 2016) कि राज्यों में अव्ययित शेष के कारण प्रशासनिक प्रकृति के थे और ये वित्तीय प्रबंधन की समस्याएं थीं।

### 3.2.5 निधि प्रवाह तंत्र

कार्यक्रम दिशानिर्देश में एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों को सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरण को जारी करना निर्धारित किया गया है। तदनुसार, भारत सरकार (जीओआई) ने 2013-14 तक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनों (एसडब्ल्यूएसएम) को सीधे धनराशि जारी किया था। तथापि, 2014-15 के बाद से, निधियों को इस व्यवस्था के साथ राज्य के संचित निधि के माध्यम से दिया जा रहा था कि राज्य सरकारें राज्य अंश सहित इन निधियों को केन्द्र से प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर एसडब्ल्यूएसएम को हस्तांतरित कर देंगी। राज्यों की ओर एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के प्रवाह को **चार्ट-3.2** में दर्शाया गया है:

<sup>3</sup> 2013-14 से 2016-17 और उन पर हुई अनुशंसाओं पर की गयी कार्रवाई पर प्रतिवेदन



### चार्ट-3.2: निधि प्रवाह तंत्र



स्रोत: कार्यक्रम दिशानिर्देश

कार्यक्रम दिशानिर्देशों में व्यवस्था की गयी है कि एसडब्ल्यूएसएम को कार्यक्रम निधियों एवं सहायक निधियों के लिए अलग-अलग बैंक खाते रखने होंगे और मंत्रालय को इन खातों में कार्यक्रम निधियों<sup>4</sup> एवं सहायक निधियों<sup>5</sup> का निर्गम किया जाना था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों द्वारा एसडब्ल्यूएसएम में संगत अंशदान किया जाना था।

16 राज्यों में, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात,<sup>6</sup> जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड<sup>7</sup>, में केन्द्र के अंशदान की एसडब्ल्यूएसएम द्वारा अनुरक्षित समर्पित कार्यक्रम निधि खाते और सहायक निधि खाते में सीधे जारी किया गया था और राज्य अंश का भी मार्च 2014 तक राज्य बजट के माध्यम से इन खातों में अंतरण किया गया था। अप्रैल 2014 से, केन्द्र के अंशदान को

<sup>4</sup> कवरेज, जल गुणवत्ता, ओ एण्ड एम तथा स्थायित्व जैसे घटकों के लिए

<sup>5</sup> डब्ल्यूएसएसओ, डीडब्ल्यूएसएम, बीआरसी, आईईसी,एचआरडी, एमआईएस, एवं कम्प्यूटरीकरण, आर एण्ड डी, आदि, तथा डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस जैसे निकायों के लिए।

<sup>6</sup> गुजरात, 2014-15 से ही गुजरात जल आपूर्ति एवं जल निकासी बोर्ड (जीडब्ल्यूएसएसबी) जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्ल्यूएसएसएमओ) तथा जीजेटीआई की निधि प्रदान कर रहा था।

<sup>7</sup> 2012-14 के लिए राज्य अंशों को छोड़कर।

एसडब्ल्यूएसएम के समर्पित खाते में सीएसएस के पुनर्गठन के रूप में राज्य संचित निधि के माध्यम से दिया जाता था।

**असम** में, केन्द्रीय अंशदान को, एसडब्ल्यूएसएम को 2014-15 में राज्य बजट के माध्यम से जारी किया गया था जबकि 2015-17 के दौरान इसे एसडब्ल्यूएसएम के माध्यम से दिये बगैर निर्माण निष्पादन विभाग को सीधे जारी कर दिया गया था। निर्माण निष्पादन विभाग को 2012-17 की पूरी अवधि के दौरान राज्य अंश सीधे दिये गये थे, जो कार्यक्रम दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

**गोवा** में, जहाँ केन्द्र और राज्य दोनों के ही अंशों को 2013-14 तक एसडब्ल्यूएसएम में सीधे जमा किया जा रहा था, वहीं 2014-15 के बाद से इन दोनों अंशों को एसडब्ल्यूएसएम के माध्यम से न देकर सीधे निर्माण निष्पादन विभाग को दिया जा रहा था।

नौ राज्यों, **छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब** तथा **राजस्थान**, जहाँ मंत्रालय केन्द्र अंश को सीधे एसडब्ल्यूएसएम में जारी कर रहा था, राज्य अंश को राज्य द्वारा मार्च 2014 तक एसडब्ल्यूएसएम की प्रक्रिया से गुजारे बगैर निर्माण निष्पादन विभागों को जारी किया जा रहा था। अप्रैल 2014 से केन्द्र अंश को राज्य संचित निधि में दिया गया था जिसे उसके बाद राज्य के अंश के साथ एसडब्ल्यूएसएम की प्रक्रिया से गुजारे बगैर निर्माण निष्पादन प्रभागों/कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी किया जा रहा था।

विशेषकर मार्च 2014 के बाद निधियों को एसडब्ल्यूएसएम के माध्यम से प्रदान न करना, दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। इसने एसडब्ल्यूएसएम के, कार्यक्रम वित्त पर नियंत्रण को कम करके परियोजना के मार्गदर्शन, समन्वय तथा मॉनीटरिंग हेतु राज्य में एक शीर्ष निकाय के रूप में इसकी स्थिति को कमजोर भी किया।

#### मणिपुर एवं राजस्थान

राज्य सरकारों ने केन्द्रीय अंश को अप्रैल 2014 से एसडब्ल्यूएसएम में अंतरित किये बगैर ही सीधे कार्य निष्पादन विभाग को हस्तांतरित किया था। परिणामस्वरूप, कार्यक्रम निधि एवं सहायक निधि हेतु समर्पित खाते अपरिचालित हो गये और इन खातों में पड़े ₹66.03 करोड़ (**मणिपुर** ₹1.01 करोड़ एवं **राजस्थान** ₹65.02 करोड़) अप्रयुक्त पड़े रहे (मार्च 2017)।

### कर्नाटक

कार्यक्रम एवं सहायता खाते के लिए परिचालित दो खातों को निर्धारण के प्रति, कर्नाटक की राज्य सरकार चार अलग-अलग बैंकों के लिए 108 बचत खातों का परिचालन कर रही थी। संबंधित निधि के हस्तांतरण हेतु मंत्रालय केवल दो खातों, सिंडिकेट बैंक, बीडब्ल्यूएसएसबी शाखा, बंगलुरु (कार्यक्रम निधि) और कार्पोरेशन बैंक, माल्लेस्वरम ब्रांच बंगलुरु (सहायक गतिविधि निधि) की ही सूचना को दी गयी थी।

शेष 106 खातों में से सात खाते सिंडिकेट बैंक, बीडब्ल्यूएसएसबी शाखा में खोले (छ: अगस्त 2010 में तथा एक जनवरी 2011 में) गए थे। इन सात खातों में से, जबकि तीन खातों को कभी संचालित नहीं किया गया था फिर भी शेष चार खातों में ठेकेदारों को भुगतान हेतु कार्यक्रम निधि खाते से निधियां प्राप्त हुई थीं।

उपर्युक्त के अलावा, 98 खाते (97 सिंडिकेट बैंक, बीडब्ल्यूएसएसबी शाखा में और एक आंध्र बैंक में) मार्च 2011 में खोले गये थे। सिंडिकेट बैंक में खुले 97 खातों में से एक में, ₹73 करोड़ का हस्तांतरण मार्च 2011, 2012 एवं 2013 में, अगस्त 2010 में खुले चार खातों में से हुआ था। जून 2013 में इस राशि को उन चार खातों में पुनः जमा कर दिया गया था। ये लेनदेन किसी लिखित प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं थे जो संकेत करता है कि ये लेनदेन व्यय को बढ़ाने के लिए और निधियों को बचाये रखने के लिए किया गया था।

31 मार्च 2011 में कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के लिए जिला अधिकारियों के नाम पर खुले अन्य 96 खातों में, अगस्त 2010 में खोले गये चार खातों में से ₹525 करोड़ हस्तांतरित किया गया था। तथापि, 11 दिन बीत जाने के बाद (11 अप्रैल 2011), ब्याज सहित पूरी धनराशि को संबंधित चार खातों में वापस जमा कर दिया गया था।

मार्च 2011 में आन्ध्र बैंक में खोले गये खाते में, संबंधित संघटकों के अंतर्गत उपयोग हेतु विभिन्न जिला परिषद को जारी करने के लिए पूंजीगत व्यय-ग्रामीण जल आपूर्ति के नामे करके खजाने से आहरण के बाद ₹90.42 करोड़ जमा (26 मार्च 2011) किया गया था। नवम्बर 2011 से अप्रैल 2014 के दौरान, ₹5 करोड़ देना बैंक के एक दूसरे बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया था (30 मार्च 2013) और ₹0.73 करोड़ ठेकेदार को भुगतान करने के लिए जिला परिषद को जारी किया गया था।


ये लेनदेन दर्शाते हैं कि दो मुख्य प्राधिकृत खातों के अलावा, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न अप्राधिकृत खातों में निधियां रखी गयी थीं।

कई बैंक खातों का खुलना और जटिल अंतरबैंकीय लेनदेन कार्यक्रम हेतु आबंटित निधि पर नियंत्रण नहीं होने के परिचायक हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित (अक्टूबर 2015) एक समिति ने इन लेनदेनों के विस्तृत सुमेलन का सुझाव रखा था, जिस पर अभी कार्य चल रहा था (अगस्त 2017)। इन खातों में (दो मुख्य खातों को छोड़कर) मई 2016 तक ₹612 करोड़ के शेष सरकार को वापस किया जा चुका था।

### 3.2.6 एनआरडीडब्ल्यूपी संघटकों के लिए उपलब्ध निधियों का कम उपयोग

एनआरडीडब्ल्यूपी की निधियां इसके छः संघटकों के लिए और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, बस्तियों तथा उद्देश्यों के लिए आवंटित की गयी थीं, जिसे चार्ट- 3.3 में दिशाया है।

#### चार्ट-3.3: कार्यक्रम निधियों का संघटक-वार विवरण



जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बस्तियों की संख्या और आंशिक रूप से कवर बस्तियों की संख्या के संबंध में राज्यों के बीच बड़े अंतर के कारण, दिशानिर्देश तथा जल गुणवत्ता संघटकों के अंतर्गत एक राज्य को आवंटन हेतु उपलब्ध निधियों के 67 प्रतिशत तक का कवरेज और जल गुणवत्ता दोनों संघटकों को मिलाते हुए उपयोग किए जाने की नम्यता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, उपयुक्त औचित्य वाले राज्यों को स्थायित्व संघटक के अंतर्गत निधि की कम प्रतिशतता का उपयोग करने की नम्यता है।

विभिन्न एनआरडीडब्ल्यूपी संघटकों के अंतर्गत 2012-17 के दौरान उपलब्ध निधियों और किये गये व्यय की स्थिति तालिका 3.4 में दी गयी है:

## तालिका-3.4: एनआरडीडब्ल्यूपी संघटकों पर हुआ व्यय : 2012-17

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल	
कवरेज + जल गुणवत्ता + स्थायित्व + परिचालन एवं अनुरक्षण							
उपलब्ध निधि	20,641.83	20,762.96	19,414.34	12,685.35	13,596.42	79,192.75	
केन्द्र	अथ शेष	2,751.58	3,346.31	2,227.56	1,541.16	793.12	
	निर्गम	8,653.08	7,926.60	7,191.58	3,235.39	3,912.95	30,919.60
	ब्याज, अन्य जमा/वसूलियां, आदि।	164.35	100.08	43.89	99.90	23.40	431.62
राज्य (निर्गम)	9,072.82	9,389.97	9,951.31	7,808.90	8,866.95	45,089.95	
<b>व्यय</b>	<b>15,566.25</b>	<b>17,476.33</b>	<b>16,832.66</b>	<b>10,603.69</b>	<b>11,122.25</b>	<b>71,601.18</b>	
उपलब्ध केन्द्रीय निधि से	8,250.80	9,226.28	7,927.99	3,983.38	3,656.46	33,044.91	
उपलब्ध राज्य निधि से	7,315.45	8,250.05	8,904.67	6,620.31	7,465.79	38,556.27	
उपलब्ध निधियों के उपयोग का प्रतिशत	75.4	84.2	86.7	83.6	81.8	90.4	
केन्द्रीय निधि से संघटक वार व्यय							
कवरेज	5,590.24	6,442.95	5,603.26	2,645.74	2,559.47	22,841.66	
जल गुणवत्ता	1,053.42	816.82	752.66	447.79	461.78	3,532.47	
स्थायित्व	628.04	703.77	537.16	356.04	174.79	2,399.80	
परिचालन एवं अनुरक्षण	979.09	1,262.75	1,034.83	533.87	460.39	4,270.93	

सहायक गतिविधियां							
उपलब्ध निधि	403.70	444.71	496.34	402.66	390.53	1,520.08	
केन्द्र	अथ शेष	244.82	182.58	179.78	188.17	107.22	
	निर्गम	159.80	272.57	314.82	182.86	181.55	1,111.60
	ब्याज आदि	7.11	4.49	3.71	3.27	2.43	21.01
राज्य (निर्गम)	0.00	2.18	1.41	31.86	107.20	142.65	
<b>व्यय</b>	<b>229.14</b>	<b>268.5</b>	<b>311.35</b>	<b>273.84</b>	<b>251.77</b>	<b>1,334.60</b>	
उपलब्ध केन्द्रीय निधि से	229.14	267.03	310.53	267.38	184.75	1,258.83	
उपलब्ध राज्य निधि से	0.00	1.47	0.82	6.46	67.02	75.77	
उपलब्ध निधियों के उपयोग का प्रतिशत	56.8	60.4	62.7	68.0	64.5	87.8	

जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस)							
उपलब्ध धनराशि	209.27	229.84	262.69	206.11	170.38	804.19	
केन्द्र	अथ शेष	92.07	102.69	74.19	94.84	67.38	
	निर्गम	117.20	127.15	188.30	110.87	101.99	645.51
	ब्याज, आदि	0.00	0.00	0.20	0.40	1.01	1.61
राज्य (वर्ष के दौरान निर्गम)	0.00	0.00	0.00	8.82	56.18	65.00	

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

व्यय	106.66	155.67	167.84	142.78	166.75	739.70
उपलब्ध केन्द्रीय निधि से	106.66	155.67	167.84	138.79	122.84	691.80
उपलब्ध राज्य निधि से	0.00	0.00	0.00	3.99	43.91	47.90
उपलब्ध निधियों के उपयोग का प्रतिशत	51.0	67.7	63.9	69.3	97.9	92.0

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

**नोट:** 1. कवरेज, जल गुणवत्ता, स्थायित्व, परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित संघटक-वार राज्य व्यय आईएमआईएस डाटा में मौजूद नहीं था।

2. कवरेज और समर्थन गतिविधियों में अथ शेष/अंत शेष में सभी वित्त वर्षों में अंतर पाये गये थे।

यह प्रमाणित है कि मुख्य संघटकों यथा कवरेज, जल गुणवत्ता, स्थायित्व एवं परिचालन एवं अनुरक्षण के अंतर्गत 13.3 से लेकर 24.6 प्रतिशत तक निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं। सहायक गतिविधियों के अंतर्गत, निधि का कम उपयोग 32 एवं 43.2 प्रतिशत के मध्य थीं। डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस से संबंधित गतिविधियों में न्यून उपयोग 49 प्रतिशत तक था।

कवरेज, सहायक गतिविधि एवं डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत व्यय की वार्षिक राज्यवार स्थिति अनुबंध 3.3, 3.4 एवं 3.5 में हैं। यह देखा गया कि उपलब्ध धनराशि के 85 प्रतिशत से अधिक का उपयोग राज्यों द्वारा कवरेज, जल गुणवत्ता, स्थायित्व एवं परिचालन तथा अनुरक्षण में सभी राज्यों द्वारा किया गया था सिवाय गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, पंजाब, एवं राजस्थान राज्यों के। सहायक गतिविधियों के अंतर्गत निधियों का उपयोग सभी राज्यों में 85 प्रतिशत से अधिक था सिवाय जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश और डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस के अंतर्गत सभी राज्यों में सिवाय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों के।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि पुनर्गठित एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों से राज्यों को अधिक नम्यता मिलेगी, क्योंकि इसमें जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी गतिविधियों को तथा जल गुणवत्ता निर्धारित संघटकों को कवरेज संघटक में सम्मिलित कर दिया गया है।

### 3.3 केन्द्रीभूत योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग

एनआरडीडब्ल्यूपी, डीडीपी और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत जल आपूर्ति योजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था करता है।

### 3.3.1 मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का कम उपयोग

भू-संसाधन विभाग का मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय सात राज्यों<sup>8</sup> में 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में कार्यान्वित है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, 10 प्रतिशत निधियां डीडीपी क्षेत्रों में कम वर्षा की कठिन स्थितियों से निपटने और इन क्षेत्रों में जल की कम उपलब्धता की समस्या का समाधान करने के लिए आवंटित की गयी है। तालिका-3.5 में डीडीपी के अंतर्गत 2012-17 के दौरान जारी की गयी धनराशि से राज्यों द्वारा किये गये व्यय की स्थिति दर्शायी गयी है।

तालिका-3.5: मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्गम एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथशेष	निर्गम	उपलब्ध निधियां	व्यय	उपलब्ध निधि में से व्यय को प्रतिशतता	अंत शेष
	1	2	3=1+2	4	5=4/3	6=3-4
2012-13	451.21	1,050.00	1,501.21	1,170.70	78.0	330.51
2013-14	330.51	956.63	1,287.14	1,038.87	80.7	248.27
2014-15	122.83	925.00	1,047.83	991.12	94.6	56.72
2015-16	56.72	420.96	477.68	415.45	87.0	62.25
2016-17	62.35	496.28	558.63	383.21	68.6	175.43

स्रोत: आईएमआईएसडाटा का प्रारूप डी 1

नोट: आईएमआईएस डाटा में अंत एवं अथ शेषों में अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया था।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि डीडीपी क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन हेतु उपयोग के लिए आवंटित निधियां प्रत्येक वर्ष के अंत में अप्रयुक्त रहीं। आंध्र प्रदेश (₹37.52 करोड़), हरियाणा (₹16.40 करोड़) और राजस्थान (₹105.17 करोड़) जैसे राज्यों के पास मार्च 2017 तक उल्लेखनीय धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं।

आगे, अप्रैल 2015 में निधि आवंटन स्वरूप के बदलने के बाद, राज्यों<sup>9</sup> ने डीडीपी के अंतर्गत 2015-17 के दौरान निधियों का अपना अंश प्रदान नहीं किया। इस प्रतिवेदन के पैरा 3.2.3 में इस पर भी चर्चा की गयी है। राज्यों द्वारा उपलब्ध निधि के कम

<sup>8</sup> डीडीपी में 4.58 लाख वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल किया गया है जसमें ₹ 404.22 लाख की आबादी निवास करती है।

<sup>9</sup> आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं राजस्थान जिन्होंने 2016-17 के दौरान अपना अंशदान किया था।

उपयोग से देखभाल के लिए निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र हेतु निधियों के निर्धारण और आवंटन का प्रयोजन विफल हो गया।

### 3.3.2 अन्य राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियाँ

लेखापरीक्षा में डीडीपी के अंतर्गत **आन्ध्र प्रदेश** और **हिमाचल प्रदेश** राज्यों में, कार्य को बीच में छोड़ देने, निधियों के बेकार पड़े रहने और निधियों के विपथन के कारण निधियों के प्रबंधन में कमियां देखी गयी थीं, जिन्हें नीचे संक्षेप में दिया गया है।

**आन्ध्र प्रदेश:** डीडीपी जिला अनंतपुरम में, गोरंतला मंडल को ₹32.06 लाख की अनुमानित लागत के साथ एक प्रारंभिक परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु जुलाई 2012 में चयन किया गया था तथा ग्राम/जीपी जल सुरक्षा योजना तैयार तथा कार्यान्वित करने हेतु 16 जीपी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक अभिकरण के साथ अनुबंध किया गया था। तदुपरांत फरवरी 2014 में, कार्य के लिए ₹54.25 लाख का एक संशोधित अनुमोदन प्रदान किया गया था। तथापि, प्रायोगिक परियोजना हेतु डीपीआर में इच्छित परिवर्तनों के कारण, एजेंसी ने ₹14.10 लाख का काम करने के बाद कार्य बंद कर दिया (जून 2014) जो निष्फल हो गया।

**हिमाचल प्रदेश:** 2012-13 के बाद से, ₹3.28 करोड़ के अप्रयुक्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद, मंत्रालय ने 2015-17 के दौरान राज्य को ₹1.90 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि जारी की थी। उसके बाद से, ₹5.18 करोड़ की पूरी धनराशि वित्त वर्ष 2016-17 के अंत में अप्रयुक्त पड़ी रही। मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि राज्य से अव्ययित राशि को वापस करने के लिए कहा गया था। इसी प्रकार, किन्नौर जिले में, जनवरी 2012 में डीडीपी कार्य हेतु प्राप्त ₹0.55 करोड़ की धनराशि में से, ₹0.30 करोड़ गैर-डीडीपी के लिए एक जमा शीर्ष (अगस्त 2017) के अंतर्गत अप्रयुक्त पड़ा रहा। पूह ब्लॉक में, डीडीपी निधियों से संबंधित ₹0.73 करोड़ का 2012-13 से 2015-16 के दौरान प्रवाह सिंचाई योजनाओं और जल आपूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण हेतु विपथन किया गया था।

### 3.3.3 प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निधियों का उपयोग न होना

मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के समय पेय जल की समस्या का समाधान करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का दो प्रतिशत अपने पास रखता है। इस शीर्ष के अंतर्गत निधियों को उन केन्द्रीय दलों के सिफारिशों के आधार पर आवंटित किया जाता है जो प्राकृतिक



आपदाओं के समय उन राज्यों का दौरा करते हैं। तथापि, यह देखा गया कि राज्यों ने 2012-17 के दौरान इस प्रयोजन हेतु दी गयी निधियों का उपयोग नहीं किया था।  
तालिका-3.6: में ब्यौरे दिये गये हैं:

तालिका-3.6: प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निर्गम एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	निर्गम	उपलब्ध निधियां	व्यय	उपलब्ध निधियों के व्यय की प्रतिशतता	अंत शेष
	1	2	3=1+2	4	5=4/3	6=3-4
2012-13	164.88	83.85 <sup>10</sup>	248.73	134.33	54.0	114.40
2013-14	115.41	95.63	211.04	97.36	46.1	113.68
2014-15	113.68	138.00	251.68	110.32	43.8	141.37
2015-16	141.13	57.60	198.73	126.85	63.8	71.89
2016-17	71.89	56.73	128.62	66.34	51.9	62.28

स्रोत: आईएमआईएस डाटा का प्रारूप डी 1

नोट: आईएमआईएस डाटा में अंत शेषों और अथ शेषों में अंतर पाया गया था।

अतः, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति आवंटित निधियों का उपयोग केवल 64 प्रतिशत तक ही था। असम (2015-16से ₹3.55 करोड़), कर्नाटक (2014-15 से ₹3.85 करोड़), केरल (2012-13 से ₹15.00 करोड़), राजस्थान (2012-13 से ₹5.22 करोड़), तमिलनाडु (2015-16 से ₹7.96 करोड़) एवं उत्तराखण्ड<sup>11</sup> (2016-17 से ₹19.74 करोड़) के मामले में मार्च 2017 तक उल्लेखनीय अव्ययित शेष पाये गये थे चूंकि इस संघटक के अंतर्गत निधियों को प्राकृतिक आपदाओं के बाद उपलब्ध कराया गया था, उनका कम उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण बाधित जल आपूर्ति के मरम्मत और अनुरक्षण के प्रयासों के प्रभावकारिता एवं तत्परता को संदेहजनक बना देता है।

<sup>10</sup> अन्य वसूलियों के ₹7.01 करोड़ सहित

<sup>11</sup> 2013-14 से संबंधित ₹ 3.42 करोड़ सहित

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि राज्यों को उपयोग प्रमाण पत्र, यदि पहले ही उपयोग किया जा चुका है, प्रेषित करने अथवा उनके पास अव्ययित पड़ी निधियों को वापस करने का अनुरोध किया गया है।

### बिहार, मणिपुर, नागालैण्ड एवं सिक्किम

प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत 2008-09 के दौरान बिहार को ₹27 करोड़ प्रदान किया गया था। इसके प्रति, राज्य ने केवल ₹17.89 करोड़ का ही उपयोग किया। तथापि, शेष ₹9.11 करोड़ की धनराशि के बारे में मंत्रालय को सूचना नहीं दी गयी। मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि राज्य सरकार से इस संघटक के अंतर्गत किये गये निर्गमों पर आगे विचार करने के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था (अप्रैल 2017)।

**मणिपुर** में, मंत्रालय ने जनवरी 2016 में आये भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेय जल आपूर्ति व्यवस्था के मरम्मत के लिए ₹1.23 करोड़ जारी किये (सितम्बर 2016)। तथापि, इन निधियों का राज्य सरकार द्वारा कार्यों हेतु निर्गम नहीं किया गया था (मार्च 2017)।

**नागालैण्ड** में, पीएचईडी ने 2013-14 के दौरान प्राकृतिक आपदा निधि के अंतर्गत कोहिमा जिले के खनोमा ग्राम को ₹24.18 लाख प्रदान किया था। तथापि, संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के समय, विभाग के पदाधिकारी और जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य निष्पादित कार्य की अवस्थिति नहीं बता सके।

**सिक्किम**, जहाँ 18 सितम्बर 2011 को बड़ा भूकंप आया था, क्षतिग्रस्त ग्रामीण जल आपूर्ति के मरम्मत के लिए ₹41.64 करोड़ की संस्वीकृति दी गयी थी। विभाग ने बताया कि 2011-12 के दौरान प्राप्त पूरी निधि को 2014-15 तक उपयोग में ले लिया गया था। तथापि, यह देखा गया था कि विभाग ने ऐसे अन्य कार्यों के लिए ₹5.80 करोड़ का विपथन किया था, जो प्राकृतिक आपदा निधि की परिधि में नहीं आते थे। इसके अतिरिक्त, 84 इलेक्ट्रोक्लोरिनेटरो का दक्षिणी जिलों के ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु ₹1.18 करोड़ की लागत पर खरीद किया गया था। आठ ग्राम पंचायतों के संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन से प्रकट हुआ (मई 2017) कि इनका उपयोग नहीं किया जा रहा था और जीर्ण-शीर्ण स्थिति में ये बेकार पड़े हुए थे (मई 2017)।

### 3.4 जल गुणवत्ता निधियों का कम उपयोग

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, पांच प्रतिशत कार्यक्रम निधियाँ, रासायनिक संदूषण से ग्रस्त गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों और जीवाणुजनित संदूषण से ग्रस्त जेई/एईएस<sup>12</sup> जिलों वाले राज्यों को आवंटन हेतु निर्धारित हैं। जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग की वर्ष-वार स्थिति तालिका-3.7 में दी गयी है।

तालिका-3.7: चिन्हित जल गुणवत्ता के अंतर्गत आवंटित

(₹ करोड़ में)

विवरण के लिए निर्धारित	उपलब्ध निधियाँ (2012-17)			व्यय (2012-17)		
	केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल
रासायनिक	840.94	219.39	1,060.33	768.48	189.16	957.64
जीवाणुजनित	310.72	520.53	831.25	318.47	290.99	609.46
कुल	1,151.66	739.92	1,891.58	1,086.95	480.15	1,567.10

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

2012-17 के दौरान, रासायनिक एवं जीवाणुजनित संदूषण से प्रभावित बस्तियों के लिए निर्धारित केन्द्र और राज्य दोनों ही निधियों का 82.8 प्रतिशत तक ही उपयोग हो पाया था। इन निधियों के निर्गम और व्यय की राज्य-वार स्थिति अनुबंध-3.6 में दी गयी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपलब्ध निधियों में से 25 प्रतिशत से अधिक धनराशि छः राज्यों, {आन्ध्र प्रदेश (48.7 प्रतिशत), महाराष्ट्र (38.7 प्रतिशत), ओडिशा (79.5 प्रतिशत), राजस्थान (32.4 प्रतिशत), तमिलनाडु (26.9 प्रतिशत), एवं उत्तर प्रदेश (26.9 प्रतिशत)} में इस अवधि में अप्रयुक्त रही।

### 3.5 जलमणि के अंतर्गत अव्ययित पड़ी हुई निधियाँ

जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 2008-10 के दौरान 29 राज्यों को जलमणि कार्यक्रम के तहत ₹200 करोड़ प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹121.73 करोड़ का व्यय 2013-14 तक 1.08 लाख एकल जल शोधन व्यवस्था के संस्थापन पर कर दिया गया था। उसके बाद, जलमणि पर

<sup>12</sup> जापानी मस्तिक ज्वर/तीव्र मस्तिक ज्वर सिड्रोम (जेई/एईएस)

कोई खर्च नहीं किया गया और ₹78.27 करोड़ का शेष 20 राज्यों के पास जुलाई 2017 तक बकाया पड़ा था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि राज्यों के पास पड़ी धनराशि घटकर ₹49.73 करोड़ रह गयी थी और अव्ययित राशि की ब्याज सहित वसूली करने तथा निधियों के अप्रयुक्त होने के कारणों का पता लगाने के भी प्रयास किये जा रहे थे।

### 3.6 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

#### 3.6.1 राज्य सरकार द्वारा निधियों का विलंबित निर्गम

कार्यक्रम दिशानिर्देशों<sup>13</sup> में व्यवस्था है कि राज्य पूरे केन्द्रीय अंश के साथ अपने बराबर के राज्य अंश को कार्यान्वयन अभिकरण यानी एसडब्ल्यूएसएम को अविलम्ब प्रदान करें जो किसी भी स्थिति में निधियों की प्राप्ति से 15 दिनों के बाद न हो। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय आवंटन के निर्गम से संबद्ध शर्तों के अनुसार, निर्धारित अवधि से अधिक किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में, विलंबित अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा मूलधन के साथ 12 प्रतिशत का वार्षिक ब्याज कार्यान्वयन अभिकरण को दण्डस्वरूप हस्तांतरित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्रीय अंश के साथ राज्य अंश ₹9,388.89 करोड़ को कार्यान्वयन अभिकरण के पास हस्तांतरण 19 राज्यों में 478 दिनों तक विलंबित था। तथापि, इनमें से किसी भी मामले में कार्यान्वयन अभिकरण को दण्डस्वरूप ब्याज का हस्तांतरण नहीं हुआ था। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-3.7 में दिए गये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में, मार्च 2017 में प्राप्त ₹26.62 करोड़ के केन्द्रीय अंश को राज्य के अंश के साथ हस्तांतरण मई 2017 तक एसडब्ल्यूएसएम को नहीं किया गया था। असम (₹120.16 करोड़) और गोवा (₹0.25 करोड़) ने ₹120.41 करोड़ के केन्द्रीय अंश का हस्तांतरण मार्च 2017 तक अपने कार्यान्वयन अभिकरण को नहीं किया था।

---

<sup>13</sup> पैरा 17 (एस)

### 3.6.2 ₹448.84 करोड़ के ब्याज का परिकलित न होना/हानि

कार्यक्रम दिशानिर्देशों<sup>14</sup> के अनुसार यह आवश्यक है कि कार्यक्रम और सहायता खातों में अर्जित ब्याज धन को उसी खाते में जमा किया जाए और उसे वर्ष के उपयोग प्रमाण-पत्र में उसे उपलब्ध निधि के तौर पर दिखाया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार राज्यों **आन्ध्र प्रदेश** (₹4.31 करोड़<sup>15</sup>), **असम** (₹0.20 करोड़), **गुजरात** (₹1.63 करोड़), **कर्नाटक** (₹111.01 करोड़) में, ब्याज के रूप में अर्जित ₹117.15 करोड़ को न तो संबंधित खाते में परिकलित किया गया और न ही उपयोग प्रमाण-पत्रों में उसे दिखाया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि चार राज्यों में कार्यक्रम को ₹331.69 करोड़ राशि की ब्याज की हानि हुई थी, जिस पर आगे चर्चा की गयी है:

**जम्मू कश्मीर** में, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹0.41 करोड़ को एनआरडीडब्ल्यूपी निधि में परिकलित करने के स्थान पर उसे अगस्त 2016 में खजाने में डाल दिया गया था। **कर्नाटक** में, यद्यपि कार्यान्वयन अभिकरण और बैंक में हुए अनुबंध में अतिरिक्त धनराशि को सावधि जमा में निवेश करने का प्रावधान था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया जो ₹260.49 करोड़ के ब्याज हानि में परिणत हुआ। **महाराष्ट्र** में, जिला परिषद को परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु हस्तांतरित निधियां किसी अलग बैंक खाते में नहीं रखी गयी थीं जिसके फलस्वरूप अर्जित ब्याज को परिकलित कर कार्यक्रम खाते में जमा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्य निष्पादन प्रभागों द्वारा अर्जित ₹0.08 करोड़ के ब्याज को कार्यक्रम खाते में जमा करने की बजाय राज्य सरकार को लौटा दिया गया था। **उत्तर प्रदेश** में, उ.प्र. जल निगम ने कार्यक्रम निधियों और सहायक निधियों को 11 बैंक खातों में रखा हुआ था और 2012-17 के दौरान ₹70.71 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था। अर्जित ब्याज को इसके राजस्व खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था और कार्यक्रम में उपयोग के लिए कार्यक्रम खाते में उसे जमा करने के बजाय बाद में उसे स्थापना व्यय पर खर्च किया गया था।

<sup>14</sup> पैरा 16.10

<sup>15</sup> इसमें डीडब्ल्यूएसएम द्वारा ब्याज के रूप में अर्जित ₹0.50 करोड़ और पश्चिम गोदावरी के कोव्वुरु के आरडब्ल्यूएस एण्ड एस प्रभाग द्वारा ₹2.70 करोड़ को ब्याज रहित खाते में जमा करने के कारण ₹0.16 करोड़ की ब्याज हानि शामिल है।

### 3.6.3 अननुमेय व्यय और निधियों का विपथन

कार्यक्रम दिशानिर्देशों<sup>16</sup> के अनुसार, लागत वृद्धि, निविदा प्रिमियम और उन मदों पर व्यय जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी थी जैसे व्यय एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वित्तपोषण के योग्य नहीं थे और उसे राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना था।

**21 राज्यों** में, ₹358.59 करोड़ की कार्यक्रम निधियों को विपथित कर जमीन की खरीद, निविदा प्रिमियम, कार्यालय व्यय, अननुमेय परिसम्पत्तियों के सृजन, वाहनों की खरीद, पुनरुद्धार कार्य और अधिभार जैसे अयोग्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया था जिसके ब्यौरे **अनुबंध-3.8** में दिए गये हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, **ओडिशा**, जहाँ औसत वर्षा 1,500 मिमी से कम की है और इसलिए एक जल संकटग्रस्त राज्य है, उसे स्थायित्व संघटक के अंतर्गत निधियों को कवरेज एवं जल गुणवत्ता संघटक में विपथन की अनुमति नहीं थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थायित्व संघटक निधि में से ₹14.19 करोड़ को कवरेज, जल गुणवत्ता कार्य और ओ एण्ड एम के लिए विपथित किया गया था।

पांच राज्यों (**अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात एवं तेलंगाना**) में 100 मिमी से अधिक व्यास के पाइपों की खरीद पर ₹22.37 करोड़<sup>17</sup> राशि के उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं की गयी थी जिससे परिहार्य व्यय हुआ।

**ओडिशा** में, बैंक द्वारा 2013-14 के दौरान अर्जित ब्याज पर टीडीएस के प्रति ₹1.50 करोड़ काटा गया था क्योंकि राज्य प्राधिकरण ने आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं किया था।

निधियों का विपथन राज्य सरकारों के कमजोर आंतरिक नियंत्रण का परिचायक है।

### 3.6.4 एसडब्ल्यूएसएम खाते की लेखापरीक्षा

कार्यक्रम दिशानिर्देशों<sup>18</sup> में व्यवस्था है कि एसडब्ल्यूएसएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेखे की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

<sup>16</sup> पैरा 16.5

<sup>17</sup> अरुणाचल प्रदेश (₹1.68 करोड़), असम (₹12.71 करोड़), बिहार (₹6.04 करोड़), गुजरात (₹1.02 करोड़) और तेलंगाना (₹0.92 करोड़)

<sup>18</sup> पैरा 18

अनुमोदित एक पैनल से चयनित एक सनदी लेखाकार द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर की जाए। इस लेखे की कार्य निष्पादन विभाग के साथ एक सुमेलन विवरणी और सनदी लेखाकार द्वारा इसकी सटीकता से संबंधित एक प्रमाण पत्र से पुष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने एसडब्ल्यूएसएम खाते में व्यय आईएमआईएस आंकड़ों के साथ विसंगत आंकड़े, रोकड़ बही का अनुरक्षण न होना, अथ और अंत शेषों में अंतर, बढ़े हुए व्यय का कार्यक्रम निधियों से पृथक्करण न होना आदि जैसी विसंगतियाँ पायी थीं इसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

**आन्ध्र प्रदेश:** सनदी लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्ज वित्तीय आंकड़े आईएमआईएस के आंकड़ों से मेल नहीं खाते थे। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन (ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग) ने कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के लिए रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया था। इस प्रकार, निर्गम और व्यय तथा कार्यक्रम के अंतः घटकीय हस्तांतरणों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

**बिहार:** लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। केन्द्रीय अंश के अथ शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंत शेष में, रोकड़ बही तथा आईएमआईएस डाटा की तुलना में अंतर पाए गए थे।

**हिमाचल प्रदेश:** 2012-13 से 2015-16 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सनदी लेखाकार ने इंगित किया था कि कार्यक्रम निधियों के लिए प्रभाग एक साझे रोकड़ बही और अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, प्रभाग पूरे व्यय और अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, प्रभाग पूरे व्यय को एक ही संघटक अर्थात् सामान्य कवरेज के अंतर्गत रख रहे थे और कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत व्यय का वर्गीकरण भी नहीं किया जा रहा था।

**झारखण्ड:** सनदी लेखाकारों द्वारा लेखे तैयार और लेखापरीक्षित नहीं हो रहे थे और बैंक समाधान विवरणियों को भी तैयार नहीं किया जा रहा था।

**कर्नाटक:** उपर्युक्त पैरा 3.2.2 के अंतर्गत मामला अध्ययन में जैसा उल्लेख किया गया है, कई बैंक खाते खोले गये थे, सनदी लेखाकारों ने बताया कि राज्य सरकार ने इन खातों के ब्यौरे और वर्ष के दौरान संघटक वार निधि प्रवाह विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी। अतः लेखाओं को उपयोग प्रमाण पत्रों और बैंक द्वारा जारी शेष पुष्टि

पर्चियों के आधार पर सत्यापित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, उपयोग प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित प्रारूप का राज्य में पालन नहीं हो रहा था और लक्ष्यों के प्रति उनके पास उपलब्धियों के संघटक-वार ब्यौरे नहीं थे।

**राजस्थान:** एसडब्ल्यूएसएम खाते में पड़ी निधियों को ही सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया था। अतः विभागीय निष्पादन अभिकरणों को अप्रैल 2014 के बाद से एसडब्ल्यूएसएम की प्रक्रिया का उपयोग किये बगैर हस्तांतरित हुई निधियों की लेखापरीक्षा नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों में निधियों के राज्य अंश से हुए व्यय को नहीं दिखाया गया था।

### 3.7 अव्ययित शेष/निधियों का अवरोधन

राज्य सरकारों के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि पिछली योजनाओं के विलयन (स्वजलधारा) अथवा कार्य की समाप्ति के बावजूद एसडब्ल्यूएसएम और कार्य निष्पादन अभिकरणों के पास ₹304.02 करोड़ की धनराशि पड़ी हुई थी, जिस पर आगे चर्चा की गयी है:

#### गुजरात:

**मामला 1:** जल एवं स्वच्छता प्रबंधन संगठन (डब्ल्यूएसएमओ) ने यह कहते हुए कि इसने इससे पहले इतने बड़े स्तर की परियोजना पर कभी काम नहीं किया था, मार्च 2011 में राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सात जिलों में जल आपूर्ति परियोजनाओं को शुरू करने के लिए जीडब्ल्यूएसएसबी को ₹57.10 करोड़ प्रदान किया था। जीडब्ल्यूएसएसबी, जो राज्य योजना स्कीम हेतु परियोजना भी संभाल रहा था, ने कार्य का निष्पादन नहीं किया और अप्रैल 2017 तक ₹46.53 करोड़ कर दिया तथा एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का ₹10.92 करोड़ (ब्याज सहित) जीडब्ल्यूएसएसबी के पास अवरूद्ध पड़ा रहा।

**मामला 2:** तीन चयनित जिलों (जूनागढ़, नर्मदा और पंचमहल) ने, 22 वीडब्ल्यूएसएसी ने दिए गये कार्य की समाप्ति के पश्चात ₹0.15 करोड़ की अव्ययित राशि को वापस नहीं लौटाया था।



**मामला 3:** दो चयनित जिलों (भावनगर और नर्मदा) में, बीडब्ल्यूएससी ने बैंक से ₹0.23 करोड़<sup>19</sup> निकाले थे लेकिन न तो उन्होंने काम पूरा किया और न ही धन वापस किया था।

#### हिमाचल प्रदेश:

**मामला 1:** ₹44.77 करोड़ की एनआरडीडब्ल्यूपी निधि का हस्तांतरण हिमाचल प्रदेश सिविल आपूर्ति निगम (एचपीसीएसएसी) को पाइपों की खरीद हेतु किया था (2010-11) और ₹41.66 करोड़ शुरू किये जाने वाले कार्य निर्धारण के बगैर विभिन्न प्रभागों को हस्तांतरित किया गया था। पाइपों की खरीद हेतु जारी धनराशि का समायोजन नहीं हुआ था चूंकि पाइपों की प्राप्ति की स्थिति और एचपीसीएसएसी से समायोजन लेखा अभी प्रतीक्षित था (अगस्त 2017)।

**मामला 2:** शिमला और किन्नौर जिलों में, कार्यान्वयन अभियंताओं के बचत बैंक खातों में 2014-15 से पड़े ₹0.16 करोड़ को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंत शेष में परिकल्पित नहीं किया गया था।

**मामला 3:** स्वजलधारा कार्यक्रम से संबंधित ₹0.98 करोड़, जिसे एनआरडीडब्ल्यूपी में 2009 में मुख्य धारा में लाया गया था, डीडब्ल्यूएसएम कांगड़ा जिले के पास अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।

**जम्मू व कश्मीर:** चार प्रभागों<sup>20</sup> में, बैंक के पास अप्रैल 2014 से ही ₹4.07 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा हुआ था।

संबंधित कार्यकारी अभियंताओं ने बताया कि निधियों के उपयोग हेतु मुख्य अभियंता के संज्ञान में तथ्यों को लाया जाएगा।

#### कर्नाटक:

**मामला 1:** जल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु 19 जिला पंचायतों को प्रदत्त ₹36.53 करोड़ की कार्यक्रम निधि, कार्यक्रम निधि की अप्रयुक्त राशि को वापस लौटाने के राज्य सरकार के मार्च 2011 और मई 2011 के जारी निर्देशों के बावजूद उनके संबंधित बैंक खातों में पड़ी हुई थी।

<sup>19</sup> 2005-06 के दौरान ₹0.08 करोड़, 2008-09 में ₹0.13 करोड़ और 2010-11 में ₹0.46 करोड़

<sup>20</sup> कार्यकारी अभियंता, जीडब्ल्यूडी, जम्मू, पीएचई प्रभाग लेह, पीएचई प्रभाग कुपवाड़ा और पीएचई प्रभाग कारगिल।

**मामला 2:** चामराजनगर जिले में मार्च/अगस्त 2013 में दो जल आपूर्ति कार्यों की समाप्ति के बाद भी ₹1.05 करोड़ की शेष राशि की कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास लिमिटेड से वसूली अभी होनी थी।

### उत्तर प्रदेश

एनआरडीडब्ल्यूपी में, 2009 में योजना के विलम्ब के बावजूद एसडब्ल्यूएसएम के दो बैंक खातों में ₹163.50 करोड़ की स्वजलधारा योजना निधि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

### 3.8 लेखापरीक्षा सारांश

2012-17 के दौरान कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय बजट आवंटन ₹40,111 करोड़ था, जिसमें से ₹39,501 करोड़ राज्यों को प्रदान कर दिया गया था, कार्यक्रम हेतु आवंटनों और राज्यों के निर्गमों में लेखापरीक्षाधीन अवधि के अंतिम दो वर्षों में गिरावट आयी थी। राज्य इस अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे कि इस गिरावट की क्षतिपूर्ति या तो अपने संसाधनों से निधियों के बढ़े हुए न्यागमन से अथवा आंतरिक और बाह्य वित्तपोषण अभिकरणों के माध्यम से वे कर पायेंगे। परिणामस्वरूप, कार्यक्रम हेतु निधियों की समग्र उपलब्धता 2013-14 के ₹23,577 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹16,931 करोड़ रह गयी थी। इसके अलावा, कम हुए आवंटन को भी पूरी तरह उपयोग में नहीं लाया जा सका और 2012-17 की अवधि में प्रतिवर्ष अप्रयुक्त निधि की उपलब्धता का प्रतिशत 16 से 26 प्रतिशत तक था।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित निधि प्रवाह तंत्र का पालन 11 राज्यों में नहीं किया गया था जहां केन्द्र और राज्य द्वारा निर्धारित निधियों को एसडब्ल्यूएसएम की प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया था। चार राज्यों में, कार्यक्रम को ₹331.69 करोड़ की ब्याज हानि हुई थी। 21 राज्यों में व्यय के अननुमेय मदों के प्रति ₹358.59 करोड़ की धनराशि का विपथन हुआ था। जबकि पांच राज्यों में योजना के बंद होने और कार्य की समाप्ति के बावजूद ₹304.02 करोड़ विभिन्न चरणों में अव्ययित/अवरूद्ध पड़ा हुआ था।

अतः कार्यक्रम निधियों का प्रबंधन अत्यल्प-उपयोग, कम निर्गम, निधियों का विपथन और अवरोध से ग्रस्त था। इसके अतिरिक्त, निर्धारित निधि प्रवाह तंत्र का अनुपालन नहीं हुआ था क्योंकि एसडब्ल्यूएसएम की अनदेखी हुई थी जिससे कार्यक्रम के दिशानिर्देशन और मानीटरिंग हेतु शीर्षस्थ निकाय के रूप में उसकी भूमिका का अवमूल्यन हुआ था।

## अध्याय-IV कार्यक्रम कार्यान्वयन

### 4.1 प्रस्तावना

एनआरडीडब्ल्यूपी को राज्यों में इसके छः संघटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें कवरेज; जल गुणवत्ता; प्रचालन और रखरखाव; स्थायित्व; सहायता तथा जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी शामिल है। इसके अतिरिक्त, जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां; मरूस्थल विकास कार्यक्रम क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदा तथा कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य उप-मिशनो हेतु भी निधियां प्रदान की जा रही है। संघटक-वार निधि की उपलब्धता तथा उसमें से व्यय की अध्याय-3 में चर्चा की गई है। इस अध्याय में इस लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल की गई अवधि के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न संघटकों के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है।

### 4.2 कवरेज

एनआरडीडब्ल्यूपी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं<sup>1</sup>, हैंडपम्प, ट्यूबवैल, बोरवैल आदि को शामिल किया गया था। 11<sup>वीं</sup> योजना अवधि तक बस्तियां, जिन्हें न्यूनतम 40 एलपीसीडी स्वच्छ पेयजल प्रदान किया गया था, को पूर्णतः कवर के रूप में माना गया था। 12<sup>वीं</sup> योजना अवधि में न्यूनतम 55 एलपीसीडी के प्रावधान के मानदण्ड को एक अन्तरिम उपाय के रूप में अपनाया गया है।

#### 4.2.1 बस्तियों के कवरेज की स्थिति

लेखापरीक्षा ने पाया कि बस्तियों को पूर्णतः कवर मानने हेतु 55 एलपीसीडी के मानदण्ड में वृद्धि के बावजूद 40 एलपीसीडी के पुराने मानदण्ड को बस्तियों को पूर्णतः कवर के रूप में मानते हेतु अपनाया गया था। दोनों 40 तथा 55 एलपीसीडी मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, पूर्णतः कवरेज के अनुसार बस्तियों के कवरेज की समग्र स्थिति तालिका-4.1 में है:

<sup>1</sup> एकल ग्राम पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजना (एसवीपीडब्ल्यूएसएस) तथा बहु-ग्राम पाईप द्वारा जल आपूर्ति योजना (एमवीपीडब्ल्यूएसएस)

तालिका-4.1: बस्तियों के कवरेज की स्थिति

अप्रैल में	कुल बस्तियां	पूर्णतः कवर की गई बस्तियां		पूर्णतः कवर बस्तियों की प्रतिशतता	
		40 एलपीसीडी	55 एलपीसीडी *	40 एलपीसीडी	55 एलपीसीडी *
2009	16,58,205	11,48,920	--	69.29	--
2010	16,60,940	11,66,448	--	70.23	--
2011	16,64,068	11,66,816	--	70.12	--
2012	16,65,957	12,31,393	6,57,693	73.92	--
2013	16,92,133	11,61,018	7,26,395	68.61	38.87
2014	16,96,546	12,49,695	7,42,121	73.66	42.82
2015	17,13,185	12,70,199	7,68,958	74.14	43.32
2016	17,14,438	12,97,431	7,65,833	75.68	44.85
2017	17,26,031	13,25,302	6,57,693	76.78	44.37

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा


\* 55 एलपीसीडी पर आईएमआईएस डाटा अप्रैल 2013 से उपलब्ध है

यद्यपि 40 एलपीसीडी वाली कुल बस्तियों की तुलना में पूर्णतः कवर ग्रामीण बस्तियों की प्रतिशतता 69 (2013) से 77 प्रतिशत (2017) तक बढ़ी, 55 एलपीसीडी के मानदण्ड के आधार पर कवरेज अप्रैल 2013<sup>2</sup> में 39 प्रतिशत से अप्रैल 2017 में 44 प्रतिशत तक बढ़ा था। लेकिन फिर भी 2017 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों के कवरेज का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। कार्यक्रम पर ₹81,168 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् ग्रामीण बस्तियों के कवरेज की प्रतिशतता 40 एलपीसीडी पर केवल आठ प्रतिशत तथा 55 एलपीसीडी पर 5.5 प्रतिशत तक बढ़ी।


अप्रैल 2013 की तुलना में अप्रैल 2017 को दोनों 40 एलपीसीडी तथा 55 एलपीसीडी के मापदण्डों के आधार पर पूर्णतः कवर की गई बस्तियों की राज्य-वार प्रतिशतता को नीचे संबंधित चार्ट 4.1 व 4.2 में दर्शाया गया है:

<sup>2</sup> आईएमआईएस में 55 एलपीसीडी का डाटा 2013-14 से उपलब्ध था।

चार्ट-4.1: 40 एलपीसीडी पर पूर्णतः कवर की गई बस्तियां (प्रतिशतता में)



चार्ट-4.2: 55 एलपीसीडी पर पूर्णतः कवर की गई बस्तियां (प्रतिशतता में)



40 एलपीसीडी के मानदण्ड के आधार पर, पूर्णतः कवर की गई बस्तियों की प्रतिशतता अप्रैल 2013 की तुलना में अप्रैल 2017 में आठ राज्यों (बिहार, जम्मू एवं


कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश) में कम हुई। 55 एलपीसीडी के आधार पर, पूर्णतः कवर की गई बस्तियों की प्रतिशतता अप्रैल 2013 की स्थिति से तुलना किए जाने पर अप्रैल 2017 में चार राज्यों (राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में कम हुई।

#### 4.2.2 जल उपलब्धता के आधार पर बस्तियों को प्राथमिकता न देना तथा लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता उन बस्तियों को दी जानी थी जहाँ 25 प्रतिशत से कम तथा 25 से 50 प्रतिशत आबादी की पर्याप्त स्वच्छ पेयजल तक पहुंच है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 को छोड़कर सभी वर्षों में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल तक पहुंच वाली 25 प्रतिशत से कम की आबादी वाली श्रेणी में आने वाली बस्तियों का कवरेज स्वच्छ पेयजल तक पहुंच वाली आबादी की उच्च प्रतिशतता वाली श्रेणियों में आने वाली बस्तियों के कवरेज की तुलना में कम थी जैसा नीचे चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट-4.3: आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों के कवरेज में प्राथमिकता



राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने भी उजागर किया कि कवरेज में प्राथमिकता 16 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़<sup>3</sup>, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में उन बस्तियों को प्रदान नहीं की गई थी जहाँ 50 प्रतिशत से कम आबादी को स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच थी।

इसके अतिरिक्त, बस्तियों की तीन श्रेणियों अर्थात् 25 प्रतिशत, 25 से 50 प्रतिशत तथा 75 से 100 प्रतिशत में बस्तियों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि में भी कमी थी। प्रतिशतता कमी उन बस्तियों में अधिक थी जिनको कवरेज हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी जैसा नीचे तालिका-4.2 में ब्यौरा दिया गया है।

**तालिका-4.2: बस्तियों के कवरेज के लक्ष्य तथा उपलब्धि**

2012-17	> 0 एवं < 25%	> 25% एवं < 50%	>50% एवं < 75%	> 75 एवं < 100 %
लक्षित बस्तियां	51,918	79,653	73,352	72,176
उपलब्धि	42,709	68,990	75,049	69,774
कमी	9,209 (17.7%)	10,663 (13.4%)	---	2,402 (3.3%)


यह स्पष्ट था कि कार्यान्वयन योजनाओं को दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया जा रहा था तथा संसाधनों को ग्रामीण आबादी के उस वर्ग पर केंद्रित नहीं किया जा रहा था जहाँ स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सबसे कम थी।

#### 4.2.3 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लिए प्राथमिकता में कमी तथा लक्ष्य की प्राप्ति न होना

कार्यक्रम दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि वार्षिक कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देते समय गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि 30 प्रतिशत से कम गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को 2012-15 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित किया गया था। बस्तियों की इस श्रेणी के संबंध में लक्ष्यों को पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान आगे 20 प्रतिशत तक कम किया गया था। गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर करने के लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि में 23 तथा 34 प्रतिशत के बीच की कमी भी थी जैसा चार्ट-4.4 में दिया गया है:

<sup>3</sup> तीन जिलों में- कावार्धा, बस्तर तथा सूरजपुर

चार्ट-4.4: जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के लक्ष्य तथा उपलब्धि



स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

प्राथमिकता की कमी, लक्ष्यों में कटौती तथा उपलब्धि में कमी जल गुणवत्ता मामलों का समाधान करने हेतु योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन दोनों में अपर्याप्त संकेन्द्रण के सूचक थे।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि पेयजल स्रोतों में रसायनिक संदूषण प्रवृत्ति में जियो-जैनिक था परंतु यह कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के कम हुए/निम्न कवरेज तथा लक्ष्यों के संबंध में कमियों को स्पष्ट नहीं करता।

#### 4.2.4 जल आपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन

आईएमआईएस<sup>4</sup> में डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि 3,89,295 पाईप द्वारा जल योजनाओं सहित 12,38,642 योजनाओं<sup>5</sup> को 2012-17 के दौरान निष्पादन हेतु लिया गया था। 1 अप्रैल 2012 को 1,39,525 चालू योजनाओं सहित कुल 13,78,167 योजनाएं थी जिन्हें अवधि के दौरान निष्पादित किया जा रहा था। इसके प्रति कुल 12,43,723 योजनाओं जिसमें 4,13,430 पाईप जल योजनाएं तथा हैंडपम्प/बोर

<sup>4</sup> 26 फरवरी 2018 को फॉर्मेट बी-22

<sup>5</sup> केवल पाईप द्वारा जल तथा हैंड पम्प/बोर वेल योजनाएं



वैल/ट्यूब वैल पर आधारित 8,30,293 योजनाएं शामिल हैं, को 2012-17 के दौरान पूरा किया गया जैसा तालिका-4.3 में दिया गया है:

**तालिका-4.3: जल आपूर्ति योजनाओं की संख्या**

वर्ष	पीडब्ल्यूएस तथा हैंडपम्प /बोर वेल योजनाएं				पीडब्ल्यूएस				पीडब्ल्यूएस की प्रतिशतता	
	चालू	चयनित	पूर्ण किया गया	बकाया/चालू	चालू	चयनित	पूर्ण किया गया	बकाया/चालू	चयनित	पूर्ण किया गया
2012-13	139525	342908	329051	153382	81826	119000	104226	96600	34.70	31.67
2013-14	153382	341046	340975	153453	96600	120744	108271	109073	35.40	31.75
2014-15	153453	310618	309879	154192	109073	88732	97285	100520	28.57	31.39
2015-16	154192	157480	208256	103416	100520	43892	76553	67859	27.87	36.76
2016-17	103416	86590	55562	134444	67859	16927	27095	57691	19.55	48.77
कुल		1238642	1243723			389295	413430		31.43	33.24

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस

मंत्रालय ने केन्द्र तथा राज्य के बीच संशोधित निधियां विभाजन प्रतिमान को सूचित<sup>6</sup> (जनवरी 2016) करते हुए चालू परियोजनाओं से संबंधित बकाया देयताओं को देखते हुए फ्लोराईड तथा आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बस्तियों को छोड़कर नई परियोजनाएं प्रारम्भ करने पर प्रतिबंध लगाया। यह 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान प्रारम्भ नई योजनाओं की संख्या में तीव्र गिरावट का कारण बना। चालू<sup>7</sup> योजनाओं की प्रतिशतता की तुलना में पूर्ण योजनाओं की प्रतिशतता 2012-13 से 2015-16 के दौरान 67-68 प्रतिशत से 2016-17 में 29 प्रतिशत तक कम हुई।

12वीं योजना (2012-17) में पाईप जल आपूर्ति (पीडब्ल्यूएस) योजनाओं पर जोर दिया गया था। 2012-17 के दौरान प्रारम्भ कुल योजनाओं<sup>8</sup> की तुलना में पाईप जल योजनाओं की प्रतिशतता 19 से 35 प्रतिशत के बीच थी तथा अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष घटती रही थी। प्रारम्भ की जा रही पीडब्ल्यूएस की पूर्ण संख्याओं में भी गिरावट थी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 12वीं योजना में अभिकल्पित पीडब्ल्यूएस पर सकेन्द्रण को वास्तविक नियोजन तथा कार्यान्वयन में नहीं दर्शाया गया था।

<sup>6</sup> एमओडीडब्ल्यूएस का पत्र संख्या डब्ल्यू-11011/36/2015- जल दिनांक 1 जनवरी 2016

<sup>7</sup> चालू+चयनित योजनायें

<sup>8</sup> 40 एलपीसीडी के आधार पर पाईप जल तथा हैंड पम्प/ट्यूबवैल योजनाएं

कार्यनीति योजना तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों में नियत अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी<sup>9</sup> को 2017 तक उनके आवासीय परिसर<sup>10</sup> में 55 एलपीसीडी पाईप द्वारा पेयजल प्रदान किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2017 तक 55 एलपीसीडी पेयजल के प्रावधान के अंतर्गत केवल 18.4 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को ही पाईप द्वारा जल आपूर्ति की गई, जो प्रक्षेपित लक्ष्य से काफी कम थी। 31 दिसंबर 2017 को पाईप द्वारा जल आपूर्ति के अंतर्गत शामिल आबादी तथा पाईप द्वारा जल आपूर्ति के बिना आबादी की प्रतिशतता के संबंध में स्थिति तालिका-4.4 में दी गई है:

**तालिका-4.4: पीडब्ल्यूएस योजनाओं में शामिल आबादी (दिसंबर 2017)**

	कुल आबादी	पीडब्ल्यूएस में शामिल			पीडब्ल्यूएस के बिना
		पूर्णतः कवर	आंशिक रूप से कवर	गुणवत्ता प्रभावित	
आबादी (लाख में)	9,199.0	1,688.7	3,167.9	322.0	4,020.4
आबादी (प्रतिशत में)	--	18.4	34.4	3.5	43.7

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

कार्यनीति योजना तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास 2017 तक व्यक्तिगत घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जाने थे। ग्रामीण परिवारों के संबंध में, कुल 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.02 करोड़ अर्थात् 16.85 प्रतिशत परिवार ही दिसंबर 2017 तक पाईप जल कनेक्शन द्वारा कवर थे। पाईप जल आपूर्ति कनेक्शनों द्वारा ग्रामीण परिवारों के कवरेज की स्थिति विभिन्न राज्यों के बीच बड़े पैमाने पर भिन्न थी जैसा तालिका-4.5 में दर्शाया गया है:

<sup>9</sup> कार्यनीति योजना के अनुसार 55 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पीडब्ल्यूएस से कवर किया जाना था।

<sup>10</sup> या फिर सामाजिक अथवा वित्तीय भेदभाव की बाधा के बिना उनके आवास से 100 मीटर तक की क्षैतिज अथवा ऊर्ध्व दूरी पर

तालिका-4.5: पाईप जल कनेक्शन वाले परिवारों की स्थिति

पाईप जल कनेक्शनों द्वारा ग्रामीण परिवारों के सबसे ज्यादा कवरेज वाले पांच शीर्ष राज्य	कवरेज (प्रतिशत में)	पाईप जल कनेक्शनों द्वारा ग्रामीण परिवारों के सबसे कम कवरेज वाले पांच राज्य	कवरेज (प्रतिशत में)
सिक्किम	99.32	उत्तर प्रदेश	0.53
गुजरात	72.82	पश्चिम बंगाल	0.67
हिमाचल प्रदेश	56.62	मेघालय	1.15
हरियाणा	47.68	बिहार	1.22
पंजाब	47.56	असम	2.05

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

इसके अतिरिक्त, पाईप जल आपूर्ति से ग्रामीण परिवारों का कवरेज 17 राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल में 16.85 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से कम था।

### गुजरात

सात जिलों में 945 ग्रामों को 2012 तथा 2017 के बीच निष्पादित तथा पूर्ण की गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 142 ग्रामों को तकनीकी समस्याओं जैसे कि अंत के ग्राम में कम जल दाब, अनिवार्य अवसरचना की अनुपलब्धता, तथा ग्राम में आंतरिक पाईपलाईन नेटवर्क की कमी के कारण जल नहीं मिल रहा था।

दस चयनित जिलों में से तीन में पेय जल की अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान चार से 193 ग्रामों को टैंकों के माध्यम से 17,47,075 हजार लीटर जल की आपूर्ति की गई थी। तथापि, राज्य के अभिलेखों के अनुसार सभी बस्तियां पूर्णतः कवर थीं।


### लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- 2,322 चयनित नमूनों में से 139 बस्तियों को पूर्णतः कवर के रूप में वर्गीकृत किया गया था जबकि जल आपूर्ति उपलब्धता 40 एलपीसीडी से कम थी।
- 28,586 लाभार्थियों में से 3,422 (12 प्रतिशत) ने सूचित किया कि जल आपूर्ति योजनाएं गैर-क्रियात्मक थीं। इसमें घरेलू कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर रहे 572 लाभार्थी तथा सामुदायिक कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर रहे 2,850 लाभार्थी शामिल थे।
- बिहार के जिला कैमूर (भाबूआ) में पाईप जल आपूर्ति योजना (टोरी पंचायत में भंगवानपूर पीडब्ल्यूएस) नदी के सूखने के कारण गर्मी के मौसम में बंद थी। इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूएस के लाभार्थियों ने बताया कि जल दाब काफी कम था तथा जल आपूर्ति अनियमित थी।

#### 4.2.5 जल आपूर्ति योजनाओं के समापन में विलम्ब

आईएमआईएस<sup>11</sup> के अनुसार 22,617 चालू योजनाओं में से 10,937 योजनायें बिना किसी विलम्ब के पूर्ण हुई थीं जिसका आइएमआईएस पर अपडेट था जबकि शेष 11,680 योजनाएं चार्ट-4.5 में दर्शाए गए कारणों से विलम्बित थीं:

चार्ट-4.5: योजनाओं के समापन में विलम्ब



<sup>11</sup> 14 दिसंबर 2017 को

<sup>12</sup> आईएमआईएस (ए-8) 13 दिसम्बर 2017 के अनुसार

इस प्रकार, 57.31 प्रतिशत योजनाएं प्रशासनिक कारणों, 19.78 प्रतिशत निर्माण स्थल संबंधी कारणों, 11.63 प्रतिशत निर्माण संबंधी मामलों, 6.62 प्रतिशत संविदा संबंधी मामलों के कारण विलम्बित थीं तथा 4.67 योजनाएं अवसरचना के मामलों के कारण विलम्बित थीं।

#### 4.2.6 अपूर्ण निर्माण कार्य

चयनित प्रभागों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि ₹4,293.49 करोड़ की अनुमानित लागत के 437 निर्माण कार्य ₹1,667.46 करोड़<sup>13</sup> (मार्च 2017) का व्यय करने के पश्चात भी 16 राज्यों में अपूर्ण रहे। यह निर्माण कार्य लंबित सुरंग कार्य, संबंधित प्राधिकरणों से अनुमतियों/अनापत्ति के अभाव में, भूमि विवाद, ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों के गैर-निष्पादन, निधियों की कमी, जल आपूर्ति के स्रोत में परिवर्तन तथा सामग्री की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण रहे जैसा **अनुबंध-4.1** में ब्यौरा दिया गया है। इसने निर्माण कार्यों के निष्पादन के संबंध में संहिता प्रावधानों जैसे कि बाधा मुक्त स्थल को सुनिश्चित करने की आवश्यकता तथा निर्माण कार्यों को सौंपने से पूर्व अपेक्षित सांविधिक अनुमतियों की सामयिक प्राप्ति, निर्माण कार्यों के बाधा रहित निष्पादन को सरल बनाने हेतु वास्तविक डिजाईनों तथा अनुमान तैयार करने को सुनिश्चित करने हेतु उचित स्थल सर्वेक्षण तथा जांच के गैर-अनुपालन के साथ-साथ प्रशासनिक लापरवाही तथा उनके सामयिक समापन हेतु ध्यान की कमी को दर्शाया। कुछ निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

**आन्ध्र प्रदेश:** जल निकासी के स्रोत के रूप में गांदीकोटा जलाशय के साथ नियोजित जे.सी. नेगी रेड्डी पेयजल आपूर्ति परियोजना को ₹508 करोड़ की लागत पर मई 2006 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। योजना को अक्टूबर 2009 को समापन की लक्षित तिथि के साथ जून 2007 में निष्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया था। तथापि, योजना ओक जलाशय से गांदीकोटा जलाशय तक सुरंग निर्माण कार्य के गैर-समापन के कारण अपूर्ण रही। राज्य सरकार ने नवम्बर 2013 में इस योजना को चालू करने हेतु दो जल स्रोतों (गांदीकोटा तथा मिड पेन्नार बांध) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। फिर भी इसे कार्यान्वित नहीं किया गया था। इस प्रकार, 561 बस्तियों को जल प्रदान करने हेतु जून 2007 में प्रारम्भ योजना तो दस वर्षों तथा ₹365.88 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण रही।

<sup>13</sup> 417 निर्माण कार्यों के संबंध में

**असम:** हेलाकांडी (चार योजनाएं) तथा जोरहाट (छः योजनाएं) प्रभागों में नवम्बर 2015 तथा फरवरी 2017 के बीच पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के साथ ₹136.24 करोड़ की अनुमानित लागत पर मार्च 2013 तथा जून 2014 के बीच निष्पादन हेतु प्रारम्भ दस निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा निर्माणकार्यों के गैर-निष्पादन/धीमी प्रगति के कारण अपूर्ण रहे। योजनाओं के गैर-समापन ने 1,37,088 आबादी को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल के प्रत्याशित लाभ से वंचित करने के अतिरिक्त अब तक किए गए ₹70.33 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

**बिहार:** पटना जिले में मनेर की 45 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों हेतु 8.95 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमता वाली धरातल जल आपूर्ति योजना के निर्माण कार्य को ₹62 करोड़ की लागत पर जून 2009 में प्रारम्भ किया गया था तथा इसे जून 2011 तक पूर्ण किया जाना था। मार्च 2011 तक 75.28 किलोमीटर के पाईप डालने के पश्चात जल के स्रोत को विभिन्न सरंचनाओं के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता के कारण भू-जल में परिवर्तित कर दिया गया था। दिसंबर 2016 में निष्पादित योजना हेतु संशोधित अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य को अगस्त 2017 तक पूर्ण किया जाना था परंतु धीमी प्रगति के कारण अनुबंध को जुलाई 2017 में रद्द कर दिया था। निर्माण कार्य पर ₹45.35 करोड़ का व्यय किया गया था। अपूर्ण निर्माण कार्य ने 45 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में 1.70 लाख की आबादी को आठ वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी पेयजल प्राप्त करने से वंचित किया।

**हिमाचल प्रदेश:** जिला बिलासपुर में सदर, गुमार्विन तथा झंडूटा ब्लॉकों में आंशिक रूप से कवर बस्तियों को कोल बांध जलाशय से जल स्रोत के साथ 41 योजनाओं के स्रोत स्तरीय संवर्धन को तकनीकी रूप से जुलाई 2009 में ₹47.08 करोड़ हेतु संस्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्य को ₹49.62 करोड़ की लागत पर जून 2010 में ठेकेदार को प्रदान किया गया था जिसे जुलाई 2012 तक समाप्त किया जाना था। तथापि निर्माण कार्य ₹38.99 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी पम्पिंग मशीनरी की अनुपलब्धता के कारण अपूर्ण रहा क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य निजी भूमि मालिक के साथ विवाद के कारण रोक दिया गया था।

**झारखण्ड:** जिला साहिबगंज में, चार ब्लॉकों में 58 ग्रामों हेतु गुणवत्ता प्रभावित संघटक के अंतर्गत एक विशाल जल आपूर्ति योजना को ₹133.68 करोड़ की लागत

पर जुलाई 2012 में जुलाई 2014 तक समाप्त किए जाने हेतु प्रारम्भ किया गया था। योजना ₹117.67 करोड़ (जून 2017) का व्यय करने के पश्चात भी अपेक्षित भूमि की अनुपलब्धता तथा अन्य राज्य सरकारी विभागों से “अनापत्ति प्रमाणपत्र” के कारण अपूर्ण रही। योजना की लागत को मार्च 2017 के रूप में पूर्ण होने की विस्तारित लक्षित तिथि के साथ ₹147.93 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था।

जिला पश्चिम सिंहभूम में 253 पीडब्ल्यूएस योजनाओं (चईबासा-181 तथा चक्रधरपुर-72) को 2012-14 के दौरान निष्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया था जिन्हें अनुबंध की तिथि से तीन महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था। तथापि, यह योजनाएं भी ₹27.40 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण (मई 2017) रहीं। माप पुस्तिकाओं में कोई अंतिम माप तथा समापन प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया था। सहायक कलेक्टर तथा उप-प्रभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति ने 98 योजनाओं (चैबासा-64 तथा चक्रधरपुर-34 की जांच की तथा अधीक्षण अभियंता ने 32 योजनाओं (चैबासा) की जांच की और टूटी हुई पाईपलाइनों, बिजली समस्याओं, टूटी हुई टंकी, घटिया कार्य, त्रुटिपूर्ण निर्माण तथा जीआई राईजिंग पाईपों के स्थान पर पीवीसी राईजिंग पाईपों के उपयोग को सूचित किया (मार्च 2017)।

**कर्नाटक:** चार जिलों (बागलकोट, गदग, यादगीर तथा चित्रदुर्ग) में 86 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु छः निर्माण कार्यों को सितंबर 2009 तथा दिसंबर 2016 के बीच समापन हेतु ₹53.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर 2007-08 तथा 2012-13 के बीच प्रारम्भ किया गया था। यह निर्माण कार्य ₹42.59 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अपेक्षित भूमि, रेलवे प्राधिकारियों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा वन विभाग से अनिवार्य अनुमति के अभाव के कारण अपूर्ण रहे। इसके अतिरिक्त, तीन जिलों (बागलकोट, गदग तथा तुमकुरु) में 86 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु पांच<sup>14</sup> जल आपूर्ति योजनाओं को ₹42.95 करोड़ की सम्मत लागत पर निष्पादन हेतु 2007-08, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान प्रारम्भ किया गया था। ये निर्माण कार्य भी ₹39.56 करोड़ का व्यय करने के पश्चात निश्चित एवं बारहमासी जल स्रोत को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण अपूर्ण रही।

<sup>14</sup> मेटागढ़ तथा सात अन्य ग्राम, असूति तथा छः अन्य ग्राम, गुलूर तथा 16 अन्य ग्राम, सीएसपुरा तथा 34 अन्य ग्राम तथा अदीपुर तथा 26 अन्य ग्राम

**राजस्थान:** चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना चरण-II के अंतर्गत जिला भीलवाड़ा के 1,698 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य को ₹1,495.68 करोड़ की लागत पर मार्च 2013 में संस्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्य को अक्टूबर 2016 तक समापन हेतु ₹1,263.63 करोड़ की लागत पर चार पैकेजों में सौंपा गया था। सभी चार पैकेजों को ठेकेदार द्वारा जनवरी 2015 तथा मई 2016 के बीच रोक दिया गया था तथा वह ₹204.30 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण रहे। जिला फुलेरा में 173 ग्रामों में जल आपूर्ति योजना को ₹226.95 करोड़ की लागत पर जुलाई 2013 में एक फर्म को सौंपा गया था जिसे जनवरी 2016 तक समाप्त किया जाना था। तथापि, निर्माण कार्य ₹115.68 करोड़ का व्यय करने के पश्चात दिसंबर 2016 से अपूर्ण पड़ा था क्योंकि फर्म द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान न करने के कारण निर्माण कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति को रोक दिया गया था।

**तेलंगाना:** महबूबनगर, नालगोंडा तथा खम्मम जिलों में नौ निर्माण कार्यों को ₹251.92 करोड़ की लागत पर अक्टूबर 2013 तथा जुलाई 2016 के बीच समापन हेतु अप्रैल 2012 तथा अप्रैल 2016 के बीच प्रारम्भ किया गया था। ये निर्माण कार्य कारणों जैसे कि वन विभाग से अनुमति की गैर-प्राप्ति, त्रुटिपूर्ण डिजाइनिंग, बिजली कनेक्शन, अनुमानों के संशोधन, ठेकेदार को कार्य स्थल सौंपना, डिजाइन एवं आरेखण के अनुमोदन में विलम्ब, पंचायती राज विभाग से सड़क को काटने की अनुमति की गैर-प्राप्ति तथा पाईपलाइन की सीध में चट्टान वाले भाग को विस्फोट से साफ करने हेतु अनुमोदन की अप्राप्ति से ₹152.51 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी अपूर्ण रहे।

नालगोंडा जिले में सूर्यपेट में सूर्यपेट निर्वाचन क्षेत्र में एक सीपीडब्ल्यूएस योजना को ₹71 करोड़ की लागत पर सौंपा गया (मई 2014) जिसे मई 2016 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि निर्माण कार्य को पूर्ण बताया गया था फिर भी भौतिक जांच में पता चला (जून 2017) कि शीर्ष कार्य पर रेपिड सैंड फिल्टरों का निर्माण अपूर्ण था। योजना परीक्षण के अधीन थी जिसके दौरान बस्तियों को अनुपचारित जल की आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार, 231 बस्तियों को उपचारित जल प्रदान करने के लक्ष्य को समापन की निर्धारित तिथि से 14 महीनों के व्यतीत होने तथा ₹60.17 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी प्राप्त नहीं किया जा सका था।



#### 4.2.7 निर्माण कार्य पूर्ण थे परंतु गैर-परिचालनात्मक रहे

विभिन्न राज्यों में निष्पादित निर्माण कार्यों की नमूना जांच ने उजागर किया कि ₹61.91 करोड़ की लागत से पूर्ण 34 निर्माण कार्य विभिन्न कारणों, जैसे कि बिजली कनेक्शनों की कमी, सड़क को चौड़ा करने के कारण टूटी हुई पाईपलाइन, पाइपलाइनों में रिसाव तथा अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुसार निर्माण कार्य के गैर-निष्पादन से परिचालनात्मक नहीं थे। यह पहले से पूर्व परियोजनाओं को परिचालनात्मक करने में विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय की कमी का सूचक थे। कुछ निदर्शी मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

**अरुणाचल प्रदेश:** पापूमपरे जिले में टाईग तरंग में ₹0.24 करोड़ की लागत पर मार्च 2015 में पूर्ण गहरे बोर वैल के माध्यम से जल आपूर्ति प्रदान करने की योजना बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता के कारण गैर-परिचालनात्मक थी।

**असम:** ₹7.04 करोड़ की लागत पर मई 2013 में पूर्ण ग्रेटर टिटाबोर जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 23 पीडब्ल्यूएसएस अपर्याप्त एवं अनियमित विद्युत आपूर्ति, बूस्टिंग स्टेशन की कमी, वैकल्पिक पम्प सेटों के अभाव तथा जल रिसाव के कारण गैर-परिचालनात्मक थीं।

**झारखण्ड:** प्रतापपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को फ्लोराईड प्रभावित बस्तियों को स्वच्छ जल प्रदान करने हेतु ₹1.94 करोड़ की लागत पर 2006 में संस्वीकृत किया गया था। मार्च 2012 तक ₹1.88 करोड़ का व्यय करने के पश्चात योजना से जल आपूर्ति चोक्ड राईजिंग मेन्स तथा निम्न विद्युत वोल्टेज के कारण आंशिक थी। जुलाई 2016 से लक्षित ग्रामों को योजना से जल आपूर्ति नहीं की जा रही थी क्योंकि नदी से जल की आपूर्ति करने वाली पाईपलाइन खराब हो चुकी थी।



झारखण्ड के फ्लोराईड प्रभावित जीपी में गैर-क्रियात्मक एमपीडब्ल्यूएस योजना में व्यर्थ जनरेटर तथा जंग खा रहे प्रेशर फिल्टरों को दर्शाने वाली फोटोग्राफ

### कर्नाटक

जिला बागलकोट में अगस्त 2008 में ₹12.93 करोड़ की लागत पर सौंपे गए दो निर्माण कार्य (कटागरी एवं 13 अन्य ग्रामों तथा अनावल एवं अन्य 10 ग्रामों की जल आपूर्ति योजना) को अगस्त 2009 तक पूर्ण किया जाना था। चूंकि ठेकेदार अनुमोदित विशिष्टताओं का अनुपालन करने में विफल रहा इसलिए परियोजना के परीक्षण के दौरान प्रत्याशित ग्रामों को जल प्रदान नहीं किया जा सका था। योजनाओं को ₹ 14.38 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी क्रियात्मक नहीं किया जा सका था। यद्यपि एसएलएसएससी ने खामियों के सुधार हेतु सितंबर 2013 में ₹1.50 करोड़ के संवर्धन निर्माण कार्य को अनुमोदित किया फिर भी समस्या का समाधान करने हेतु कोई प्रगति नहीं की जा सकी थी (अगस्त 2017)।

इसके अतिरिक्त, तालुका मुधोल में नगाल एवं अन्य पांच ग्रामों हेतु एक बहु-ग्राम जल आपूर्ति योजना को ₹7.90 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक तथा तकनीकी रूप से अनुमोदित (अक्टूबर 2006 तथा दिसंबर 2007) किया गया था परंतु निर्माण कार्य को बोलीकर्ताओं से प्रतिक्रिया की कमी के कारण जनवरी 2008 तक सौंपा नहीं गया था। बाद में, योजनाओं के अनुमानों का ₹8.82 करोड़ तक संशोधन किया गया था तथा निर्माण कार्य को निष्पादन हेतु फरवरी 2009 तक समापन की निर्धारित तिथि सहित एक ठेकेदार को ₹10 करोड़ की लागत पर सौंपा (मार्च 2008) गया था। योजना ₹9.70 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि जल रिसाव के कारण जलाशय तक नहीं पहुंच रहा था जो ठेकेदार द्वारा निष्पादित घटिया निर्माण कार्य का प्रमाण था। इसके अतिरिक्त, भौतिक जांच ने भी दर्शाया कि जल आपूर्ति हेतु चिन्हित स्रोत (घाटप्रवाह नहर) भी सूख गया था।

**मेघालय:** 2008 में संस्वीकृत दो निर्माण कार्यो (सखेन मूलीमन जल आपूर्ति योजना तथा चम चम जल आपूर्ति योजना) को ₹1.30 करोड़ का व्यय करने के पश्चात विद्युत कनेक्शन की कमी के कारण आरंभ (जुलाई 2017) नहीं किया गया था।

### तेलंगाना

76 बस्तियों को जल की आपूर्ति करने हेतु तीन निर्माण कार्यो (नागर कुरनूल निर्वाचन क्षेत्र को सीपीडब्ल्यूएस योजना, जिला महबूबनगर में शेष बस्तियां थिमाजीपेट योजना-अचमपेट परियोजना तथा जिला खमाम में सीपीडब्ल्यूएस योजना मनूगुरु एवं पिनापका योजना चरण-I एवं II) को ₹24.44 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था। इन निर्माण कार्यो को डक्टाईल आईएन पाईप के विस्तार को हटाने तथा चरण-I से संबंधित खामियों के सुधार न किए जाने के कारण चालू नहीं किया गया था (मार्च 2017)।

छ: बस्तियों को जल आपूर्ति हेतु बुक्कापूर एवं अन्य बस्तियों के लिए सीपीडब्ल्यूएस योजना को ₹2.93 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि योजना को चालू नहीं किया गया था क्योंकि इनटेक वैल में जल 500 मीटर से अधिक तक कम हो गया था तथा इनटेक वैल जल स्तर से ऊंचा था।

#### 4.2.8 लक्षित बस्तियों के कवरेज के बिना पूर्ण किए गए निर्माण कार्य तथा कवर बस्तियों की अतिव्याप्ति

चयनित प्रभागों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि नियोजित योजना के अंतर्गत कवर किए जाने हेतु लक्षित तीन राज्यों में बस्तियों को या तो योजना के समापन के बावजूद कवर नहीं किया गया था या फिर उन्ही बस्तियों को दो अथवा अधिक योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था जैसी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

**आन्ध्र प्रदेश:** ₹79.93 करोड़ की लागत पर चालू आठ व्यापक संरक्षित जल आपूर्ति (सीपीडब्ल्यूएस)<sup>15</sup> योजनाओं ने 694 बस्तियों के लक्ष्य के प्रति केवल 344 बस्तियों

<sup>15</sup> वेलदुर्धी मंडल: जिला चितौड़ में केवी पल्ली, कालीकिरी तथा कलकनाडा मंडल; जिला गोदावरी तल्लापुडी (एम), लंकल्कोदेरू तथा अन्य बस्तियां, उनगुडुरु, वीरावासरन तथा अन्य बस्तियां, सरीपल्ली तथा अन्य बस्तियां, माधवरम तथा अन्य बस्तियां।

को शामिल किया था। कवरेज में कमी को अन्य बातों के साथ-साथ अपर्याप्त निधियों तथा कुछ अनुमतियों की अप्राप्ति पर आरोपित किया गया था।

**अरुणाचल प्रदेश:** चार चयनित जिलों (छः प्रभागों) में 26 लक्षित बस्तियों को 2012-17 के दौरान ₹20 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई 23 योजनाओं में पाईपलाईन डालने से संबंधित निर्माण कार्य के गैर-निष्पादन के कारण कवर नहीं किया गया था।

**असम:** पीएचई प्रभाग हैलाकांडी ने जनवरी 2013 तथा मार्च 2013 के बीच तीन बहु-ग्राम योजनाओं<sup>16</sup> के अंतर्गत जल आपूर्ति निर्माण कार्य प्रारम्भ किए थे। मई 2017 तक ₹31.57 करोड़ के व्यय सहित 65 से 95 प्रतिशत भौतिक प्रगति की गई थी। पांच बस्तियों जिन्हें इन बहु-ग्राम योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था, को उसी प्रभाग द्वारा जून 2013 तथा दिसंबर 2013 की अवधि के दौरान ₹5.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर पांच व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत कवरेज करने हेतु फिर से शामिल किया गया था। इस प्रकार, उन्हीं बस्तियों, जिन्हें बहु-ग्राम योजनाओं के अंतर्गत कवर किया गया था, को कवर करने वाली पांच व्यक्तिगत जल आपूर्ति योजनाओं की संस्वीकृति उचित नहीं थी तथा इन व्यक्तिगत योजनाओं पर किया गया ₹3.03 करोड़ का व्यय अनियमित था।

#### 4.2.9 छोड़े गए निर्माण कार्य

चयनित प्रभागों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 12 राज्यों में 1,367 निर्माण कार्यों को ₹40.07 करोड़ का व्यय करने के पश्चात छोड़ दिया गया था। इन निर्माण कार्यों जैसे कि ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों को छोड़ना (16 कार्य), भूमि विवाद (17 कार्य), टूटी हुई पाईप लाईने (5 कार्य), जल स्रोत का सम्मिश्रण (13 कार्य), ट्यूब वेलों की असफल बोरिंग (1,312 कार्य) तथा योजनाओं के गैर-क्रियात्मक होने (चार कार्य) के कारणों से छोड़ दिया गया था जैसा **अनुबंध-4.2** में दिया गया है कुछ निदर्शी मामलों पर चर्चा की गई है:

<sup>16</sup> राज्य योजना के अंतर्गत रूपाछेरा एमवी पीडब्ल्यूएसएस तथा एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत ग्रेटर शेरालीपर एमवी पीडब्ल्यूएसएस एवं लाला एमवी पीडब्ल्यूएसएस

**आन्ध्र प्रदेश:** ₹10.94 करोड़ की अनुमानित लागत वाले पांच<sup>17</sup> जल आपूर्ति निर्माण कार्यों को मई 2012 तथा अक्टूबर 2015 के बीच पूर्ण करने हेतु नवम्बर 2011 तथा मई 2015 के बीच ठेकेदारों को सौंपा गया था। ठेकेदारों ने अप्रैल 2012 तथा दिसंबर 2016 के बीच इन निर्माण कार्यों को छोड़ दिया तथापि, विभाग ने शेष बचे निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की तथा इन निर्माण कार्यों पर किया गया ₹6.17 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

**झारखण्ड:** जिला पलामू में ₹12.19 करोड़ की अनुमानित लागत वाली दो योजनाओं<sup>18</sup> को मार्च 2008 तथा जनवरी 2010 में निष्पादन हेतु प्रारम्भ किया गया था। इन निर्माण कार्यों को भूमि की अनुपलब्धता, ठेकेदार की पुरानी दरों पर निर्माण कार्य के निष्पादन की अनिच्छा तथा पाईपों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण क्रमशः अक्टूबर 2010 तथा अप्रैल 2013 से छोड़ दिया गया था जिसके कारण ₹5.52 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

**कर्नाटक:** जिला चित्रदुर्ग में रेवालाकुंटे तथा 26 अन्य ग्रामों को जल आपूर्ति योजना का निर्माण कार्य ₹10.25 करोड़ की लागत पर मई 2009 तक पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार को सौंपा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्य को परीक्षण के दौरान पाईपलाईनों में भारी रिसाव तथा स्रोत के सूख जाने के कारण पूर्ण/चालू नहीं किया जा सका। परियोजना जनवरी 2013 में अपूर्ण रही तथा किया गया ₹9.45 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ। जिला यादगिर में, गोगी तथा 10 अन्य ग्रामों को पेयजल की आपूर्ति करने का निर्माण कार्य ₹2.58 करोड़ की लागत पर मार्च 2002 में सौंपा गया था। जल के स्रोत की पहचान गोगी ग्राम में एक टंकी के रूप में की गई थी। निर्माण कार्य को ₹2.96 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया था तथा अप्रैल 2009 में ग्राम पंचायत को सुपूर्द किया गया था। भौतिक जांच के दौरान यह देखा गया था कि योजना के चयनित जल स्रोत एक यूरेनियम संयंत्र, जो टंकी के जलग्रहण क्षेत्र के भीतर मौजूद था, के निस्राव से दूषित हो रहा था। स्रोत के अन्य टंकी में परिवर्तन का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ था क्योंकि टंकी को जल आपूर्ति करने

<sup>17</sup> जिला पश्चिम गोदावई में चिंतलापुडी को सीपीडब्ल्यूएस तथा प्राथीकोल्लालंका में बैंड का सुदृढीकरण तथा संरक्षण निर्माण कार्य; मंगलागिरी (एम) के कृष्णायापलेम (वी) तथा मंगलागिरी (एम) के कुरागुल्लू (वी) को एकल ग्राम जल योजना; जिला गुंटूर के मंगलागिरी (एम) के नीरूकोण्डा की योजना

<sup>18</sup> सिंग्रा ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना तथा बिश्रामपुर ग्रामीण पाईप जल आपूर्ति योजना।

वाली नहर सूख गई थी। इस प्रकार, उपयुक्त जल स्रोत की पहचान करने में विभाग की विफलता से ₹2.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

**ओडिशा:** आठ चयनित जिलों में ट्यूब वेल की खुदाई के पहले भू-जल जांच नहीं की गई थी तथा स्रोत खोज समिति के साथ-साथ भू-जल सर्वेक्षण एवं जांच निदेशालय की सेवाएं प्राप्त नहीं की थी। परिणामस्वरूप 1,310 ट्यूब वेल असफल हो गए तथा इन ट्यूब वेलों पर किया गया ₹3.76 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

**राजस्थान:** जिला जैसलमेर में, जल आपूर्ति योजना (सागरमल गोपा शाखा- रामगढ़-सोनू-मोकन-खूनियाल को ₹2.30 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2013 तक समापन हेतु मार्च 2013 में निष्पादन हेतु आरम्भ किया गया था। ठेकेदार ने ₹1.79 करोड़ (सितंबर 2014) की कीमत के निर्माण कार्य का निष्पादन करने के पश्चात कठोर परतें आने से शेष निर्माण कार्य को निष्पादित नहीं किया था तथा निर्माण कार्य अपूर्ण पड़ा था (जून 2017)। मार्च 2017 तक निर्माण कार्य पर व्यय की गई कुल लागत ₹1.87 करोड़ थी।

**उत्तर प्रदेश:** रायबरेली में, निर्माण-1 प्रभाग ने ₹1.84 करोड़ की लागत पर बर्दर जल आपूर्ति योजना को निष्पादित किया तथा अगस्त 2015 में कार्य को ग्राम पंचायत के संपूर्ण किया। योजना को 11 बस्तियों को शामिल करके बर्दर तथा बनकट ग्राम की 30 वर्षों की जल आवश्यकता को पूरा करने हेतु तैयार किया गया था। यह पाया गया था कि संपूर्णगी के केवल एक माह पश्चात ही योजना का बोरिंग पम्प जल के साथ रेत एवं मिट्टी के अधिक स्त्राव के कारण खराब हो गया था (सितंबर 2015)। जुलाई 2017 तक इस योजना को छोड़ दिया गया।

#### 4.2.10 कार्य के निष्पादन के बिना भुगतान

चयनित प्रभागों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि तीन राज्यों में निर्माण कार्यों को निष्पादित किए बिना ठेकेदारों को 12 निर्माण कार्यों में ₹1.45 करोड़ अदा किया गया था जैसा नीचे दिया गया है:

**छत्तीसगढ़:** कनकेर प्रभाग में, 2012-15 के दौरान नौ निर्माण कार्यों जिसमें रिसन टंकिया, रोक बांध, आरसीसी सिस्ट्रन, पम्प हाउस, पाईप डालना शामिल है, में निर्माण कार्य के वास्तव में निष्पादन के बिना ₹60 लाख अदा किए गए थे। विभाग ने बताया कि जांच की गई थी तथा दो ठेकेदारों से ₹26 लाख की वसूली की गई थी।

**मणिपुर:** पीएचई प्रभाग कंगपोपकि ने 227 विद्यालयों तथा 108 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पेयजल की आपूर्ति हेतु पाईपलाइन डालने के लिए निर्माण सामग्री की खरीद हेतु ₹43 लाख का व्यय किया। निर्माण कार्य को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया गया था तथा किए गए निर्माण कार्य के दावे वाउचरों द्वारा समर्थित नहीं थे। इस प्रकार, निर्माण कार्य हेतु किए गए भुगतानों की यथार्थता संदेहास्पद थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि होउबल पीएचई प्रभाग ने 2013 में ₹20 लाख की लागत पर 100 आंगनवाड़ी केन्द्रों को पेयजल प्रदान करने का निर्माण कार्य निष्पादित किया था। तथापि, न तो कार्य आदेश और न ही अनुबंध ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थान का उल्लेख किया था। जिले में 72 आंगनवाड़ी केन्द्र थे तथा 13 चयनित बस्तियों में की गई भौतिक जांच ने प्रकट किया कि इन बस्तियों में किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र में पेयजल सुविधा प्रदान नहीं की गई थी।

**सिक्किम:** दक्षिण सिक्किम जिले में येंगांग तथा निकटवर्ती ग्रामों में आरडब्ल्यूएसएस हेतु जुलाई 2013 में सौंपे गए निर्माण कार्य के अनुमान में एक मद ₹22 लाख की लागत पर मिट्टी की खुदाई करके 64,050 मीटर पाईपलाइन डालने की थी। भौतिक जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पाईपों को मिट्टी की खुदाई किए बिना ही डाला गया था जो निर्माण कार्य की इस मद हेतु अनियमित भुगतान के अतिरिक्त पाईपों को टूटने के जोखिम में डालने का कारण बना।

#### 4.2.11 निविदा प्रक्रिया तथा संविदा प्रबंधन में विसंगतियां

सामान्य वित्तीय नियमावली प्रावधान करती है कि वित्तीय शक्तियों के साथ प्रत्योजित प्रत्येक प्राधिकारी को सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों में दक्षता, मित्तव्यय तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही होगी। इसके प्रति नियमावली के साथ-साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों तथा दिशानिर्देशों सहित नियमपुस्तिका में निविदा प्रक्रिया तथा संविदाओं के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं जिनको संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन किया जाना है। जल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान कोडल प्रावधानों से विचलन के कुछ उदाहरण प्रकट किए जिनमें निम्नानुसार ₹14.67 करोड़ की वित्तीय विवक्षा थी:

**मिजोरम:** मिजोरम सरकार के वित्त विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य क्रय सलाहकारी बोर्ड (एसपीएबी) द्वारा अनुमोदित मूल्य एक वर्ष के लिए वैध थे जिन्हें अन्य छः महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। एसपीएबी ने मार्च 2010 में एक फर्म से

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

जीआई पाईपों की खरीद को अनुमोदित किया। तथापि, पीएचईडी ने 2012-13 से 2016-17 के दौरान 302 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं हेतु नई निविदाओं को आमंत्रित किए बिना उसी फर्म से उसी दर पर ₹19.40 करोड़ की लागत के पाईपों का प्रापण किया जबकि एसपीएबी द्वारा प्रदान अनुमोदन की वैधता समाप्त हो गई थी। इसने विभाग को वर्तमान बाजार दरों का पता लगाने के अवसर तथा खरीद पर किए गए व्यय की प्रतिस्पर्धात्मक और तर्कसंगतता के आश्वासन के अवसर से वंचित कर दिया।

**सिक्किम:** दक्षिण सिक्किम जिले में आरडब्ल्यूएसएस के ₹3.28 करोड़ की अनुमानित लागत पर सिविल कार्य हेतु फरवरी 2013 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। प्रत्युत्तर में पांच बोलियां प्राप्त हुई थीं तथा ₹2.26 करोड़ की न्यूनतम बोली जो अनुमानित लागत से 31.3 प्रतिशत कम थी, की स्वीकृति हेतु सिफारिश की गई थी। तथापि बाद में बोलीकर्ता ने “व्यक्तिगत आधारों” पर अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। चार शेष बोलीकर्ताओं में से तीन बोलीकर्ता ₹2.79 करोड़ पर निर्माण कार्य करने को सहमत हुए जो अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत कम था। तथापि निर्माण कार्य ₹3.28 करोड़ की अनुमानित निविदा लागत पर चौथे बोलीकर्ता को सौंपा (जुलाई 2013) गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीवीसी के दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि न्यूनतम बोलीकर्ता के कार्य से पीछे हटने के क्रम में निर्माण कार्य की पारदर्शी तरीके से पुनः निविदा होनी चाहिए। वर्तमान मामले में न केवल सीवीसी के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था बल्कि निर्माण कार्य अधिकतम बोलीकर्ता को सौंपा गया था जिसका परिणाम ₹0.49 करोड़ के परिहार्य व्यय में हुआ।

**असम:** जोरहट पीएचई प्रभाग में ग्रेटर टिटाबोर जल आपूर्ति योजना हेतु निर्माण कार्य को दो मण्डलों अर्थात् मण्डल-I तथा मण्डल-II में विभाजित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल-I में डकटाईल आयरन स्पेशल तथा फिटिंग की अनुमानित लागत को डकटाईल आयरन पाईपों की लागत का 25 प्रतिशत लिया गया था जबकि मण्डल-II में इसे 15 प्रतिशत लिया गया था। मण्डल-I में कार्य की उसी मद हेतु 25 प्रतिशत की उच्च दर को अपनाने में औचित्य की कमी थी क्योंकि मण्डल-II के साथ-साथ अन्य पीएचई प्रभागों में 15 प्रतिशत की दर को अपनाया गया था। मण्डल-I में उच्चतर दर को अपनाने ने योजना की लागत को ₹1.78 करोड़ में बढ़ाया था। इसके अतिरिक्त दो मण्डलों हेतु अनुमत अनुमानों (अक्टूबर 2011) में लिए गए अन-प्लास्टिसाइड पॉलिविनायल क्लोराईड (यूपीवीसी) पाईपों की दरें इन



पाइपों हेतु उपलब्ध अनुमोदित दरों (जुलाई 2010) से अधिक थी। इसने आगे ₹0.86 करोड़ तक अनुमानों को बढ़ाया। इसका परिणाम निर्माण कार्यों पर ₹2.64 करोड़ के अधिक व्यय हुआ।

**केरल:** चार निर्माण कार्यों मूर्कानाड तथा निकटवर्ती ग्रामों को सीएआरडब्ल्यूएसएस पूर्व इलेरी पंचायत पैकेज-1 को डब्ल्यूएसएस; पूर्व इलेरी पंचायत पैकेज 3 को डब्ल्यूएसएस तथा एआरडब्ल्यूएसएस-संवर्धन एवं सुधार निलाम्बर डब्ल्यूएसएस) को ठेकेदारों के जोखिम एवं लागत पर फरवरी 2012 तथा दिसंबर 2015 के बीच समाप्त कर दिया गया था। तथापि, जोखिम एवं लागत शर्त के कारण ₹3.75 करोड़ की देयता की अभी भी चूककर्ता ठेकेदारों से वसूली की जानी थी। अन्य डब्ल्यूएसएस जिसमें मणिमाला तथा निकटवर्ती ग्राम शामिल है, में संविदा को ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर जुलाई 2013 में समाप्त कर दिया गया था परंतु शेष निर्माण कार्य दिसंबर 2013 में उसी ठेकेदार को सौंपा गया था। निर्माण कार्य को अभी भी पूरा किया जाना था (जुलाई 2017)।

**महाराष्ट्र:** चूंकि बीमा प्रभारों को अनुमान में तैयार करने हेतु दरों की अनुसूची में शामिल किया गया है इसलिए निविदा शर्तों में ठेकेदारों को निर्माण कार्य के आरम्भ से पूर्व बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसके न किए जाने पर ठेकेदारों से निविदा लागत का एक प्रतिशत वसूलनीय था। बुलधाना तथा रायगढ़ जिलों में, 379 योजनाओं का निष्पादन कर रहे ठेकेदारों ने बीमा पॉलीसी नहीं ली थी। तथापि, निविदा शर्तों के अनुसार कोई वसूलियां नहीं की गई थी जो ठेकेदारों से ₹1.74 करोड़ की गैर-वसूली का कारण बनी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996 ने विभाग को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर बोर्ड को जमा करने हेतु ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती करने को बाध्य किया। तथापि, विभाग इन ठेकेदारों के बिलों से कुल ₹1.76 करोड़ के श्रमिक उपकर की कटौती करने में विफल रहा जो कि न केवल सांविधिक बाध्यता के उल्लंघन में था बल्कि वहीं विभाग को अधिनियम के तहत बोर्ड को उपकर अदा करने की देयता की ओर भी प्रस्तुत किया।

**ओडिशा:** सम्बलपुर तथा नूआपाड़ा जिलों में पांच पीडब्ल्यूएस निर्माण कार्यों (केसापली, बारब, खोलबीलौंग, बी गर्पोश तथा अमोडी) को अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के बीच ₹10.26 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था। ठेकेदारों ने ₹4.03 करोड़ की कीमत के निर्माण कार्य का निष्पादन करने के पश्चात निर्माण कार्यों को छोड़ दिया।

तथापि, विभाग संविदा की शर्तों के अनुसार चूककर्ता ठेकेदारों पर ₹1.24 करोड़ की परिसमापन हानियों को लागू करने में विफल रहा।

ओडिशा सरकार ने पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों ने अनुबंध किया कि निर्माण कार्य हेतु धन को निर्माण कार्यों के समापन पर प्रतिपूर्ति आधार पर जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ओडिशा पीडब्ल्यूडी संहिता ने ठेकेदारों को अत्यावश्यकताओं, जिस स्थिति में 18 प्रतिशत ब्याज की वसूली की जाएगी, के सिवाए अग्रिमों के भुगतान को वर्जित किया। उपर्युक्त के उल्लंघन में ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग ने भंजानगर तथा बेरहमपुर में पाईप जल आपूर्ति निर्माण कार्यों को एक एनजीओ को सौंपा तथा 2012-17 के दौरान ₹2.77 करोड़<sup>19</sup> की अग्रिम, बिना कोई दर्ज कारण के अदा की गई थी। इसमें से, जुलाई 2017 तक ₹0.11 करोड़ असमायोजित छोड़ते हुए, ₹2.66 करोड़ का समायोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, अग्रिम पर कोई ब्याज नहीं वसूला गया था जो राजकोष के ₹0.10 करोड़ की हानि का कारण बना।

**राजस्थान:** राजस्थान की लोक निर्माण कार्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली में निर्धारित संविदा/अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त 2 के अनुसार, यदि ठेकेदार कार्य आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य को समाप्त नहीं करता है तथा विलम्ब ठेकेदार को आरोपनीय है तो क्षतिपूर्ति की वसूली की जानी है। उपर्युक्त संहिता प्रावधान के उल्लंघन में, जिला गंगानगर में निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलम्ब जो ठेकेदारों को आरोपनीय थे, के बावजूद विभाग, ₹0.28 करोड़ की क्षतिपूर्ति की वसूली करने में विफल रहा।

#### 4.2.12 निम्न आय राज्यों हेतु विश्व बैंक परियोजना

चार निम्न आय राज्यों अर्थात् असम, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व बैंक के सहयोग से एक ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना आरम्भ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत, 2020 तक चार राज्यों<sup>20</sup> के 33 जिलों में

<sup>19</sup> भंजानगर द्वारा ₹2.10 करोड़ तथा बेरहमपुर द्वारा ₹0.67 करोड़

<sup>20</sup> 14 लाख, 24 लाख, 12 लाख तथा 28 लाख की अनुमानित जनसंख्या कवरेज के साथ क्रमशः असम=सात जिले, बिहार=10 जिले, झारखण्ड=छः जिले तथा उत्तर प्रदेश=10 जिले

78 लाख की ग्रामीण जनसंख्या को ₹6,147 करोड़ (यूएसडी 1 बिलियन<sup>21</sup> के बराबर) की अनुमानित लागत पर 2012 पाईप जल आपूर्ति योजनाओं के साथ कवर किया जाना था। भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच अनुबंध के अनुसार, विश्व बैंक सात वर्षों की अवधि (2013-14 से 2019-20) तक परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (यूएसडी 500 मिलियन) प्रदान करेगा। परियोजना लागत के शेष 50 प्रतिशत को भारत सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थियों से अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना था।

अनुबंध के अनुसार, 2,012 योजनाओं में से 726 को मार्च 2017 तक पूर्ण किया जाना था। इन योजनाओं के समापन की वास्तविक स्थिति तालिका-4.6 में दी गई है:

**तालिका-4.6: मार्च 2017 को विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत योजनाओं की स्थिति**

योजनाएं	असम	बिहार	झारखंड	उत्तर प्रदेश	कुल
नियोजित	7	330	751	924	2,012
पूर्ण की जाने वाली	3	156	335	232	726
प्रारम्भ की गई	7	137	201	233	578
पूर्ण की गई	0	0	103	26	129
चालू	3	129	78	204	414
अभी भी प्रारम्भ की जानी	4	8	20	3	35

स्रोत: मंत्रालय के अभिलेख

विश्व बैंक परियोजनाओं के अंतर्गत योजनाएं पीछे चल रही थी तथा मार्च 2017 तक पूर्णता हेतु नियोजित 726 योजनाओं में से केवल 129 अर्थात् 17.8 प्रतिशत को ही पूर्ण किया गया था। अनुबंध के अनुसार ₹1,506.02 करोड़ की विश्व बैंक की निधियां मार्च 2017 तक संवितरण हेतु उपलब्ध थी। तथापि, राज्यों द्वारा योजनाओं के प्रारम्भ तथा निष्पादन में धीमी प्रगति के कारण मंत्रालय ने मार्च 2017 तक केवल ₹584.90 करोड़ का संवितरण किया जिसके प्रति केवल ₹380.04 करोड़ (25.2 प्रतिशत) का व्यय किया गया था।

मंत्रालय ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को विक्रेताओं की अपर्याप्त वित्तीय क्षमता, विक्रेताओं के ज्ञान/कौशल की कमी, टर्नकी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का

<sup>21</sup> 1 यूएसडी= ₹61.47

अनुभव न होने तथा राज्य सरकारी मशीनरी में क्षमता की कमी पर आरोपित किया (सितंबर 2017)।

विश्व बैंक परियोजना जो विशेष रूप से चार निम्न आय वाले राज्यों के 33 जिलों में पाईप पेयजल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने पर सकेन्द्रित थी, के प्रति दर्ज धीमी भौतिक तथा वित्तीय प्रगति ने इन राज्यों में लक्षित आबादी को परियोजना के लाभों से वंचित किया।

#### 4.2.13 सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति योजनाओं की धीमी प्रगति

सौर ऊर्जा आधारित दोहरा पम्प पाईप जल आपूर्ति योजना को स्थापित करने हेतु दो अलग परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) वित्त मंत्रालय (मार्च 2013) तथा नई एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (अक्टूबर 2014) की वित्तीय सहायता के साथ प्रारम्भ की गई थी। परियोजना का उद्देश्य सभी राज्यों में दूरवर्ती क्षेत्रों को शामिल करना था जहाँ विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

ए) 10 राज्यों में 11,068 ग्रामीण बस्तियों में दोहरे-पम्पो की संस्थापन को एनसीईएफ से 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ प्रारम्भ किया जबकि शेष 60 प्रतिशत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर विभाजित किया जाना था। कुल ₹110.65 करोड़ (मार्च 2013) तथा ₹110.64 करोड़ (मार्च 2015) के एनसीईएफ अंशदानों को 11,068 बस्तियों में दोहरे-पम्पो की संस्थापना हेतु जारी किया गया था। 5,424 बस्तियों के मामले में परियोजना को 18 महीनों अर्थात् सितंबर 2014 तक तथा शेष 5,644 बस्तियों के मामले में अगस्त 2015 तक समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया था। यह देखा गया कि सितंबर 2017 तक कुल 8,802<sup>22</sup> बस्तियों (79.5 प्रतिशत) को परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। राज्य-वार निष्पादन के विश्लेषण ने दर्शाया कि **छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना** तथा **उत्तर प्रदेश** में उपलब्धि 55 प्रतिशत तथा 94 प्रतिशत के बीच थी।

बी) 17 राज्यों में ₹1.80 लाख प्रत्येक की अनुमानित लागत पर 15,400 दोहरे-पम्पो की संस्थापना को एमएनआरई मंत्रालय से ₹0.40 लाख प्रति पम्प की वित्तीय सहायता सहित ₹1.40 लाख प्रति पम्प की शेष लागत को छोड़ते हुए जुलाई 2016

<sup>22</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश की उपलब्धि मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं थी।

में प्रारम्भ किया गया था। शेष राशि तथा भण्डारण, संवितरण तथा संस्थापना लागत सहित कुल ₹4.50 लाख की इस लागत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच विभाजित किया जाना था। निर्माण कार्य को मार्च 2017 तक समाप्त किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 15,400 पम्पों के लक्ष्य के प्रति केवल 7,100 दोहरे-पम्पों (46.1 प्रतिशत) को सितंबर 2017 तक संस्थापित किया गया था। राज्य-वार निष्पादन ने दर्शाया कि असम, हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने 1,000 के अपने लक्ष्य के प्रति कोई भी दोहरा पम्प संस्थापित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, बिहार, गुजरात, राजस्थान तथा तमिलनाडु में सितंबर 2017 तक 3,000 दोहरे पम्प की लक्षित संस्थापना के प्रति केवल 14 दोहरे पम्पों की संस्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में प्रतिशतता उपलब्धि 18 से 57 प्रतिशत के बीच थी।

#### ओडिशा

आईएपी जिले हेतु सौर ऊर्जा आधारित दोहरा पम्प पाईप जल आपूर्ति योजना को ओडिशा नवकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ओआरईडीए) के माध्यम से 2013-14 में प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए सात प्रतिशत सेवा कर अभिकरण को अदा किया गया था। सभी निर्माण कार्यों को संस्थापना की तिथि से पंचवर्षीय व्यापक अनुरक्षण संविदा (सीएमसी) से स्वच्छ किया गया था। 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹161.02 करोड़ का व्यय करके राज्य में 6,291 सौर दोहरे पम्पों की संस्थापना की गई थी। अगस्त 2017 तक, ₹19.41 करोड़ का व्यय करके संस्थापित 428 सौर दोहरे पम्प तीन से 25 महीनों के बीच की अवधि के लिए गैर-क्रियात्मक थे। ओआरईडीए ने विक्रताओं को 15 दिनों के भीतर त्रुटियों का सुधार करने के लिए सूचित किया था। इन पम्पों के गैर-मरम्मत के कारण 428 बस्तियों की लक्षित आबादी को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि योजना का कार्यान्वयन पीछे चल रहा था क्योंकि राज्य अन्य कार्यक्रमों में पहले से व्यस्त होने के कारण ध्यान देने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने सूचित किया कि प्रगति की कड़ी निगरानी की जा रही थी तथा योजनाओं को जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। तथ्य यह है कि योजना को पूर्ण करने में विलम्ब ने सभी राज्यों के दूरवर्ती क्षेत्रों, जहाँ विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी, को जल आपूर्ति योजनाओं का कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य को प्रभावित किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

#### 4.2.14 विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों का कवरेज

कार्यक्रम दिशानिर्देश अभिकल्पना करते हैं कि सभी राज्यों को मौजूद में ग्रामीण सरकारी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों तथा उनमें से पेयजल सुविधाओं वालों के डाटा का संकलन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कार्यनिति योजना (2011-22) के अनुसार ग्रामीण भारत में सभी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को 2017 तक स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त मात्रा तक पहुँच प्रदान की जानी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10.45 लाख विद्यालयों (सरकारी, सहायता-प्राप्त, स्थानीय निकाय तथा निजी) तथा आंगनवाड़ियों में से 1.50 लाख विद्यालय तथा आंगनवाड़ियों अर्थात् 14.35 प्रतिशत में नवम्बर 2017 तक पेयजल सुविधाएं नहीं थी। विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को पेयजल सुविधाओं के प्रावधान में कमी अन्य क्षेत्रों की तुलना में, उत्तर-पूर्वी राज्यों **अरुणाचल प्रदेश** (56 प्रतिशत), **असम** (29 प्रतिशत), **मेघालय** (48 प्रतिशत), **नागालैंड** (54 प्रतिशत), **सिक्किम** (36 प्रतिशत) में अधिक थी। विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को पेयजल सुविधाओं के प्रावधान की स्थिति पर राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियों नीचे दी गई हैं।

**अरुणाचल प्रदेश:** पश्चिम कामेंग जिले में, 40 नमूना जांच की गई विद्यालयों को जल आपूर्ति योजनाओं में से 21 (53 प्रतिशत) अवसादन टंकी जैसी मदों के गैर-निर्माण, भण्डारण टंकी तथा पब्लिक स्टैंड पोस्ट (पीएसपी) के गैर-प्रावधान के कारण चार महीनों से अधिक (अगस्त 2017) तक अपूर्ण रही। लोवर सूबनासिरी जिले में 15 योजनाएं प्रमात्रा तथा गुणवत्ता समस्याओं के कारण अप्रैल 2006 से गैर-क्रियात्मक थी। आठ नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से एक विद्यालय में जल आपूर्ति योजना जिसे ₹6 लाख की लागत पर समाप्त (मार्च 2014) किया गया था, गैर-क्रियात्मक रही क्योंकि भण्डारण टंकी तथा पीएसपी का मार्च 2017 तक निर्माण नहीं किया गया था।

**मध्य प्रदेश:** 44 चयनित जीपी में पेयजल सुविधा 226 विद्यालयों में से 33 में उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार, पेयजल सुविधा 125 आंगनवाड़ियों में से 27 में उपलब्ध नहीं थी।

**राजस्थान:** 10 चयनित जिलों में अप्रैल 2012 तक पेयजल सुविधा 2,903 विद्यालयों में से केवल 1,049 में उपलब्ध थी जिसमें मार्च 2017 तक 1,854 विद्यालयों को कवर नहीं किया गया था। यह भी पाया गया था कि अप्रैल 2015 तक 866

विद्यालयों<sup>23</sup> में पेयजल सुविधाएं न होने के बावजूद 2015-17 के दौरान चार जिलों<sup>24</sup> में किसी भी विद्यालय को कवर नहीं किया था।

**त्रिपुरा:** विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि केवल तीन विद्यालय पर्याप्त पेयजल सुविधाओं तक पहुंच के बिना रह गए थे। तथापि, नमूना जांच किए गए जिलों में जिला स्तर पर अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि केवल धलाई जिले में ही 34 विद्यालयों तथा 51 आंगनवाड़ियों को 2016-17 की समाप्ति तक अभी भी कवर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, शिक्षा हेतु संयुक्त जिला सूचना प्रणाली के अद्यतन (जून 2017) अभिलेखों की पुनः जांच ने प्रकट किया कि राज्य के दावे कि केवल तीन विद्यालय पर्याप्त पेयजल सुविधाओं तक पहुंच के बिना रह गए थे, के विपरीत 991 विद्यालय पेयजल सुविधाओं से वंचित थे।

यह स्पष्ट है कि मंत्रालय उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रखर कमी होने के साथ मार्च 2017 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा।

### 4.3 गुणवत्ता

पेयजल का जीवाणुतत्व संबंधी संदूषण सहित मुख्यतः आर्सेनिक, फ्लोराईड, लौह तथा भारी धातुओं के कारण रसायनिक संदूषण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में मुख्य चिंताएं हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण बस्तियां गुणवत्ता प्रभावित हैं तथा गुणवत्ता चिंताओं का समाधान करके स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना एक चुनौती है। परिणामस्वरूप, एनआरडीडब्ल्यूपी ऐसे क्षेत्रों में योजनाओं हेतु निधियों का निर्धारण करके जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के कवरेज को महत्व देता है, जैसा इस प्रतिवेदन के पैरा सं. 3.1 में ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बस्तियों, विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों में जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं भी प्रारम्भ की गई थीं।

#### 4.3.1 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की स्थिति


लेखापरीक्षा ने पाया कि 1,04,160 ग्रामीण बस्तियां (1 अप्रैल 2012) रसायनिक संदूषण से प्रभावित थे जिसे अप्रैल 2016 तक 67,290 बस्तियों तक कम किया गया था परंतु अप्रैल 2017 तक 74,724 बस्तियों (11 प्रतिशत) तक बढ़ा था। पेयजल के

<sup>23</sup> भीवाड़ा, इंगरपुर, जयपुर तथा झालवार

<sup>24</sup> भीवाड़ा-290, इंगरपुर-61, जयपुर-333 तथा झालवार-182

रासायनिक संदूषण के मुख्य स्रोतों, सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) तथा संबंधित मामलों के संबंध में स्थिति **बाक्स-4.1** में दी गई हैं:

**बाक्स-4.1: रासायनिक संदूषण से प्रभावित बस्तियां**



**फ्लोराइड:** आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 17 राज्यों में 1.08 करोड़ की ग्रामीण आबादी वाले 13,492 बस्तियां 01 अप्रैल 2017 को पेयजल स्रोतों में अधिक फ्लोराइड के कारण जोखिम में थे। तथापि, 83.3 प्रतिशत बस्तियों को सीडब्ल्यूपीपी प्रदान नहीं किया गया।

**आर्सेनिक:** आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां असम तथा पश्चिम बंगाल में अधिक थे। आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 1 अप्रैल 2017 को 1.70 करोड़ की ग्रामीण आबादी वाली 18,258 बस्तियां आर्सेनिक संदूषित पेयजल से प्रभावित थीं। तथापि, सीडब्ल्यूपीपी केवल 994 बस्तियों (5.4 प्रतिशत) को ही प्रदान किए गए थे। सीडब्ल्यूपीपी छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रभावित बस्तियों में प्रदान नहीं किए गए।

**आयरन:** घटती हुई प्रवृत्ति (2012-16) के बावजूद, 22 राज्यों में 1.48 करोड़ की ग्रामीण आबादी को शामिल करने वाले 24,168 बस्तियों में पेयजल 1 अप्रैल 2017 को अभी भी आयरन से संदूषित था। इसके प्रति, कर्नाटक में 35 तथा पश्चिम बंगाल में पांच सहित पांच राज्यों में केवल 44 बस्तियों (0.2) प्रतिशत) को सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किए गए।

**सेलिनैटि:** सेलिनैटि राजस्थान में प्रबल है। आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 1 अप्रैल 2017 को, 44 लाख की ग्रामीण आबादी को शामिल करने वाले 14,317 बस्तियों जहाँ जल, सेलिनैटि से प्रभावित था, में से 30 लाख की ग्रामीण आबादी को शामिल करने वाले




12,800 बस्तियां राजस्थान में थीं। तथापि सीडब्ल्यूपीपी, राजस्थान के 131 बस्तियों सहित केवल 156 बस्तियों (एक प्रतिशत) में प्रदान किए गए थे।

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

इस प्रकार, अप्रैल 2017 को 74,724 गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में से 70,235 ग्रामीण बस्तियां अर्थात् 94 प्रतिशत आर्सेनिक, फ्लोराईड, आयरन तथा सेलिनिटी के मुख्य रसायनिक संदूषण से प्रभावित थे। असम, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल जल संदूषण से प्रभावित प्रबल राज्य है। अप्रैल 2017 को आर्सेनिक, फ्लोराईड, आयरन तथा सेलिनिटी से बड़े पैमाने पर प्रभावित राज्यों की स्थिति का चार्ट-4.6 में ब्योरा दिया गया है:

चार्ट-4.6: अप्रैल 2017 को राज्यों में बस्तियों की संदूषण - वार स्थिति



अप्रैल 2017 तक, केवल पांच प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों को सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किया गया था जो शेष बस्तियों में संदूषण की समस्या को बिना समाधान के छोड़ता है। 12 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु किसी भी गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में सीडब्ल्यूपीपी को संस्थापित नहीं किया गया था। नौ अन्य राज्यों अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किए गए बस्तियों की प्रतिशतता एक से

सात प्रतिशत के बीच थी। **आन्ध्र प्रदेश** तथा **कर्नाटक** में सीडब्ल्यूपीपी प्रदान किए गए बस्तियों की प्रतिशतता क्रमशः 35 तथा 49 प्रतिशत थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि 10,689 सीडब्ल्यूपीपी को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में संस्थापित किया गया था। तथापि तथ्य है कि 95 प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां अभी भी स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के बिना थे।

गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों तथा सुधार हेतु उपायों के प्रावधान के संबंध में अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित राज्य विशिष्ट टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

**असम:** गोलाघाट पीएचई प्रभाग में, ₹4.75 करोड़ के व्यय पर मई 2011 तथा मार्च 2013 के बीच पूर्ण आठ पीडब्ल्यूएस योजनाओं से जल की एक डीएलएल द्वारा जांच की गई थी (जून 2017) तथा इसे आर्सेनिक से संदूषित पाया गया। इसी प्रकार, होजाई तथा नागाँव पीएचई प्रभागों में ₹4.98 करोड़ के व्यय पर नवम्बर 2010 तथा दिसंबर 2014 के बीच पूर्ण 11 पीडब्ल्यूएस योजनाओं से जल की गुणवत्ता जांच ने प्रकट किया कि सभी योजनाओं में जल, अनुज्ञय सीमा से अधिक आर्सेनिक से संदूषित था। संबंधित प्रभागीय अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं से कवर लाभार्थियों को वैकल्पिक स्रोत से स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार, 19 पीडब्ल्यूएस योजनाओं पर ₹9.73 करोड़ का व्यय करने के बावजूद भी इन जिलों में निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका था।

**ओडिशा:** जिला नवरंगपुर में दो ब्लॉकों के सात ग्रामों में 2015-17 के दौरान 40 ट्यूब वेलो में से सोलह फ्लोराईड से संदूषित थे फिर भी ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु न तो कोई वैकल्पिक स्रोत था और न ही समस्या का समाधान करने हेतु विभाग द्वारा शोधक उपाय जैसे कि फ्लोराईड निष्कासन उपकरणों की संस्थापना, आदि किए गए थे। परिणामस्वरूप, सात ग्रामों की आबादी ने अस्वच्छ जल का उपयोग जारी रखा।

**राजस्थान:** राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार, राज्य ने किसी भी बस्ती को भारी धातु से संदूषित होने के रूप में नहीं दर्शाया था। तथापि, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के अनुसार, भारी धातु संदूषण (लेड, केडमियम, क्रोमियम, निकल तथा कॉपर) झुनझुनू, अलवर, जयपुर तथा जोधपुर जिलों में मौजूद था।

**त्रिपुरा:** 1 अप्रैल 2017 तक, 741 गहरे ट्यूब वैलो को आयरन संदूषण का उपचार करने हेतु आयरन निष्कासन संयंत्रों के साथ जोड़ा नहीं गया था। परिणामस्वरूप, सभी बस्तियां जिन्हें इन गहरे ट्यूब वैलो से पेयजल की आपूर्ति की गई थी, गुणवत्ता प्रभावित रही।

यह भी पाया गया था कि 20 राज्यों में 15,493 बस्तियां मार्च 2017 तक भारी धातुओं जैसे कि मैंगनीज, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, लेड, कैडमियम तथा सेलिनियम से प्रभावित थे। इससे प्रभावित प्रबल राज्य असम (1,582 बस्तियां), **पंजाब** (2,038 बस्तियां) तथा **पश्चिम बंगाल** (11,486 बस्तियां)।

#### 4.3.2 रासायनिक संदूषण के निष्कासन पर निष्फल व्यय

छ: राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने उजागर किया कि 2012-17 के दौरान ₹87.15 करोड़ की कीमत पर खरीदे गए रिवर्स ओस्मोसिस (आरओ) संयंत्र, आयरन निष्कासन संयंत्र, अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन पॉट फिल्टर, मोबाईल जल उपचार संयंत्र तथा डि-फ्लोराईडेशन इकाईयां या तो व्यर्थ पड़ी थीं या फिर गैर-क्रियात्मक थीं जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

##### असम

(ए) पीएचईडी ने 2013-17 के दौरान विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को फ्लोराईड तथा आर्सेनिक मुक्त जल प्रदान करने हेतु ₹83.84 करोड़ की कीमत के 33,600 आर्सेनिक फिल्टर खरीदे गए थे। इनमें से, ₹0.05 करोड़ की लागत के 20 फिल्टरों को भण्डार में छोड़ते हुए 33,580 फिल्टरों को 2013-14 से 2016-17 के दौरान पीएचई प्रभागों को जारी किया गया था। जारी किए गए फिल्टरों में से 18,575 फिल्टर, 13 चयनित प्रभागों द्वारा प्राप्त किए गए थे जिसमें से ₹28.35 करोड़ की लागत के 11,361 फिल्टरों को 2013 से चयनित प्रभागीय भण्डारों में छोड़ते हुए 7,214 (39 प्रतिशत) विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सिलचर-1 प्रभाग ने विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को बिना मांग के, क्योंकि जल रासायनिक रूप से संदूषित नहीं था, ₹3.37 करोड़ की लागत के 1,350 फिल्टर जारी किए।

**विभिन्न पीएचई प्रभागों के भण्डारणों में व्यर्थ पड़े आर्सेनिक फिल्टर**



हैलाकांडी पीएचई प्रभाग का भण्डार (17.05.2017)



धुब्री पीएचई प्रभाग का भण्डार (06.07.2017)



हावड़ा घाट पीएचई प्रभाग का भण्डार (31.5.2017)

इस प्रकार, गलत योजना आवश्यकता के निर्धारण के बिना फिल्टरों के प्रापण का परिणाम ₹31.77 करोड़ की लागत के 12,731 फिल्टरों के बिना उपयोग के रहने अथवा बिना किसी आवश्यकता के विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को जारी किए जाने में हुआ (मार्च 2017)।

(बी) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 2014-16 के दौरान प्रापण किए गए ₹22.61 करोड़ की कीमत के 68<sup>25</sup> सौर संचालित रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्रों में से जुलाई 2017 तक 46 संयंत्रों को भण्डार में छोड़ते हुए 22 संयंत्रों को छ<sup>26</sup> प्रभागों को जारी किया गया था। तथापि, इन 22 संयंत्रों में से तीन चयनित प्रभागों<sup>27</sup> में जारी 10 को अभी भी संस्थापित किया जाना था।



**गैर-संस्थापित पड़े सौर संचालित रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र (27.07.2017)**

<sup>25</sup> एनआरडीइब्ल्यूपी (40 संयंत्र) तथा राज्य योजना निधि (28 संयंत्र)

<sup>26</sup> (i) गुवाहाटी पीएचई प्रभाग सं. I (5 संयंत्र) (ii) होजई पीएचई प्रभाग (7 संयंत्र) (iii) जोरहाट पीएचई प्रभाग (2 संयंत्र) (iv) धुब्री पीएचई प्रभाग (4 संयंत्र) (v) बारपेट पीएचई प्रभाग (2 संयंत्र) तथा (vi) नलबारी पीएचई प्रभाग (2 संयंत्र)

<sup>27</sup> होजई प्रभाग: 7 संयंत्र; जोरहाट प्रभाग: 1 संयंत्र तथा धुब्री प्रभाग: 2 संयंत्र।

विभाग ने बताया कि 46 संयंत्रों को उच्च प्राधिकारी से संस्थापना हेतु प्रभाग वार अवस्थिति की अप्राप्ति के साथ-साथ पीडब्ल्यूएसएस निर्माण कार्यों के समापन जहाँ संयंत्रों को संस्थापित किया जाना था, के संबंध में सूचना की अप्राप्ति के कारण जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार ₹18.62 करोड़ की कीमत पर 2014-16 के दौरान प्रापण किए गए 56 सौर संचालित रिवर्स ऑस्मोसिस व्यर्थ पड़े थे।

(सी) 2012-17 के दौरान पीएचईडी ने आयरन रहित जल प्रदान करने के लिए ₹73.19 करोड़ की लागत के 10,485 “आयरन निष्कासन संयंत्रों (आईआरपी)” का प्रापण किया। 11,174 आईआरपी (अप्रैल 2012 से भण्डार में पड़े 689 आईआरपी सहित) में से, भण्डार में ₹2.04 करोड़ की कीमत के 292 आईआरपी को छोड़ते हुए, 10,882 आईआरपी संस्थापना हेतु पीएचई प्रभाग को जारी किए गए थे। जारी किए गए 10,882 आईआरपी में से 2,733 आईआरपी 13 चयनित प्रभागों द्वारा प्राप्त किए गए थे जिसमें से भण्डार में 809 आईआरपी को छोड़ते हुए 1,924 आईआरपी (70 प्रतिशत) को प्रभागों द्वारा उपयोग/संस्थापित किया गया था। इस प्रकार मार्च 2017 तक, ₹7.68 करोड़ की कीमत के 1,101 आईआरपी का अभी उपयोग किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, पीएचई प्रभाग सिल्वर-II, धुब्री तथा होजाई में 2012-17 के दौरान संस्थापित 937 आईआरपी में से केवल 47 आईआरपी मई 2017 को क्रियात्मक थे तथा ₹5.51 करोड़ की कीमत के शेष 790 आईआरपी<sup>28</sup> अनुरक्षण की कमी के कारण गैर क्रियात्मक थे।

<sup>28</sup> 100 आईआरपी की ठीक अवस्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

गैर-क्रियात्मक आयरन निष्कासन संयंत्र



धुब्री पीएचई प्रभाग के अधीन अदबारी ईद-गाह  
9-7-2017 को ली गई फोटो



पीएचई प्रभाग के अधीन अदबारी एलपीएस  
9-7-2017 को ली गई फोटो

**(डी)** पीएचईडी ने 2012-17 के दौरान विद्यालयों में संस्थापना हेतु ₹25.95 करोड़ की लागत के 22,715 “सेनको मेक अल्ट्रा-फिल्ट्रेशन पॉट फिल्टरो” का प्रापण किया। इसमें से, ₹4.74 करोड़ की कीमत के 4,150 फिल्टर तथा ₹2.65 करोड़ की कीमत के 2,321 फिल्टर (अप्रैल 2012 से पड़े 325 फिल्टर सहित) मार्च 2017 को स्वच्छता तथा जल प्रभाग, गुवाहटी तथा 13 चयनित प्रभागों के पास भण्डार में पड़े थे।

**छत्तीसगढ़:** बस्तर, राजनंदगांव तथा जशपुर के विभिन्न आयरन प्रभावित बस्तियों में 647 संस्थापित (2012-16) आईआरपी में से 77, गैर-क्रियात्मक (मार्च 2017) थे जिस कारण ₹0.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

**गुजरात:** चयनित जिलों में लेखापरीक्षा ने जिला तथा तालुका जल जांच प्रयोगशालाओं से 20 तालुकाओं से 73 बस्तियों के जल नमूना जांच परिणामों (2012-2017) को एकत्रित किया तथा पाया कि लिए गए 700 नमूनों में से 146 अधिक फ्लोराईड तथा नाईट्रेट की मौजूदगी के कारण संदूषित थे। तथापि, न तो इन जांच परिणामों के संबंध में जीपी को सूचित किया गया था और न ही कोई उपचारी कार्रवाई की गई थी।

**झारखण्ड:** साहिबगंज तथा पलामू में ₹0.53 करोड़ की लागत पर प्रापण (अगस्त 2012) किए गए मोबाईल जल उपचार संयंत्र अप्रैल-मई 2013 से व्यर्थ पड़े थे।

### मध्य प्रदेश तथा राजस्थान

मध्य प्रदेश में उप-प्रभाग छिदवाड़ा, पर्सिया तथा जमई में 96 डी-फ्लोरिडेशन इकाईयों को ₹1.64 करोड़ की लागत पर 2014-15 में संस्थापित किया गया था। कार्यकारी अभिकरण के साथ अनुबंध के नियमों एवं शर्तों में संस्थापित संयंत्रों का पांच वर्षों तक नियमित अनुरक्षण शामिल था। यह देखा गया था कि 92 इकाईयों का अभिकरण द्वारा संस्थापना की तिथि से केवल चार महीनों के लिए ही अनुरक्षण किया गया था। चूंकि अभिकरण ने इन इकाईयों का अनुरक्षण नहीं किया था इसलिए संविदा को फरवरी 2016 में रद्द कर दिया था। सभी 96 इकाईयां क्रियात्मक नहीं थीं (मार्च 2017) तथा फ्लोराइड संदूषित जल की निवास स्थानों को आपूर्ति की जा रही थी।

राजस्थान में, पांच चयनित जिलों (भीलवाड़ा, जैसलमेर, झालावार, कोटा तथा टोंक) में ₹5.80 करोड़ की लागत पर 669 डी-फ्लोरिडेशन इकाईयों की संस्थापना हेतु कार्य आदेश जनवरी/मई 2011 में एक अभिकरण को जारी किए गए थे। अभिकरण को 2011-12 में संस्थापित 374 डी-फ्लोरिडेशन इकाईयों के लिए ₹ 0.79 करोड़ अदा किया गया था। ये इकाईयां इस तथ्य कि संविदा की शर्तों में पांच वर्षों हेतु, प्रचालन तथा अनुरक्षण शामिल था, के बावजूद अनुरक्षण की आवश्यकता के कारण गैर-क्रियात्मक हो गईं।

इसके अतिरिक्त, ₹7 करोड़ की लागत पर जिला जैसलमेर तथा बाड़मेर में संस्थापित 57 रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र अनुरक्षण की आवश्यकता के कारण गैर-क्रियात्मक हो गए जबकि संविदा की शर्तों में सात वर्षों का अनुरक्षण शामिल था।

### बिहार में लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- आईएमआईएस डाटा के अनुसार, जिला बंका में नगेल बस्तियां को पीडब्ल्यूएसएस से आवृत दर्शाया गया था। परंतु सर्वेक्षण के दौरान बस्तियों में कोई पीडब्ल्यूएसएस मौजूद नहीं पाया गया था।
- आईएमआईएस डाटा के अनुसार, तेलिया कुमारी पंचायत के तीन चयनित बस्तियों (सियोका गोला, खासिया तथा हुडा टोला) को फ्लोराइड निष्कासन संलग्न इकाई होने के रूप में दर्शाया गया था। परंतु दो बस्तियों में कोई संलग्न इकाईयां नहीं पाई गई थीं तथा शेष बस्तियों में कोई इकाई क्रियात्मक नहीं थी।
- आईएमआईएस डाटा के अनुसार, जिला बंका में पश्चिम कटसक्रा पंचायत के सभी चार चयनित बस्तियों को संलग्न इकाईयां प्रदान की गईं के रूप में दर्शाया गया था। परंतु इन्हें लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान नहीं पाया गया था।

### 4.3.3 विशेष योजनाओं की स्थिति

मंत्रालय ने जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने तथा प्रभावित राज्यों को जल गुणवत्ता समस्या का समाधान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक अल्पावधि उपाय के रूप में विशेष योजनाएं प्रारम्भ की।

#### 4.3.2.1 जलमणि योजना के अंतर्गत निष्फल व्यय

जलमणि योजना को जल गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को विद्यालयों में एक लाख स्टैंड अलोन जल शुद्धीकरण प्रणालियों की संस्थापना द्वारा स्वच्छ एवं स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से नवम्बर 2008 में आरम्भ किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि छः राज्यों के विद्यालयों में 3,302 जल शुद्धीकरण प्रणालियों में से, ₹4.24 करोड़<sup>29</sup> की कीमत की 2,439 प्रणालियों को या तो संस्थापित नहीं किया गया था या फिर क्रियात्मक नहीं थी। जल शुद्धीकरण प्रणालियों के संबंध में राज्य-वार स्थिति तालिका 4.7 में दी गई है:

तालिका-4.7: जल शुद्धीकरण प्रणाली की स्थापना के बारे में स्थिति

राज्य	जल शुद्धीकरण प्रणालियों की संख्या			स्थापित नहीं / गैर-कार्यात्मक डब्ल्यूपीएस का मूल्य (₹ करोड़ में)
	संस्थापित	संस्थापित न की गई	गैर-क्रियात्मक	
1	2	3	4	6
आन्ध्र प्रदेश	782	66	91	0.31
असम	377	203	-	0.41
छत्तीसगढ़	362	-	262	0.34
मध्य प्रदेश	770	-	733	1.28
मिजोरम	983	-	949	1.90
तेलंगाना	231	-	135	उपलब्ध नहीं
कुल	3,302	269	2170	4.24

इस प्रकार उनके प्रापण पर किया गया ₹4.24 करोड़ का व्यय निष्फल प्रस्तुत हुआ।

<sup>29</sup> 2,403 स्टैंड अलोन जल शुद्धीकरण प्रणाली के संबंध में।



### 4.3.2.2 नीति आयोग द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का कम उपयोग

जल आपूर्ति योजनाओं की लम्बी सगभर्ता अवधि<sup>30</sup> के कारण तथा अस्वच्छ पेयजल के उपभोग से बचने के लिए नीति आयोग ने फरवरी 2016 में सीडब्ल्यूपीपी की संस्थापना हेतु एकमुश्त सहायता के निर्गम की सिफारिश की। तदनुसार, 2015-16 के दौरान ₹1,000 करोड़ 1,327 आर्सेनिक प्रभावित तथा 12,013 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में कम से कम 8-10 एलपीसीडी का पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 19 राज्यों<sup>31</sup> को जारी की गई थी।

सितंबर 2017 को, 359 (27 प्रतिशत) आर्सेनिक प्रभावित तथा 2,596 (22 प्रतिशत) फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को ₹574.68 करोड़ (कुल निधी का 57.46 प्रतिशत) की लागत पर शामिल किया गया था। नीति आयोग ने प्रगति की समीक्षा (सितंबर 2017) करते हुए राज्यों को 31 दिसंबर 2017 से पहले सीडब्ल्यूपीपी की संस्थापना पूर्ण करने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एकैक वित्तीय सहायता के रूप में जारी ₹319.89 करोड़ चार राज्यों {**आन्ध्र प्रदेश** (₹8.19 करोड़), **केरल** (₹19.73 करोड़), **राजस्थान** (₹197.39 करोड़) तथा **तेलंगाना** (₹94.58 करोड़)} में अप्रयुक्त रहे।

**कर्नाटक** में मंत्रालय ने नीति आयोग की सिफारिश पर ₹59.90 करोड़ जारी किए (मार्च 2016)। राज्य सरकार ने इस राशि को 18 जिलों (सात चयनित जिलों सहित) को जारी किया था (अगस्त 2016)। यद्यपि तीनों चयनित जिलों (बागलकोट, चित्रदुर्ग तथा माण्ड्या) ने वित्तीय प्रगति प्रस्तुत की थी लेकिन निष्पादित निर्माण कार्यों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे।

**महाराष्ट्र** में 54 चयनित जीपी में, 177 में से सात बस्तियों में कोई सीडब्ल्यूपीपी नहीं था। इसके अतिरिक्त, छः विद्यालयों तथा 16 आंगवाड़ियों वाली पांच ग्राम पंचायतों में दो सीडब्ल्यूपीपी संस्थापित किए गए थे। हालांकि "नीति आयोग" के अंतर्गत 2015-16 के दौरान जारी ₹24.08 करोड़ अप्रयुक्त रहे थे।

<sup>30</sup> पाईप जल आपूर्ति योजना को पूरा करने में चार से पांच वर्ष लगते हैं।

<sup>31</sup> सामुदाय जल शुद्धीकरण संयंत्रों (₹800 करोड़) की संस्थापना के संबंध में तथा सतही जल परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए जहां निधियां अंतिम मील संयोजकता (₹200 करोड़) हेतु अपेक्षित थीं।

इस प्रकार, निधियों के गैर उपयोग तथा कार्य की धीमी प्रगति ने गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पेयजल सुविधा प्रदान करने के लघु अवधि उपाय के मुख्य उद्देश्य को विफल किया।

#### 4.4 स्थायित्व

पेयजल स्रोतों तथा योजनाओं की स्थायित्व भू-जल, पृष्ठ जल तथा छत-जल संचयन के संयुक्त उपयोग के माध्यम से संकट अवधि के दौरान भी स्वच्छ पेयजल को सुनिश्चित करती है। पेयजल की स्थायित्व हेतु योजनाओं का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जल आपूर्ति योजनाएं अपनी पूर्ण रूपांकित अवधि में बाधित नहीं हुई है। इसे स्थायित्व संरचनाओं जैसे कि जल संचयन प्रणालियों, जल रिचार्जिंग प्रणालियों, तथा पृष्ठ जल अवरोधन प्रणालियों, जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का सुधार करने पर लक्षित है, के निर्माण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

##### 4.4.1 स्थायित्व योजना तैयार/कार्यान्वित न करना

कार्यनीति योजना (2011-22) यह सुनिश्चित करने हेतु स्थायित्व योजनाओं को तैयार करने की अभिकल्पना करती है कि रिचार्ज तथा जल संचयन संरचनाओं को वैज्ञानिक तरीके से प्रारम्भ किया गया है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों ने भी अनुबंध किया कि वार्षिक कार्य योजनाओं को वर्ष के दौरान प्रारम्भ की जा रही स्थायी संरचनाओं को दर्शाना चाहिए।

तथापि, स्थायित्व योजनाओं को 14 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम तथा तेलंगाना) में या तो तैयार नहीं किया गया था या फिर एएपी में शामिल नहीं किया गया था। स्थायित्व योजनाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं था कि स्थायित्व संरचनाओं को एक वैज्ञानिक तरीके से प्रारम्भ किया जा रहा था जिससे कि किए गए व्यय के निष्फल होने से बचा जा सके।

##### 4.4.2 स्थायित्व संघटक पर कम व्यय

यह सुनिश्चित करने हेतु कि जल आपूर्ति योजनाएं योजनाओं की रूपांकित समयावधि के दौरान पूर्णतः कवर से आंशिक रूप से कवर तक बाधित नहीं हुई है, कार्यक्रम

दिशानिर्देशों ने स्थायित्व<sup>32</sup> हेतु 10 प्रतिशत कार्यक्रम निधी के आवंटन का अनुबंध करती हैं जिसका केवल पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाएगा। स्थायित्व संघटक हेतु निधियों के उपयोग<sup>33</sup> पर डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि केवल पांच राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा ओडिशा, व्यय के इस स्तर पर पहुंचे थे तथा 16 राज्यों<sup>34</sup> में व्यय पांच तथा दस प्रतिशत के बीच था तथा यह आठ राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में पांच प्रतिशत से कम था।

24 राज्यों द्वारा स्थायित्व संघटक पर अभिकल्पित स्तरों से कम व्यय ने स्थायित्व संरचनाओं के निर्माण हेतु कम प्राथमिकता को दर्शाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य जिन्होंने स्थायित्व संघटक पर दस प्रतिशत से कम निधियों का व्यय किया था, वह उनमें से थे जिनमें स्लिप-बैक बस्तियों की संख्या अधिक थी।

#### 4.4.3 स्थायित्व संरचनाओं का निर्माण

स्थायित्व संरचनाओं की व्यवस्था से संबंधित राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुए थे:

**अरुणाचल प्रदेश:** 1,729 स्थायित्व संरचनाओं के लक्ष्य में से ₹24.86 करोड़ का व्यय करके केवल 245 का ही निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसकी वजह से 1,484 संरचनाओं की कमी हुई थी जिसके लिए निधियों के कम आवंटन को जिम्मेदार ठहराया गया था।

**असम:** प्राथमिक विद्यालयों और संस्थागत भवनों में 2010-17 के दौरान निर्मित 2,220 वर्षा जल संचयन प्रणालियों में से, ₹37.81 करोड़ की 1,839 मशीनें रखरखाव के अभाव के कारण काम नहीं कर रही थीं (मार्च 2017)। कुछ मामलों में, संग्रहण टैंक का नल टूटा हुआ था और नालियों के पाइप या तो बंद थे या टूटे हुए थे।

**बिहार:** राज्य सरकार ने 2012-17 के दौरान, प्वाइंट सोर्स रिचार्जिंग सिस्टम्स के रूप में 70,095 नलकूप लगाने की चार योजनाओं का अनुमोदन किया था। इसमें से, 58,183 नलकूपों को बगैर प्वाइंट सोर्स रिचार्जिंग सिस्टम की व्यवस्था किये

<sup>32</sup> 2014-15 तक यह 100 प्रतिशत केन्द्र अंश था, इसके पश्चात 2014-15 से विभाजन प्रतिमान को केन्द्र: राज्य अंश के रूप में 60:40 में परिवर्तित कर दिया गया।

<sup>33</sup> केवल केन्द्रीय आवंटन के संबंध में

<sup>34</sup> असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

₹288.57 करोड़ की लागत पर लगाया गया था। स्पष्टतः, नलकूपों को मुख्य रूप से बस्तियों के कवरेज हेतु लगाया गया था और स्थायित्व का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया था।

**कर्नाटक:** दिसंबर 2012 और मार्च 2016 के मध्य ₹0.50 करोड़ की लागत से नौ रोक बांधों के निर्माण से इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ चूँकि उनका निर्माण ऐसी जगहों पर हुआ था जहाँ बहुत सालों से नदी में पानी नहीं था। इसी अवधि के दौरान ₹0.15 करोड़ की लागत से बनाये गये तीन अन्य बांधों को या तो गलत या फिर समुचित योजना नहीं बनने के कारण उपयोग में नहीं लाया गया था या परिव्यक्त कर दिया गया था। यह स्थायित्व कार्य शुरू करने में योजना के अभाव का परिचायक था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2013 और मार्च 2016 के मध्य ₹1.32 करोड़ की लागत से बनाये गए 11 रोक बांध क्षतिग्रस्त या अतिक्रमित पाये गये थे तथा इन बांधों में पानी का संग्रहण नहीं हो पा रहा था।

**राजस्थान:** संहिताबद्ध प्रावधानों में निर्माण कार्य की सुपुर्दगी के पूर्व विवादमुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। पीएचईडी मंडल भीलवाड़ा ने (फरवरी 2015) ग्राम पंचायत खेमना में एक ओवरहेड सेवा जलकुंड, एक कुआँ, रिचार्ज शैफ्ट और रिचार्ज पिट सहित जल सुरक्षा निर्माण कार्य एक ठेकेदार को अगस्त 2015 में पूर्ण करने के लिए ₹0.77 करोड़ की लागत पर दिया था। तथापि, ₹0.64 करोड़ का व्यय होने के बाद एक भूमि विवाद होने के कारण यह निर्माण कार्य दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अगस्त 2017 तक अधूरा पड़ा था।

#### 4.4.4 अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरित न होना

कार्यनीति योजना (2011-22) में परिकल्पना थी कि स्थायित्व योजना में शामिल स्थायित्व सरंचनाओं से संबंधित कार्यों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मगनरेगस) और वाटरशेड विकास कार्यक्रमों जैसे अन्य संबंधित कार्यक्रमों के अभिसरण में शुरू किया जाए और उनका वित्तपोषण हों। इसमें यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गई थी कि श्रम लागत रिचार्जिंग और पृष्ठ जल अवरोधन प्रणालियों को अन्य कार्यक्रमों से पूरा किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थायित्व सरंचनाओं के निर्माण कार्य 23 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब,

राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, और उत्तर प्रदेश) में अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण में नहीं किया गया था। अन्य कार्यक्रमों के साथ स्थायित्व से संबंधित कार्यों के अभिसरित नहीं होने के कारण संघटकों के आवंटित निधियों पर परिहार्य मांग बढ़ गया था।

#### छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश


स्थायित्व के संघटक के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार किसी रिचार्जिंग प्रणाली/पृष्ठ जल अवरोधन संरचनाओं के श्रम लागत को मगनरेगस/आईडब्ल्यूएमपी निधियों से पूरा किया जाना था। तथापि, छत्तीसगढ़ में, पीएचई विद्युत एवं यांत्रिक प्रभाग, बस्तर एवं रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ था कि 2012-17 के दौरान निष्पादित 3,365 हाइड्रो-फैक्चरिंग वर्क्स का ₹0.43 करोड़ की राशि के श्रम संघटक का भुगतान मगनरेगस /आईडब्ल्यूएमपी से करने की बजाय स्थायित्व संघटक से किया गया था।

उत्तर प्रदेश में, रायबरेली के लघु सिंचाई प्रभाग में, 2014 के दौरान 17 बावडियों के निर्माण हेतु ₹0.89 करोड़ की श्रम लागत मगनरेगस से पूरी नहीं हुई थी।

#### 4.4.5 भू-जल पर निर्भरता

एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में भू-जल पर निर्भरता को घटाने और पृष्ठ जल स्रोतों का प्रयोग तथा विभिन्न स्रोतों से जल के संयोजक उपयोग को 12वीं योजना अवधि के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या के रूप में समाधान हेतु रेखांकित किया गया था। इसका उद्देश्य भू-जल निष्कर्षण पर भार कम करना और संकटपूर्ण स्थितियों में भी स्वच्छ पेयजल की लंबे समय तक उपलब्धता सुनिश्चित करना था। तथापि, पाइप से जल आपूर्ति योजनाओं का 88 प्रतिशत हिस्से की 12<sup>वीं</sup> योजना अवधि की समाप्ति तक भी भू-जल स्रोतों पर निर्भरता बनी रही। भू-जल संसाधनों पर आधारित पाइप द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की भागीदारी चार्ट-4.7 में दर्शायी गयी है:

चार्ट-4.7: विभिन्न जल स्रोतों के अंतर्गत कवर पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं



स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा आधारित

भू-जल स्रोतों पर पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं का प्रतिशत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 88 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक था।

भू-जल पर अत्यधिक निर्भरता से लंबे समय तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उद्देश्य प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ और इससे बस्तियों के यथास्थिति में लौटने की प्रवृत्ति बढ़ी।

#### 4.5 परिचालन और अनुरक्षण

स्थायित्व आधार पर आवश्यक मात्रा में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए परिचालन और अनुरक्षण (ओ एण्ड एम) अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी महता यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि पूर्ण की गयी योजनाएं यथास्थिति की ओर न लौटें तथा मूल्यवान निवेश स्वच्छ रहे। अतः कार्यक्रम दिशानिर्देशों में ओ एण्ड एम योजनाओं को तैयार करने, ओ एण्ड एम गतिविधियों के लिए वित्तपोषण हेतु पर्याप्त और दीर्घकालिक स्रोतों का प्रावधान; पीआरआई द्वारा जीपी में योजनाओं के प्रबंधन और उनके द्वारा प्रबंधित योजनाओं के ओ एण्ड एम हेतु पीआरआई को निधियों के न्यागमन/हस्तांतरण हेतु व्यवस्था की गयी है।

#### 4.5.1 परिचालन एवं अनुरक्षण योजना का तैयार न होना

एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में, राज्यों द्वारा मंत्रालय के ओ एण्ड एम नियमपुस्तिका का प्रयोग करने या अपने लिए एक राज्य विशिष्ट ओ एण्ड एम तैयार करने का प्रावधान<sup>35</sup> है। मंत्रालय के ओ एण्ड एम नियमपुस्तिका में प्रत्येक प्रमुख इकाई के लिए और प्रत्येक योजना के लिए सर्वांगीण रूप से नियमित-कार्यो, निर्धारित अंतराल के बाद नियंत्रण और निरीक्षण सहित एक ओ एण्ड एम योजना तैयार करने की परिकल्पना है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार<sup>36</sup>, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान<sup>37</sup> सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में नियमित कार्यो, नियंत्रणों एवं निरीक्षणों हेतु योजना-वार ओ एण्ड एम योजनाएं तैयार नहीं की गयी थीं। ओ एण्ड एम योजनाओं के अभाव में, यह निश्चित नहीं था कि योजनाओं में अनुरक्षण आवश्यकताओं एवं परिचालन समस्याओं की पहचान के लिए अपेक्षित नियंत्रण एवं निरीक्षण किये जा रहे थे।

#### 4.5.2 ओ एण्ड एम संघटक के अंतर्गत निधियों का आवंटन एवं उपयोग

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 15 प्रतिशत राज्यों द्वारा ओ एण्ड एम हेतु उपयोग में लायी जा सकती है और इसके साथ ही राज्य अपना अंशदान करेंगे, जिसे वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पीआरआई को अनुदान के रूप में प्रदत्त निधियों के साथ पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर ओ एण्ड एम व्यय की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जाएगा। राज्यों को पीआरआई को उनके द्वारा प्रबंधित योजनाओं के ओ एण्ड एम हेतु आवश्यक ओ एण्ड एम निधियों का अंतरण करना चाहिए। ओ एण्ड एम संघटक<sup>38</sup> पर व्यय के विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि ओ एण्ड एम पर व्यय सात राज्यों यथा- बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, सिक्किम एवं तेलंगाना में कार्यक्रम निधि के 10 प्रतिशत से कम हुआ था। अन्य सात राज्यों यथा- अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा,

<sup>35</sup> पैरा 9.7

<sup>36</sup> परिचालन एवं अनुरक्षण योजना केवल प्रमुख योजनाओं के लिए तैयार की गयी थी

<sup>37</sup> विभाग ने ऐसी योजना होने का दावा किया था। तथापि, सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

<sup>38</sup> आईएमआईएस की विवरण संख्या डी 13

राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड में इसका प्रतिशत 10 से 15 प्रतिशत के मध्य था।

योजनाओं के संचायन एवं अनुरक्षण पर बल की यह कभी योजनाओं के परिचालन के बंद होने का कारण बनी, जिस पर पैरा 4.5.4 में चर्चा की गयी है।

#### 4.5.3 ओ एण्ड एम में पीआरआई की संलग्नता का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूरी की गयी जल आपूर्ति योजनाएं नौ राज्यों यथा- अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड में पीआरआई को आंशिक रूप से सुपुर्द की गयी थीं। असम, बिहार, मेघालय और त्रिपुरा इन चार राज्यों में, कार्यक्रम दिशानिर्देशों की व्यवस्थानुसार प्रभावकारी ओ एण्ड एम हेतु जल आपूर्ति योजनाओं को पीआरआई को नहीं सौंपा गया था। अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड के दो राज्यों में, यद्यपि ओ एण्ड एम गतिविधियों को पीआरआई के पास हस्तांतरित कर दिया गया था, संबंधित निधियों को उन्हें सौंपा नहीं गया था। नागालैण्ड में, राज्य ने दावा किया था कि चयनित जिलों को हस्तांतरित दर्शायी गयी ओ एण्ड एम निधियां उन्हें प्राप्त हो गयी थीं लेकिन प्रत्यक्ष सत्यापन में प्रकट हुआ कि इन निधियों को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अतः कार्यक्रम उद्देश्यों एवं दिशानिर्देशों के विपरीत, पीआरआई और स्थानीय समुदायों का पेयजल आपूर्ति योजनाओं में समग्र भागीदारी बहुत कम और पूरे राज्य के मध्य असमान रूप में पायी गयी थी।



### असम

स्टोर तथा वर्कशाप प्रभाग, गुवाहाटी ने, ₹83.02 करोड़ के मूल्य पर डायरेक्ट एक्शन हैंडपम्प (डीएचपी) हेतु धीमी गति से चलने वाले अतिरिक्त कल पुर्जों के 37,471 सैट प्राप्त किए। 2011-15 के दौरान 25 मर्दों से बने प्रत्येक सैट की आपूर्ति दो डिब्बों (बॉक्स -I और बॉक्स -II) की गई थी। 37,471 सैटों में से 18,765 सैट स्टॉक में बचाते हुए (जुलाई 2017) 18,706 सैट (डिब्बा-1) डीएचपी की मरम्मत हेतु कार्यकारी पीएचई मंडलों को जारी किए गए थे। प्रभागों को जारी किए 18,706 सैटों में से 5,220 सैट (बॉक्स -I) 13 चयनित प्रभागों द्वारा प्राप्त किए गए थे। इनमें से 3,418 सैट स्टॉक में बचाते हुए 1802 सैट चयनित प्रभागों द्वारा उपयोग किए गए थे।

प्रभागीय अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त कलपुर्जों के सैट इनकी मांग किए बिना प्राप्त किए गए थे। प्रतिष्ठान के पश्चात डीएचपी को सौंप दिए गए थे तथा समुदाय स्वयं द्वारा इनका अनुरक्षण किया गया था। इस प्रकार, डीएचपी हेतु धीमी गति से चलने वाले अतिरिक्त कलपुर्जों का प्रापण अविवेकपूर्ण था।

#### 4.5.4 योजनाओं का क्रियाशील न होना

पर्याप्त और दक्ष ओ एण्ड एम यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि जल आपूर्ति योजनाएं क्रियाशील रहे। 17 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) में अभिलेख की नमूना जांच से पता चला कि 1,03,486 जल आपूर्ति योजनाएं उन कारणों जिसमें अपर्याप्त अनुरक्षण शामिल था, के कारण अक्रियाशील हो गयी थी।

यद्यपि, बस्तियों में अविरत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ओएंडएम अनिवार्य हैं, आवंटित निधियों का उपयोग न होना और ओएंडएम गतिविधियों के प्रबंधन में कमियां जल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन में पीआरआई के अपर्याप्त आवेदन में संयोजित हो गई जिससे उसकी प्रभाविकता तथा पर्याप्तता से समझौता किया गया।



मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि नवम्बर 2017 में अनुमोदित कार्यक्रम को पुनर्चिंतन करने पर अक्रियाशील योजनाओं की समस्या के बारे में बताया जाएगा क्योंकि वह तृतीय दल सर्वेक्षण के मध्यम से कार्यशील होना पाई गई पूर्ण पाइप

द्वारा जल योजनाओं की प्रतिशतता के साथ निधियों के 25 प्रतिशत आवंटन से सम्बद्ध होता है।

#### 4.6 स्लिप-बैंक बस्तियों का बना रहना

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम पर सी एंड एजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2008 की सं.12) में पूर्ण रूप से आंशिक रूप तक कवर बस्तियों के स्लिप-बैंक की समस्या को उजागर किया गया था। मंत्रालय ने यह बताते हुए कि फिसलन अपरिहार्य थी, सूचित किया था कि उसने स्थायित्व पर केन्द्रित करके अपनी नीति को संशोधन किया ताकि फिसलन की घटना को कम किया जा सके। पीएसी ने 2011-12 के प्रतिवेदन सं. 35 में अनुशंसा की थी कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब बस्तियां और स्लिप-बैंक न हो, राज्यों पर दबाव डालना चाहिए। तथापि, 2012-2017 की अवधि के दौरान 4.76 लाख बस्तियां स्लिप-बैंक हो गए थे। इस अवधि के दौरान निवासस्थान का चार्ट-4.8 में दिया गया है।

चार्ट-4.8




स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

यह स्पष्ट है कि स्लिप-बैंक बस्तियों की घटना निरन्तर बनी हुई थी। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखण्ड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल में स्लिप-बैंक बस्तियों की संख्या चिन्हित रूप से अधिक थी। पूर्ण रूप से कवर से आंशिक रूप से कवर श्रेणी के बस्तियों के स्लिपिंग बैंक के कारण भू-जल का अत्याधिक निष्कर्षण होना, गुणवत्ता संबंधित पहलुओं का पता लगाने के लिए अपर्याप्त प्रयास करना, जल स्रोतों की स्थायित्व का अभाव होना तथा जल आपूर्ति योजनाओं का अपर्याप्त/अननुरक्षण करना हैं।

#### 4.7 सहायक गतिविधियां

सहायक गतिविधियों में (i) डब्ल्यूएसएसओ तथा डीडब्ल्यूएसएम द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्ति, (ii) बीआरसी की स्थापना तथा उसे चालू करने के लिए (iii) सहायता जागरूकता सृजन तथा प्रशिक्षण गतिविधियां, (iv) जिला और उपमंडलीय स्तर पर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सहायता देना, (v) राज्यों से संबंधित अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां तथा (vi) एसटीए की नियुक्ति शामिल है। सहायक गतिविधियों के अंतर्गत 2012-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता नीचे चार्ट-4.9 में दी गई है:

चार्ट-4.9: गतिविधियों के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन: 2012-17



स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

इस प्रकार, सहायक गतिविधियों पर व्यय सर्वाधिक रूप से (41 प्रतिशत) प्रशासन तथा स्थापना पर किया गया था तथा कार्यात्मक पहलुओं जैसे आईईसी, प्रशिक्षण तथा आरएण्डडी ने व्यय का बहुत थोड़ा हिस्सा लेखाबद्ध किया था।

#### 4.7.1 सहायक गतिविधि योजना की तैयारी/कार्यान्वयन न होना

सहायक गतिविधियों हेतु ऐसे क्षेत्रों जैसे सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी), प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण से बनने वाली कार्य-योजना आवश्यकता-आधारित होनी चाहिए तथा एसएलएसएससी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पहले या आरंभ में अनुमोदित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक गतिविधियों हेतु कार्य योजनाएं आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम तथा तेलंगाना में या तो तैयार नहीं की गई थी या एएपी में शामिल नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने 19 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना तथा त्रिपुरा) सहायक गतिविधियों के लिए रखी निधियों का कम उपयोग लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में विफलता तथा आर एवं डी गतिविधियों का अभाव भी पाया जैसाकि अनुबंध-4.3 में दिया गया है।

एनआरडीडब्ल्यूपी एक मांग आधारित और समुदाय आधारित कार्यक्रम है जहाँ प्रभावशाली और रचनात्मक सूचना उसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईईसी के प्रशिक्षण तथा क्षमता भवन गतिविधियों के अभाव के परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय में जागरूकता तथा प्रेरणा कम रही जिसने योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग को प्रभावित किया।

#### लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- 773 जीपी में से 666 (86 प्रतिशत) में विशिष्ट पैरामीटरों सहित जल गुणवत्ता जांच के परिणामों को प्रदर्शित नहीं किया गया था तथा 564 जीपी (73 प्रतिशत) को जल संदूषण की चेतावनियां/परिणाम सूचित नहीं किए गए थे।
- 497 जीपी से सूचना, शिक्षा, संचार, मानव संसाधन विकास तथा अन्य जागरूक गतिविधियां कार्यान्वित नहीं की गई थी
- 21,112 (75 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि उनको कोई प्रशिक्षण या जागरूकता लाने वाली आईईसी गतिविधियां कभी भी प्रदान नहीं की गईं।

## 4.8 जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी कार्यक्रम (डब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी) फरवरी 2006 में प्रारंभ किया था उसके पश्चात अप्रैल 2009 से एनआरडीडब्ल्यूपी में शामिल कर दिया गया। मंत्रालय द्वारा फरवरी 2013 में एक एकरूप पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल (यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी) जारी किया गया था। इस प्रोटोकॉल में, राज्यों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को बताता है। इन प्रयोगशालाओं के लिए अवसंरचना, मानवशक्ति तथा जल गुणवत्ता जांच सुविधाओं के संबंध में भी मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

कार्यक्रम निधियों का तीन प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी के संघटक डब्ल्यूक्यूएमएण्डएस के लिए आवंटित किया जाना होता है। इन निधियों का क्षेत्रीय स्तर पर बस्तियों में जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग तथा निगरानी और राज्य, जिला तथा उपजिला स्तरों पर जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उन्नयन हेतु उपयोग किया जाना होता है। निधियों की उपलब्धता और उपयोग अध्याय-III में तालिका- 3.3 में दिए गए हैं।

### 4.8.1 जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाओं, अवसंरचना तथा उपकरण की कमी

सात राज्यों (छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र मेघालय, सिक्किम और उत्तराखण्ड) में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई थी। 20 राज्यों में, जहाँ राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं (एसएलएल) स्थापित की गई थी, 15 के पास एनएबीएल प्रत्यायन था। इसके अतिरिक्त, स्थापित 20 एसएलएल में से ओडिशा स्थित केवल एसएलएल की यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी 78 मानदण्डों की जांच करने की क्षमता थी। नौ<sup>39</sup> एसएलएल में अपेक्षित तकनीकी मानवशक्ति नहीं थी। दस<sup>40</sup> एसएलएल उपर्युक्त संदर्भित प्रोटोकॉल में निर्धारित जांच सुविधाएं तथा अवसंरचना के अनुसार पर्याप्त रूप में उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

<sup>39</sup> आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

<sup>40</sup> आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम नगालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश

उपर्युक्त के अतिरिक्त सभी चयनित राज्यों में, जल गुणवत्ता जांच हेतु अवसंरचना की उपलब्धता जैसे जिला तथा उप मंडलीय स्तरों पर प्रयोगशालाएं, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन, अभिकल्पित पैरामीटरों के साथ प्रयोगशालाओं का अनुपालन और मानवशक्ति और उपकरण की उपलब्धता के संबंध में कमियां पाई गई थी जिससे विस्तृत ब्यौरे **अनुबंध- 4.4** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित भी पाया:

**असम** में, पीएचई मंडल के पास ₹69.96 लाख मूल्य के दो गतिशील प्रयोगशाला जांच अगस्त 2015 से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी थी। **गुजराज** के बडोदरा तथा जूनागढ़ जिलों में ₹0.52 करोड़ की लागत पर प्राप्त (अगस्त 2014) की गई दो गतिशील जल जांच प्रयोगशालाओं को तीन महीने की अल्प अवधि में उपयोग करने के अतिरिक्त चालकों और कैमिस्टों के अभाव में उपयोग में नहीं लाया गया था। **उत्तर प्रदेश** में, एसएलएसएससी ने जल स्रोतों की नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए 10 गतिशील जल जांच प्रयोगशालाओं का अनुमोदन किया (जनवरी 2015)। इस उद्देश्य हेतु ₹5 करोड़ राशि की निधियां जुलाई 2015 में जारी की गई थी लेकिन गतिशील प्रयोगशालाओं को अभी तक प्राप्त किया जाना था (जुलाई 2017)।

**कर्नाटक** में, मार्च 2014 और मार्च 2015 के दौरान ₹92.10 करोड़ की लागत पर 100 ब्लॉक स्तरीय जल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थी। तथापि, इन प्रयोगशालाओं के उचित रूप से कार्य न करने के कारण संबंधित विभाग ने ऐजेंसी जो अप्रैल 2017 में प्रयोगशालाएं चला रही थी, के साथ ठेका निरस्त कर दिया। राज्य में ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं, जल जांच हेतु किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में मई 2017 से पूरी तरह अक्रियात्मक रहीं।

**राजस्थान** में, 165 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं का ठेका मार्च 2016 में समाप्त हो गया था। इनको चलाने के लिए नए ठेके हेतु निविदा प्रक्रिया को अभी अंतिम रूप दिया जाना था (मार्च 2017)। इस प्रकार, ब्लॉक स्तरों पर जल जांच की सुविधा मार्च 2016 से उपलब्ध नहीं है।

जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाओं, अवसंरचना तथा उपकरण के प्रावधान में ऐसे अंतरों ने निर्धारित जल गुणवत्ता जांच करने में व्यापक रूप से कमियां होने में सहयोग दिया जैसाकि निम्न पैरा 4.8.2 में चर्चा की गई है।

#### 4.8.2 जल गुणवत्ता जांच में कमी

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार 100 प्रतिशत स्रोतों की जीवाणु तत्व सम्बन्धी तथा रासायनिक संदूषण दोनों हेतु उपमंडलीय स्तर पर प्रयोगशालाओं में जांच की जानी थी। रासायनिक तथा भौतिक मानदण्डों हेतु वर्ष में एक बार तथा जीवाणु तत्व संबंधी मानदण्डों के लिए मॉनसून से पूर्व तथा पश्चात के महीनों के दौरान एक वर्ष में दो बार जांच की जानी अपेक्षित थी। जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में उप मंडलीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त सकारात्मक जांच नमूनों सहित 10 प्रतिशत नमूनों की जांच करना अपेक्षित था। राज्य प्रयोगशाला को जल नमूनों का नियमित क्रॉस सत्यापन करना था। कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित था कि सभी ग्राम पंचायतों और जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं प्रारंभिक जांच हेतु फील्ड जांच किटों (एफटीके) का उपयोग करेंगी।

नमूना जांच से एक वर्ष के दौरान सभी जल स्रोतों की तीन निर्धारित जांच<sup>41</sup> करने के संबंध में सभी चयनित राज्यों में कमियां प्रकट हुईं। इसके अतिरिक्त मानदण्डों के प्रति तथा नमूना पर अभिकल्पित जांच को निष्पादन के संबंध में कमियां थीं। राज्यों द्वारा कमियों के लिए उन कारणों जैसे प्रयोगशालाओं का कार्य न करना तथा उपकरण, मानवशक्ति तथा निधियों के अभाव को आरोपित किया गया था। विवरण **अनुबंध-4.5** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एफटीके न तो अपेक्षित संख्या में प्राप्त किए गए थे और न ही जो प्राप्त किए गए थे उनका निर्धारित जांच करने में पूर्णतः उपयोग किया गया था। पांच राज्यों में (आन्ध्र प्रदेश, असम, झारखण्ड, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश) ₹6.50 करोड़ मूल्य के 13.25 लाख एफटीके/रिफिल्स का उपयोग नहीं किया गया था तथा उनकी शेल्फ अवधि समाप्त हो गयी थी और किटो/रिफिल्स पर किया गया व्यय निष्फल हो गया।

चयनित राज्यों की नमूना जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

**आन्ध्र प्रदेश:** चयनित जिलों की बस्तियों के जल नमूना जांच रिपोर्टों के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित प्रयोगशालाओं ने स्वच्छ/पेयजल सूचित किया हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार स्वीकार्य अनुज्ञेय

<sup>41</sup> दो जीवाणु तत्व संबंधी (मॉनसून से पूर्व तथा पश्चात) तथा एक रासायनिक जांच

सीमाएं बढ़ गई थी और विभाग ने आबादी को अस्वच्छ जल उपलब्ध कराना जारी रखा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने, **आन्ध्र प्रदेश** के नागार्जुन सागर तथा कडपा क्षेत्रों में यूरेनियम संदूषण की विद्यमानता की पहचान की तथा मंत्रालय को सूचित किया (मार्च 2014)। मंत्रालय ने सुझाव दिया (मार्च 2014) कि यूरेनियम को जांच करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) की सहायता ली जा सकती है। तथापि, पेयजल में यूरेनियम संदूषण की जांच करने के लिए सुविधाओं का सृजन करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी (जुलाई 2017)।

**ओडिशा:** केन्द्रीय भू-जल बोर्ड डाटा के अनुसार 30 जिलों में से 28 में भू-जल नाइट्रेट से संदूषित था। लेकिन प्रयोगशाला अधिदेसात्मक मानदण्डों जैसे नाइट्रेट, आर्सेनिक, अल्कलाइनिटी की जांच नहीं कर रही थी (जनवरी 2017)

### कर्नाटक

भौतिक सत्यापन करने के दौरान यह पाया गया था कि चयनित जिलों में 15 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं में या तो स्टाफ पर्याप्त नहीं थे या प्रशिक्षित नहीं थे। परिणामतः प्रयोगशालाओं ने अभिकल्पित जांच नहीं किए थे तथा उपकरण या तो उपयोग नहीं किए जा रहे थे या क्रियात्मक नहीं थे। यह पाया गया था कि जांच परिणामों को, संबंधित विभागीय प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किए बिना तथा सभी मानदण्डों पर पानी के नमूनों पर जांच किए बिना आईएमआईएस पर अपलोड किया जा रहा था। इन प्रयोगशालाओं द्वारा संदूषित सूचित किए गए नमूना में से कोई भी पुनः जांच हेतु जिला प्रयोगशालाओं को नहीं भेजा गया था। विभागीय प्राधिकारियों ने बस्तियों को संदूषित रूप में मानने से पहले पुनः जांच के लिए जोर नहीं डाला तथा बस्तियों में निर्माण कार्य करना आरंभ कर दिया। परिणामतः जल गुणवत्ता जांच की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा बस्तियों को गुणवत्ता प्रभावित के रूप में घोषित करना दोषपूर्ण था।

विभाग ने उपर्युक्त उल्लिखित अनियमितताओं पर एजेंसी के साथ ठेका निरस्त कर दिया (अप्रैल 2017)। परिणामतः राज्य में ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं, जल-जांच हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध किए बिना मई 2017 से पूर्ण रूप से अक्रियात्मक रही।



जल स्रोतों की निर्धारित जांच में कमियों ने बस्तियों तथा परिवारों को संदूषित जल की आपूर्ति के जोखिम को बढ़ा दिया तथा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कार्यक्रम उद्देश्य को नष्ट कर दिया था।

#### 4.8.3 जल गुणवत्ता जांच की समीक्षा न होना।

एकरूप पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल के अनुसार, राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं का कार्यान्वयन विभाग के कार्यकारी अभियंता को प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट करने वाले मुख्य रसायनज्ञ का अध्यक्ष होना अपेक्षित था। मुख्य रसायनज्ञों को जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग हेतु एक नीति बनाने के योग्य करने के लिए जल गुणवत्ता जांच रिपोर्टों की वार्षिक समीक्षा का कार्य करना था। तथापि, 20 राज्यों में (आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश) मुख्य रसायनज्ञ द्वारा विभिन्न स्तरीय प्रयोगशालाओं की जल गुणवत्ता जांच रिपोर्टों की ऐसी कोई वार्षिक समीक्षा नहीं की गई थी।

#### 4.9 लेखापरीक्षा सारांश

प्रदेय जिन्हें 2017 तक प्राप्त किए जाने थे, को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य फोकस तथा प्राथमिकता की कमी के परिणामस्वरूप उनको प्राप्त नहीं किया गया। दिसम्बर 2017 तक सभी ग्रामीण बस्तियों, सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ियों को कवर करने के लक्ष्य के प्रति स्वच्छ पेयजल केवल 44 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों तथा 85 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी को ही उपलब्ध कराया जा सका। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2017 तक 50 प्रतिशत परिवारों/जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने (55 एलपीसीडी) तथा कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घर के कनेक्शन देने के प्रदेय कार्यक्रम के प्रति दिसम्बर 2017 तक वास्तविक उपलब्धि क्रमशः केवल 18.4 प्रतिशत तथा 16.8 प्रतिशत थी। ऐसे निर्माणकार्य विशेषरूप से एक बार सौंपे गए निर्माणकार्यों के अनवरुद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उचित स्थल जांच अनिवार्य हो, के कार्यान्वयन से संबंधित संहिता प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माणकार्य अपूर्ण, छोड़ दिए गए या अक्रियात्मक रहे। ऐसी कमियों की वित्तीय विवक्षा के साथ ठेका प्रबंध में उपकरण तथा अंतरों पर अनुत्पादकारी व्यय ₹2,212.44 करोड़ परिकल्पित किया गया था।

कार्यान्वयन प्राधिकरण भी जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर पर्याप्त ध्यान देने में विफल रहे तथा न्यूनीकरण उपायों जैसे समुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र को प्रबन्ध करने में भारी कमियां थीं। स्थायित्व संघटक के मामले में कई राज्यों में योजनाएं नहीं बनाई गई थी तथा इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित नहीं की गई थी। ओ एंड एम, जो बस्तियों में अविरत जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, अपर्याप्त था तथा उसकी पीआरआई द्वारा व्यवस्था नहीं की जा रही थी। जल आपूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता, स्थायित्व तथा अनुरक्षण के संबंध में अपर्याप्त प्रयासों के परिणामस्वरूप बस्तियों के स्लिप-बैक का प्रभाव अधिक होना जारी रहा।

इस प्रकार, अधिक परिव्यय तथा विस्तृत तंत्र प्रदान करने के बावजूद कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अंतर रहे जिसने स्थायित्व आधार पर पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल प्रबन्ध करने के लक्ष्यों तथा कार्यक्रम प्रयोजना की प्राप्ति को प्रभावित किया।

## अध्याय-V मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

### 5.1 प्रस्तावना

कार्यक्रम संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन आवश्यक है ताकि योजनाबद्ध समय-सीमा के भीतर अनुमानित आउटपुट और परिणाम प्राप्त किए जा सकें। चूंकि सरकारी कार्यक्रम लंबी अवधि और विभिन्न स्तरों पर निष्पादित होते हैं, इसलिए एक मजबूत और प्रभावी कार्यक्रम मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली होना अति आवश्यक है।

कार्यक्रम के दिशानिर्देश सभी स्तरों पर अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और सामुदायिक स्तर पर मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए विस्तृत ढांचा प्रदान करते हैं, जैसाकि चार्ट -5.1 में दिया गया है।

### चार्ट-5.1: मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन की संरचना



स्रोत: कार्यक्रम दिशानिर्देश

### राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

## 5.2 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

मंत्रालय ने "एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)" को वेब आधारित सूचना प्रणाली के रूप में विकसित किया है, जिसमें ग्रामीण बस्तियों, स्कूलों और आंगनवाड़ी के कवरेज सहित कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न घटकों की प्रगति पर नजर रखने के लिए संपूर्ण भारत में सभी स्तरों पर अधिकारियों को सक्षम बनाया है। आईएमआईएस का उद्देश्य भी उचित रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना और कार्यान्वयन को पारदर्शी बनाने के साथ ही कार्यक्रम की योजना और मॉनीटरिंग की सुविधा प्रदान करना है।

आईएमआईएस की कार्यप्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) मंत्रालय के लिए मुख्य तकनीकी सलाहकार है। केंद्रीय स्तर पर, एनआईसी केंद्रीय डाटाबेस के प्रबंधन का प्रभारी है तथा सभी सॉफ्टवेयर के विकास तथा प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। आईएमआईएस परियोजना को लागू करने में एनआईसी की राज्य स्तरीय इकाइयां एसएलएसएससी की सहायता करती हैं। राज्य सरकारों को सभी स्तरों अर्थात् अनुमंडल, जिला तथा राज्य स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराना था। इसके अतिरिक्त, एक राज्य आईटी नोडल अधिकारी को जिले द्वारा प्रस्तुत डाटा की नियमितता और शुद्धता के संबंध में निरीक्षण के लिए, नियुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान आईएमआईएस डाटाबेस की समीक्षा की गई तथा मुख्य अभियुक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में की गई है:

### 5.2.1 राज्यों द्वारा सहायता की कमी

लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राज्य आईटी नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों अर्थात् गोवा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आईएमआईएस में दर्ज डाटा के प्रमाणन और सत्यापन के लिए कोई तंत्र नहीं था। नोडल अधिकारियों और डाटा प्रमाणीकरण तथा सत्यापन तंत्र के अभाव में, प्रणाली में दर्ज डाटा में भिन्नता तथा अशुद्धि के कई उदाहरण लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि राज्यों को डाटा विसंगतियां सुधारने के लिए कहा जाएगा।

### 5.3 आईएमआईएस डाटाबेस का विश्लेषण

आईएमआईएस प्रणाली मुख्य रूप से राज्यों और जिलों में उपयोगकर्ताओं द्वारा कार्यान्वयन पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर देश भर में दर्ज किए गए डाटा पर आधारित है। डाटा रूझान तथा बाहरी कारकों के साथ डाटा में असंगतता तथा अशुद्धियों की पहचान करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आईएमआईएस डाटा का आईएमआईएस<sup>1</sup> के डंप डाटा पर डाटा विश्लेषिकी टूल्स<sup>2</sup> के उपयोग द्वारा केन्द्रीय स्तर पर विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, आईएमआईएस डाटा की तुलना विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा रखे गए भौतिक दस्तावेजों से की गयी। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने निम्नलिखित को प्रकट किया:

#### 5.3.1 डाटा विसंगतियां और सत्यापन नियंत्रण का अभाव

- अमान्य संस्वीकृति-वर्ष अर्थात योजना के प्रारंभ से पहले के वर्षों तथा चालू वर्ष 2017-18 से बाद के वर्ष को 6,494 योजनाओं के मामले में 'संस्वीकृति वर्ष' के अंतर्गत दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, 1,80,347 योजनाओं के मामले में संस्वीकृति वर्षों के प्रति "जात नहीं" दर्ज किया गया था। इस प्रकार, योजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रति डाटा या तो प्रदान नहीं किया गया था या एक मॉनीटरिंग टूल के रूप में आईएमआईएस के महत्व को कम करने वाले कई मामले त्रुटिपूर्ण थे।
- कुल 71,58,386 योजनाओं में से, 3,27,086 योजनाओं के मामले में समाप्ति की तिथि को स्वतंत्रता से पूर्व की तिथियों के रूप में दर्ज किया गया था। इन 3,27,086 योजनाओं में से, 1,02,753 योजनाओं में दर्ज की गयी संस्वीकृति वर्ष 2001-02 से पहले की थी तथा 79,003 योजनाओं में 2001-02 या उसके बाद की थी। इस प्रकार आईएमआईएस समाप्ति की तिथियों की प्रविष्टि की अनुमति दे रहा था जो संस्वीकृति वर्ष से पहले के थे। शेष 1,45,330 योजनाओं में, संस्वीकृति वर्ष "जात नहीं" के रूप में दर्ज किया गया था। 244 योजनाओं के मामले में, समाप्ति का वर्ष 31 मार्च 2030 के बाद का था।

<sup>1</sup> अगस्त 2017 में, डाटाबेस डंप एसक्यूएल सर्वर 2012 में पुनर्स्थापित किया गया था तथा आईएमआईएस डाटाबेस के प्रासंगिक सारणी का विश्लेषण किया गया था।

<sup>2</sup> एसक्यूएल सर्वर और कंप्यूटर सहायक लेखापरीक्षा टूल जैसे टेबल्यू, एक्सेल, आदि।

- 1,055 योजनाओं के मामले में, यद्यपि 31 मार्च 2017 तक का डाटा प्रस्तुत किया गया था, दर्ज की गई योजनाओं की समाप्ति तिथियां 01 जनवरी 2018 को या उसके बाद की थीं। इनमें से, 27 योजनाओं में प्रारंभ की तिथि 01 अप्रैल 2019 तथा 31 मार्च 2020 के बीच दर्शायी गयी थी तथा 94 योजनाओं में प्रारंभ की तिथि 01 अप्रैल 2025 से बाद की दर्शायी गयी थी। 13,16,258 योजनाओं के मामले में, प्रारंभ की तिथि तथा समाप्ति की तिथि एक ही दर्शाई गई थी, जो प्रणाली में उचित सत्यापन जांच की अनुपस्थिति दर्शाती है। मंत्रालय ने बताया कि स्पॉट स्रोतों के लिए, प्रणाली प्रारंभ होने तथा समाप्ति की तिथि को एक ही होने की अनुमति देता है क्योंकि इन योजनाओं को एक दिन के भीतर पूरा किया जा सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्धृत मामलों में 'स्पॉट' योजनाओं के अलावा अन्य योजनाएं भी शामिल हैं।
- 9,039 योजनाओं के लिए, समाप्ति की तिथि को प्रारंभ होने की तिथि से पहले दर्ज किया गया था, जो प्रणाली में गलत डाटा प्रविष्टियां दर्शाती है। मंत्रालय ने बताया कि डाटा को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सही किया जाना है तथा एनआईसी ने अब डाटा के लिए सर्वर साईड वैधता को कार्यान्वित किया है जो बैक-एंड के माध्यम से आयात किया जा रहा है।
- बस्ती प्रोफाइल डाटा में, पानी की गुणवत्ता की स्थिति को स्वच्छ दर्शाया गया है, जबकि स्रोत/वितरण बिंदु रिपोर्ट में, पीने (बिहार और कर्नाटक) के लिए उपयुक्त नहीं दर्शाया गया है।
- आईएमआईएस डाटा में असंगतता के उदाहरण जैसे कि जल आपूर्ति स्रोतों की संख्या में भिन्नता (प्रारूप बी-6 तथा बी-28), टैंकों की आपूर्ति के प्रति व्यय, भौतिक स्थिति 'शून्य' थी (प्रारूप सी-31), 2015-17 के दौरान रासायनिक और जीवाणु प्रभावित बस्तियों पर निर्धारित व्यय में अंतर (प्रारूप डी-1 और डी-8ए) पाया गया था तथा विवरण अनुबन्ध 5.1 में दिया गया है।

उपरोक्त डाटा विसंगतियां सत्यापन नियंत्रणों की कमी का संकेत देती हैं जिसने गलत प्रविष्टियों को योजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्वीकार करने की अनुमति दी तथा त्रुटिपूर्ण एमआईएस रिपोर्ट तैयार की गई।

### 5.3.2 फील्ड रिकार्ड के साथ आईएमआईएस के डाटा में भिन्नता

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएमआईएस में उपलब्ध डाटा, फील्ड रिकार्ड से प्राप्त डाटा से मेल नहीं खाते थे। इन विसंगतियों को महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि योजनाओं की संख्या; गैर-कार्यात्मक योजनाओं की संख्या; गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां; सामुदायिक जल शुद्धिकरण प्लांटों की उपलब्धता तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए पाया गया। विभिन्न राज्यों से संबंधित असंगत डाटा के उदाहरण **अनुबंध-5.2** में दिए गए हैं।

### बिहार

- भबुआ जिले में, 2012-17 के दौरान संस्वीकृत दो योजनाओं में से 17 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को शामिल किया गया था, केवल दो बस्तियों को शामिल करने वाली एक योजना पूरी हो चुकी थी लेकिन आईएमआईएस डाटा में 34 बस्तियों को दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, आईएमआईएस डाटा के अनुसार, जिले में आयरन संदूषण के अंतर्गत कोई बस्ती/आबादी नहीं थी लेकिन फील्ड में प्राप्त डाटा ने 239 जल स्रोतों को आयरन संदूषण से प्रभावित दर्शाया।
- सारन जिले में, 2012-17 के दौरान संदूषण से प्रभावित 85 स्रोत थे। 2013-14 के दौरान, छह स्रोतों में जीवाणु संबंधी संदूषण पाया गया। यद्यपि, आईएमआईएस डाटा के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार के संदूषण के अंतर्गत कोई बस्ती/आबादी नहीं थी।
- मुजफ्फरपुर जिले में, 2012-17 के दौरान आयरन संदूषण से 201 जल स्रोत प्रभावित थे। यद्यपि, आईएमआईएस डाटा के अनुसार, जिले में आयरन या किसी अन्य संदूषण के अंतर्गत कोई बस्ती/आबादी नहीं थी।
- नवादा जिले में, 113 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को शामिल करने के लिए तीन योजनाएं 2012-17 के दौरान संस्वीकृत की गई थी जिनमें से दो बस्तियों को शामिल करने वाली एक योजना पूरी हो चुकी थी। यद्यपि आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 32 बस्तियों को कवर किया गया था। इसके अतिरिक्त, संबंधित मंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार, 2012-17 के दौरान 272 बस्तियां फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित हुई थीं। यद्यपि, आईएमआईएस डाटा के अनुसार, केवल 96 बस्तियों में फ्लोराइड संदूषण होने की रिपोर्ट की गई थी।
- आईएमआईएस डाटा के अनुसार समस्तीपुर जिले में, 1 अप्रैल 2012 की पांच बस्तियां फ्लोराइड संदूषण से ग्रसित थी तथा इस तथ्य, कि भू-जल में फ्लोराइड संदूषण हटाने के लिए कोई योजना संस्वीकृत तथा निष्पादित नहीं की गई थी, के बावजूद 31 मई 2017 को फ्लोराइड संदूषण के रूप में कोई बस्ती नहीं दर्शाई गई थी। मंडल द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार 15,549 स्रोतों में से 2012-17 के दौरान 2,825 स्रोत आयरन प्रभावित थे, चार स्रोत नाइट्रेट प्रभावित थे तथा 812 स्रोत आर्सेनिक प्रभावित थे। तथापि, आईएमआईएस डाटा ने 186 बस्तियां आर्सेनिक संदूषण से ग्रसित दर्शाई गई थी।

### गुजरात

10 चयनित जिलों में 2015-17 के दौरान जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षित किए गए 77,064 नमूनों में से 10,913 नमूने (14 प्रतिशत) फ्लोराइड, नाइट्रेट, अल्कानिटी, कठोरता आदि विद्यमान होने के कारण पीने के लिए अनुपयुक्त पाए गए थे। तथापि, ये रिपोर्टें आईएमआईएस में प्रविष्ट नहीं की गई थी।



#### 5.4 मूल्यांकन अध्ययन

किसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन, मध्य अवधि संशोधन करने तथा दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन कार्यनीतियों को पुनः बनाने हेतु निष्कर्ष तैयार करने के लिए, आवश्यक है। एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यक्रम दिशानिर्देशों में मंत्रालय द्वारा किए गए आवधिक मूल्यांकन अध्ययन को समाहित किया गया है। राज्य सरकारों को भी इसी तरह के मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता थी जिसके लिए मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रस्तावित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने 2012-17 के दौरान पांच मूल्यांकन अध्ययन कराए थे अर्थात् (i) बिहार में आरडीडब्ल्यूएस योजना की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन (सितम्बर-अक्तूबर 2014) (ii) डब्ल्यूक्यूएमएस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन (अगस्त 2014), (iii) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत निर्मित ढांचो की स्थिरता के प्रभाव का मूल्यांकन, (iv) आरडब्ल्यूएसएस के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर हाइड्रो जियो मॉर्फोलोजिकल (एचजीएम) मानचित्रों के उपयोग तथा प्रभाव का मूल्यांकन (सितम्बर 2013), तथा (v) महाराष्ट्र में ग्रामीण जल आपूर्ति की स्थिति (2015)।

इन अध्ययनों से प्रकट होने वाले मुख्य अभियुक्तियों में ग्राम जल तथा स्वच्छता समितियों का गठन न करना, विद्यालय तथा आंगनवाड़ियों के कवरेज की कमी, योजनाओं का गैर-कार्यात्मक होना, पाइप जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा जनसंख्या का कम कवरेज करना, संदूषित भू-जल की विद्यमानता, जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु एफटीके का अपर्याप्त उपयोग, स्रोत स्थिरता ढांचो हेतु उपयुक्त स्थल का पता लगाने के लिए हाइड्रो जियो मॉर्फोलोजिकल मानचित्रों का उपयोग न होना तथा नियोजन प्रक्रिया तथा आईईसी गतिविधियों का कम होना भी शामिल थे। प्रत्येक मूल्यांकन अध्ययन में पाई गई कमियों/त्रुटियों को बताते हुए अनुशंसाओं को शामिल किया गया था। मूल्यांकन अध्ययन पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि चूँकि ये रिपोर्टें राज्य केन्द्रीत थीं, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट, मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया है। तथापि, इन अध्ययनों पर की गई कार्रवाई के परिणाम को मॉनीटर नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि उपर्युक्त अध्ययन या तो मुद्दा विशिष्ट थे या राज्य केन्द्रीत थे तथा मंत्रालय द्वारा एनआरडीडब्ल्यूपी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों को कवर करते हुए कार्यक्रम का कोई व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ओडिशा तथा तमिलनाडु को छोड़कर किसी भी चयनित राज्य ने मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था।

#### भारतीय गुणवत्ता परिषद की रिपोर्ट

5 दिसम्बर 2016 से 5 जनवरी 2017 की अवधि के दौरान भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल आपूर्ति की गुणवत्ता की कार्यपद्धति, स्थायित्व, लोक धारणा तथा दृश्य पर्यवेक्षण का निर्धारण तथा मूल्यांकन किया। सर्वेक्षण में 2009 से 2016 के दौरान पूर्ण की गई पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं को कवर किया गया था। सर्वेक्षण में 29 राज्यों के 580 जिलों के 5,610 गांवों के, 4,332 योजनाओं (एकल तथा बहु-ग्राम दोनों) को शामिल किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष ये थे

- 696 गांवों में 455 योजनाएं (10.5 प्रतिशत) मौजूद नहीं थी।
- 526 गांवों में 348 योजनाएं (आठ प्रतिशत) अक्रियाशील थी।
- 526 गांवों में जहाँ योजनाएं अक्रियाशील पाई गई थी वह अवसररचना पम्पिंग प्रणाली तथा पाइप लाइनों (38 प्रतिशत) की विफलता तथा स्रोतों के सूखने (19 प्रतिशत) के कारण थी।
- सर्वेक्षित गांवों के 57 प्रतिशत गांवों में 50 एलपीसीडी या अधिक की पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं थी।
- 4,387 गांवों, जिनमें योजना कार्यशील थी, में से 782 (18 प्रतिशत) गांवों में एक वर्ष में 20 दिनों तक जलापूर्ति बाधित रही।
- योजनाएं कार्यशील होने वाले सर्वेक्षित गांवों के 22 प्रतिशत गांव में जल आपूर्ति 2 घंटे से कम थी।

#### 5.5 राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर

राष्ट्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग करना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियोजित/संचालित कार्यक्रमों की स्वतंत्र मॉनीटरिंग करने की एक व्यापक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर (एनएलएम), कार्यक्रम कार्यान्वयन और सृजित परिसम्पत्तियों का सत्यापन तथा कर्मचारियों और ग्रामवासियों के साथ पारस्परिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए

#### राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

जिलों का दौरा करते हैं। वर्तमान मानदण्डों के अनुसार त्रैमासिक दौरे करने होते हैं और प्रत्येक दौरे में लगभग 150 जिलों को कवर किया जाना होता है जिससे देश में एक वर्ष में सभी जिलों को कवर किया जा सके। उनके निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दिए गए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है।

2012-17 की अवधि के दौरान एनएलएम ने एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 6,995<sup>3</sup> ब्लॉकों के 24,420 गांवों का दौरा किया। एनएलएम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में स्वच्छ जल स्रोतों की अनुपलब्धता/अपर्याप्त जल उपलब्धता, मौसमी परिवर्तनों द्वारा प्रभावित जल स्रोतों, जल आपूर्ति योजनाओं के घटिया संचालन तथा अनुरक्षण, जल स्रोतों के क्रियाशील न होने, गांवों में खराब किस्म के पानी की आपूर्ति, जल गुणवत्ता जांच तथा स्थायित्व, जल आपूर्ति प्रबंधन तथा स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पेयजल की अनुपलब्धता से संबंधित मुद्दों को उजागर किया गया है। यह पाया गया था कि मंत्रालय ने इन रिपोर्टों पर अक्टूबर-नवम्बर 2014 के दौरान आयोजित एनएलएम की पारस्परिक कार्यशालाएँ जिसके उत्तर राज्यों से प्रतीक्षित थे, पर आधारित राज्यों से अनुपालन प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं की थी।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त पूर्व एनएलएम ग्रामीण विकास योजनाओं तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं दोनों को कवर कर रहे थे। तथापि मंत्रालय ने अब एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की जांच करने तथा मंत्रालय को फीड-बैक देने के लिए पृथक रूप से एनएलएम की नियुक्ति की है। एनआरडीडब्ल्यूपी हेतु एनएलएम की विशिष्ट नियुक्ति सितम्बर 2017 से की गयी है।

इस प्रकार, जब एनएलएम द्वारा दौरे किए गए थे, तो मंत्रालय ने एनएलएम की रिपोर्टों की जांच करने और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं बनाई थी जिसने दौरों के उद्देश्य तथा उपयोगिता को दुर्बल कर दिया। उसने एनएलएम को हाल ही में एनआरडीडब्ल्यूपी के निरीक्षण का विशिष्ट कार्य सौंपना आरंभ किया है।

## 5.6 शिकायत निवारण प्रणाली

<sup>3</sup> 2012-13 की प्रथम छमाही के लिए ब्लॉकों की संख्या उपलब्ध नहीं थी।

मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति पर नागरिकों को उनकी शिकायत दर्ज करने हेतु एक वेब-आधारित जन शिकायत निवारण पोर्टल आरंभ किया गया। प्रत्येक शिकायत के प्रति की गई कार्रवाई को प्रणाली द्वारा दर्ज करके प्रदर्शित किया जाता है। 1 सितम्बर 2017 को मंत्रालय द्वारा जल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता से संबंधित प्राप्त 855 शिकायतों में से 402 शिकायतों को कार्रवाई करने के उपरांत बन्द कर दिया था।

जांच हेतु आरंभ किए गए 52 शिकायत मामलों में से यह देखा गया था कि 23 मामलों (44 प्रतिशत) में शिकायत को दूर करने के लिए कार्रवाई आरंभ करने में पांच वर्षों से अधिक का समय लिया गया। इसके अतिरिक्त, शिकायतों का निपटान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी तथा 25 अक्टूबर 2017 को 409 शिकायतें 30 दिनों से अधिक समय तक लम्बित थीं।

कार्यक्रम दिशानिर्देशों में मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों द्वारा कम्प्यूटरीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करने की व्यवस्था थी। यह पाया गया कि 15 राज्यों आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा तमिलनाडु में ऐसा शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया गया।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि वह प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु राज्यों के संबंधित प्राधिकरण को भेजता है क्योंकि यह कार्य करने की अंतिम जिम्मेदारी उनके पास ही होती है।

#### असम

₹3.11 करोड़ की लागत से एक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई थी जिसमें एक वर्ष की संचालन लागत शामिल थी। फर्म ने एक वर्ष तक प्रणाली की स्थापना तथा संचालन करने के पश्चात् डब्ल्यूएसएसओ को प्रणाली लेने का अनुरोध किया (नवम्बर 2014) भौतिक जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि शिकायत निवारण प्रणाली कार्यशील नहीं थी। निदेशक, डब्ल्यूएसएसओ ने बताया (अगस्त 2017) कि स्टाफ की कमी तथा सेवा संभरक अर्थात् बीएसएनएल इंटरनेट कनेक्टिविटी के बंद होने के कारण प्रणाली दिसम्बर 2016 से क्रियाशील नहीं थी।

## 5.7 जिला स्तर पर क्षेत्रीय निरीक्षणों के लिए विशेषज्ञ दल का गठन न किया जाना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों<sup>4</sup> में अनुबद्ध है कि डीडब्ल्यूएसएम विशेषज्ञ दल का गठन करेगा जो विभिन्न ब्लॉकों में अक्सर कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। ऐसी समीक्षा एक तिमाही में कम से कम एक बार की जाएगी। निरीक्षण जांच तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे कि जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी कार्यक्रम मानदण्डों के अनुसार कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा समुदाय को भी एफटीके का उपयोग करके जल नमूनों के विश्लेषण में शामिल किया गया है।

23 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तथा उत्तराखंड में, डीडब्ल्यूएसएम ने यह जांच तथा सुनिश्चित करने के लिए कि जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी कार्यक्रम दिशानिर्देशों में किए गए विचार के अनुसार कार्यान्वित किया गया था, किसी विशेषज्ञ दल का गठन नहीं किया था। छत्तीसगढ़ में यद्यपि दो जिलों में विशेषज्ञ दल का गठन किया बताया गया था लेकिन उसकी पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे।

## 5.8 एसडब्ल्यूएसएम द्वारा कार्यक्रम की अपेक्षित समीक्षा करने में विफलता

कार्यक्रम दिशानिर्देशों में अनुबद्ध है कि एसडब्ल्यूएसएम जिले में छः माह में एक बार कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। 17 राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में एसडब्ल्यूएसएम ने कार्यक्रम की कोई समीक्षा नहीं की।

आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तेलंगाना में यद्यपि यह बताया गया था कि समीक्षा बैठकें छः माह में एक बार की गई थीं लेकिन बैठकों के कार्यवृत्त नहीं बनाए गए थे। असम में आवधिक समीक्षा बैठकें, जिलों की बजाए मंडलीय प्रतिनिधियों के साथ राज्य मुख्यालय में की गई थी। त्रिपुरा में एसडब्ल्यूएसएम ने, कार्यक्रम की समीक्षा प्रत्येक वर्ष दो बार की बजाय एक बार ही की थी।

<sup>4</sup> अनुबंध-III। जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग एवं निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएस) रूपरेखा का पैरा 8

## 5.9 सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समिति का गठन न किया जाना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च की जा रही विशेष रूप से प्रचुर सार्वजनिक निधियों के संदर्भ में व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य, जिला<sup>5</sup> तथा ग्राम स्तरों पर सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समितियों (वीएमसी) का गठन किया जाना होता है। एनआरडीडब्ल्यूपी सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में समितियों की कार्यप्रणाली में संसद सदस्यों राज्य विधान सभा तथा पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित लोक प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आशा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र<sup>6</sup>, मणिपुर<sup>7</sup>, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम और तेलंगाना में न तो राज्य स्तर और न ही ग्राम स्तर पर वीएमसी का गठन किया गया था। नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश (3), अरुणाचल प्रदेश (3), असम (3), हिमाचल प्रदेश (2), कर्नाटक (1), महाराष्ट्र (3), मेघालय (2), नागालैंड (3) तथा सिक्किम (1) में चयनित 21 (53 में से) जिलों में जिला स्तर वीएमसी गठित नहीं की गई थी।

## 5.10 सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव

सामाजिक लेखापरीक्षा, प्रदान की गई सेवाओं के लिए लाइन विभाग की प्रदत्त सेवाओं की परिभाषा के अवबोधन तथा लाभार्थियों की संतुष्टि स्तर की अनुभूति के बीच के अंतर को कम करने में सहायता करती है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों में सामुदायिक संगठनों जैसे जीपीएसडब्ल्यूसी, वीडब्ल्यूएससी तथा यूजर्स ग्रुपों द्वारा प्रत्येक छः माह में एक निर्धारित तिथि को एक सामाजिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य विनिर्देशनों के अनुसार है तथा उपयोग की गई निधियां लिए गए निर्माणकार्यों के अनुरूप हैं, करने की व्यवस्था है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 23 राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,

<sup>5</sup> ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2016 के पत्र के अनुसार जिला विकास समन्वयन और मॉनीटरिंग समिति (दिशा) को हटाकर जिला सतर्कता तथा मॉनीटरिंग समिति कर दिया है।

<sup>6</sup> चयनित 54 जीपी में से 33 में ग्राम स्तर वीएमसी गठित नहीं की गई थी।

<sup>7</sup> विभाग ने बताया कि एसएलवीएमसी विद्यमान है। तथापि, संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

### 5.11 मॉनीटरिंग तथा जांच यूनिट की स्थापना न करना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि राज्य मुख्यालयों में आवश्यक सहायक स्टाफ सहित विशेष मॉनीटरिंग सैल तथा जांच यूनिट स्थापित किए जाएं। मॉनीटरिंग यूनिट निष्पादन एजेंसियों से सूचना एकत्र करने, डाटा अनुरक्षण तथा केन्द्र सरकार को निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन निर्धारित डाटा के सामयिक प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। यूनिट क्षेत्रीय स्तर पर जल की गुणवत्ता के पहलुओं, सेवा की पर्याप्तता तथा कार्यक्रम के अन्य संबंधित गुणात्मक पहलुओं की मॉनीटरिंग हेतु भी उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 राज्यों, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु<sup>8</sup>, तेलंगाना तथा उत्तराखंड में मॉनीटरिंग सैल तथा जांच यूनिटों की स्थापना नहीं की गई थी। उत्तर प्रदेश में, यूनिट, चार संस्वीकृत पदों के प्रति एक कर्मचारी से कार्य कर रही थी।

मॉनीटरिंग समितियों के अभाव या अपर्याप्त कार्यप्रणाली, कार्यक्रम के त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग का सूचक था।

### 5.12 लेखापरीक्षा सांराश

कार्यक्रम के प्रभावशाली मॉनीटरिंग हेतु एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय द्वारा प्रकल्पित प्रमुख साधन थी। तथापि, आईएमआईएस डाटा तथा तदनुरूपी मैनुअल डाटा के बीच बेमेल के साथ आईएमआईएस डाटा असंगत तथा गलत था इसने वास्तविक मॉनीटरिंग हेतु अर्थपूर्ण प्रबंधन साधन के रूप में उसकी उपयोगिता को क्षीण कर दिया।

इसके अतिरिक्त, राज्य जिला तथा ग्राम स्तरों पर प्रभावशाली मॉनीटरिंग तथा शिकायत निवारण हेतु संस्थागत तंत्र खराब तथा अपर्याप्त थे। शिकायत निवारण तंत्र सही नहीं थे और राज्यों में विशेषज्ञ दल का गठन नहीं किया गया था।

<sup>8</sup> टीडब्ल्यूएडी बोर्ड में ईडीपी प्रबंधक के नियंत्रणाधीन ईडीपी विंग विभिन्न डाटा एकत्र करके आईएमआईएस में अपलोड कर रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान न तो मंत्रालय और न ही राज्यों ने कार्यक्रम का व्यापक मूल्यांकन किया था। परिणामतः कार्यक्रम से प्राप्त प्रभाव तथा परिणाम बिना मूल्यांकन के रहे।



## अध्याय-VI निष्कर्ष एवं अनुशासन

कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण जनसंख्या को स्थायित्व आधार पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। 12<sup>वीं</sup> योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों, विद्यालयों और आंगनवाड़ियों को 2017 तक स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का था जिसके प्रति वास्तविक प्राप्ति बस्तियों को कवर करने की केवल 44 प्रतिशत और विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के लिए 85 प्रतिशत थीं। अप्रैल 2017 तक योजना में 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों/जनसंख्या को पाइप द्वारा पीने योग्य पेयजल (55 एलपीसीडी) को प्रदान करने और कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर भी जोर डाला था। हालांकि, इन प्रदेशों के प्रति वास्तविक प्राप्ति (दिसम्बर 2017) क्रमशः केवल 18.4 प्रतिशत और 16.8 प्रतिशत थी।

अधिकतर राज्यों द्वारा जल सुरक्षा योजनाओं या व्यापक वार्षिक कार्य योजनाओं को नहीं बनाने के कारण योजना और वितरण रूपरेखा त्रुटिपूर्ण थी। सर्वोच्च स्तरीय राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता परिषद जिसे समन्वय करने और अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, वह निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान निष्क्रिय थी। कार्यक्रम की योजना बनाने और निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण अन्य निकाय जैसे राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य तकनीकी एजेंसी, स्रोत ढूँढने वाली समिति, ब्लॉक संसाधन केन्द्र या तो स्थापित नहीं हुए थे या फिर अपने सौंपे गए कार्यों को निष्पादित नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, कार्यक्रम की योजना बनाने तथा वितरण दोनों में बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसने बाद में कार्यक्रम लक्ष्यों और प्रयोजन की प्राप्ति को प्रभावित किया।

एनआरडीडब्ल्यूपी को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत को बांटकर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, यह पाया गया कि कार्यक्रम हेतु निधियों की उपलब्धता 2013-14 से 2016-17 में कम हो गयी। इसके अतिरिक्त, आवंटित निधियों को भी पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सका। अस्वीकार्य मदों के प्रति ₹358.59 करोड़ की निधियों के विपथन तथा राज्य जल एवं

स्वच्छता मिशनों और कार्य निष्पादन अभिकरणों के पास ₹304.02 करोड़ की निधियों के अवरुद्ध होने के कारण निधियों की कमी में वृद्धि हुई थी।

उचित साइट जांच और आवश्यक वैधानिक एवं कोडल प्रावधानों में निर्धारित रूप से अन्य अनिवार्य मंजूरीयों की सामयिक प्राप्ति में कमी के साथ खराब प्रबंधन तथा ठेकेदारों द्वारा देरी के मामलों में निविदात्मक शर्तों के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय कार्य अपूर्ण, परित्यक्त या अकार्यात्मक होने के साथ ₹2,212.44 करोड़ की समग्र वित्तीय विवक्षा सहित उपकरण पर अनुत्पादक व्यय हुआ था।

जल गुणवत्ता और स्थायित्व आपूर्ति सुनिश्चित करना योजना का एक मुख्य तत्व था। हालांकि, सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र केवल पांच प्रतिशत गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्रदान किया जा सका था तथा स्थायित्व योजनाओं को या तो तैयार/कार्यान्वित नहीं किया गया या फिर वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया था। पृष्ठ जल आधारित योजनाओं पर अपर्याप्त रूप से ध्यान केन्द्रित था और पाइप द्वारा जल योजनाओं सहित बड़ी संख्या में योजनाएं (98 प्रतिशत) भू-जल संसाधनों पर आधारित थीं। इसके अतिरिक्त, परिचालन तथा अनुरक्षण योजनाएं अधिकतर राज्यों में या तो तैयार नहीं थीं या फिर उनमें कमियां थीं जिसके कारण योजनाएं कार्यात्मक नहीं थीं। परिणामस्वरूप, स्लिप-बैक बस्तियों के मामले निरंतर मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त, राज्य/जिला/उप-प्रभाग स्तरीय प्रयोगशालाओं की संख्या में अपेक्षित कमी के कारण जल स्रोतों और आपूर्ति की निर्धारित गुणवत्ता जांचों में कमियां हुई थीं जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का उद्देश्य क्षीण हुआ था।

अंत में, जांच, जागरूकता तथा निगरानी हेतु संस्थागत तंत्र या तो स्थापित नहीं किए गए थे या फिर परिकल्पित तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे एवं समग्र मॉनीटरिंग और निरीक्षण रूपरेखा में प्रभाविकता की कमी थी।

इस प्रकार से 2012-17 की अवधि के दौरान ₹81,168 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भी ग्रामीण बस्तियों का समग्र कवरेज 40 एलपीसीडी पर केवल 8 प्रतिशत और 55 एलपीसीडी पर 5.5 प्रतिशत तक बढ़ा था।

## अनुशंसाएं:


लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर हम निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैं:

- ✓ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कार्यक्रम दिशानिर्देशों में परिकल्पित रूप में योजना बनाने और वितरण हेतु संस्थागत रूपरेखा या तो मौजूद नहीं थी या फिर अधिकतर राज्यों में कार्य नहीं कर रही थीं, मंत्रालय को इन तंत्रों की संभाव्यता तथा व्यावहारिकता की समीक्षा करनी चाहिए ताकि अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- ✓ जल सुरक्षा योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं को सामुदायिक भागीदारी के साथ तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं सामुदायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित हो और जल संसाधनों का सर्वोत्तम और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- ✓ मंत्रालय को ब्लॉक और गांव स्तरों पर क्षमता निर्माण/आईईसी को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि वह योजना एवं कार्यक्रम की योजना बनाने, प्रबंधन और मॉनीटरिंग में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए तैयार तथा सशक्त हो।
- ✓ योजना में राज्य विशिष्ट पहलू और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और इसके प्रति मंत्रालय को राज्य विशिष्ट नीति रूपरेखा और वार्षिक कार्य योजना को तैयार करने के लिए एक वास्तविक समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसे मंत्रालय द्वारा मॉनीटर भी किया जा सके।
- ✓ कार्यक्रम हेतु संसाधनों का आवंटन गत्यात्मक होना चाहिए और प्रत्येक घटक के अंतर्गत आवश्यकताओं और उपलब्धियों के स्पष्ट मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।
- ✓ योजनाओं और स्कीम को तकनीकी और सतत पहलुओं का विधिवत रूप से निरीक्षण करने के पश्चात ही अनुमोदन प्रदान करना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी मंजूरीयां ली जा चुकी हैं ताकि कार्यो/योजनाओं का निष्पादन बिना रुके हुए सुनिश्चित किया जा सके।
- ✓ प्रभावी कार्यो तथा अनुबंध प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि संविदात्मक शर्तों के अनुसार कार्य समय पर पूरे किए जा सके। ठेकेदारों की ओर से किसी प्रकार की चूक को अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्ती से देखा जाना चाहिए ताकि ठेकेदारों द्वारा किए गए विलंबों पर जुर्माना लगाया जा सके तथा जवाबदेही लागू की जा सके।

- ✓ स्वच्छ पेयजल और जल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में निदानात्मक उपायों पर घनीभूत रूप से बल दिया जाए ताकि स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो सके।
- ✓ मंत्रालय को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित सभी परिकल्पित मॉनीटरिंग उपकरणों की प्रभाविकता में सुधार करना चाहिए ताकि योजना बनाना और कार्यान्वयन दोनों को सशक्त किया जा सके।

नई दिल्ली

दिनांक: 07 मई 2018




(ममता कुन्द्रा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा,  
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 09 मई 2018



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध



**अनुबंध-1.1(ए)**  
**नमूना चयन के लिए प्रक्रिया और तंत्र**  
**(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)**

<p><b>प्रथम स्तर</b> <b>(जिलों<sup>1</sup>)</b></p>	<p>प्रत्येक क्षेत्र से, डीडीपी जिलों को छोड़कर 25 प्रतिशत जिलों (कम से कम दो) का चयन, 2012-17 के दौरान कुल एनआरडीडब्ल्यूपी व्यय के आकार के आधार पर बिना प्रतिस्थापन आकार के आनुपातिक विधि (पीपीएसडब्ल्यूओआर) के द्वारा किया गया।</p> <p>सात राज्यों<sup>2</sup> के 40 डीडीपी जिलों में से, 25 प्रतिशत जिलों (कम से कम दो का चयन करते हुए) का चयन पीपीएसडब्ल्यूओआर विधि द्वारा वर्ष 2012-17 के दौरान इन डीडीपी जिलों में संपूर्ण व्यय के आकार के आधार पर किया गया।</p> <p>प्रत्येक चयनित जिले में, 2012-17 के दौरान कुल एनआरडीडब्ल्यूपी व्यय के आकार के आधार पर पीपीएसडब्ल्यूओआर विधि द्वारा विस्तृत परीक्षण के लिए दो प्रभागों का चयन किया गया।</p>
<p><b>द्वितीय स्तर</b> <b>(ब्लॉक)</b></p>	<p>पहले चरण में चयनित प्रत्येक जिले के, 20 प्रतिशत ग्रामीण ब्लॉक (न्यूनतम दो और अधिकतम चार) का चयन, वर्ष 2012-17 के दौरान पूर्ण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की संख्या के आधार पर पीपीएसडब्ल्यूओआर विधि द्वारा किया गया था।</p>
<p><b>तृतीय स्तर</b> <b>(ग्राम पंचायत)</b></p>	<p>दूसरे चरण में नमूना ब्लॉकों का चयन करने के बाद, प्रत्येक ब्लॉक से दो ग्राम पंचायतों का बिना प्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक नमूनाचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) के आधार पर चयन किया गया।</p>
<p><b>चतुर्थ स्तर</b> <b>(लाभार्थी सर्वेक्षण)</b></p>	<p>प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में से, चार बस्तियों का चयन एसआरएसडब्ल्यूओआर के आधार पर किया गया। प्रभाव आकलन के उद्देश्य के लिए, एसआरएसडब्ल्यूओआर का उपयोग करते हुए चार चयनित बस्तियों में से प्रत्येक से 10 परिवारों का चयन किया गया।</p>

<sup>1</sup> अधिकतम 10 जिलों का चयन किया जाना था।

<sup>2</sup> आन्ध्र प्रदेश (1), गुजरात (6), हरियाणा (7) हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू व कश्मीर (2) कर्नाटक (6) तथा राजस्थान (16)

**अनुबंध-1.1(बी)**  
**सर्वेक्षण की गई बस्तियों का विवरण**  
**(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)**

कवर की गई बस्तियों की स्थिति	पूर्णतः कवर की गई	आंशिक कवर की गई	गुणवत्ता प्रभावित	किसी भी जल आपूर्ति योजना द्वारा कवर नहीं
	1,279	976	39	28
बस्तियाँ कवर करने का माध्यम	पाइप द्वारा जल की आपूर्ति	हैंड-पंप/ट्यूब-वेल	अन्य	किसी भी जल आपूर्ति योजना द्वारा कवर नहीं
	1,312	894	88	28
आपूर्ति के स्रोत	भू जल	सतही जल	अन्य	किसी भी जल आपूर्ति योजना द्वारा कवर नहीं
	1738	535	21	28

**अनुबंध-1.1(सी)**  
**सर्वेक्षण में लाभार्थियों का प्रोफाइल**  
**(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)**

परिवार/लाभार्थी	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल
पुरुष	4,506	2,815	3,032	4,742	15,095
महिला	3,871	2,786	3,365	3,469	13,491
कुल	8,377	5,601	6,397	8,211	28,586



**अनुबंध-1.2**  
**चयनित नमूना का विवरण**  
**(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)**

राज्य का नाम	जिला		प्रभाग		ब्लॉक		ग्राम पंचायत		बस्ती		लाभार्थी
	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	कुल	चयनित	सर्वेक्षित
आंध्र प्रदेश	13	5	13	9	284	10	182	20	61	44	800
अरुणाचल प्रदेश	16	4	7	6	25	8	299	16	149	64	640
असम	27	9	17	13	107	23	296	46	1,394	184	1,840
बिहार	38	10	12	12	160	20	213	40	187	111	1,600
छत्तीसगढ़	27	8	13	11	51	16	1,347	32	251	113	1,280
गोवा <sup>3</sup>	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	33	10	19	17	81	20	1,197	40	87	73	1,600
हिमाचल प्रदेश	12	6	12	12	38	13	446	26	387	104	1,021
जम्मू एवं कश्मीर	22	7	17	10	55	14	326	29	63	66	698
झारखंड	24	6	8	8	90	19	340	38	848	152	1,520
कर्नाटक	30	10	10	10	60	20	748	40	293	160	1,600
केरल	14	4	15	8	46	8	58	16	295	64	640
मध्य प्रदेश	51	10	10	10	72	22	1,650	44	294	176	1,623
महाराष्ट्र	34	10	0	0	126	27	976	54	109	85	2,160
मणिपुर	9	4	5	5	20	8	387	19	44	38	640
मेघालय	11	4	7	7	16	8	1,653	16	39	35	640
मिजोरम	8	2	6	4	8	4	94	8	9	9	90
नागालैंड	11	3	6	6	22	6	142	22	142	22	220
ओडिशा	30	8	13	13	109	24	540	48	1,113	192	1,920
पंजाब	22	7	17	11	48	14	318	28	30	28	1,080
राजस्थान	33	10	36	18	71	20	654	39	93	87	866
सिक्किम	4	2	0	0	5	4	85	8	156	32	319
तमिलनाडु	31	8	0	0	102	21	583	42	552	168	1,680
तेलंगाना	9	3	7	6	50	10	187	20	59	37	814
त्रिपुरा	8	2	3	3	18	4	102	8	68	31	321
उत्तर प्रदेश	75	10	47	20	118	27	1834	54	397	178	2,160
उत्तराखंड	13	4	16	8	43	10	913	20	133	69	814
<b>कुल</b>	<b>607</b>	<b>168</b>	<b>316</b>	<b>227</b>	<b>1,825</b>	<b>380</b>	<b>15,570</b>	<b>773</b>	<b>7,253</b>	<b>2,322</b>	<b>28,586</b>

<sup>3</sup> गोवा को लाभार्थी सर्वेक्षण से छूट प्राप्त थी इसलिए जिलों के बाद आगे चयन नहीं किया गया।

### अनुबंध-1.3

#### चयनित जिलों के नाम

(पैरा 1.5.4 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	चयनित जिले	चयनित जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	5	अनंतपुर, चित्तूर, कडपा, गुंटुर, पश्चिम गोदावरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	पापुम पारे, लोअर सुबानसिरी, पश्चिम सियांग, पश्चिम कामेंग
3.	असम	9	गोलाघाट, धुबरी, नगांव, कछर, कामरूप ग्रामीण, कर्बी आंगलॉंग, उदलगुड़ी, हैलाकंडी, जोरहट
4.	बिहार	10	नवादा, समस्तीपुर, बांका, कैमूर (भभुआ), मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी
5.	छत्तीसगढ़	8	रायपुर, कवर्धा, बस्तर, कांकेर, राजनंदगांव, सूरजपुर, जैशपुर, बलौदा बाजार-भाटापाड़ा
6.	गोवा	2	उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा
7.	गुजरात	10	बनांसकाठा, भावनगर, जूनागढ़, मेहसाणा, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, सूरत, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा
8.	हिमाचल प्रदेश	6	कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, शिमला, किन्नौर, लाहौल और स्पीती
9.	जम्मू एवं कश्मीर	7	जम्मू, रियासी, राजौरी, कुपवाड़ा, पुलवामा, कारगिल, लेह
10.	झारखंड	6	धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज, पश्चिम सिंहभूम
11.	कर्नाटक	10	बेलगावी, बीदर, चामराजनगर, चित्रदुर्ग, गडग, मांड्या, तुमाकुरु, यादगीर, बागलकोट, कोप्पल
12.	केरल	4	तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम, कन्नूर, मलप्पुरम
13.	मध्य प्रदेश	10	ग्वालियर, सिंगरौली, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, विदिशा, टीकमगढ़, रायसेन, उज्जैन
14.	महाराष्ट्र	10	पुणे, सांगली, अहमदनगर, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, बीड, रायगढ़, थाणे, बुलढाणा
15.	मणिपुर	4	विष्णुपुर, चुराचंदपुर, सेनापति, थाऊबल
16.	मेघालय	4	जयंतिया हिल्स <sup>4</sup> , री भोई, पश्चिम गारो हिल्स, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
17.	मिजोरम	2	आइजोल, चम्फई
18.	नागालैंड	3	कोहिमा, दीमापुर, टूएनसांग
19.	ओडिशा	8	गंजाम, नबरंगपुर, नुआपड़ा, जाजपुर, मयूरभंज, कटक, क्यौंझर, संबलपुर
20.	पंजाब	7	अमृतसर, एसएस नगर, बठिंडा, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, पटियाला

<sup>4</sup> जिला जयंतिया हिल्स को जुलाई 2012 में दो जिलों (पूर्व जयंतिया हिल्स और पश्चिम जयंतिया हिल्स) में विभाजित किया गया था। इन दोनों जिलों को नमूना लेने के उद्देश्य से विभाग के साथ इन दो जिलों के अलग-अलग निधियों की अनुपलब्धता के कारण एक जिले के रूप में लिया गया।

21.	राजस्थान	10	बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, डुंगरपुर, टोंक
22.	सिक्किम	2	पूर्व सिक्किम, दक्षिण सिक्किम
23.	तमिलनाडु	8	कोयंबटूर, कुड्डालोर, डिंडीगुल, करूर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, वेल्लोर, विरुधुनगर
24.	तेलंगाना	3	खम्माम, महबूबनगर, नलगोंडा
25.	त्रिपुरा	2	धलाई, पश्चिम त्रिपुरा
26.	उत्तर प्रदेश	10	आगरा, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, इटावा, जी बी नगर, गोरखपुर, जौनपुर, रायबरेली, सोनभद्र
27.	उत्तराखंड	4	अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी
	<b>कुल</b>	<b>168</b>	

### अनुबंध-1.4

## पीएसी की संबंधित सिफारिश एवं विसंगतियों का विवरण और वर्तमान लेखापरीक्षा के आधार पर स्थिति (पैरा 1.5.5 के संदर्भ में)

क्र.सं.	लोक लेखा समिति की मुख्य सिफारिशें	मंत्रालय का उत्तर	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति
1	मंत्रालय द्वारा राज्यों को वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को बस्ती-वार तैयार करने और प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाने चाहिए और ऐसे निर्देश केवल कागजी नहीं होने चाहिए, अपितु ठोस परिणाम भी देने वाले हों। <b>(सिफारिश सं. 7)</b>	जिला स्तर पर एएपी तैयार किए जाते हैं और जिला स्तर के एएपी को मिलाकर राज्य स्तर के एएपी तैयार किए जाते हैं। हर साल राज्यों द्वारा तैयार किए गए एएपी पर मंत्रालय के साथ चर्चा की जाती है। एएपी के तहत लक्षित बस्तियों को आईएमआईएस पर चिह्नित किया गया है।	10 राज्यों में, जिला स्तर के एएपी तैयार किए बिना राज्य स्तर पर एएपी तैयार किए गए थे। <b>(पैरा 2.2.3.2)</b>
2	राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त करने में विलंब पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने सिफारिश की कि मंत्रालय को राज्यों के मुख्य सचिवों के परामर्श से एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि प्रस्तावों को निश्चित रूप से समय पर प्राप्त किया जा सके। <b>(सिफारिश सं. 8)</b>	समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए राज्यों को पत्र जारी किए गए।	प्रस्तावों को देरी से प्रस्तुत करने के उदाहरण पाए गए। <b>(पैरा 2.2.3.2 एवं पैरा 3.2.2)</b>
3	मंत्रालय को समय-सीमा के भीतर एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे 'स्लिप बैक' बस्तियों के संबंध में यथार्थ डाटा प्राप्त किया जा सके। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए कि बस्तियाँ और स्लिप बैक ना हो और इस संबंध में प्रगति की एक त्रैमासिक रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए। इसके अलावा, गैर-कार्यात्मक रूप में रही कई योजनाओं के लिए गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने मंत्रालय को इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की जांच करने और हर राज्य में सभी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक	मंत्रालय ने कई कारणों (जैसे भू-जल निकासी, अनियमित/असमय वर्षा, औद्योगिक/नगर निगम के नालियों के अनियंत्रित निपटान और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग के कारण पानी के दूषित होने पर) का उल्लेख किया था, जिसके कारण स्लिप बैक को समाप्त नहीं किया जा सका। इसे सुधारात्मक और निवारक उपायों (जैसे स्रोतों की स्थिरता, स्थिरता ढांचे के निर्माण) द्वारा निश्चित रूप से कम किया/घटाया जा सकता है जिसके लिए राज्यों को विभिन्न बैठकों/पत्रों के माध्यम से सलाह दी गई है।	स्लिप बैक बस्तियों और गैर-कार्यात्मक योजनाओं के उदाहरण पाये गये <b>(पैरा 4.5.4 एवं पैरा 4.6)</b>

क्र.सं.	लोक लेखा समिति की मुख्य सिफारिशें	मंत्रालय का उत्तर	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति
	सुधारात्मक कदम उठाए जाने पर बल दिया। मंत्रालय दोषी राज्यों को वित्तीय सहायता रोकने पर भी विचार कर सकता है। <b>(सिफारिश सं. 9)</b>	गैर-कार्यात्मक योजनाओं के संबंध में, राज्यों से कहा गया है कि वे योजनाओं के गैर कार्यात्मक ना होने के लिए सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करें।	
4	सभी राज्यों को तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकताओं का आकलन करना चाहिए और मंत्रालय को रिक्त पदों को पूरा करने के लिए राज्यों पर प्रभाव डालना चाहिए ताकि योजना प्रभावी तरीके से लागू की जा सके और गुणवत्तायुक्त जल उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो सकें। मंत्रालय को समय-समय पर क्षेत्रीय यात्राओं या दूसरे माध्यम से राज्यों में जल परीक्षण के संवर्धन की मॉनीटरिंग करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रयोगशाला हर समय कार्यात्मक हैं। <b>(सिफारिश सं. 10)</b>	विभिन्न बैठकों के दौरान, राज्य सरकार के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रयोगशालाओं में तत्काल भर्ती प्रशिक्षित मानवशक्ति की भर्ती करें ताकि जल की गुणवत्ता का परीक्षण नियमित रूप से किया जा सके।	कई राज्यों में जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं, अवसंरचना और उपकरणों की कमी पाई गई। <b>(पैरा 4.8.1)</b>
5	मंत्रालय को जल परीक्षण पहलू पर अधिक जोर देना चाहिए और जल की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की आवृत्ति में वृद्धि करना चाहिए। मंत्रालय को राज्यों को प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार पेयजल के स्रोतों और रासायनिक प्रदूषण के लिए एक वर्ष में कम से कम चार बार परीक्षण करने के लिए निर्देश देना चाहिए, अर्थात् हर तिमाही में। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखा जाना चाहिए। <b>(सिफारिश सं. 11)</b>	12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के पानी की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग और कवरेज पर मंत्रालय लगातार ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।	सभी चयनित राज्यों में, निर्धारित परीक्षणों में कमी पाई गई थी। इसके अलावा, मापदंडों के विरुद्ध परिकल्पित परीक्षणों के प्रदर्शन के संबंध में कमी भी पाई गई थी। <b>(पैरा 4.8.2)</b>
6	फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) की खरीद और वितरण के लिए भविष्य के लक्ष्यों को भी तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्रत्येक ग्रामीण बस्ती में	वार्षिक कार्य योजना (एएपी) में, इन किटों के उपयोग के लिए फिल्ड टेस्ट किट की आपूर्ति के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और व्यक्तियों की	आवश्यक एफटीके की गैर-खरीद के उदाहरण, एफटीके का उपयोग नहीं करना

क्र.सं.	लोक लेखा समिति की मुख्य सिफारिशें	मंत्रालय का उत्तर	वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति
	सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीपी में आधारभूत स्तर पर श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। <b>(सिफारिश सं. 12)</b>	संख्या को प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।	और एफटीके के शेल्फ-लाइफ की समाप्ति के मामले पाए गए। <b>(पैरा 4.8.2)</b>
7	एक वित्तपोषण एजेंसी होने के नाते यह हमेशा परियोजनाओं को पूरा करने की मॉनीटरिंग के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पर निर्भर था। <b>(सिफारिश सं. 15)</b>	मंत्रालय राज्यों द्वारा कार्यान्वयन की जा रही योजनाओं पर बारीकी से मॉनीटरिंग करने के लिए आईएमआईएस का उपयोग कर रहा है। एएपी की चर्चा के दौरान, अधूरी योजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। नई योजनाएं लेने से पहले राज्यों को अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने के लिए आग्रह किया गया है।	अपूर्ण योजनाओं के कई मामले, योजनाएं जो पूरा होने के बाद गैर-कार्यात्मक थीं और छोड़े हुए कार्य पाए गए थे। <b>(पैरा 4.2.6, 4.2.7 एवं 4.2.9)</b>

**अनुबंध-2.1**  
**वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में कमियाँ**  
**(पैरा 2.2.3.2 के संदर्भ में)**

क्र. सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1	आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) स्थानीय भागीदारी के बिना बनायी गयी। इसके अतिरिक्त, योजना पर अनुमोदन हेतु एसएलएसएससी की बैठकों में चर्चा नहीं की गयी।</li> <li>अल्पसंख्यक बहुल और अन्य पिछड़े समुदायों की बस्तियों को प्राथमिकता देने, स्थायित्व संरचनाओं, जल आपूर्ति वाले विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के कवरेज को एएपी में शामिल नहीं किया गया।</li> </ul>
2	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>एएपी को 2012-13 तक 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार किया गया। विभाग ने मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के 55 एलपीसीडी के निर्धारित मानदण्ड के नीचे होने के बावजूद, पानी की कमी वाली बस्तियों (40 एलपीसीडी) की जल आपूर्ति वाली बस्तियाँ के कवरेज के लिए किसी संवर्धन/सुधार की योजना नहीं बनायी गयी।</li> <li>पेय जल की कम उपलब्धता वाली बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी।</li> </ul>
3	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>गाँवों/जी.पी. से कोई इनपुट प्राप्त किये बगैर एएपी बनाये गये।</li> <li>2012-17 के दौरान एएपी चार माह के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत की गयी।</li> </ul>
4	बिहार	<ul style="list-style-type: none"> <li>2014-17 के दौरान एएपी 24 दिनों और 78 दिनों के बीच के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत की गयी।</li> <li>जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों और निम्न कवरेज वाली बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी।</li> </ul>
5	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>2014-17 में, ₹93.01 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत 217 पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं को 40 एलपीसीडी सेवा स्तर पर बनाया गया।</li> <li>2012-17 के दौरान, एएपी तीन से लेकर आठ माह के विलंब से मंत्रालय को 2012-17 के दौरान प्रस्तुत किए गए।</li> </ul>
6	गोवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएसएससी के बैठकों के न होने के कारण, एसएलएसएससी द्वारा एएपी अनुमोदित नहीं किए गए।</li> <li>एएपी में, विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में पेय जल के प्रावधान की कोई योजना नहीं पायी गयी जबकि 52 आंगनवाड़ियों और 1568 विद्यालयों में से पाँच में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं था।</li> </ul>
7	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>एएपी दो से पाँच माह के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।</li> <li>एएपी में शामिल करने के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए गए।</li> </ul>
8	झारखंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान, एएपी निम्नतम 40 एलपीसीडी के सेवा स्तर के साथ तैयार किए गए।</li> </ul>

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

		<ul style="list-style-type: none"> <li>एएपी में, पूरी तरह से कवर की जा चुकी बस्तियों (100 प्रतिशत आबादी) के ऊपर आंशिक रूप से कवर आबादियों (0-25 प्रतिशत आबादी) और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी।</li> </ul>
9	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान, एएपी को पाँच से दस माह के विलंब से अनुमोदित किया गया।</li> <li>जिन मूल सूचनाओं के आधार पर एएपी तैयार किये गये थे, उन्हें दर्ज नहीं किया गया।</li> <li>विद्यालयों और आंगनवाडियों को जल आपूर्ति योजनाओं द्वारा कवरेज की योजनाएं एएपी में शामिल नहीं थीं।</li> </ul>
10	केरल	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य एएपी को बिना जमीनी स्तर पर योजना बनाए प्रभागों से प्राप्त ब्यौरों के आधार पर बनाया गया।</li> </ul>
11	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना में अपेक्षित पहलू अर्थात् लक्ष्य, बस्तियों का कवरेज, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग आदि सम्मिलित नहीं किए गए।</li> </ul>
12	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान, एएपी तीन से छः माह के विलंब से मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये।</li> <li>2012-17 के दौरान शुरू हुई कोई भी योजना 55 एलपीसीडी पर जल आपूर्ति के लिए तैयार नहीं की गयी।</li> </ul>
13	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-16 के दौरान, एएपी 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार की गयी।</li> <li>0-25 प्रतिशत और 25-50 प्रतिशत आबादी कवरेज वाली बस्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गयी थी।</li> </ul>
14	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला एवं गाँवों से किसी इनपुट एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से कोई सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त किये बगैर ही एएपी तैयार किये गये थे।</li> <li>2016-17 तक सभी योजनाओं को 40 एलपीसीडी पर तैयार किया गया।</li> </ul>
15	मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> <li>गाँवों/जिला स्तर से कोई इनपुट प्राप्त किये बगैर, एएपी विभाग के पास मौजूद बस्तियों में जल आपूर्ति के कवरेज से संबंधित डाटा के आधार पर बनाए गए थे।</li> <li>2015-16 तक, एएपी 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार की गयी।</li> </ul>
16	नागालैण्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान, एएपी को 55 एलपीसीडी पर पेय जल आपूर्ति प्रदान करने के स्थान पर 40 एलपीसीडी के आधार पर तैयार किया गया था।</li> <li>एएपी में आंगनवाडियों को जल आपूर्ति का प्रावधान शामिल नहीं था।</li> </ul>
17	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सुझाव/प्रस्तावों के बगैर ही एएपी तैयार किये गये थे।</li> <li>योजनाओं/परियोजनाओं को 55 एलपीसीडी के बजाय 40 एलपीसीडी के आधार पर बनाया गया था।</li> </ul>
18	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना में कवर की गई 0 प्रतिशत, 0-25 प्रतिशत और 25-50 प्रतिशत आबादी के कवरेज हेतु प्राथमिकता दिए जाने के संबंध, एएपी में इनके कवरेज हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।</li> <li>विभाग ने एएपी में 40 एलपीसीडी का लक्ष्य रखा था।</li> <li>मंत्रालय को दो माह के विलंब से एएपी प्रस्तुत किये गये थे।</li> </ul>

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा



19	तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 एलपीसीडी या उससे कम का सेवा स्तर रखते हुए एएपी तैयार किये गये थे।</li> </ul>
20	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>0-25 प्रतिशत कवर की गई आबादी वाली बस्तियों, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय बहुल बस्तियों को प्राथमिकता देने का कोई संकेत नहीं था।</li> </ul>
21	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> <li>बॉटम-अप दृष्टिकोण अर्थात् एएपी में पीआरआई की भागीदारी का कोई साक्ष्य नहीं मिला।</li> </ul>
22	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित जिलों में, एएपी को बॉटम-अप दृष्टिकोण से तैयार नहीं किया गया था।</li> <li>2015-17 के दौरान, एएपी एसएलएसएससी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये।</li> </ul>
23	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>एएपी 40 एलपीसीडी के आधार के साथ तैयार किया गया था।</li> </ul>

**अनुबंध-2.2**  
**2012-17 के दौरान हुई एसएलएसएससी की बैठकें**  
**(पैरा 2.4.2 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	2012-17 के दौरान की जाने वाली अपेक्षित बैठकों की संख्या	निम्न के दौरान हुई बैठकों की संख्या					कुल	2012-17 के दौरान प्रतिशतता कमी
			2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17		
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	2	1	1	1	07	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	2	1	1	1	0	05	50
3.	असम	10	2	2	2	1	0	07	30
4.	छत्तीसगढ़	10	1	1	2	1	1	06	40
5.	गुजरात	10	2	1	1	0	1	05	50
6.	जम्मू एवं कश्मीर	10	0	2	1	1	2	06	40
7.	केरल	10	2	1	1	1	0	05	50
8.	मध्य प्रदेश	10	1	2	1	1	2	07	30
9.	महाराष्ट्र	10	1	1	1	1	1	05	50
10.	मणिपुर	10	1	1	1	1	1	05	50
11.	मेघालय	10	1	0	1	0	2	04	60
12.	मिजोरम	10	1	1	1	1	1	05	50
13.	नागालैंड	10	1	1	1	1	0	04	60
14.	ओडिशा	10	1	2	2	1	1	07	30
15.	पंजाब	10	0	1	1	0	0	02	80
16.	सिक्किम	10	0	2	0	0	0	02	80
17.	तमिलनाडु	10	2	2	1	1	1	07	30
18.	तेलंगाना	06	-	-	1	1	1	05	50
19.	त्रिपुरा	10	1	1	1	1	1	05	50
20.	उत्तराखंड	10	1	2	2	1	1	07	30
	<b>कुल</b>	<b>196</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>106</b>	<b>46</b>

**अनुबंध-2.3**  
**डब्ल्यूएसएसओ के कार्य में कमियाँ**  
**(पैरा 2.4.5 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रारंभ से ही, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम एण्ड ई) तथा हाईड्रो-जियोलॉजिस्ट हेतु सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की गई थी।</li> <li>डब्ल्यूएसएसओ ने, 2012-17 के दौरान, मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण अध्ययन तथा अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) गतिविधियाँ नहीं की थी।</li> </ul>
2.	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूएसएसओ ने क्षमता निर्माण की योजना तैयार नहीं की थी। जल में सुधार हेतु, राज्य विशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार नीति विकसित नहीं की गई थी।</li> <li>मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण अध्ययन नहीं किया गया।</li> </ul>
3.	बिहार	<ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूएसएसओ में स्टाफ अर्थात् निदेशक, सलाहकार (हाईड्रो जियोलॉजिस्ट), लेखाकार तथा आंकड़ा प्रविष्टि संचालक की नियुक्ति नहीं की गई थी।</li> <li>डब्ल्यूएसएसओ ने अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) गतिविधियाँ नहीं की थी।</li> </ul>
4.	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>मूल्यांकन एवं प्रभाव निर्धारण अध्ययनों, आरडब्ल्यूएस क्षेत्र के सॉफ्टवेयर पहलुओं, जल सुरक्षा योजना को तैयार करने में जीपी को सहायता का कार्य नहीं किया गया था।</li> </ul>
5.	गोवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूएसएसओ ने किसी मूल्यांकन अध्ययन तथा प्रभाव निर्धारण अध्ययन के साथ-साथ आरएण्डडी से संबंधित गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी।</li> </ul>
6.	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>संगठन ने निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान स्टाफ की कमी का सामना किया।</li> </ul>
7.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>संगठन जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करने में शामिल नहीं हुआ था तथा उसने मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव निर्धारण, आईईसी तथा एचआरडी मॉड्यूलों का विकास, अनुसंधान एवं विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग आदि नहीं की थी।</li> </ul>
8.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>संगठन ने कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रभाव निर्धारण नहीं किया था।</li> </ul>
9.	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>सलाहकार (एचआरडी), सलाहकार (आईईसी), सलाहकार (एमएण्डडी), सलाहकार (हाईड्रोजियोलॉजिस्ट), सलाहकार (डब्ल्यूक्यूएमएस) तथा सलाहकार (स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर) नियुक्त नहीं किए गए थे।</li> </ul>
10.	नागालैंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>संगठन ने न तो राज्य में जल सुरक्षा योजना तैयार करने के उत्तरदायित्व को पूरा किया था और न ही मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव निर्धारण तथा आर एण्ड डी गतिविधियाँ की थी।</li> </ul>
11.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>संगठन स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि संगठन सीई (ग्रामीण) के अधीन कार्य कर रहा था। डब्ल्यूएसएसओ में प्रतिष्ठित सीएसओ,<sup>1</sup> शैक्षणिक संस्थानों से सदस्यों, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी के प्रतिनिधि को नामांकित नहीं किया गया था।</li> </ul>

<sup>1</sup> नागरिक समाज संगठन

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूएसएसओ की आम सभा का वर्ष में कम से कम दो बैठकों के मानदण्ड के प्रति 2012-17 के दौरान आयोजन नहीं किया गया था।</li> <li>अक्टूबर 2016 से डब्ल्यूएसएसओ निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी परंतु अतिरिक्त कार्यभार पीएचईडी में कार्य कर रहे अधीक्षक अभियंता (एसई) को सौंपा गया था।</li> </ul>
12.	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>जल एवं स्वच्छता में सुधार हेतु शिक्षा एवं संचार नीति तथा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर नई प्रौद्योगिकियों एवं अनुसंधान, आईईसी नीतियों आदि पर राज्य विशिष्ट सूचना सहित जल सुरक्षा योजना को तैयार करने में डब्ल्यूएसएसओ की भागीदारी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।</li> </ul>
13.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>इस क्षेत्र में कार्य कर रहे शैक्षणिक संस्थानों तथा तकनीकी संस्थानों के सदस्यों, जीपीडब्ल्यूएससी/वीडब्ल्यूएससी आदि के प्रतिनिधियों को संगठन में शामिल नहीं किया गया था।</li> </ul>

**अनुबंध- 2.4**  
**डीडब्ल्यूएसएम के कार्य में कमियाँ**  
**(पैरा 2.4.6 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी जांच किए गए जिलों में, 2012-17 के दौरान, बैठक नहीं की गई थी।</li> </ul>
2.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीडब्ल्यूएसएम के स्थान पर, संबंधित जिलों के उपयुक्तों की अध्यक्षता वाले डीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया था जिनमें जल आपूर्ति योजनाओं के निरूपण, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग में पीआरआई तथा सामुदायिक प्रतिनिधित्व नहीं था।</li> </ul>
3.	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीडब्ल्यूएसएम, 2012-17 के दौरान, गैर-क्रियात्मक रहा। डीडब्ल्यूएसएम के सभी कार्यों को संबंधित कार्यकारी अभियंताओं द्वारा प्रभार-वार किया गया था।</li> </ul>
4.	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>सभी चयनित जिलों में, जिलाधीश ने डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता की। एमपी, एमएलए, जेडपी की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सामाजिक कल्याण, जिलाधिकारी, डब्ल्यूआरडी एवं कृषि के जिला अधिकारी दो जिलों<sup>2</sup> में मिशन/समिति के सदस्य नहीं थे। शेष पांच जिलों ने डीडब्ल्यूएसएम से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।</li> </ul>
5.	गोवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान बैठकें नहीं की गई थीं।</li> <li>डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता जिलाधीश द्वारा की गई थी। मिशन में एमपी/एमएलए के साथ-साथ एनजीओ का प्रतिनिधित्व नहीं था।</li> </ul>
6.	गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीडब्ल्यूएसएम के स्थान पर, संबंधित जिलों के जिलाधीशों की अध्यक्षता वाली जिला जल स्वच्छता समितियों (डीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया था। तथापि, निर्वाचित जन प्रतिनिधि समिति से जुड़े नहीं थे।</li> </ul>
7.	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>मिशन में, 2012-17 के दौरान, पर्याप्त स्टाफ नहीं था क्योंकि प्रत्येक डीडब्ल्यूएसएम हेतु, छः सलाहकारों की आवश्यकता के प्रति एक सलाहकार की नियुक्ति की गई थी।</li> <li>बैठकों में लिए गए निर्णयों पर, अगली बैठकों में अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।</li> </ul>
8.	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीडब्ल्यूएसएम, पीआरआई संरचना की गैर मौजूदगी के कारण कार्यशील नहीं थे।</li> </ul>
9.	झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपेक्षित 40 बैठकों के प्रति, 2012-17 के दौरान, दो जिलों में चार बैठकें की गई थीं। शेष चार चयनित जिलों<sup>3</sup> में बैठकें नहीं की गई थीं।</li> <li>डीडब्ल्यूएसएम द्वारा एनजीओ को सदस्य के रूप में सहयोजित नहीं किया गया था।</li> </ul>
10.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान, चार<sup>4</sup> चयनित जिलों में बैठकें नहीं की गई थीं। अन्य चार जिलों में, की गई बैठकों की संख्या एक से चार के बीच थी।</li> <li>चित्रदुर्ग तथा तूमाकूरु के सिवाय किसी भी चयनित जिले ने एनजीओ को डीडब्ल्यूएसएम के सदस्य के रूप में सहयोजित नहीं किया। डीडब्ल्यूएसएम, जब</li> </ul>

<sup>2</sup> रायपुर तथा सूरजपुर

<sup>3</sup> गढ़वा, हजारीबाग, पलामू तथा साहिबगंज

<sup>4</sup> बगलकोट, चित्रदुर्ग, कोप्पल तथा माण्डवा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
		<p>कभी भी गठित किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों के निरूपण तथा अनुमोदन में शामिल नहीं थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जिला चित्रादुर्ग में, जेडपी के अध्यक्ष के स्थान पर जेडपी के सीईओ को डीडब्ल्यूएसएम का सभापति बनाया गया था।</li> </ul>
11.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>पांच<sup>5</sup> जिलों में, डीडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा नहीं किया गया।</li> <li>किसी भी चयनित जिले में सांसदों, विधायकों को डीडब्ल्यूएसएम में शामिल नहीं किया गया था।</li> <li>किसी भी जिले में एनजीओ के सदस्य को डीडब्ल्यूएसएम के सदस्य के रूप में सहयोजित नहीं किया गया था।</li> </ul>
12.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान मिशन की बैठकों का कोई अभिलेख नहीं था।</li> <li>इसमें कोई तकनीकी तथा व्यवसायिक व्यक्ति (सलाहकार, एसआरडी, आईईसी, एमएण्डई तथा हाईड्रोजियोलाजिस्ट) नहीं है।</li> </ul>
13.	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीडब्ल्यूएसएम की भूमिका स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) तक सीमित थी।</li> </ul>
14.	मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीडब्ल्यूएसएम के स्थान पर, चयनित जिलों में डीडब्ल्यूएसएम का गठन किया गया था तथा उनकी भूमिका स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) तक सीमित थी।</li> </ul>
15.	ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> <li>आठ चयनित जिलों में से सात में 2012-17 के दौरान बैठकें नहीं की गई थी।</li> <li>आठ सदस्यों की आवश्यकता के प्रति डीडब्ल्यूएसएम आठ चयनित जिलों में से छः में से दो से सात स्टाफ सदस्यों के साथ कार्य कर रहा था। आठ चयनित जिलों में से, पांच<sup>6</sup> में तकनीकी तथा व्यवसायिक कार्मिक नियुक्त नहीं थे।</li> </ul>
16.	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान, बैठकें आयोजित नहीं की गई थी।</li> </ul>
17.	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>किसी भी चयनित जिले में, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा की गई बैठकों के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>
18.	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला वेस्ट में, 2012-17 के दौरान, केवल एक बैठक हुई थी।</li> </ul>
19.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीडब्ल्यूएसएम में, विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रों के निर्धारित छः सलाहकारों के प्रति तीन सलाहकार थे।</li> <li>मिशन की आम सभा ने, 2012-17 के दौरान, केवल छः बार बैठक की थी।</li> </ul>

<sup>5</sup> अहमदनगर, नागपुर, संगली, थाणे तथा नासिक

<sup>6</sup> कटक, गंजाम, जाजपुर, मयूरभंज, नबरंगपुर

**अनुबंध- 2.5**  
**वीडब्ल्यूएससी के कार्य में कमियाँ**  
**(पैरा 2.4.8 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	कमियाँ
1.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>यद्यपि वीडब्ल्यूएससी सभी चयनित जीपी में गठित की गई थी फिर भी योजनाओं/परियोजनाओं में वीडब्ल्यूएससी को शामिल किए बिना जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डीडब्ल्यूएससी) के स्तर पर तैयार किया जा रहा था। इसने दर्शाया कि ग्रामीण जल आपूर्ति की योजना तथा प्रबंधन में जीपी/ग्राम सामुदायों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं थी।</li> </ul>
2.	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>वीडब्ल्यूएससी केवल स्वच्छता गतिविधियों में शामिल थी।</li> </ul>
3.	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>32 चयनित जीपी में से 12<sup>7</sup> में, वीडब्ल्यूएससी के गठन से संबंधित अभिलेख नहीं थे।</li> </ul>
4.	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> <li>यद्यपि वीडब्ल्यूएससी दिसंबर 2013 में गठित की गई थी फिर भी वह पीआरआई के विखंडन के कारण क्रियात्मक नहीं थीं।</li> </ul>
5.	झारखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> <li>वीडब्ल्यूएससी, चयनित जिलों में, योजनाओं के नियोजन, डिजाईनिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन में शामिल नहीं थीं।</li> </ul>
6.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>वीडब्ल्यूएससी, कार्यक्रम के अंतर्गत, गतिविधियों के निरूपण की प्रक्रिया में शामिल नहीं थीं।</li> </ul>
7.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>44 जीपी में से 36 में, वीडब्ल्यूएससी ने सामुदायिक भागीदारी तथा ग्राम गतिविधियों के सभी चरणों पर निर्णय लेने को सुनिश्चित नहीं किया था।</li> </ul>
8.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>तीन जीपी (बीड: एक जीपी; नासिक : 2 जीपी) में, वीडब्ल्यूएससी का इस आधार पर गठन नहीं किया गया था कि वह वीडब्ल्यूएससी के गठन से अवगत नहीं थे।</li> </ul>
9.	मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> <li>वीडब्ल्यूएससी मुख्यतः योजनाओं के परिचालन एवं अनुरक्षण में कार्यरत थी परंतु वह योजनाओं के नियोजन, डिजाईनिंग तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल नहीं थी।</li> </ul>
10.	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला खम्माम तथा महबूबनगर में, ग्राम के एससी, एसटी तथा कमजोर वर्ग के प्रतिनिधित्व को किसी भी चयनित जीपी में सुनिश्चित नहीं किया गया था।</li> </ul>
11.	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> <li>यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था फिर भी आठ जीपी में भौतिक जांच/सत्यापन में उनकी गैर-मौजूदगी को दर्शाया।</li> </ul>
12.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>वीडब्ल्यूएससी के सदस्य जल-आपूर्ति योजनाओं के नियोजन में शामिल नहीं थे।</li> </ul>

<sup>7</sup> दत्तरंगा, बोरियाकला, पारगांव, खिलोरा, मनिकचौरी, पिपलावंड, भानपुरी, कोलियापुरी, लूङ्कोना, चराईडंड तथा मालदा

**अनुबंध-3.1**  
**निधियों के राज्य अंश को जारी न करना (2015-17)**  
**(पैरा 3.2.3 के संदर्भ में)**

संघटक	केन्द्र राज्य निधि अंश	2015-16	2016-17
		राज्य जिन्होंने अपना अंश जारी नहीं किया	राज्य जिन्होंने अपना अंश जारी नहीं किया
मरूस्थल विकास कार्यक्रम	60:40 (90:10)	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर
प्राकृतिक आपदा	60:40 (90:10)	असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पश्चिम बंगाल
निर्धारित जल गुणवत्ता	50:50 (90:10)	असम, बिहार, झारखंड, पंजाब और राजस्थान	कर्नाटक, महाराष्ट्र
सहायक गतिविधियां	60:40 (90:10)	आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और सिक्किम
जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी	60:40 (90:10)	आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम और उत्तराखंड

स्रोत: मंत्रालय का आईएमआईएस डाटा

नोट: कोष्ठक में डाटा उत्तर-पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के संबंध में केन्द्र-राज्य निधि विभाजन मापदण्ड को दर्शाते हैं।



## अनुबंध-3.2

केन्द्रीय तथा राज्य के अंश के निर्गम, उपयोग तथा बकाया शेष की राज्य-वार स्थिति (2012-17)

(पैरा 3.2.4 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश						राज्य का अंश			कुल (केन्द्रीय + राज्य)			
		प्रारंभिक शेष	निर्गम	विविध प्राप्ति (ब्याज आदि)	कुल	व्यय	अंत शेष	निर्गम	व्यय	बाकी शेष (अनुदान-व्यय)	उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+8)	12 (6+9)	13 (7+10)	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	301.30	1,868.49	0.00	2,169.79	2,110.28	59.51	2,763.29	2,671.07	92.22	4,933.08	4,781.35	151.73	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.46	746.61	7.38	763.45	751.06	12.40	67.51	67.46	0.05	830.96	818.52	12.45	1
3.	असम	127.51	2,401.67	19.29	2,548.47	2,238.89	309.59	773.51	703.56	69.95	3,321.98	2,942.45	379.54	11
4.	बिहार	285.65	1,548.89	1.52	1,836.06	1,751.09	84.97	1,631.78	1,314.83	316.95	3,467.84	3,065.92	401.92	12
5.	छत्तीसगढ़	80.82	579.69	4.96	665.47	638.61	26.86	642.34	607.49	34.85	1,307.81	1,246.10	61.71	5
6.	गोवा	5.91	2.88	0.00	8.79	5.57	3.23	12.27	12.27	0.00	21.06	17.84	3.23	15
7.	गुजरात	327.59	2,155.53	0.00	2,483.12	2,457.26	25.84	3,406.55	2,652.94	753.61	5,889.67	5,110.20	779.45	13
8.	हरियाणा	43.98	1,055.09	3.91	1,102.98	1,072.67	30.30	2,229.80	1,919.06	310.74	3,332.78	2,991.73	341.04	10
9.	हिमाचल प्रदेश	61.94	529.29	-27.66	563.57	533.49	30.09	581.76	264.83	316.93	1,145.33	798.32	347.02	30
10.	जम्मू एवं कश्मीर	147.04	1,780.99	17.86	1,945.89	1,888.01	57.87	266.88	259.92	6.96	2,212.77	2,147.93	64.83	3
11.	झारखंड	74.31	935.72	51.90	1,061.93	981.30	80.62	1,458.90	1,185.41	273.49	2,520.83	2,166.71	354.11	14

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश						राज्य का अंश			कुल (केन्द्रीय + राज्य)			
		प्रारंभिक शेष	निर्गम	विविध प्राप्ति (ब्याज आदि)	कुल	व्यय	अंत शेष	निर्गम	व्यय	बाकी शेष (अनुदान-व्यय)	उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
12.	कर्नाटक	213.14	2,952.24	61.69	3,227.07	3,133.97	93.10	7,265.07	6,335.52	929.55	10,492.14	9,469.49	1,022.65	10
13.	केरल	16.08	708.45	22.43	746.96	729.24	17.72	1,411.13	1,300.19	110.94	2,158.09	2,029.43	128.66	6
14.	मध्य प्रदेश	32.54	1,880.68	30.59	1,943.81	1,907.82	35.92	1,984.46	1,779.93	204.53	3,928.27	3,687.75	240.45	6
15.	महाराष्ट्र	320.10	3,020.31	0.76	3,341.17	3,168.35	172.82	3,102.15	2,711.80	390.35	6,443.32	5,880.15	563.17	9
16.	मणिपुर	17.72	278.58	0.00	296.30	267.27	29.61	147.52	132.45	15.07	443.82	399.72	44.68	10
17.	मेघालय	36.83	342.17	1.88	380.88	377.48	3.39	513.57	445.87	67.70	894.45	823.35	71.09	8
18.	मिजोरम	6.80	169.12	0.55	176.47	177.19	0.14	42.59	34.78	7.81	219.06	211.97	7.95	4
19.	नागालैंड	1.10	348.08	1.21	350.39	349.49	0.89	28.42	28.54	-0.12	378.81	378.03	0.77	0
20.	ओडिशा	84.34	996.47	48.76	1,129.57	1,076.14	53.47	1,079.93	992.93	87.00	2,209.50	2,069.07	140.47	6
21.	पंजाब	30	484.28	0.00	487.28	460.63	26.64	974.57	743.32	231.25	1,461.85	1,203.95	257.89	18
22.	राजस्थान	397.00	5,648.16	96.79	6,141.95	5,527.04	555.31	3,700.81	2,553.76	1,147.05	9,842.76	8,080.80	1,702.36	17
23.	सिक्किम	49.88	122.09	4.82	176.79	169.53	4.75	9.11	9.10	0.01	185.90	178.63	4.76	3
24.	तमिलनाडु	240.27	1,696.77	16.11	1,953.15	1,938.79	14.35	2,590.35	2,345.94	244.41	4,543.50	4,284.73	258.76	6
25.	तेलंगाना	0.00	443.04	0.24	443.28	407.56	35.71	1,213.52	1,185.92	27.60	1,656.80	1,593.48	63.31	4
26.	त्रिपुरा	4.03	334.24	5.32	343.59	337.06	6.54	95.66	96.42	-0.76	439.25	433.48	5.78	1
27.	उत्तर प्रदेश	159.90	3,970.46	62.91	4,193.27	3,935.45	257.82	4,222.09	3,508.22	713.87	8,415.36	7,443.67	971.69	12
28.	उत्तराखंड	239.27	421.62	16.16	677.05	624.37	52.66	386.45	452.07	-65.62	1,063.50	1,076.44	-12.96	-1

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश						राज्य का अंश			कुल (केन्द्रीय + राज्य)			
		प्रारंभिक शेष	निर्गम	विविध प्राप्ति (ब्याज आदि)	कुल	व्यय	अंत शेष	निर्गम	व्यय	बाकी शेष (अनुदान-व्यय)	उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष	अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
29.	पश्चिम बंगाल	417.10	2,076.28	35.28	2,528.66	2,507.87	20.78	3,659.76	3,326.20	333.56	6,188.42	5,834.07	354.34	6
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	2.06	0.05	2.11	1.07	1.05	3.40	2.30	1.10	5.51	3.37	2.15	39
31.	पुदुचेरी	0.00	1.23	0.08	1.31	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	1.31	0	1.27	97
	कुल	3,704.61	39,501.18	484.79	43,690.58	41,524.55	2,105.22	46,265.15	39,644.10	6,621.05	89,955.73	81,168.65	8,726.27	10

**अनुबंध-3.3**  
(कवरेज/डब्ल्यूक्यू/स्थायित्व/ओएण्डएम के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय स्थिति)  
(पैरा 3.2.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)							उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता	
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय					राज्य	कुल		
1	2	3	4	5 (3+4)	कवरेज	जल गुणवत्ता	स्थायित्व	संचालन एवं अनुरक्षण	कुल	10 (6 से 9)	11	12 (10+11)	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,858.88	2,762.38	4,621.26	1,485.30	151.90	16.56	186.18	1,839.94	2,662.73	4,502.67	97.43	
2.	अरुणाचल प्रदेश	642.48	67.51	709.99	497.82	13.41	24.22	95.04	630.49	67.46	697.95	98.30	
3.	असम	2,127.49	773.51	2901	804.42	651.03	188.6	277.79	1,921.84	696.97	2,618.81	90.27	
4.	बिहार	1,493.66	1,574.87	3,068.53	903.51	392.10	49.76	68.73	1,414.10	1,215.99	2,630.09	85.71	
5.	छत्तीसगढ़	638.27	642.34	1,280.61	436.55	34.79	71.86	69.02	612.22	604.59	1,216.81	95.02	
6.	गोवा	7.03	12.27	19.30	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	12.27	17.84	92.44	
7.	गुजरात	1,682.50	3,406.55	5,089.05	1,254.72	100.56	88.98	225.66	1,669.92	2,642.02	4,311.94	84.73	
8.	हरियाणा	572.06	2,229.80	2,801.86	471.99	1.84	44.82	45.14	563.79	1,917.20	2,480.99	88.55	
9.	हिमाचल प्रदेश	509.05	581.76	1,090.81	297.38	44.05	49.55	65.74	456.72	264.52	721.24	66.12	
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1,761.61	266.88	2,028.49	1,371.64	36.18	103.99	225.74	1,737.55	259.92	1,997.47	98.47	

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)							उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय					राज्य	कुल	
					कवरेज	जल गुणवत्ता	स्थायित्व	संचालन एवं अनुरक्षण	कुल			
11.	झारखंड	911.37	1,458.90	2,370.27	589.93	86.28	78.51	91.84	846.56	1,157.90	2,004.46	84.57
12.	कर्नाटक	2,199.29	7,265.07	9,464.36	1,320.03	330.45	215.06	288.31	2,153.85	6,328.15	8,482.00	89.62
13.	केरल	685.85	1,408.74	2,094.59	539.56	32.63	23.54	102.52	698.25	1,297.78	1,996.03	95.29
14.	मध्य प्रदेश	1,815.34	1,956.22	3,771.56	1,269.68	80.87	150.20	292.98	1,793.73	1,742.86	3,536.59	93.77
15.	महाराष्ट्र	3,018.01	3,102.15	6,120.16	2,054.41	342.13	218.28	277.70	2,892.52	2,711.80	5,604.32	91.57
16.	मणिपुर	284.24	147.52	431.76	186.58	2.89	22.44	44.78	256.69	132.45	389.14	90.13
17.	मेघालय	351.86	513.57	865.43	257.50	5.12	38.13	49.35	350.10	445.67	795.77	91.95
18.	मिजोरम	165.23	42.59	207.82	123.93	0.00	19.10	22.81	165.84	34.62	200.46	96.46
19.	नागालैंड	320.25	28.42	348.67	197.49	49.21	23.99	48.69	319.38	28.42	347.80	99.75
20.	ओडिशा	1,040.66	1,079.93	2,120.59	694.90	84.24	122.00	105.67	1,006.81	992.93	1,999.74	94.30
21.	पंजाब	456.18	974.57	1,430.75	305.73	21.49	42.67	61.17	431.06	743.32	1,174.38	82.08
22.	राजस्थान	3,222.90	3,463.34	6,686.24	2,115.07	405.85	285.19	402.45	3,208.56	2,367.10	5,575.66	83.39
23.	सिक्किम	128.00	9.11	137.11	107.33	1.49	9.99	5.04	123.85	9.10	132.95	96.97
24.	तमिलनाडु	1,750.89	2,581.42	4,332.31	1,289.21	40.19	161.29	259.65	1,750.34	2,332.98	4,083.32	94.25
25.	तेलंगाना	393.96	1,208.26	1,602.22	320.50	28.12	5.28	15.59	369.49	1,173.73	1,543.22	96.32
26.	त्रिपुरा	321.64	95.58	417.22	221.81	43.64	3.46	46.90	315.81	96.14	411.95	98.74
27.	उत्तर प्रदेश	3,393.01	3,694.66	7,087.67	2,084.87	328.01	249.59	534.07	3,196.54	3,144.98	6,341.52	89.47

## राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)							उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रतिशतता
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय					राज्य	कुल	
					कवरेज	जल गुणवत्ता	स्थायित्व	संचालन एवं अनुरक्षण	कुल			
28.	उत्तराखंड	576.82	386.45	963.27	409.31	10.99	37.57	88.31	546.18	451.97	998.15	103.62
29.	पश्चिम बंगाल	1,771.27	3,352.18	5,123.45	1,224.68	212.48	55.06	274.06	1,766.28	3,018.54	4,784.82	93.39
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1.84	3.40	5.24	0.24	0.53	0.11	0.00	0.88	2.16	3.04	58.02
31.	पुदुचेरी	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>34,102.80</b>	<b>45,089.95</b>	<b>79,192.75</b>	<b>22,841.66</b>	<b>3,532.47</b>	<b>2,399.8</b>	<b>4,270.93</b>	<b>33,044.86</b>	<b>38,556.27</b>	<b>71,601.13</b>	<b>90.41</b>

**अनुबंध-3.4**  
(सहायक निधि के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय स्थिति)  
(पैरा 3.2.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+ब्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
1.	आन्ध्र प्रदेश	60.11	5.08	65.19	58.92	2.34	61.26	93.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.12	0.00	33.12	32.69	0.00	32.69	98.70
3.	असम	96.65	0.00	96.65	95.12	0.00	95.12	98.42
4.	बिहार	49.08	0.00	49.08	46.56	0.00	46.56	94.87
5.	छत्तीसगढ़	17.37	3.30	20.67	17.14	1.71	18.85	91.19
6.	गोवा	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	95.52	8.21	103.73	90.21	6.71	96.92	93.43
8.	हरियाणा	17.77	2.39	20.16	16.66	1.32	17.98	89.19
9.	हिमाचल प्रदेश	22.91	0.23	23.14	22.71	0.19	22.90	98.96
10.	जम्मू एवं कश्मीर	48.04	0.00	48.04	21.47	0.00	21.47	44.69
11.	झारखंड	32.45	7.11	39.56	31.66	4.65	36.31	91.78
12.	कर्नाटक	76.00	14.80	90.80	70.24	7.37	77.61	85.47
13.	केरल	19.45	0.00	19.45	19.33	0.00	19.33	99.38
14.	मध्य प्रदेश	65.01	14.67	79.68	57.22	6.83	64.05	80.38
15.	महाराष्ट्र	165.07	0.00	165.07	149.20	0.00	149.20	90.39
16.	मणिपुर	8.65	0.00	8.65	8.64	0.00	8.64	99.88
17.	मेघालय	9.38	0.11	9.49	9.32	0.11	9.43	99.37
18.	मिजोरम	7.17	0.10	7.27	7.32	0.10	7.42	102.06

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष+ निर्गम+न्याज)	राज्य निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
19.	नागालैंड	11.12	0.07	11.19	11.37	0.07	11.44	102.23
20.	ओडिशा	37.31	0.00	37.31	33.04	0.00	33.04	88.56
21.	पंजाब	15.26	0.00	15.26	14.92	0.00	14.92	97.77
22.	राजस्थान	118.39	5.00	123.39	84.38	0.00	84.38	68.38
23.	सिक्किम	2.67	0.00	2.67	2.64	0.00	2.64	98.88
24.	तमिलनाडु	75.73	5.82	81.55	73.52	5.57	79.09	96.98
25.	तेलंगाना	22.22	3.25	25.47	17.11	3.23	20.34	79.86
26.	त्रिपुरा	14.94	0.36	15.30	14.70	0.14	14.84	96.99
27.	उत्तर प्रदेश	148.56	58.16	206.72	148.15	22.57	170.72	82.59
28.	उत्तराखंड	17.52	0.10	17.62	16.34	0.10	16.44	93.30
29.	पश्चिम बंगाल	88.11	13.12	101.23	88.10	12.62	100.72	99.50
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.21	0.77	0.98	0.15	0.14	0.29	29.59
31.	पुदुचेरी	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>1,377.43</b>	<b>142.65</b>	<b>1,520.08</b>	<b>1,258.83</b>	<b>75.77</b>	<b>1,334.6</b>	<b>87.80</b>



**अनुबंध-3.5**  
(जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय स्थिति)  
(पैरा 3.2.6 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष +निर्गम+ब्याज)	राज्य का निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.30	5.25	57.55	51.92	5.21	57.13	99.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.23	0.00	17.23	17.21	0.00	17.21	99.88
3.	असम	62.73	0.00	62.73	60.99	0.00	60.99	97.23
4.	बिहार	25.94	0.00	25.94	25.01	0.00	25.01	96.41
5.	छत्तीसगढ़	9.79	1.55	11.34	9.26	1.19	10.45	92.15
6.	गोवा	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	31.17	4.65	35.82	29.86	4.22	34.08	95.14
8.	हरियाणा	9.96	1.67	11.63	9.38	0.54	9.92	85.30
9.	हिमाचल प्रदेश	11.18	0.14	11.32	10.55	0.12	10.67	94.26
10.	जम्मू एवं कश्मीर	35.30	0.00	35.3	31.63	0.00	31.63	89.60
11.	झारखंड	18.96	1.33	20.29	17.85	0.90	18.75	92.41
12.	कर्नाटक	45.47	5.34	50.81	37.20	0.00	37.20	73.21
13.	केरल	9.26	0.00	9.26	9.26	0.00	9.26	100.00
14.	मध्य प्रदेश	37.76	10.84	48.60	34.32	5.25	39.57	81.42
15.	महाराष्ट्र	86.76	0.00	86.76	85.02	0.00	85.02	97.99
16.	मणिपुर	2.18	0.00	2.18	1.93	0.00	1.93	88.53
17.	मेघालय	4.62	0.09	4.71	3.06	0.09	3.15	66.88

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	उपलब्ध निधि (2012 - 2017)			व्यय (2012-2017)			उपलब्ध निधियों का प्रतिशतता उपयोग
		केन्द्रीय (प्रा.शेष +निर्गम+ब्याज)	राज्य का निर्गम	कुल	केन्द्रीय	राज्य	कुल	
18.	मिजोरम	4.04	0.06	4.10	4.03	0.06	4.09	99.76
19.	नागालैंड	5.06	0.04	5.10	5.06	0.04	5.10	100.00
20.	ओडिशा	18.55	0.00	18.55	16.97	0.00	16.97	91.48
21.	पंजाब	15.51	0.00	15.51	14.38	0.00	14.38	92.71
22.	राजस्थान	32.08	0.95	33.03	25.65	0.34	25.99	78.69
23.	सिक्किम	1.73	0.00	1.73	1.63	0.00	1.63	94.22
24.	तमिलनाडु	42.33	2.40	44.73	39.30	2.09	41.39	92.53
25.	तेलंगाना	14.47	3.71	18.18	14.47	3.71	18.18	100.00
26.	त्रिपुरा	5.46	0.07	5.53	5.16	0.07	5.23	94.58
27.	उत्तर प्रदेश	78.29	19.04	97.33	72.05	16.20	88.25	90.67
28.	उत्तराखण्ड	11.25	0.00	11.25	9.16	0.00	9.16	81.42
29.	पश्चिम बंगाल	49.44	7.87	57.31	49.44	7.87	57.31	100.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.09	0.00	0.09	0.05	0.00	0.05	55.56
31.	पुदुचेरी	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	कुल	739.19	65.00	804.19	691.80	47.90	739.70	91.98

**अनुबंध- 3.6**  
**निर्धारित जल गुणवत्ता के अंतर्गत राज्य-वार निर्गम तथा व्यय (2012-2017)**  
**(पैरा 3.4 के संदर्भ में)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय				राज्य				कुल (केन्द्रीय तथा राज्य)		
		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन+बैक्टेरियल)		
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम पर व्यय की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.13	0.78	0.00	0.00	0.91	0.78	0.00	0.00	3.04	1.56	51.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	46.08	40.50	2.56	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48.64	42.99	88.38
4.	बिहार	80.95	78.46	13.82	13.37	33.00	31.92	4.32	4.18	132.09	127.93	96.85
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1.52	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	1.14	75.00
8.	हरियाणा	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	100.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय				राज्य				कुल (केन्द्रीय तथा राज्य)		
		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन+बैक्टेरियल)		
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम पर व्यय की प्रतिशतता
12.	कर्नाटक	135.93	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.93	117.31	86.30
13.	केरल	2.39	2.40	0.00	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00	4.80	4.81	100.21
14.	मध्य प्रदेश	22.53	22.53	0.00	0.00	28.23	24.99	0.00	0.00	50.76	47.52	93.62
15.	महाराष्ट्र	38.42	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.42	23.55	61.30
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	100.00
20.	ओडिशा	2.78	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.57	20.50
21.	पंजाब	0.30	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.25	83.33
22.	राजस्थान	104.78	78.07	0.00	0.00	20.58	6.62	0.00	0.00	125.36	84.69	67.56
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	0.24	0.23	6.69	6.06	0.36	0.22	8.57	5.08	15.86	11.59	73.08
25.	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	1.38	1.38	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	1.46	1.46	100.00
27.	उत्तर प्रदेश	14.57	14.56	282.41	291.58	0.00	0.00	503.88	279.16	800.86	585.30	73.08

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय				राज्य				कुल (केन्द्रीय तथा राज्य)		
		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन)		निर्धारित निधीयन (बैक्टेरियल)		निर्धारित निधीयन (रसायन+बैक्टेरियल)		
		निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम	व्यय	निर्गम पर व्यय की प्रतिशतता
28.	उत्तराखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	386.30	386.28	5.24	4.97	133.82	122.14	3.76	2.57	529.12	515.96	97.51
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल</b>	<b>840.94</b>	<b>768.48</b>	<b>310.72</b>	<b>318.47</b>	<b>219.39</b>	<b>189.16</b>	<b>520.53</b>	<b>290.99</b>	<b>1891.58</b>	<b>1567.10</b>	<b>82.85</b>

**अनुबंध-3.7**  
**2012-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधि के निर्गम में विलम्ब**  
**(पैरा 3.6.1 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	विलम्ब से निर्गम	
		राशि (₹ करोड़ में)	अवधि
1.	आन्ध्र प्रदेश	655.27	12 से 249 दिन
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.52	30 से 150 दिन
3.	असम	545.87	2 से 59 दिन
4.	बिहार	6.28	81 दिन
5.	झारखंड	1,194.25	1 से 180 दिन
6.	कर्नाटक	695.44	1 से 127 दिन
7.	केरल	247.37	6 से 98 दिन
8.	महाराष्ट्र	1,151.01	365 दिन तक
9.	मेघालय	84.86	7 से 92 दिन
10.	मिजोरम	59.56	15 दिनों से अधिक एवं 365 दिनों तक
11.	नागालैंड	176.81	15 दिनों से अधिक एवं 365 दिनों तक
12.	ओडिशा	173.67	6 से 35 दिन
13.	राजस्थान	1,560.17	15 दिनों अधिक एवं 365 दिनों तक
14.	सिक्किम	61.38	15 दिनों से 180 दिनों तक
15.	तमिलनाडु	497.71	7 से 66 दिन
16.	तेलांगाना	227.21	26 से 104 दिन
17.	त्रिपुरा	62.10	4 से 262 दिन
18.	उत्तर प्रदेश	1,766.26	5 से 478 दिन
19.	उत्तराखंड	150.15	8 से 267 दिन
	<b>कुल</b>	<b>9,388.89</b>	

**अनुबंध-3.8**  
**अस्वीकार्य व्यय और धन के व्यपवर्तन के मामलों**  
**(पैरा 3.6.3 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधि व्यपवर्तित की गयी	राशि (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	कृष्णा जिला में अकुमारू तथा 19 अन्य बस्तियों के लिए पाइप जल योजना के संवर्धन हेतु भूमि की खरीद	2.20
2.	असम	आवासीय भवनों की नवीकरण/मरम्मत, स्कवटिंग प्लेटों की खरीद ताकि उसे आपदाओं के समय सैनिटरी लैटरिन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, अतिथि आवास का निर्माण और अन्य राज्य योजनाएं, उत्पाद शुल्क का गलत भुगतान	30.13
3	बिहार	मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ पेयजल निश्चय अभियान के संगठन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता लाना, विश्व जल दिवस उत्सव, विधानसभा में बजट भाषण की प्रस्तुति के लिए ट्राली बैग की खरीद, प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक समझौतों के निष्पादन के कारण प्राथमिक निविदा एवं निधि का व्यपवर्तन	28.05
4	छत्तीसगढ़	वर्ष 2012-17 में 792 मामलों में स्वीकृत दरें अनुमानित लागत से अधिक थी इस कारण निविदा प्रीमियम का भुगतान किया गया	14.77
5	गोवा	सार्वजनिक कार्यों के विभागों को सेन्टेज प्रभार का भुगतान	0.71
6	हिमाचल प्रदेश	₹19.39 करोड़ अन्य बस्तियों (छः प्रभाग) को व्यपवर्तित गया था, ₹0.26 करोड़ मूल्य वृद्धि के रूप में भुगतान किया (एक प्रभाग), ₹0.41 करोड़ भूमि अधिग्रहण के लिए (दो प्रभाग) और अनुमोदित लागत पर अतिरिक्त व्यय ₹15.82 करोड़ (सात प्रभाग)	35.88
7	जम्मू एवं कश्मीर	तीन प्रभागों में, एनआरडीडब्ल्यूपी निधि अन्य राज्य की योजनाओं को व्यपवर्तित किए गए थे।	1.47
8	झारखंड	मूल्य में वृद्धि	3.55
9	कर्नाटक	किराए का भुगतान, वाहनों को किराए पर लेना, कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग, टेलीफोन शुल्क, आदि	5.64
10	केरल	परिसर की दीवार के निर्माण, संपर्क सड़क मरम्मत, विद्युत शुल्क, आदि के लिए	4.50
11	मध्य प्रदेश	पाँच चयनित जिलों <sup>1</sup> में, प्रभागों के ईंधन, टंकण एवं छायाप्रति कार्यों पर व्यय किया गया। निविदा प्रीमियम	4.67
12	महाराष्ट्र	चयनित प्रभागों और जिला परिषद में धन को निविदा प्रीमियम में व्यपवर्तित कर दिया गया, सेन्टेज प्रभार एवं लागत वृद्धि	172.53
13.	मणिपुर	सेन्टेज प्रभार, कार्यालय भवन का विस्तार, सम्मेलन हॉल का निर्माण, प्रयोगशाला का निर्माण	7.22
14.	मेघालय	वाहनों की खरीद	0.31

<sup>1</sup> छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, नरसिंहपुर, रायसेन और विदिशा

क्र.सं.	राज्य का नाम	निधि व्यपवर्तित की गयी	राशि (₹ करोड़ में)
15.	मिजोरम	अन्य योजना (शहरी जल आपूर्ति योजना रखरखाव) स्टेशनरी, फर्नीचर, वाहन आदि की खरीद	2.32
16.	नागालैंड	वाहन की खरीद	0.15
17.	ओडिशा	निगरानी, छायाप्रति व्यय, ईंधन की खरीद, आदि के लिए भुगतान	0.44
18.	पंजाब	अस्वीकार्य काम और व्यय की वस्तुओं अमान्य कार्य एवं वस्तुओं पर व्यय (कार्यालय भवन का रखरखाव, जेनसेट की खरीद इत्यादि)	2.36
19.	राजस्थान	निविदा प्रीमियम की भुगतान, कर्मचारी आवास का निर्माण	6.13
20.	उत्तर प्रदेश	झांसी जिला के जल संस्थान के स्थायी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, ललीतपुर तथा ओराई	34.62
21.	उत्तराखंड	देहरादून में स्वजल पाठशाला एवं शौचालय संग्रहालय का निर्माण।	0.94
<b>कुल</b>			<b>358.59</b>



**अनुबंध - 4.1**  
**अपूर्ण कार्य**  
**(पैरा 4.2.6 के संदर्भ में)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>अनंतपुर जिले के 51 बस्तियों को कवर करने हेतु समग्र संरक्षित जल आपूर्ति योजना (सीपीडब्ल्यूएस) को नवंबर 2012 में शुरू किया गया जिसे नवंबर 2013 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसे पूरा कर लिया गया और सिंचाई विभाग के अनुमति न देने के कारण मार्च 2017 में कुंओं के निर्माण के बिना ही जिला परिषद को दे दिया गया। विभाग ने उत्तर दिया कि नवंबर 2016 तक किसी अन्य परियोजना से जल ग्रहण कर 39 अधिवासों को अस्थायी रूप से जल आपूर्ति उपलब्ध करवायी गई थी।</li> </ul>	1	56 .00	46.77
		<ul style="list-style-type: none"> <li>तीन सीपीडब्ल्यूएस (जिला चित्तूर में 167 अधिवास; जिला गुंटूर में कुछ मंडलों के 12 गांवों के लिए और अचंता विधानसभा क्षेत्र में 130 अधिवासों में जल आपूर्ति का संवर्धन) सितंबर 2010 और नवंबर 2015 के बीच शुरू किये गए और उन्हें सितंबर 2011 और जून 2017 के बीच पूरा होना था, परन्तु जमीनी विवाद और स्रोत से पानी के नहीं निकल पाने के कारण अपूर्ण रहे।</li> </ul>	3	51.00	34.60
		<ul style="list-style-type: none"> <li>दो सीपीडब्ल्यूएस (एक योजना टनुकु में 12 अधिवासों हेतु और दूसरा जिला प.गोदावरी के अत्तिली (एम) में 14 अधिवासों हेतु) अप्रैल 2011 और मई 2014 में शुरू किये गए और अप्रैल 2012 और जून 2015 के बीच पूरे होने थे, लेकिन रेलवे प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता के कारण अपूर्ण रहे।</li> </ul>	2	29.00	19.10
		<ul style="list-style-type: none"> <li>सीपीडब्ल्यूएस योजना जिला पं. गोदावरी के कामावारापुकोटा (एम) के 11 अधिवासों को सेवा देने हेतु मार्च 2014 में शुरू की गई और फरवरी 2015 में पूरी करनी थी परन्तु बिजली कनेक्शन के अभाव के कारण इसे पूरा नहीं किया गया।</li> </ul>	1	6.30	5.22
		<ul style="list-style-type: none"> <li>गंडीकोटा कुंड के साथ नियोजित जेसी नेगी रेड्डी पेय जलापूर्ति परियोजना जिसका विवरण पैरा 4.2.6 में दिया गया है अपूर्ण रही।</li> </ul>	1	508.00	365.88

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
2.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>युडपा मंडल में एक गहरे बोरवेल पर आधारित जलापूर्ति योजना को मार्च 2016 में पूरा किया गया बताया गया था। तथापि भौतिक जांच में पाया गया कि केवल 50 प्रतिशत कार्य ₹0.35 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया है।</li> </ul>	1	0.51	0.35
3.	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>सिलचर-I और होजाई खंड में स्थिरता व गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के तीन कार्यों को जनवरी 2013 और अक्टूबर 2014 के बीच शुरू किया गया था और पूर्णता की निर्धारित तिथियाँ दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 के बीच थीं, परन्तु सड़क काटने की अनुमति नहीं होने के कारण ये अधूरे रहे।</li> </ul>	3	36.28	19.06
		<ul style="list-style-type: none"> <li>सिलचर -I, सिलचर -II तथा होजाई मंडल में स्थिरता व गुणवत्ता प्रभावित अधिवासों के नौ कार्यों को मई 2013 व मई 2015 के बीच शुरू किया गया और उनकी समापन की निर्धारित तिथियाँ दिसंबर 2015 व फरवरी 2017 के बीच थीं, परन्तु सामग्री (डीआई पाइप) के अभाव के कारण ये अधूरे रह गये।</li> </ul>	9	73.00	38.10
		<ul style="list-style-type: none"> <li>सिलचर -I, सिलचर -II, बोकाखट, गोलाघट, होजाई और नागाँव मंडल में स्थिरता व गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के 19 कार्यों को फरवरी 2011 और मार्च 2015 के बीच शुरू किया गया और निर्धारित तिथियाँ अप्रैल 2014 व फरवरी 2017 के बीच पूर्ण होने थे, परन्तु धन की कमी के कारण ये अपूर्ण रहे।</li> </ul>	19	187.92	107.04
		<ul style="list-style-type: none"> <li>होवराघाट मंडल में, गुणवत्ता प्रभावित निवासस्थान के लिए जार-ओप लांगसो जल आपूर्ति योजना का कार्य ₹6.00 करोड़ की लागत पर 2013 में शुरू की गई तथा फरवरी 2014 तक पूरा किए जाने के लिए निर्धारित थी परन्तु क्षेत्र की पृथकता के कारण यह अपूर्ण रहा।</li> </ul>	1	6.00	1.63
		<ul style="list-style-type: none"> <li>बाकाखट मंडल में ग्रेटर डेरगाँव ग्रामीण जलापूर्ति योजना को फरवरी 2014 में ₹10.92 करोड़ की लागत के साथ प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ था। विभाग ने बताया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम शुरू नहीं हुआ। जबकि अभिलेखों की जाँच के आधार पर पाया गया कि संबंधित उप-मंडल द्वारा अक्टूबर 2015 में ही आवश्यक भूमि को अधिकृत कर लिया गया था।</li> </ul>	1	10.92	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है मार्च 2013 व जून 2014 के बीच हेलकंडी व जोरहाट प्रखंडों में शुरू किये गए 10 कार्य अधूरे रह गए।</li> </ul>	10	136.24	70.34
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना के पुनर्संयोजन के कार्य को एक वर्ष में पूरा करने हेतु मई 2013 में लिया गया। तथापि, कार्य को ₹0.41 के व्यय के बाद धीमी गति के कारण जुलाई 2017 में रद्द कर दिया गया।</li> </ul>	1	0.75	0.41

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
		<ul style="list-style-type: none"> <li>पटना जिले के, मनेर में 45 आर्सेनिक प्रभावित अधिवासों हेतु 8.95 मिलियन लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) की क्षमता के पृष्ठ जल आपूर्ति योजना से संबंधित निर्माण कार्य को जून 2009 में लिया गया, परन्तु जैसाकि पैरा 4.2.6 में वर्णित है यह अपूर्ण रहा।</li> </ul>	1	62.00	45.35
5.	गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> <li>नर्मदा जिले में, 12 फ्लोराइड प्रभावित गाँवों के निवासियों को पीने योग्य पानी (पृष्ठ जल) उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा गैर-स्रोत क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना भाग-1। के कार्य को ₹4.70 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था (मार्च 2012) और इसे फरवरी 2013 तक पूरा करना था। आपूर्ति का कार्य और पाइपलाइन बिछाने का कार्य ₹3.73 करोड़ के व्यय के बाद अगस्त 2014 में पूरा हुआ। यद्यपि पाइपलाइन में कई जगहों पर रिसाव के कारण यह जल-परीक्षण में असफल पाई गई (नवंबर 2013 से अगस्त 2014)। कार्य की धीमी गति व दोषपूर्ण पाइपों के नहीं बदलने के कारण जून 2016 में अनुबंध को रद्द कर दिया गया। ठेकेदार मध्यस्थता में जाने के कारण कार्य ₹3.73 करोड़ के व्यय के बाद भी अधूरा रह गया।</li> </ul>	1	4.70	3.73
6.	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>धूमविन, काजा और पूह प्रखंडों में 97 बस्तियों को कवर करने हेतु जून 2009 और जुलाई 2016 के दौरान छः योजनाओं के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई, परन्तु यह भूमि-विवाद और ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं करने के कारण मार्च 2012 और मार्च 2017 से अधूरा पड़ा रह गया।</li> </ul>	6	7.92	5.46
		<ul style="list-style-type: none"> <li>सोलन प्रभाग के तहसील अरकी में बस्तियों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु, ₹21.69 करोड़ की लागत के साथ योजना को जून 2011 में प्रशासनिक स्वीकृत दी गई थी। यद्यपि जल स्रोत में बदलाव के कारण योजना की तकनीकी संस्वीकृति फरवरी 2015 में अर्थात् प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के चार साल बाद, ₹21.59 करोड़ हेतु प्राप्त हुई। योजना गैर-निष्पादित रही क्योंकि ठेकेदार के अग्रिम के रूप में मात्र 81 प्रतिशत ही व्यय (जून 2017) किया गया ।</li> </ul>	1	21.59	3.60
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला बिलासपुर में सदर, गुमविन और झंडुटा प्रखंड में जून 2010 में सौंपी गयी 41 योजनाएं अपूर्ण रह गयीं जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है ।</li> </ul>	41	47.08	38.99
7.	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> <li>अवन्तिपुर मंडल में, मार्च 2013 से मार्च 2016 तक चार योजनाएं धन की कमी के कारण अधूरी पड़ी थीं।</li> </ul>	4	12.01	6.33

## राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
8.	झारखंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पलामू में फ्लोराइड प्रभावित अधिवासों हेतु बारातोला जल आपूर्ति योजना, ₹16.38 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2009 में ली गई; जिन्हें जनवरी 2011 तक पूर्ण करना था। भूमि के अधिग्रहण न होने और प्राधिकारियों से अनापत्ति नहीं मिलने के कारण योजना अधूरी रह गयी। ठेकेदार ने ₹12.29 करोड़ के कार्य को करने के बाद (मार्च 2013 तक) लागत दर में वृद्धि के कारण काम करने से मना कर दिया और अप्रैल 2013 में अनुबंध को रद्द कर दिया गया। शेष कार्य हेतु निविदा फरवरी 2014 में दी गई और कार्य को ₹10.26 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को दिया गया। ठेकेदार को ₹8.85 करोड़ का भुगतान किया गया (मई 2016) और कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है (जुलाई 2017)।</li> </ul>	1	24.75	21.14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पलामू में, फ्लोराइड प्रभावित अधिवासों हेतु पूरबदीहा ग्रामीण जलापूर्ति योजना मार्च 2008 में ₹1.33 करोड़ की लागत पर मार्च 2009 में निर्धारित समापन अवधि के साथ ली गई। डक्टाइल लौह पाइपों (विभागीय रूप से आपूर्ति) एवं आवश्यक भूमि की अनुपलब्धता के कारण योजना अधूरी रह गयी। अनुबंध को रद्द कर दिया गया (अक्टूबर 2010)। अनुमानित लागत को संशोधित कर ₹2.53 करोड़ कर दिया और शेष कार्य (जुलाई 2017) को ₹1.58 करोड़ की लागत पर दिया गया।</li> </ul>	1	2.53	1.44
		<ul style="list-style-type: none"> <li>नगररन्तरी प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुलहुल्ला में फ्लोराइड प्रभावित अधिवासों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने हेतु हुलहुल्ला खुर्द ग्रामीण जल आपूर्ति योजना ₹0.86 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2007 में स्वीकृत की गई और इसे मार्च 2010 तक पूर्ण करने के उद्देश्य से सितंबर 2008 में कार्यान्वयन हेतु लिया गया। यद्यपि पाइपों के आभाव (जिसकी आपूर्ति विभागीय रूप से की जानी थी) कार्य पूर्ण नहीं हुआ और इसे बंद कर दिया गया। कार्य को पुनः ₹0.74 करोड़ की लागत पर जुलाई 2010 में लिया गया जिसमें आपूर्ति व पाइपलाइन बिछाने की लागत भी शामिल थी। कार्य रेलवे ट्रैक के नीचे से गुजरने वाली 290 मीटर लंबी पाइपलाइन के कारण अधूरा रह गया क्योंकि रेलवे प्राधिकरण से इसकी अनुमति अभी तक प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।</li> </ul>	1	0.86	0.85
		<ul style="list-style-type: none"> <li>पश्चिम सिंहभूम जिले में 253 पीडब्ल्यूएस योजना (चायबासा-181 और चक्रधरपुर-72) 2012-14 के दौरान क्रियान्वयन हेतु ली गईं जोकि अधूरी ही रहीं, जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है।</li> </ul>	253	32.83	27.40
		<ul style="list-style-type: none"> <li>साहिबगंज जिले में, गुणवत्ता प्रभावित संघटक के अन्तर्गत 4 प्रखंडों में 58 गांवों हेतु जुलाई 2012 में एक मेगा जलापूर्ति योजना क्रियान्वयन हेतु ली गई जो अधूरी रही, जैसा कि पैरा 4.2.6 में वर्णित है।</li> </ul>	1	147.93	117.67

## राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
9.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>चमराजानगर तथा गुंधुपेट तालुकों के 297 गांवों को पीने योग्य जल की आपूर्ति के लिए दो कार्य ₹497.80 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2015 तक समापन हेतु मार्च 2014 में शुरू किये गये थे जो अपूर्ण रह गये (मार्च 2017)। इसके अलावा कार्य को सौंपे जाने के आठ माह के पश्चात् कार्य के निरीक्षण हेतु ₹7.78 करोड़ के एकमुश्त पारिश्रामिक पर नियुक्त परियोजना मॉनीटरिंग सलाहकार के कार्य को कार्य की समाप्ति तक बढ़ाकर ₹0.38 करोड़ प्रतिमाह कर दिया गया था, जिसके कारण ₹2.29 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।</li> </ul>	2	497.80	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>चार जिलों (बगलकोट, गदाग, यादगिर और चित्रदुर्गा) में, 2007-08 और 2012-13 के बीच निष्पादन हेतु शुरू किए गए छः कार्य अपूर्ण रह गये, जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।</li> </ul>	6	53.20	42.59
		<ul style="list-style-type: none"> <li>तीन जिलों (बगलकोट, गदाग और टुमाकुरु) में 2007-08 , 2011-12 और 2012-13 के दौरान शुरू की गई पांच जल आपूर्ति योजनाएं अपूर्ण रह गये, जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।</li> </ul>	5	42.95	39.56
10.	केरल	<ul style="list-style-type: none"> <li>₹61.94 करोड़ की अनुमानित लागत पर जनवरी 2002 और मई 2015 के बीच शुरू किए गए छः कार्य (डब्ल्यूएसएस से कोट्टियूर, केलाकम और कनीचर; मंजलूर पंचायत में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में सुधार; थिरुवली और नजदीकी गांवों में सीएआरडब्ल्यूएसएस; डब्ल्यूएसएस मुन्नीयूर ग्राम पंचायत एआरडब्ल्यूएसएस करूर पंचायत और डब्ल्यूएसएस से मीनाचिल, थलप्पलम और बारानंगनम पंचायत) अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण नहीं होने के कारण अपूर्ण रह गये ।</li> </ul>	6	61.94	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>मार्च 2014 से अक्टूबर 2016 के बीच ₹32.78 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2014 और अप्रैल 2017 के बीच समापन हेतु छः कार्य (डब्ल्यूएसएस से मडयल पंचायत; सीडब्ल्यूएसएस से ईरीक्कुर और नजदीकी गांव; डब्ल्यूएसएस से वालावन्नुर-कालपकंचन पंचायत; सीएआरडब्ल्यूएसएस से थिरूनया और नजदीकी गांव; डब्ल्यूएसएस से चिकोडे और आसपास के गांव तथा स्रोत स्थिरता-वेडूर पंचायत में आरडब्ल्यूएसएस से काक्काकुजी) सड़क काटने की अनुमतियों के अभाव में अपूर्ण रहे थे।</li> </ul>	6	32.78	
11.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>जून 2013 तथा सितम्बर 2010 में निष्पादन के लिए शुरू की गई दो योजनाएं (पीएचई बिष्णुपुर मंडल - सेटलिंग टैंक का निर्माण, धीमा रेत फिल्टर, सेवा जलाशय फिल्टर मीडिया और पंप हाऊस का निर्माण तथा पीएचई थाऊबल मंडल-बित्रा की जल आपूर्ति योजना), जिन्हें जून 2015 तथा सितम्बर 2013 तक पूर्ण किया जाना था, अपूर्ण रही।</li> </ul>	2	0.53	0.46
		<ul style="list-style-type: none"> <li>नोंगमायखोंग में 2012-13 के दौरान ₹0.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर आरडब्ल्यूएसएस का कार्य निष्पादन के लिए</li> </ul>	1	0.20	0.11

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
		शुरू किया गया था। मार्च 2015 तक, सेटलिंग टैंक और पाइपों के प्रापण पर ₹0.11 करोड़ का व्यय हुआ था। प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर यह पाया गया कि पांच वर्षों से अधिक के पश्चात् भी योजना को अब तक पूरा नहीं किया गया था (जुलाई 2017)।			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>थाऊबल प्रभाग में, एक एआरडब्ल्यूएस योजना का निष्पादन ₹0.66 करोड़ की लागत पर नवम्बर 2013 में पूरा हुआ बताया गया था। भौतिक जांच के दौरान (अगस्त 2017) लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना शुरू नहीं की गई थी तथा सृजित परिसंपत्तियां जीर्ण स्थिति में थीं। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन, फिल्टर मीडिया, बिजली संस्थापन कार्य स्थल पर नहीं पाए गए थे।</li> </ul>	1	0.45	0.66
12.	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> <li>गांव जग्गा राम तीर्थ और जुम्बर बस्ती के लिए पीने योग्य जल प्रदान करने हेतु कार्य को ₹2.77 करोड़ की लागत पर अक्टूबर 2014 में संस्वीकृत किया गया था। पैकेज-1 का कार्य जुलाई 2015 तक ₹1.72 करोड़ की लागत पर पूरा करने हेतु प्रदान किया गया था (अक्टूबर 2014)। यद्यपि, वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण पाइलाइन डालने का कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ था। योजना पर किए गए ₹1.57 करोड़ का व्यय अलाभदायक रहा।</li> </ul>	1	2.77	1.57
13.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्य, जो नवम्बर 2013 और जनवरी 2016 के बीच समापन हेतु दिसम्बर 2012 और जनवरी 2015 के बीच शुरू किए गए, सामग्री (पाइप) की अनुपलब्धता, जल स्रोत में परिवर्तन, भूमि विवाद, निधियों की कमी आदि के कारण अपूर्ण रहा।</li> <li>तीन<sup>1</sup> कार्य जो फरवरी 2014 और फरवरी 2015 के दौरान संस्वीकृत (₹0.63 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत/प्रदान किया गया) किये गए थे यद्यपि पूर्ण किये गए (मार्च 2016) या 90 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी (मार्च 2017) अपने अपेक्षित उद्देश्य को पूरा नहीं किया क्योंकि वर्ष के दौरान जल स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।</li> </ul>	14	5.14	1.33
			3	0.63	

<sup>1</sup> आरडब्ल्यूएसएस से हिल्टी धारा से नमफोक, सारकी झोरा से छावांगाव और भालुखोप स्रोत से संगटोंग

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा	कार्य की संख्या	अनुमानित लागत	किया गया व्यय
		<ul style="list-style-type: none"> <li>दक्षिण सिक्किम जिला में, ₹0.56 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर दो<sup>2</sup> कार्य फरवरी 2014 और मई 2015 तक समापन हेतु सहकारी समिति को प्रदान किए गए थे। भौतिक जांच के दौरान (मई/जून 2017) यह पाया गया कि सामग्री की अनुपलब्धता (जीआई पाइप) और सड़क के निर्माण के दौरान टैंक की क्षति के कारण दोनों कार्य रुके हुए थे।</li> </ul>	2	0.56	
14.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>वैसे गांव जहां जल को टैंकों के माध्यम से पहुंचाया जाता था को जल प्रदान करने के लिए ₹98.10 करोड़ की तकनीकी संस्वीकृति के साथ बोराबस-मंडाना जल आपूर्ति परियोजना को सितम्बर 2012 में शुरू किया गया और इसे दिसम्बर 2014 तक पूरा किया जाना था। यह कार्य अपूर्ण रहा क्योंकि वन तथा वन्य जीवन मंजूरीयां प्राप्त नहीं की गई थीं।</li> <li>जिला भीलवाड़ा में, चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना के अंतर्गत 1,698 गांवों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का कार्य अक्टूबर 2016 तक पूरा कर लिया जाना था, अपूर्ण रहा। इसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।</li> <li>जिला फुलेरा में, 173 गांवों हेतु जल आपूर्ति योजना जिसे जुलाई 2013 में प्रारंभ किया गया, अपूर्ण रहा जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गयी है।</li> </ul>	1	98.10	49.57
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला भीलवाड़ा में, चम्बल-भीलवाड़ा परियोजना के अंतर्गत 1,698 गांवों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने का कार्य अक्टूबर 2016 तक पूरा कर लिया जाना था, अपूर्ण रहा। इसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।</li> </ul>	1	1495.68	204.30
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला फुलेरा में, 173 गांवों हेतु जल आपूर्ति योजना जिसे जुलाई 2013 में प्रारंभ किया गया, अपूर्ण रहा जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गयी है।</li> </ul>	1	226.95	115.68
15.	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>अप्रैल 2012 और अप्रैल 2016 के बीच प्रारंभ किये गए नौ कार्य अपूर्ण रहे जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।</li> <li>नालगोंडा जिले में, मई 2014 में प्रदत्त सीपीडब्ल्यूएस योजना अपूर्ण रही जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।</li> </ul>	9	248.18	149.81
		<ul style="list-style-type: none"> <li>नालगोंडा जिले में, मई 2014 में प्रदत्त सीपीडब्ल्यूएस योजना अपूर्ण रही जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.6 में की गई है।</li> </ul>	1	71.00	60.17
16.	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> <li>2007-08 से 2013-14 के बीच 11 पृष्ठ जल शोधक संयंत्रों की स्थापना का कार्य अपूर्ण रहा।</li> </ul>	11	44.51	21.19
		<b>कुल</b>	<b>437</b>	<b>4,293.49</b>	<b>1,667.46</b>

<sup>2</sup> कोची में आरडब्ल्यूएसएस से तिरिखोला स्रोत और आरडब्ल्यूएसएस की वृद्धि से तुरखोला स्रोत से श्यामदास अपर डवारी वार्ड

**अनुबंध-4.2**  
**परित्यक्त निर्माण कार्य**  
**(पैरा 4.2.9 के संदर्भ में)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	• अप्रैल 2012 और दिसम्बर 2016 के दौरान ठेकेदारों ने पांच <sup>3</sup> कार्यों (₹10.94 करोड़ की अनुमानित लागत) को बीच में छोड़ दिया था। इन कार्यों पर ₹6.17 करोड़ का व्यय हुआ था जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।	5	6.17
2.	असम	• दीफु (आर) जल आपूर्ति प्रभाग में, ₹1.13 करोड़ का व्यय करके एक भू-जल आधारित योजना (बलीजान सं.1) पूरी की गई थी। हालांकि, दो प्रयासों के पश्चात भी गहरे नलफूप के संस्थापन से संबंधित निर्माण कार्य असफल रहा था और योजना प्रारंभ नहीं हो सकी थी। इसके कारण योजना पर किया गया ₹1.13 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।	1	1.13
3.	जम्मू एवं कश्मीर	• कारगिल प्रभाग में, भूमि विवाद के कारण ₹0.40 करोड़ का व्यय करने के पश्चात्, पांच निर्माण कार्य (₹1.59 करोड़ की अनुमानित लागत) अधूरे छोड़ दिए गए।	5	0.40
		• दो <sup>4</sup> निर्माण कार्य जिन्हें फरवरी 2009 और मार्च 2012 में ₹0.53 करोड़ की लागत से पूरा किया गया था, गैर-क्रियात्मक रहे।	2	0.53
4.	झारखंड	• मेदिनीनगर में, बारालोटा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 2012-13 में डाले गए 4.50 किमी नमनीय लोहे के पाइपों पर ₹0.52 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया क्योंकि मार्च 2013 में निर्माण कार्य को रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, एक मौजूदा सड़क को चौड़ा और मजबूत करते समय नए तरीके से डाली गई पाइपलाइन, सड़क के नीचे दब गई। इसके अलावा, जल शोधक संयंत्र और जीएलएसआर पर ₹0.20 करोड़ की लागत से किया गया निर्माण-कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया।	1	0.72

<sup>3</sup> सीपीडब्ल्यूएस से चिंतालापुदी और जिला पश्चिम गोदावाई में प्राथी कोल्लालंका में बैंड का सशक्तिकरण और सुरक्षा कार्य, मंगलागिरि (एम) के कृष्णायापेलम (वी) को एक गांव जल योजना और मंगलागिरि (एम) का कुरुगल्लू (V); जिला गुंतुर के मंगलागिरि (एम) के नीरूकोंडा की योजना

<sup>4</sup> डब्ल्यूएसएस गाट्टू गोशन और चोका टाचा



क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
		<ul style="list-style-type: none"> <li>हजारीबाग जिले में, ₹1.34 करोड़ की लागत पर चुनी गयी आठ लघु ग्रामीण पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजनाएं जिन्हें दिसम्बर 2014 तक पूरा कर लेना था, भूमि की अनुपलब्धता समेत विभिन्न कारकों के कारण ₹0.36 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् अपूर्ण रह गई थीं। द्वाइ वर्ष बीत जाने के बाद भी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं किए गए थे।</li> <li>पलामू जिले में, मार्च 2008 और जनवरी 2010 में ₹12.19 करोड़ की लागत पर चुने गए दो निर्माण कार्य (सिंगरा और बिशरामपुर) छोड़ दिए गए थे जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।</li> </ul>	8	0.36
5.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>तालुक येलांदुर में, बी.आर हिल्स तक पाइपयुक्त जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए ओवरहेड टैंक के निर्माण के कार्य को छः माह में समापन हेतु अप्रैल 2016 में ₹0.22 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया था। ₹0.04 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् निर्माण-कार्य को भूमि विवादों के कारण छोड़ दिया गया।</li> <li>तालुक चमराजनगर में, ₹0.12 करोड़ की लागत पर एक पाइपयुक्त जल आपूर्ति निर्माण, कार्य जून 2013 में निष्पादन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि, ₹0.05 करोड़ व्यय करके ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन का एक भाग पूरा करने और पंप हाऊस का निर्माण करने के बाद, जुलाई 2013 के बाद से निर्माण-कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी।</li> <li>जिला यादगीर में, ₹2.96 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् स्रोत के संदूषण के कारण 11 गांवों को जल आपूर्ति का निर्माण कार्य बीच में छोड़ दिया गया था, जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।</li> <li>जिला चित्रदुर्ग में, पाइपलाइनों में अत्यधिक रिसाव और स्रोत के सूख जाने के कारण, 27 गांवों का जल आपूर्ति का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया था जिससे ₹9.45 करोड़ का व्यय व्यर्थ साबित हुआ जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।</li> </ul>	1	0.04
			1	0.05
			1	2.96
			1	9.45
6.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला पुणे में, स्रोत से जल निकालने के विरोध में ग्रामवासियों द्वारा प्रदर्शन करने के कारण विभाग ने गांव हिन्जावडी में चिन्हित स्रोत (कसरसाई मध्यम सिंचाई परियोजना) से जल नहीं निकाला। इसके कारण जैकवैल के खुदाई कार्य और जैकवैल तक पहुंच सड़क पर किया गया ₹0.37 करोड़ का व्यय (अक्टूबर 2015) व्यर्थ हो गया।</li> </ul>	1	0.37
7.	नागालैंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>₹0.17 करोड़ की लागत पर, 2014-15 के दौरान, संस्वीकृत जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक योजना जिसे पूरा हुआ बताया गया था, उसे एक आईआरपी इकाई और एक सार्वजनिक फव्वारे का निर्माण न होने के कारण गैर-कार्यात्मक पाया गया (जुलाई 2017)।</li> </ul>	1	0.17

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला कोहिमा में, ₹0.14 करोड़ की लागत पर, 2014-15 में सनोरू - पेरासियेजी को जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए परियोजना शुरू की गई थी और नवम्बर 2014 में पूरी हुई बताई गई थी। भौतिक सत्यापन (जुलाई 2017) के दौरान, भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य अधूरा पाया गया।</li> </ul>	1	0.14
		<ul style="list-style-type: none"> <li>भूजल को पंप करके मेनगुजुमा को जल आपूर्ति में वृद्धि करने की योजना को ₹0.22 करोड़ की लागत पर, 2014-15 में शुरू किया गया था और नवम्बर 2014 में पूरा हुआ बताया गया था। भौतिक जांच (जुलाई 2017) के दौरान, स्रोत पर जल की गैर-उपलब्धता के कारण योजना को गैर-कार्यात्मक पाया गया।</li> </ul>	1	0.22
8.	ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्योंझर प्रभाग में, स्रोत का प्रावधान मुख्य निर्माण कार्य, संवितरण प्रणाली, राइजिंग लाइन, उपचार इकाई, उंचा भंडारण जलाशय, सुपर्दगी केन्द्र, आदि हेतु 2012-13 के दौरान, 11 बस्तियों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए दो निर्माण कार्य ₹1.16 करोड़ में संस्वीकृत किए गए थे। हालांकि, ₹0.17 करोड़ का व्यय करके इन निर्माण कार्यों को छोड़ दिया गया क्योंकि 2015-16 में इन बस्तियों में ₹0.25 करोड़ की लागत पर मौजूदा नलकूप में पांच सौर डयूल पंप संस्थापित किए गए थे।</li> </ul>	2	0.17
		<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रभाग नौपाड़ा में, 2009-12 के दौरान, ₹1.68 करोड़ में संस्वीकृत तीन निर्माण कार्यों को, पाइपों की खरीद पर ₹0.25 करोड़ का व्यय करने के पश्चात्, छोड़ दिया गया था।</li> </ul>	3	0.25
		<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रभाग खरायर में, आईएमआएस के अनुसार, 11,225 की जनसंख्या को पीने योग्य जल की आपूर्ति हेतु 2010-11 के दौरान संस्वीकृत दो निर्माण कार्यों<sup>5</sup> की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत थी। हालांकि, भौतिक सत्यापन जांच से पता चला कि 20 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त करने तथा स्रोत सृजन और पाइपों की खरीद पर ₹0.93 करोड़ का व्यय करने के पश्चात्, निर्माण कार्य को छोड़ दिया गया था।</li> </ul>	2	0.93
		<ul style="list-style-type: none"> <li>₹3.76 करोड़ की लागत पर निष्पादित 1,310 नलकूप असफल रहे थे जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई थी।</li> </ul>	1,310	3.76
9.	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> <li>पटियाला और राजपुरा प्रभागों में, ₹0.62 करोड़ की लागत पर निर्मित दो जल आपूर्ति योजनाएं<sup>6</sup> संवितरण प्रणाली में रिसाव और बिजली के बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण, गैर-कार्यात्मक हो गये थे।</li> </ul>	2	0.62

<sup>5</sup> पीडब्ल्यूएस से थेलकेटुंगरी और कुलीगांव

<sup>6</sup> धरमगढ़ (राजपुरा-नवम्बर 2014) और रखरा (पटियाला-अप्रैल 2015)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	कार्यों की सं.	किया गया व्यय
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला फतेहगढ़ साहिब में, ₹0.61 करोड़ की लागत पर संस्थापित एक जल आपूर्ति योजना और 10 हैंडपम्प, विवादों और जल गुणवत्ता समस्याओं के कारण गैर-कार्यात्मक हो गए थे।</li> </ul>	11	0.61
10.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>तहसील यूनीयारा में, मई 2013 तक समापन हेतु, ₹1.73 करोड़ की लागत पर शुरू किए गए जल आपूर्ति योजना बेठा रूपवारा का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा ₹1.02 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् छोड़ दिया गया था (मार्च 2013)।</li> <li>जिला जैसलमेर में, जल आपूर्ति योजना (सागरमल गोपा शाखा रामगढ़-सोन्-मोकान-खुनियाला) को कठिन स्तर के कारण बीच में छोड़ दिया गया था जिसकी चर्चा पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।</li> </ul>	1	1.02
		<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला दक्षिण सिक्किम में, ₹0.47 करोड़ की लागत पर मार्च 2014 में एक जल आपूर्ति योजना पूरी की गयी। भौतिक जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि संपूर्ण निर्माण कार्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।</li> <li>मणिराम भांज्यांग में, ₹1.08 करोड़ की लागत पर एक जल आपूर्ति योजना को नवम्बर 2014 तक पूरा किया जाना था। भौतिक जांच से पता चला (जून 2017) कि ₹0.30 करोड़ की लागत पर 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया गया था तथा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के कार्य के कारण छः किलोमीटर की सड़क के साथ की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।</li> </ul>	1	1.87
11.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला दक्षिण सिक्किम में, ₹0.47 करोड़ की लागत पर मार्च 2014 में एक जल आपूर्ति योजना पूरी की गयी। भौतिक जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि संपूर्ण निर्माण कार्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था।</li> <li>मणिराम भांज्यांग में, ₹1.08 करोड़ की लागत पर एक जल आपूर्ति योजना को नवम्बर 2014 तक पूरा किया जाना था। भौतिक जांच से पता चला (जून 2017) कि ₹0.30 करोड़ की लागत पर 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया गया था तथा सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के कार्य के कारण छः किलोमीटर की सड़क के साथ की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।</li> </ul>	1	0.47
		<ul style="list-style-type: none"> <li>रायबरेली में, रेत और मिट्टी के अतिरिक्त स्खलन के कारण बरदार जल आपूर्ति योजना को बीच में छोड़ दिया गया जिसकी चर्चा नीचे पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।</li> </ul>	1	0.30
12.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>रायबरेली में, रेत और मिट्टी के अतिरिक्त स्खलन के कारण बरदार जल आपूर्ति योजना को बीच में छोड़ दिया गया जिसकी चर्चा नीचे पैराग्राफ 4.2.9 में की गई है।</li> </ul>	1	1.84
		<b>कुल</b>	<b>1,367</b>	<b>40.07</b>

### अनुबंध-4.3

सहायता गतिविधि योजना (आईईसी, एचआरडी, एमआईएस, आर एण्ड डी) को तैयार/लागू न करना  
(पैरा 4.7.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>आईईसी, एचआरडी, एमआईएस, आर एण्ड डी की वार्षिक योजना को एएपी में शामिल नहीं किया गया।</li> <li>जिला और राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण योजना तैयार नहीं की गई थी।</li> <li>विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन कार्यशाला के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल, वार्षिक रूप से तैयार नहीं किया गया था।</li> <li>गुंतुर जिले में, सहायता गतिविधियों के लिए ₹97.77 लाख का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि जिले ने आईईसी गतिविधियों के लिए योजना तैयार नहीं की थी (मार्च 2017)।</li> </ul>
2.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभाग ने आईईसी/एचआरडी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए व्यापक योजना तैयार नहीं की थी।</li> <li>पांच वर्षों की अवधि के दौरान 24,463 आईईसी में से 13,091 और 15,966 एचआरडी गतिविधियों में से 11,858 को संचालित किया बताया गया था।</li> <li>गतिविधियों के प्रभाव और पर्याप्तता के आकलन हेतु, संचालित गतिविधियों की सटीक प्रकृति के कोई अभिलेख नहीं थे।</li> </ul>
3.	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत वार्षिक उपलब्धियाँ, 2012-17 की संपूर्ण अवधि के दौरान, वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थीं।</li> <li>आईईसी गतिविधियों के लिए लक्ष्यों के प्रति उपलब्धि, 2012-14 के दौरान, तीन प्रतिशत और 2014-17 के दौरान 19 प्रतिशत थी।</li> </ul>
4.	बिहार	<ul style="list-style-type: none"> <li>2013-17 के दौरान, एमआईएस, आईईसी और प्रशिक्षण से संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी।</li> <li>आईएमआईएस डाटा के अनुसार, 2012-13 में, सहायता गतिविधियों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।</li> <li>2012-17 के दौरान, आर एण्ड डी गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।</li> </ul>
5.	गोवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>2015-16 से पूर्व, आईईसी गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया था।</li> </ul>
6.	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>आईईसी, एचआरडी और कम्प्यूटर कार्यक्रम के अंतर्गत, 2012-17 के दौरान, लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी क्रमशः 18, 5 और 35 प्रतिशत थी।</li> <li>विभाग ने कार्यक्रम का आर एण्ड डी सेल स्थापित नहीं किया था।</li> </ul>
7.	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> <li>आईईसी गतिविधियों के लक्ष्यों के प्रति, 34 से 94 प्रतिशत के बीच की कमी थी।</li> <li>एचआरडी के अंतर्गत, प्रशिक्षुओं के लिए, लक्ष्यों के प्रति, 2012-15 के दौरान, 9 से 58 प्रतिशत के बीच तथा 2015-17 के दौरान, 100 प्रतिशत की कमी थी।</li> <li>जीपी के प्रशिक्षण हेतु, लक्षित 2.51 लाख व्यक्तियों में से 2013-17 के दौरान केवल 220 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।</li> </ul>
8.	केरल	<ul style="list-style-type: none"> <li>निधियों की उपलब्धता के बावजूद, सीसीडीयू ने सहायता गतिविधियों के अंतर्गत कार्यक्रमों की शुरुआत नहीं की थी। इसका कारण श्रमशक्ति की कमी बताया गया था।</li> <li>आर एण्ड डी के अंतर्गत किसी गतिविधि की शुरुआत नहीं की गई थी।</li> </ul>

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान, आईईसी गतिविधियों के लिए लक्ष्य के प्रति प्राप्ति, 45 प्रतिशत और यह एचआरडी गतिविधियों के अंतर्गत 12 प्रतिशत थी।</li> <li>1.35 लाख प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के प्रति, केवल 16,915 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था।</li> </ul>
9.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>आर एण्ड डी के अंतर्गत तीन गतिविधियों की शुरुआत की गई थी।</li> <li>एचआरडी के अंतर्गत 10,078 में से 8,066 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।</li> <li>चयनित 44 जीपी में से, 42 जीपी में आईईसी, एचआरडी और अन्य जागरूकता गतिविधियां नहीं की गई थीं।</li> </ul>
10.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>डब्ल्यूएसएसओ ने एसएलएसएससी के अनुमोदन हेतु आर एण्ड डी गतिविधियों के लिए एपी तैयार नहीं किए थे।</li> <li>आईईसी के अंतर्गत 86,441 गतिविधियों में से, 21,332 (25 प्रतिशत) संचालित की गई थी।</li> </ul>
11.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>76,338 आईईसी गतिविधियों और 218 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य के प्रति, कमी क्रमशः 27 प्रतिशत और 50 प्रतिशत थी।</li> <li>किसी आर एण्ड डी गतिविधि और कम्प्यूटर प्रशिक्षण की शुरुआत नहीं की गई थी।</li> </ul>
12.	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 से 30 प्रतिशत लक्षित गतिविधियां, 2012-16 के दौरान, शुरू की गई थीं।</li> <li>2016-17 में प्राप्ति 88 प्रतिशत थी क्योंकि लक्ष्य काफी कम कर दिए गए थे।</li> </ul>
13.	मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए कोई प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन नहीं किया गया था।</li> <li>2012-17 के दौरान, प्रशिक्षण के लिए लक्षित 6,525 व्यक्तियों में से 2012-13 से 2014-15 के दौरान केवल 3,887 को प्रशिक्षित किया गया था और 2015-17 के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।</li> <li>किसी आर एण्ड डी गतिविधि की शुरुआत नहीं की गई थी।</li> </ul>
14.	नागालैंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>303 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य के प्रति, 2012-14 के दौरान, 209 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2014-15 में, 900 के लक्ष्य के प्रति कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था और 2015-17 के दौरान, कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।</li> <li>किसी आर एण्ड डी गतिविधि की शुरुआत नहीं की गई थी।</li> </ul>
15.	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-13 और 2014-17 के दौरान, आईईसी गतिविधियों में कमी 14 से 74 प्रतिशत के बीच थी।</li> </ul>
16.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>आईईसी हेतु व्यय का मुख्य भाग राज्य स्तरीय गतिविधियों पर किया गया था और 0 से 39 प्रतिशत के बीच के बहुत छोटे भाग का व्यय ग्राम स्तरीय गतिविधियों पर हुआ था।</li> <li>2015-17 के दौरान, किसी जिला एवं ग्राम स्तरीय आईईसी गतिविधियों की शुरुआत नहीं की गई थी।</li> <li>डब्ल्यूएसएसओ द्वारा कोई आर एण्ड डी, सॉफ्टवेयर विकास और कम्प्यूटर प्रशिक्षण गतिविधियों की शुरुआत नहीं की गई थी।</li> </ul>

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
17.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012-17 की अवधि के दौरान, सहायता गतिविधियों के लिए कोई सहायता गतिविधि योजना तैयार नहीं की गई थी।</li> <li>• 2012-17 के दौरान, वार्षिक रूप से 880 कर्मियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के प्रति 2015-16 और 2016-17 के दौरान केवल क्रमशः 378 और 33 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया था।</li> <li>• किसी आर एण्ड डी गतिविधि की शुरुआत नहीं की गई थी।</li> </ul>
18.	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रशिक्षण, आईईसी तथा एचआरडी गतिविधियों, आदि के लक्ष्य निर्धारित करते समय सहायता गतिविधि योजना को एएपी में शामिल नहीं किया गया था।</li> <li>• आर एण्ड डी गतिविधियों के लिए कोई व्यय नहीं किया गया था।</li> </ul>
19.	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आर एण्ड डी गतिविधियों को छोड़कर, सहायता गतिविधियों के लिए एएपी तैयार किए गए थे।</li> <li>• 2012-17 के दौरान, आयोजित किए जाने वाले 483 लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति, 389 (80 प्रतिशत) आयोजित किए गए थे।</li> </ul>

### अनुबंध- 4.4

## जल की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशालाओं, अवसंरचना और उपकरण की कमी (पैरा 4.8.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>107 प्रयोगशालाओं में से केवल एक प्रयोगशाला अर्थात् गुंटुर जिला प्रयोगशाला को मान्यता प्राप्त थी।</li> </ul>
2.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल के पास चौदह की अपेक्षित संख्या के प्रति केवल आठ कर्मचारी थे।</li> <li>चार चयनित जिलों के डीएलएल, 34 निर्धारित मापदंडों में से केवल 10 की जांच करने में सक्षम थे।</li> <li>डीएलएल के पास, 32 की आवश्यकताओं के प्रति केवल छः कर्मचारी थे।</li> </ul>
3.	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल 78 मापदंडों के प्रति केवल 19 मापदंडों की जांच करने में सक्षम था।</li> <li>डीएलएल, 34 मापदंडों की आवश्यकता के प्रति 13 से 25 मापदंडों की जांच करने में सक्षम था।</li> <li>डीएलएल के पास श्रमशक्ति की कमी थी।</li> </ul>
4.	बिहार	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल 78 मापदंडों के प्रति केवल 17 मापदंडों की जांच करने में सक्षम थी।</li> <li>डीएलएल (चयनित जिले) 34 मापदंडों के प्रति केवल 14 से 15 की ही जांच करने में सक्षम थे।</li> <li>पटना जिला आर्सेनिक प्रभावित था, परंतु 2012-17 के दौरान, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कार्य न करने के कारण डीएलएल ने आर्सेनिक संदूषण की जांच नहीं की थी।</li> <li>ब्लॉक/उप-प्रभाग स्तरों पर प्रयोगशालाएं मौजूद नहीं थीं।</li> </ul>
5.	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीएलएल (आठ चयनित जिले) 34 मापदंडों में से केवल 8 से 18 मापदंडों की ही जांच करने में सक्षम थे।</li> <li>रायपुर जिले को छोड़कर, डीएलएल में आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।</li> <li>पांच डीएलएल के पास अपर्याप्त कर्मचारी थे जबकि तीन (कवर्धा, सुरजपुर एवं जशपुर) में कोई कर्मचारी नहीं थे।</li> <li>एसडीएलएल 76 पीएचई उप-प्रभाग में से सिर्फ 24 में ही क्रियाशील थीं।</li> </ul>
6.	गोवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>किसी भी प्रयोगशाला के पास एनएबीएल मान्यता नहीं थी।</li> </ul>
7.	गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> <li>32 डीएलएल में से, केवल चार के पास एनएबीएल मान्यता थी, वह भी 34 मापदंडों में से केवल 13 के जांच करने के लिए थी।</li> <li>अपेक्षित उपकरणों की गैर-उपलब्धता के कारण, एसएलएल में 78 निर्धारित मापदंडों में से केवल 16 और डीएलएल में 34 मापदंडों में से केवल 14 की जांच की गयी थी।</li> </ul>
8.	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर 42 प्रयोगशालाओं की स्थापना के लक्ष्य के प्रति, 2012-17 के दौरान, केवल 25 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी थी।</li> <li>106 के लक्ष्य के प्रति, 2012-17 के दौरान, केवल 56 प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाया गया था।</li> </ul>

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		<ul style="list-style-type: none"> <li>रसायनज्ञर्यों/जीवाणु विज्ञानियों जैसी अपेक्षित श्रमशक्ति की अनुपस्थिति में चयनित जिलों में अपेक्षित जांच नहीं हुई थी।</li> <li>प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव के कारण जीवाणुतत्व-संबंधी जांचों के लिए, खरीद किए गए उपकरणों का उपयोग नहीं किया गया था।</li> </ul>
9.	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा 22 डीएलएल और 78 एसडीएलएल में से कोई भी एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं थे।</li> <li>नमूना परीक्षित प्रभागों में, रसायनज्ञ/जल विश्लेषक जैसे स्टाफ को नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था।</li> <li>डीएलएल में 34 मापदंडों में से केवल 11 से 13 की जांच की गयी।</li> </ul>
10.	झारखंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल के पास 78 अपेक्षित मापदंडों में से केवल 10 की जांच करने के लिए एनएबीएल की मान्यता प्राप्त थी।</li> <li>किसी भी डीएलएल (चयनित जिलों में) को एनएबीएल की मान्यता नहीं थी।</li> <li>डीएलएल निर्धारित 34 मापदंडों में से केवल 5 से 15 की जांच कर रहे थे।</li> <li>डीएलएल के पास उपकरणों एवं श्रमशक्ति की कमी थी और किसी भी चयनित डीएलएल में सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी को नियुक्त नहीं किये गये थे।</li> <li>चयनित ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं को स्थापित नहीं किये गये थे।</li> </ul>
11.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीएलएल सभी निर्धारित 34 जांचों को करने में सक्षम नहीं थे।</li> <li>डीएलएल के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं थे।</li> <li>डीएलएल (चयनित जिलों में) के पास आवश्यक उपकरण कार्यात्मक स्थिति में नहीं थे तथा रसायनों की अपेक्षित सूची का अनुरक्षण नहीं किया गया था।</li> </ul>
12.	केरल	<ul style="list-style-type: none"> <li>ब्लॉक स्तर पर, 148 ग्रामीण ब्लॉकों में से, केवल 33 में प्रयोगशालाएं कार्यात्मक थीं।</li> </ul>
13.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल के पास 78 मापदंडों में से केवल 26 की जांच करने की मान्यता थी।</li> <li>चयनित जिलों में, 72 व्यक्तियों की कुल आवश्यकता के प्रति डीएलएल के पास 31 कर्मचारियों की कमी थी।</li> <li>15 चयनित ब्लॉकों में प्रयोगशाला सुविधाएं नहीं थीं।</li> </ul>
14.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>28 जिलों में, डीएलएल के पास एनएबीएल मान्यता नहीं थी।</li> <li>डीएलएल और 138 एसडीएलएल के पास आर्सेनिक की जांच करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी।</li> <li>विभिन्न स्तरों पर प्रयोगशालाओं के लिए कुल 818 पदों में से, 224 पद रिक्त थे।</li> </ul>
15.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल 78 मापदंडों में से केवल 14 की जांच करने में सक्षम था।</li> <li>डीएलएल 34 मापदंडों में से केवल 12 की जांच करने में सक्षम थे। कोई सूक्ष्मजीव विज्ञानी/जीवाणु विज्ञानी प्रयोगशालाओं में नियुक्त नहीं किए गए थे।</li> </ul>
16.	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 जिलों में से केवल 7 में डीएलएल मौजूद थे।</li> </ul>



क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		<ul style="list-style-type: none"> <li>41 उप-प्रभागों में से, केवल 20 उप-प्रभागों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी थीं।</li> </ul>
17.	मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य प्रयोगशाला और डीएलएल को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त नहीं थी।</li> <li>एसएलएल, डीएलएल और एसडीएलएल में 50 प्रतिशत श्रमशक्ति कमियां पायी गयी थीं।</li> </ul>
18.	नागालैंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपेक्षित उपकरण एवं रसायनों की गैर-उपलब्धता के कारण एसएलएल और तीन चयनित डीएलएल ने निर्धारित मापदंडों के प्रति जांचें नहीं की थीं।</li> <li>आरंभ से ही दीमापुर में डीएलएल कार्य नहीं कर रहा था।</li> <li>एसडीएलएल की स्थापना नहीं की गयी थी।</li> </ul>
19.	ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीएलएल को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त नहीं थी।</li> <li>प्रत्येक प्रयोगशाला में आठ कर्मचारियों की आवश्यकता के प्रति 13 प्रयोगशालाओं में केवल एक कर्मचारी, दस प्रयोगशालाओं में दो कर्मचारी और तीन प्रयोगशालाओं में तीन कर्मचारी थे।</li> <li>प्रयोगशालाओं में उपकरणों, ग्लासवेयर तथा रसायनों की कमी 28 से लेकर 95 प्रतिशत तक की कमी थी।</li> </ul>
20.	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रयोगशालाओं में पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं थी।</li> </ul>
21.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल के पास पेयजल में भारी धातुओं, कीटनाशकों/जहरीले तत्वों और रेडियोधर्मी तत्वों की जांच करने के लिए सुविधाएँ एवं उपकरण नहीं थे।</li> <li>डीएलएल को सभी अपेक्षित मापदंडों की जांच के लिए मजबूत नहीं बनाया गया था।</li> </ul>
22.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> <li>चार डीएलएल और नौ एसडीएलएल की आवश्यकता के प्रति, केवल दो डीएलएल को स्थापित किया गया था।</li> <li>उत्तर एवं पश्चिम जिलों में, डीएलएल को स्थापित नहीं किया गया था जबकि ₹69.92 लाख का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था।</li> <li>डीएलएल में, सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी तथा नमूना चयन सहायकों जैसा आवश्यक स्टाफ उपलब्ध नहीं थे।</li> </ul>
23.	तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसएलएल में, 34 मापदंडों में से आठ की जांच की गयी थी।</li> <li>एसएलएल में वरिष्ठ रसायनज्ञ, जल विश्लेषक, प्रयोगशाला सहायक तथा नमूना चयन सहायक जैसे कर्मियों की कमी थी।</li> <li>एसएलएल के साथ-साथ नमूना चयनित नमूना डीएलएल में, सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी के पद संस्वीकृत और मौजूद नहीं थे।</li> </ul>
24.	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>2010-12 के दौरान स्थापित 76 प्रयोगशालाओं में केवल दो को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त थी।</li> </ul>

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
25.	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> <li>एसडीएलएल को स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी जबकि ₹2.82 करोड़ की लागत पर 23 नये एसडीएलएल के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था (अगस्त 2009)।</li> <li>किसी भी प्रयोगशाला में पर्याप्त संस्वीकृत श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं थी।</li> <li>प्रयोगशालाओं को प्रदान किए गए उपकरण अप्रयुक्त/अप्रचलित स्थिति में पड़े हुए थे।</li> </ul>
26.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 नमूना परीक्षित जिलों में से आठ<sup>7</sup> में 38 कर्मचारियों की कमी पायी गयी थी।</li> </ul>
27.	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीएलएल में 34 मापदंडों में से केवल 19 की जांच की गयी थी।</li> <li>किसी भी प्रयोगशाला को एनएबीएल की मान्यता प्राप्त नहीं थी।</li> </ul>

<sup>7</sup> आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, ईटावा, जौनपुर, झांसी, चित्रकुट और सोनभद्र

**अनुबंध-4.5**  
**पानी की गुणवत्ता जांचने में कमियां**  
**(पैरा 4.8.2 के संदर्भ में)**

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>जीवाणुतत्व संबंधी और रासायनिक मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिशतता क्रमशः 39 प्रतिशत एवं 52 प्रतिशत रही।</li> <li>चयनित जिलों में, 4.15 लाख जल स्रोतों में से 50 प्रतिशत जीवाणुतत्व संबंधी तथा 52 प्रतिशत रासायनिक जांचे की गई थी।</li> <li>पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता और रासायनिक अभिकर्मकों एवं एच2एस शीशियों की अपेक्षित मात्राओं के गैर-प्रापण के कारण आवश्यक जांचें नहीं की गयी थीं।</li> </ul>
2.	अरुणाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित जिलों में, अपेक्षित 92,613 जीवाणुतत्व-संबंधी/रासायनिक जांचों के प्रति, 40 प्रतिशत जीवाणुतत्व-संबंधी/रासायनिक जांचें की गयी थीं।</li> <li>6,839 जल स्रोतों के लिए 2012-17 के दौरान अपेक्षित 61,742 जांचों के प्रति मॉनसून से पूर्व और पश्चात 56 प्रतिशत जांच की गयी थी।</li> </ul>
3.	असम	<ul style="list-style-type: none"> <li>चुनिदा आठ जिलों में, अपेक्षित 28,952 नमूना जांचों के प्रति एसएलएल ने 2,564 जांचें की थीं।</li> <li>डीएलएल ने 1.03 लाख लक्षित स्रोतों/वितरण केंद्रों के प्रति 0.68 लाख जांचें की थीं।</li> </ul>
4.	बिहार	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित जिलों में, प्रभागों ने कुल स्रोतों में दो से 20 प्रतिशत जांचें की थीं।</li> <li>चयनित जिलों में स्रोतों से जल गुणवत्ता की मॉनसून से पूर्व एवं पश्चात जांच नहीं की गयी थीं।</li> </ul>
5.	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित आठ जिलों में, जांच करने में कमी दो से लेकर 95 प्रतिशत तक थी।</li> <li>एक वर्ष में सभी जल नमूनों की जीवाणुतत्व-संबंधी संदूषण की दो बार तथा रासायनिक संदूषण की एक बार जांच नहीं की गयी थीं।</li> </ul>
6.	गोवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य प्रयोगशाला ने फ्लुराईड तथा आर्सेनिक संदूषण की जांच नहीं करवायी।</li> </ul>
7.	गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> <li>दिशानिर्देश के अनुसार किसी भी जिला प्रयोगशालाओं ने तालुका में जांची गयी जल नमूना का पुनर्जांच नहीं करवाया।</li> <li>4.40 लाख स्रोतों में से, 2016-17 के दौरान 33.39 प्रतिशत की जांच प्रयोगशालाओं में की गई।</li> </ul>
8.	हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>किए गए अपेक्षित जांचों की कमी 88 प्रतिशत थी।</li> </ul>
9.	जम्मू एवं कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> <li>आईएमआईएस डाटा ने दर्शाया कि मॉनसून-पूर्व तथा मॉनसून-पश्चात के दौरान वर्ष-वार जांच की गई थी।</li> </ul>

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		<ul style="list-style-type: none"> <li>तथापि, मॉनसून-पूर्व तथा मॉनसून-पश्चात जांचों के कोई भी रिकॉर्ड/विवरण या तो विभाग के पास या चयनित कार्यकारी प्रभागों में नहीं पाए गए।</li> </ul>
10.	झारखंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित जिलों में, रसायनिक संदूषण हेतु जांच में कमी 16 और 70 प्रतिशत के बीच थी।</li> </ul>
11.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> <li>जांच में कमी 90 और 99 प्रतिशत के बीच थी।</li> </ul>
12.	केरल	<ul style="list-style-type: none"> <li>22.09 लाख में से 5.80 लाख नमूनों की जांच की गयी थी।</li> <li>पर्याप्त प्रयोगशालाओं, स्टाफों तथा अन्य अवसंरचना की कमी के कारण सभी स्रोतों की जांच नहीं की गई थी।</li> </ul>
13.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित नौ जिलों में, लक्षित 1.55 लाख नमूनों के प्रति, 1.38 लाख जांचें की गयीं थीं।</li> <li>13.20 लाख पूर्व और पश्चात-मॉनसून नमूनों के जीवाणु-संबंधी जांच करने के लक्ष्य के प्रति, 0.58 लाख जांच की गयी थी।</li> </ul>
14.	महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>जांच में कमी सात से 42 प्रतिशत के बीच थी।</li> </ul>
15.	मणिपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>लक्षित 1,800 जल नमूनों में से, 61 प्रतिशत की जांच राज्य प्रयोगशाला द्वारा की गयी थी।</li> <li>भारी धातुओं की जांच राज्य प्रयोगशाला द्वारा सितम्बर 2016 में शुरू की गयी थी तथा 20 नमूनों के लक्ष्य के प्रति 60 प्रतिशत जांच की गयी थी।</li> <li>राज्य प्रयोगशाला ने पेयजल में कीटनाशकों/जहरीले तत्वों तथा रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति हेतु जांच नहीं की।</li> <li>चार चयनित जिलों में, डीएलएल हेतु 8,015 जांचों के लक्ष्य के प्रति 73 प्रतिशत जांचें की गयी थीं।</li> </ul>
16.	मेघालय	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित जिलों में, किए गए जांच शून्य से नौ प्रतिशत के बीच थे।</li> <li>आईएमआईएस के अनुसार, रीभोई डीएलएल द्वारा किए गए जांचों को 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 117, 40 तथा 87 के रूप में दर्शाया गया, जबकि इन वर्षों में प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं थी।</li> <li>विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि आईएमआईएस में रिपोर्ट की गई जांचें वह जांचें थीं जो ग्रामीण स्तर पर एफटीके के माध्यम से की गयी थीं।</li> </ul>
17.	मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित ऐजवाल और चम्फई जिलों में, स्रोतों के 28 से 46 प्रतिशत और 12 से 17 प्रतिशत हेतु जल गुणवत्ता जांच क्रमशः मॉनसून पूर्व एवं पश्चात नहीं की गयी थी।</li> </ul>
18.	नागालैंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>दीमापुर जिला में 2,195 स्रोतों हेतु मॉनसून पूर्व तथा पश्चात जांचें नहीं की गयी</li> </ul>

क्र. सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
		थीं।
19.	ओडिशा	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रयोगशालाएं अनिवार्य मापदंडों जैसे नाइट्रेट, आर्सेनिक, अल्कालिनिटी (जनवरी 2017) जांच नहीं कर रही थीं।</li> </ul>
20.	पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> <li>2013-14 से 2016-17 के दौरान रसायनिक जांच में कमी 34 और 84 प्रतिशत के बीच थी।</li> <li>जीवाणु-संबंधी जांच पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग को एफटीके फिल्ड में वितरित की गई थीं।</li> </ul>
21.	राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> <li>जांच किए जाने वाले 20.43 लाख स्रोतों में से, 8,094 स्रोतों की जांच दोनों मॉनसून पूर्व एवं पश्चात की गयी थी।</li> </ul>
22.	सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला प्रयोगशालाओं में प्रत्येक वर्ष अपेक्षित 36,798 जांचों के प्रति, श्रमशक्ति की काफी कमी के कारण वास्तविक जांच 1 से 5 प्रतिशत के बीच हुई थी।</li> <li>जैविक संदूषण से बचने के लिए 80 जल स्रोतों का जल उपचार और बाड़ लगाने का काम नहीं किया गया।</li> </ul>
23.	तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रत्येक वर्ष अपेक्षित 2.46 लाख नमूनों के जांचों के प्रति क्रमशः 2015-16 और 2016-17 के दौरान 35 प्रतिशत और एक प्रतिशत जांच की गई थी।</li> <li>2016-17 में मंत्रालय से निधियों की अपर्याप्त प्राप्ति के कारण डीएलएल और एसडीएलएल द्वारा प्रयोगशाला जांच नहीं की गयी थी।</li> </ul>
24.	तेलंगाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>2014-15 से 2016-17 के दौरान जल गुणवत्ता जांच में 61 से लेकर 65 प्रतिशत तक की कमी थी।</li> </ul>
25.	त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> <li>2012-17 के दौरान लक्षित 63,000 जांचों के प्रति निष्पादित जांचों की प्रतिशतता 20 से लेकर 35 प्रतिशत तक थी।</li> </ul>
26.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 चयनित जिलों में लक्षित 1.50 लाख स्रोतों में से 0.78 लाख स्रोतों की जांच की गयी थी।</li> </ul>
27.	उत्तराखंड	<ul style="list-style-type: none"> <li>चयनित जिलों में, 91 से लेकर 95 प्रतिशत स्रोतों तक की जांच नहीं की गयी थी और वर्ष में दो बार जांच किये गये स्रोतों की संख्या दो प्रतिशत से कम थी।</li> <li>कमियों का कारण स्टाफ की कमी को बताया गया था।</li> </ul>

**अनुबंध-5.1**  
**आईएमआईएस डाटा में असंगतियाँ**  
**(पैरा 5.3.1 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	प्रारूप	दी गयी सूचना	टिप्पणियाँ
1.	बी 6	जल आपूर्ति योजना स्रोतों की संख्या 73,87,069 दर्शायी गयी थी।	स्रोतों की संख्या पर अलग-अलग सूचना दी गयी थी
	बी 28	जल आपूर्ति योजना स्रोतों की संख्या 74,42,389 (72,68,567 भू-जल और 1,73,822 पृष्ठ जल)	
2.	बी 28	अक्षांश/देशांतर रेखा (गुजरात में 0,0 दर्शाया गया), जलवाही नामों (गुजरात और राजस्थान में एफजीईजीईएफजी, एबीसी दर्शाया गया) की गलत सूचना	मॉनीटरिंग की दृष्टि से सूचना बेकार थी।
3.	सी 31	टैंकरों की आपूर्ति पर व्यय के प्रति भौतिक स्थिति पूरे वर्षों के दौरान शून्य दिखायी गयी थी।	
4.	बी 15	वर्ष 1899-1900, 1900-1901 एवं 1907-1908 हेतु पाइप द्वारा जल आपूर्ति और नलकूप योजनाओं को हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में दर्शाया गया था।	
5.	डी 1	2016-17 के दौरान, रसायनिक प्रभावित बस्तियों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹114.52 करोड़ था जबकि जीवाणुतत्व प्रभावित आवासों के संबंध में यह ₹35.46 करोड़ था। 2015-16 के दौरान, रसायनिक प्रभावित आवासों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹223.52 करोड़ था।	निर्धारित जल गुणवत्ता घटक के अंतर्गत किए गए व्यय की राशि की अलग-अलग सूचना दी गई।
	डी8ए	2016-17 के दौरान, रसायनिक प्रभावित बस्तियों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹104.47 करोड़ था जबकि जीवाणुतत्व-संबंधी बस्तियों के संबंध में यह ₹27.89 करोड़ था। 2015-16 के दौरान, रसायन से प्रभावित बस्तियों के संबंध में निर्धारित व्यय (केन्द्र) ₹220.79 करोड़ था।	
6.	सी 29	2016-17 के लिए, सहायता निधि से संबंधित कुल उपलब्ध निधि ₹409.61 करोड़ थी।	मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के डाटा में भिन्नता थी।
	डी1	2016-17 के लिए, सहायता निधि से संबंधित कुल उपलब्ध निधि ₹395.97 करोड़ थी।	

**अनुबंध- 5.2 (ए)**  
**सतही जल निकायों की संख्या**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)**

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	आईएमआईएस के अनुसार डाटा (बी-8)	विभाग के अभिलेखों के अनुसार डाटा
1.	आंध्र प्रदेश	4	0	371
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	2602	6839
3.	बिहार	10	0	37
4.	छत्तीसगढ़	2	2	0
5.	गुजरात	10	284	317
6.	जम्मू एवं कश्मीर	3	190	62
7.	केरल	4	2	1288
8.	मध्य प्रदेश	10	2	0
9.	महाराष्ट्र	10	10	971
10.	मणिपुर	4	1182	1174
11.	मेघालय	2	67	300
12.	मिजोरम	1	1	7
13.	ओडिशा	8	2	33
14.	राजस्थान	10	1039	8
15.	त्रिपुरा	2	0	5
16.	उत्तराखंड	4	3565	8558

**अनुबंध-5.2(बी)**  
**चयनित जिलों में विद्यालय में पेयजल सुविधा की स्थिति**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)**

क्र. सं.	राज्य का नाम	जीपी की सं.	विद्यालयों की संख्या		पेय जल सुविधा के साथ विद्यालयों की सं.	
			आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार
1.	अरुणाचल प्रदेश	16	62	33	47	22
2.	असम	46	635	747	533	634
3.	बिहार	40	187	334	185	258
4.	छत्तीसगढ़	32	122	141	115	122
5.	जम्मू एवं कश्मीर	29	114	98	109	70
6.	झारखंड	38	166	284	150	227
7.	कर्नाटक	40	358	315	287	303
8.	केरल	16	0	179	0	179
9.	मध्य प्रदेश	44	205	226	174	197
10.	महाराष्ट्र	54	160	139	154	122
11.	मणिपुर	19	58	58	53	25
12.	मेघालय	16	44	44	24	28
13.	मिजोरम	08	31	20	31	20
14.	नागालैंड	22	36	34	28	20
15.	ओडिशा	48	316	434	266	422
16.	राजस्थान	39	143	309	118	209
17.	सिक्किम	8	44	38	28	23
18.	त्रिपुरा	8	20	28	15	19
19.	उत्तर प्रदेश	54	89	185	71	171
20.	उत्तराखंड	20	35	40	22	36



**अनुबंध-5.2(सी)**  
**चयनित जिलों में आंगनवाडियों में पेय जल सुविधा की स्थिति**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)**

क्र. सं.	राज्य का नाम	जीपी की सं.	आंगनवाडियों की संख्या		पेय जल सुविधा के साथ आंगनवाडियों की सं.	
			आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार (बी-10)	साइट या अभिलेखों के अनुसार
1.	अरुणाचल प्रदेश	16	71	57	16	15
2.	असम	46	319	745	140	264
3.	बिहार	40	55	323	47	98
4.	झारखंड	38	70	304	46	168
5.	कर्नाटक	40	311	362	215	302
6.	केरल	16	0	502	0	271
7.	मध्य प्रदेश	44	56	125	40	98
8.	महाराष्ट्र	54	133	183	125	151
9.	मणिपुर	19	15	113	14	10
10.	मेघालय	16	7	14	5	9
11.	मिजोरम	08	15	20	14	16
12.	ओड़िशा	48	203	469	137	392
13.	राजस्थान	39	23	210	15	123
14.	सिक्किम	8	6	56	3	27
15.	त्रिपुरा	8	39	55	27	42
16.	उत्तर प्रदेश	54	0	220	0	140

## अनुबंध-5.2(डी)

शिक्षा विभाग के आंकड़ों की तुलना में पूरे राज्य के विद्यालयों में पेयजल सुविधा की स्थिति  
(31.3.2017 को)  
(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विद्यालयों की संख्या			पेय जल सुविधा के साथ ग्रामीण विद्यालय की सं.		
		आईएमआईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर	आईएमआईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर
1.	अरुणाचल प्रदेश	3480	3513	33	2,898	2,877	21
2.	असम	29,841	45,827	15,986	23,390	42,357	18,967
3.	गोवा	224	1,551	1,327	163	1,200	1,037
4.	कर्नाटक	47,397	43,895	3,502	38,384	43,785	5,401
5.	केरल	1504	11,904	10,400	1,484	11,904	10,420
6.	मध्य प्रदेश	91,550	1,07,391	15,841	77,653	1,02,444	24,791
7.	मणिपुर	2,074	2,973	899	1,700	2,863	1,163
8.	मिजोरम	1,940	2,047	107	1,608	1,883	275
9.	नागालैंड	2,362	1,874	488	1,786	1,476	310
10.	पंजाब	15,176	19,458	4,282	15,175	19,374	4,199
11.	उत्तराखंड	6,545	16,994	10,449	5,306	686	4,620

## अनुबंध-5.2(ई)

शिक्षा विभाग के आंकड़ों की तुलना में चयनित जिलों के विद्यालयों में पेयजल सुविधा की स्थिति (31.3.2017 को)  
(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला की सं.	विद्यालयों की संख्या				पेय जल सुविधा के साथ ग्रामीण विद्यालयों की सं.			
			आईएमआ ईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर	जिला की सं.	आईएमआ ईएस के अनुसार	शिक्षा विभाग के डाटा के अनुसार (एचआरडी)	अंतर	
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	874	779	95	3	783	644	139	
		1	245	292	47	1	169	182	13	
2.	असम	9	12,242	19,922	7,680	9	9,850	17,960	8,110	
3.	कर्नाटक	9	17,663	14,728	2,935	8	12,364	13,563	1,199	
		1	775	931	156	2	2,244	2,051	193	
4.	केरल	4	479	4,367	3,888	4	469	4,367	3,898	
5.	मणिपुर	4	1,058	1,438	380	4	843	1,431	588	
6.	मिजोरम	2	706	557	149	2	638	550	88	
7.	नागालैंड	3	770	587	183	3	611	442	169	
8.	गोवा	2	224	1,551	1,327	2	163	1,200	1,037	
9.	मध्य प्रदेश	10	22,349	25,205	2,856	10	18,898	24,016	5,118	
10	महाराष्ट्र	4	9,085	8,608	477	4	9,085	8,608	477	
		6	14,772	16,414	1,642	6	14,771	16,365	1,594	
11	पंजाब	7	5,924	7,007	1,083	7	5,924	6,918	994	

**अनुबंध- 5.2 (एफ)**  
**जल परीक्षण प्रयोगशालाएं**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की सं.	चयनित जिलें		चयनित ब्लॉक (अनुमंडल स्तर)		कुल मोबाईल प्रयोगशालाएं	
			आईएमआईएस के अनुसार	भौतिक अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार	भौतिक अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार	भौतिक अभिलेखों के अनुसार
1.	आंध्र प्रदेश	5	14	20	23	18	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	4	4	5	4	0	0
3.	असम	9	19	27	4	8	7	7
4.	छत्तीसगढ़	8	8	8	1	1	7	18
5.	जम्मू एवं कश्मीर	7	7	7	27	24	4	0
6.	झारखंड	6	6	6	0	1	1	0
7.	कर्नाटक	10	14	10	24	18	1	0
8.	केरल	4	14	14	0	1	0	0
9.	मध्य प्रदेश	10	10	9	2	7	0	1
10.	महाराष्ट्र	10	12	13	36	46	0	0
11.	मेघालय <sup>1</sup>	4	4	3	3	1	0	0
12.	नागालैंड	3	3	3	0	0	1	0
13.	राजस्थान	10	10	10	17	2	0	1
14.	तेलंगाना	3	7	7	17	20	0	0
15.	त्रिपुरा	2	2	2	5	4	0	0
16.	उत्तराखंड	4	0	4	0	4	0	0

<sup>1</sup> मेघालय में प्रयोगशालाओं की संख्या में अंतर के संबंध में, विभाग ने इस बात पर सहमत था कि आईएमआईएस में त्रुटियों की वजह से आईएमआईएस में आंकड़े सही नहीं किए जा सकते थे।

**अनुबंध-5.2(जी)**  
**गैर-कार्यात्मक योजनाएं (31.3.2017 को)**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की सं.	योजनाओं की कुल सं.		गैर-कार्यात्मक योजनाओं की कुल सं.	
			आईएमआईएस के अनुसार (बी-17)	भौतिक अभिलेखों के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार (बी-17)	भौतिक अभिलेखों के अनुसार
1.	असम	9	44,407	3,108	4,651	357
2.	बिहार	10	36,552	2,76,414	787	50,200
3.	छत्तीसगढ़	8	44,508	1,00,392	7,564	2,855
4.	हिमाचल प्रदेश	6	18,218	14,217	22	470
5.	जम्मू एवं कश्मीर	7	4,675	3,210	7	4
6.	झारखंड	6	1,10,126	1,18,926	8,031	23,467
7.	मध्य प्रदेश	10	1,46,291	51,120	14,416	4,736
8.	महाराष्ट्र	10	58,856	61,260	1,218	7,143
9.	मेघालय	4	6,368	1,896	277	65
10.	मिजोरम	2	255	309	0	0
11.	नागालैंड	3	1,280	1,280	3	24
12.	ओड़िशा	8	1,49,224	1,30,741	6,699	1,476
13.	पंजाब	7	5,227	5,227	166	38
14.	राजस्थान	10	33,543	17,853	2,111	133
15.	सिक्किम	2	2,879	935	0	1
16.	त्रिपुरा	2	7,054	8,795	2,267	632
17.	उत्तर प्रदेश	10	3,09,256	4,11,627	2,413	21,094
18.	उत्तराखंड	4	11,435	11,381	9	0

**अनुबंध-5.2 (एच)**  
**चयनित ग्राम पंचायतों में योजनाओं की श्रेणी**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	जीपी की सं.	कुल			पीडब्ल्यूएस				हैंड पंप				अन्य			
			आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर
1.	आंध्र प्रदेश	2	50	58	8	10	51	21	30	1	22	23	1	2	0	14	14
		10	135	99	36	2	26	30	4	11	86	69	17	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	137	107	30	16	133	103	30	16	4	4	0	16	0	0	0
3.	असम	22	624	1,063	439	6	20	29	9	19	422	635	213	19	14	10	4
		24	1,416	541	875	40	222	159	63	27	1,313	406	907	27	49	365	316
4.	बिहार	40	897	884	13	40	59	50	9	40	839	839	0	40	0	0	0
5.	हिमाचल प्रदेश	6	80	123	43	3	5	9	4	9	41	103	62	1	1	0	1
		20	351	268	83	23	231	173	58	17	154	106	48	-	-	-	-
6.	जम्मू एवं कश्मीर	29	354	287	67	27	110	93	17	2	4	9	5	1	1	0	1
		-	-	-	-	2	1	3	2	27	238	201	37	-	-	-	-
7.	केरल	16	0	542	542	16	0	210	210	16	0	179	179	16	0	153	153
8.	मध्य प्रदेश	6	169	226	57	44	40	24	16	6	165	216	51	4	0	11	11
		38	1,241	816	425	-	-	-	-	38	1,205	791	414	-	-	-	-
9.	महाराष्ट्र	11	86	44	42	5	9	15	6	42	98	399	301	35	1	0	1
		43	234	535	301	49	164	74	90	12	48	18	30	19	0	73	73
10.	मिजोरम	8	9	46	37	8	9	17	8	8	0	24	24	2	0	5	5
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0
11.	नागालैंड	23	60	52	8	23	60	52	8	23	0	0	0	23	0	0	0

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

क्र.सं	राज्य का नाम	जीपी की सं.	कुल			पीडब्ल्यूएस				हैंड पंप				अन्य			
			आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर	चयनित जीपी की सं.	आईएम आईएस के अनुसार	अभिलेखों के अनुसार	अंतर
12.	ओड़िशा	4	183	225	42	1	2	3	1	4	170	213	43	-	-	-	-
		44	3,146	3,099	47	47	109	103	6	44	3,026	2,983	43	4	22	22	0
13.	राजस्थान	17	62	226	164	4	4	18	14	10	29	162	133	5	0	17	17
		22	801	265	536	35	75	47	28	29	738	237	501	32	16	10	6
14.	सिक्किम	1	34	37	3	2	41	51	10	-	-	-	-	8	37	0	37
		7	212	119	93	6	168	105	63	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	तमिलनाडु	42	2,011	1,961	50	42	976	976	0	42	857	807	50	42	178	178	0
16.	उत्तर प्रदेश	32	2,879	4,138	1259	4	0	4	4	31	2,765	3,944	1179	-	-	-	-
		22	1,216	1,204	12	50	42	42	0	23	1,364	1,352	12	-	-	-	-
17.	उत्तराखंड	13	70	43	27	14	72	39	33	-	-	-	-	2	2	0	2
		7	15	26	11	6	11	22	11	-	-	-	-	5	0	8	8

**अनुबंध- 5.2 (आई)**  
**सीडब्ल्यूपीपी के साथ बस्तियों की संख्या**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ में)**

क्र.सं	राज्य का नाम	जिलों की सं.	सीडब्ल्यूपीपी के साथ बस्तियों की संख्या	
			आईएमआईएस के अनुसार (सी-17ए)	साईट या अभिलेख के अनुसार
1.	असम	9	1	0
2.	झारखंड	6	20	0
3.	कर्नाटक	10	37	82
4.	केरल	4	2	0
5.	महाराष्ट्र	10	0	2
6.	राजस्थान	10	50	53
7.	उत्तर प्रदेश	10	0	4



**अनुबंध - 5.2 (जे)**  
**बस्तियों में जल गुणवत्ता की स्थिति**  
**(पैरा 5.3.2 के संदर्भ)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	बस्तियों की सं.	चयनित बस्तियों में पानी की गुणवत्ता की स्थिति (रासायनिक प्रभावित, जीवाणु प्रभावित या पीने योग्य)			
			पीने योग्य		पीने योग्य नहीं (रासायनिक प्रभावित, जीवाणु प्रभावित)	
			आईएमआईएस के अनुसार	साईट या अभिलेख के अनुसार	आईएमआईएस के अनुसार	साईट या अभिलेख के अनुसार
1.	आंध्र प्रदेश	32	32	19	0	13
2.	असम	184	164	68	20	108 <sup>2</sup>
3.	छत्तीसगढ़	113	106	106	7	4
4.	कर्नाटक	160	90	90	70	0
5.	केरल	16	14	14	2	0
6.	मध्य प्रदेश	176	176	166	0	10
7.	महाराष्ट्र	54	53	45	1	0
8.	राजस्थान	87	68	62	19	25
9.	तेलंगाना	14	6	6	8	0
10.	उत्तर प्रदेश	178	175	165	0	9

<sup>2</sup> 3 बस्तियों में जानकारी उपलब्ध नहीं है और 5 बस्तियों में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया।



**पारिभाषिक शब्दावली और  
संकेताक्षर**



## पारिभाषिक शब्दावली और संकेताक्षर

शब्द	विवरण
एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एआरडब्ल्यूएसपी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन केंद्र
सीसीडीयू	संचार एवं क्षमता विकास इकाई
सीपीडब्ल्यूएस	व्यापक संरक्षित जल आपूर्ति
सीडब्ल्यूपीपी	सामुदायिक जल शोधन संयंत्र
सीडब्ल्यूएसएपी	व्यापक जल सुरक्षा कार्य योजना
डीडीपी	मरुस्थल विकास कार्यक्रम
डीएलएल	जिला स्तर प्रयोगशाला
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
डीडब्ल्यूएसपी	जिला जल सुरक्षा योजना
एफटीएफके	क्षेत्रीय परिक्षण किट
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीयू	ग्राम पंचायत इकाइयां
जीपीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत जल और स्वच्छता समिति
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएमआईएस	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली
आईआरपी	आयरन रिमूवल प्लांट्स
आईटी	सूचान प्रौद्योगिकी
एलपीसीडी	लिट्र प्रति व्यक्ति प्रति दिन
एमडीजी	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य
एमडीआई	प्रबंधन हस्तांतरण सूचकांक
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमवीपीडब्ल्यूएसएस	बहु-ग्राम पाइप जल आपूर्ति योजना
एमवीएस	बहु-ग्राम योजना
एनएबीएल	परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एनडीडब्ल्यूएम	राष्ट्रीय पेयजल मिशन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केंद्र
एनएलएम	राष्ट्रीय स्तर की मॉनीटर
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनडब्ल्यूक्यूएसएम	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटर और निगरानी
ओ एण्ड एम	प्रचालन और अनुरक्षण

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा

पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएचई	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग
पीपीएसडब्ल्यूओआर	प्रतिस्थापन के बिना आकार की आनुपातिक संभावना
पीडब्ल्यूएसएस	पाइप द्वारा जल की आपूर्ति योजना
आरसीसी	प्रबलित सीमेंट कंकरीट
आरडब्ल्यूएसएस	ग्रामीण जल आपूर्ति योजना
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीएलएल	उप-प्रभाग स्तरीय प्रयोगशाला
एसएलएल	राज्य स्तरीय प्रयोगशाला
एसएलएसएससी	राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति
एसआरएसडब्ल्यूओआर	प्रतिस्थापन के बिना साधारण यादृच्छिक नमूना/चयन
एसटीए	राज्य तकनीकी एजेंसी
एसवीएस	एकल ग्राम योजना
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी	एक समान पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग प्रोटोकॉल
यूएनआईसीईएफ	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन निधि
वीएमसी	सतर्कता और मॉनीटरिंग समिति
वीडब्ल्यूएससी	ग्राम जल और स्वच्छता समिति
वीडब्ल्यूएसपी	ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं
डब्ल्यूएसएमओ	जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूक्यूएम & एस	जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी
डब्ल्यूएसएसओ	जल और स्वच्छता सहायता संगठन

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)